कर्नाटक सरकार

समाज विज्ञान
Social Science

(परिष्कृत)

9

नौवीं कक्षा

भाग – II

Hindi Medium

Part - II

कर्नाटक पाठ्य पुस्तक सोसाइटी
100 फीट रिंग रोड, बनशंकरी तीसरा स्टेज,
बेंगलूरु - 560 085.

©KTBS Not to be republished

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	इतिहास	
5	मुगल और मराठा	1
6	भक्ति मार्ग	15
7	मध्ययुगीन यूरोप	21
8	आधुनिक यूरोप	25
9	क्रांति और राष्ट्रों का उदय	39
	राजनीति शास्त्र	
4	न्यायपालिका व्यवस्था	50
5	भारत की निर्वाचन व्यवस्था	57
6	देश की सुरक्षा	64
7	राष्ट्रीय भावैक्य	73
	समाजशास्त्र	
3	सामाजिक परिवर्तन	77
4	समुदाय	81
	भूगोल	
6	खनिज संसाधन	91
7	कर्नाटक का यातयात	95
8	कर्नाटक के उद्योग धन्धे	102
9	कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन केंद्र	109
10	कर्नाटक की जनसंख्या	114
	अर्थशास्त्र	
3	गरीबी और भूख	117
4	श्रम तथा रोजगार	125
	व्यावहारिक अध्ययन	
2	वित्तीय व्यवस्था	132
3	व्यवस्था शास्त्र में लेखा	138

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 5

मुगल और मराठा

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे –

- *उत्तर भारत में मुगलों के शासन के बारे में जानना।*
- *साहित्य, कला और वास्तुशिल्प क्षेत्र में मुगल सुल्तानों की देन*
- *मराठा राज्य का उदय और शिवाजी का प्रशासन*

दिल्ली सुल्तानों का वर्चस्व कमजोर हो जाने पर बाबर ने 1526 ई0 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी ।

भारत में मुगलों का शासन (1526–1707)

बाबर

भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। वह मूलत: तुर्किस्तान का निवासी था। इसके पिता का नाम उमरशेख मिर्जा था । जो अफगानिस्तान के छोटे से परगना के राजा थे। पिता की मृत्यु के बाद बाबर जब केवल ग्यारह वर्ष का बालक था, तब उसे राजगद्धी पर बैठने का मौका मिला। बाबर का राज्य जब उसके हाथ से छूट गया तब उसे खानाबदोश का जीवन बिताना पड़ा था। ऐसे संदर्भ में उसे भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा मिली और बाबर ने पाँच बार आक्रमण भी किया। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 ई0 में हराया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दिल्ली बाबर की राजधानी थी। इसने अपने चार वर्ष के कार्य–काल के दौरान मेवाड़ के राजा संग्रामसिंह, राजपूत राजा चांदेरिया मेदिनराय और इब्राहिम लोदी के भाई मुहम्मद लोदी को हराया था। और उत्तर भारत के विशाल प्रदेश में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी।

बाबरनामा (तुझुक–इ–बाबरी)

बाबर ने आत्मचरित्र को तुर्की भाषा में लिखा है। इस पुस्तक में राजनीतिक विषयों के अलावा विविध प्रदेशों का प्राकृतिक स्वरुप सौदर्य, वहाँ के प्राणी संकुल, सस्यवग, पक्षी, उद्यानों के बारे में वर्णन किया गया है। बाबर स्वयं कवि और उत्तम चित्रकार थे। अब्दुल रहीम खान ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था।

हुमायूँ

बाबर का ज्येष्ठ पुत्र हुमायूँ मुगल साम्राज्य का दूसरा सुलतान था। हुमायूँ ने जब अधिकार सँभाला तब उसे कठिन चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा था। उन सब में सबसे बड़ी चुनौती यह

©KTBS Not to be republished

थी कि उसका साम्राज्य अस्थिर और असंगठित हो गया था। इस समस्या का निवारण कैसे किया जाये । अन्य कारण हैं - अफगानियों से परेशानियाँ, गुजरात के बहादुरशाह से वैरत्व, अपने भाइयों से समर्थन/सहयोग न मिलना, कालिंजर और चुनार के किलों का दौरा, कर, चढाईकर असफल होने पर भी जौनपुर व माडसर पर अपना अधिकार जमा लिया। हुमायूँ शेरशाह से युद्ध में हार गया था। हुमायूँ को सिंध प्रांत में आश्रय लेना पड़ा था। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूँ ने पुन: प्रशासन को सभाला ।

शेरशाह (1540–1545)

सूर घराने को स्थापक शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद था। इसके बचपन के दिन अच्छे नहीं थे। वह अपने माता-पिता के प्रेम और वात्सल्य से वंचित था। अपना जीवन-यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहनापडा था। दक्षिण बिहार के राजा बहारखान लोहणी की सेवा करने के दौरान अकेले फरीद ने बाघ को मार ड़ाला था, इस कारण उसे शेरखान की उपाधि मिली थी। बाबर ने भारत में जब शासन की डोर को अपने हाथों में संभाला था तब शेरशाह ने उसके साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। हुमायूँ को हराने के बाद शेरशाह ने पंजाब, सिंध, मुल्तान, ग्वालियर, मालवा, रैसिनदुर्गा, मारवाड़ और कालिंजर पर अपना कब्जा कर लिया। इसका साम्राज्या असम, गुजरात और कश्मीर को छोडकर पूरे उत्तर भारत में विस्तृत हुआ।

शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था

शेरशाह ने प्रशासनिक व्यवस्था को मज्बूत करने पर बल दिया। वह कुल प्रशासन का प्रमुख था। और वह मंत्रिमंडल की सहायता से कुशल प्रशासन चला रहा था। राज ने नागरिक तथा सैन्य दोनों क्षेत्रों को अपने अधिकार में केंद्रीकृत रखा। इसने पूरे साम्राज्य को सरकार (प्रांत) परगनों में विभक्त किया था। इसकी सेना में पैदल सिपाही, अश्वदल, फिरंगी दल तथा गज दल थे। इनमें अश्व दल अत्यधिक प्रबल था। सेना में अनुशासन बनाने के लिए सैनिकों की हाजिरी पुस्तिका, घोड़ों को मुद्रा (दाग) लगाने की पद्धति जारी की गई। सेना को अनेक भागों के रुप में विभक्त कर उनके निरीक्षण के लिए फौजदार (दलपति) को नियुक्त किया गया। सैन्य संगठन, युद्ध सामग्री तथा सैनिकों के अनुशासन संबंधी कार्यों में शेरशाह स्वयं रुचि लेता था।

अपने साम्राज्य में फसल के लिए उपयुक्त भूमि को नाप कर राजस्व निश्चित कर दिया था। भूमि को उसके उपजाऊ पन के आधार पर उत्तम, मध्यम, बंजर आदि तीन भागों में विभाजन किया गया था। किसान अपनी उपज पैदावार का एक तिहाई भाग भूमि कर के रुप में सरकार को देते थे।

शेरशाह निष्पक्षपात न्याय करते थे। इसलिए वे विख्यात थे। इस वजह से उन्हें 'न्यायनिष्ठ सुल्तान' नामक उपाधि से सम्मानित किया गया था। सुल्तान ही साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। सब प्रकार के अंतिम अपीलों को सुनवाई स्वयं राज शेरशाह ही करते थे। हर बुधवार की शाम के समय में सुल्तान अपने दरबार में न्याय कर फैसला सुनाते थे।

©KTBS Not to be republished

शेरशाह ने 'दाम' नामक चांदी का नया सिक्का जार किया। इसके द्वारा जारी किया गया 'एक रुपया' चांदी के सिक्के का भार 180 ग्राम था। सभी मुगल सम्राटों ने इस पद्धति को स्वीकार किया। और सभी ने इसे आगे बढाया।

चार प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग :

1. *सोनारगाँव से आगरा, दिहली औ से होते हुए सिंधु नदी के किनारे तक। इस मार्ग को शेरशाह ने सड़क-इ- आजम नाम दिया था।*
2. *आगरा से बुरहानपुर।*
3. *आगरा से चित्तौड़ तक।*
4. *लाहौर से मुल्तान तक।*

राष्ट्रीय मार्ग के दोनों ओर पेड़ लगाये गए। यात्रियों की सुविधा के लिए 1700 विश्रांति (आराम गृह) सराय बनवाये गए।

अकबर

अकबर

प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से अकबर का नाम सम्मान से लिया जाता है। इसका जन्म सिंध के अमरकोट में हुआ था। हुमायूँ इसके पिता थे। माता हमीदा बानु बेगम थीं। अकबर जब राजसिंहासन पर बैठे थे तब उनकी उम्र केवल 14 वर्ष की थी। हुमायूँकी मृत्यु के बाद बंगाल का राजा महम्मद शाह अब्दाली का सेनापति हेमू ने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इस वजह से 156 ई0 में हेमू और मुगलों के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर को जीत हुई। इस संदर्भ में अकबर की सहायता के लिए उसका राजप्रतिनिधि और प्रधानमंत्री बैराम खान आगे आया था। अपनी बड़ी सेना की सहायता से मालवा, जयपुर, गोंडवाना, चितौड, रणथंबौर, कालिंजर, गुजरात, बंगाल के राज्यों पर अकबर ने विजय प्राप्त की। हल्दीघाटी की लड़ाई मध्यकालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। चितौड़ के राजा राणा उदयसिंह की मृत्यु के बाद उसका बेटा राणा प्रताप राजा बना। अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना को राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ाई के लिए भेजा। दोनों सेना की लड़ाई में हल्दीघाटी में मुगल सेना ने जीत हासिल की थी। जो राज्य शेष थे जैसे कश्मीर, सिन्ध, उडीसा, बलूचिस्तान, कंदहार और अहमदनगर अकबर के वश में आ गए। इस प्रकार भारत में पहली बार मुगलों का साम्राज्य विस्तार हो गया। और मुगल मध्ययुगीन भारत में वृहत् साम्राज्य को शक्तिशाली रूप में फैलाने के लिए दृढ नींव लगायी।

©KTBS Not to be republished

©KLBS Not to be republished

अकबर का हिन्दू धर्म के प्रति व्यवहार : अकबर में धार्मिक सहिष्णुता की भावना थी। उसने हिन्दुओं के संदर्भ में सहनशीलता और उदारता की भावना को अपनाया था। उसने अपनी राजपूत पत्नियों को राजमहल में ही पूजा-पाठ करने की स्वतंत्रता दी थी। शत्रु राज्यों में स्त्रियों तथा बच्चों पर हिंसा न की जाए, युद्ध काल में, युद्ध में भाग लेने वाले हिंदुओं को बंदी न बनाया जाए, गुलाम न बनाया जाए, तथा इस्लाम धर्म को जबरदस्ती अपनाने पर जोरन देने का आदेश जारी किया। हिन्दुओं पर लगाया गया जजिया कर (Tax) अकबर ने रद्द कर दिया था। हिन्दू धर्म के मन्दिरों का जीणोद्धार और नए मन्दिर के लिए अकबर ने सहायता के तौर पर धनराशि प्रदान की थी। अकबर ने हिन्दू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। योग्य और सक्षम हिन्दुओं को उच्चपद पर नियुक्त करके उनका सम्मान किया। राजा तोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री था। भगवान दास, मानसिंह, तोडरमल, रायसिंह अकबर के कार्यकाल के दौरान राज्यपाल भी थे। बारह प्रांतीय वित्त-मंत्रियों में से आठ लोग हिन्दू थे। अपने दरबार में राखी, दीपावली, शिवरात्रि जैसे त्योहारों को मनाने के लिए आदेश दिया।

दीन-ए-इलाही : बचपन में अकबर उदार नीतियों से सम्बन्धित परंपरागत सिद्धांतों से प्रभावित था। इसलिए उसने सभी धर्मों के श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में अपनाया। 1582 ई0 में दीन-ए-

लाही नामक नए धर्म की स्थापना की। यह नीति सब लोगों के साथ शांति (सल-इ-कुल) नामक सिद्धांत पर आधारित थी। इस नए पंथ में सभी धर्मों के उत्कृष्ट विचार सम्मिलित थे। अबुल फज़ल इस पंथ का वरिष्ठ पुरोहित था। दीन-ए-इलाही विचारशीलता, अनुभव और प्राकृतिक शक्तियों की आराधना का सम्मिश्रण था ।

ज्ञात रहे

दीन-ए-इलाही - रक्तपितपासु जैसे मूल भूत वर्ग पर नियंत्रण रखना इस नए पंथ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्यों में से एक था।

अकबर की प्रशासनिक नीति : सुगमता से प्रशासन चलाने की दृष्टि से अकबर ने अपने साम्राज्य को केन्द्र सरकार, प्रांतीय सरकार और परगना आदि विभागों में विभाजित किया था। मनसबदारी पद्धति अकबर के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। अकबर विशाल साम्राज्य का चक्रवर्ती, फौज़ का सेनाधिपति, कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी और न्यायपालिका का प्राधिकारी था। अकबर की सरकार में प्रशासन की सहायता करने के लिए वकील, दीवान, मीरबरक्षी और मुख्य सदर नामक चार मंत्रीगण थे। अकबर ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतो में विभाजन किया था। उन्हें सुभाग नाम से जाना जाता था। साम्राज्य में इस प्रकार पन्द्रह सुभाग थे। प्रत्येक सुबा में एक सिपहसालार (सुबेदार), दीवान, सदर, काजी, कोतवाल और वकीया नवीस था। प्रत्येक जिले में फौज़दार, अमल गुजार, बिटिक्ची थे। परगना के प्रशासन की देखरेख शिकदार, अमीर, पोतदार, कानुंगो आदि करते थे। अकबर की सेना में सैनिकों का दर्जा होता था। उन्हें 'मनसब' नाम से जाना जाता था। उनके प्रमुख को मनसबदार कहा जाता था। मुगलों की सेना में अश्वदल, पैदल सेना, तोपखाने का घटक और गजदल भी थे। घोड़ों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था।

आपकी जानकारी के लिए
अकबर के दरबार के नवरत्न :

तोड़रमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुस्रहीमखान, हमीम, हुमाम, मुल्ला दो-फयाज और मातसिंह।

राजस्व व्यवस्था: राजस्व प्रणाली अकबर के प्रशासन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी। जुब्ती पद्धति (रैतवारी पद्धति) को अकबर ने जारी किया था। भूमि को नापने के लिए बाँस के लंबे डण्ड़े जिसमें लोहे के हुक जुड़े होते थे, इस साधन का इस्तेमाल किया जाता था। भूमि की उपजाऊ स्थिति के आधार पर पलौज, परौती, चाचर और बंजर आदि भागों में विभाजित किया गया था। बंजर भूमि को छोड़कर शेष भूमि को उसकी उपजाऊ स्थिति के आधार पर उत्तम, मध्यम और न्यूनतम के रुप में पुन: विभाजित किया गया था। प्रत्येक किसान को पट्टा (भू-भाग) दिया जाता था ।

अकबर के काल में पुलिस (कोतवाल) की व्यवस्था सुसंघटित और सक्षम थी। जिले में फौज़दार और परगना में राजस्व अधिकारी सहायता करते थे। जिले के राजमार्गो पर सुरक्ष की दृष्टि

©KTBS Not to be republished

से कड़ा बंदोबस्त करना इनका कर्तव्य था। परगना में पुलिस थाने की व्यवस्था थी। इस प्रकार पहली बार मध्यकालीन इतिहास में अकबर ने अत्यंत सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को जारी किया था। अकबर ने कला और वास्तुशिल्प को भी प्रोत्साहन दिया था। फतहपुर सिकरी में प्रमुख स्मारकों के नाम इस प्रकार से हैं। दौलत खाना, ख्वाजा-बाग, दफ्तर खाना, इबादतखाना, मक्तब खाना, जोधाबाई महल, पंचमहल, बीरबल महल, कबूतर खाना आदि थे।

फतहपुर सीकरी का पंचमहल

अक्बर के बाद उसके बडे बेटे जहाँगीर ने मुगल साम्राज्य का प्रशासन उत्तम ढंग से किया। उसके बाद शाहजहाँ ने शासन चलाया। जहाँगीर ने अकबर की नीति को आगे बढाया। राजपूत राजाओं के साथ वैयक्तिक तथा वैवाहिक संबंध बनाए। मेवाड के राजा पर लगे कुछ निर्बधों को हटाया। जहाँगीर ने स्वयं युद्ध में भाग लेकर सन् 1613 मे मेवाड के राणा को हराया। इस पृष्ठभूमि में कई प्रतिबंध लगाए गए। इसके बाद इसके पुत्र शाहजहाँ ने अधिकार ग्रहण किया।

शाहजहाँ

इसके पिता का नाम जहाँगीर था। पिता की मृत्यु के बाद शाहजहाँ राजा बना। इसने बहुमूल्य रत्नों से जड़े मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। इसने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्खन प्रदेश के राजप्रतिनिधि के रुप में नियुक्त किया था। इसने 1636 ई0 में पुर्तगालियों को हराकर अहमदनगर को अपने वश में कर लिया। शहजहाँ ने दक्खन क्षेत्र में भूमापन और मौल्यमापन पद्धति को जारी में लाया था। बाद में राजनीतिक उथल-पुथल होने के कारण औरंगजेब मुगल राज्य का सुलतान बना। इसके कार्य काल के दौरान भारत और पश्चिम एशिया, यूरोप के देशों के बीच में व्यापार के मामले में अत्यधिक उन्नति हुई। शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज बेगम के लिए आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। दिल्ली का लाल किला और उसमें बनायी गयी इमारतें शाहजहाँ की अद्भुत देन हैं। इसलिए इसके शासन काल को मुगलों की कला और वास्तुशिल्प का स्वर्णयुग कहा जाता है। अंत में शाहजहां के पुत्रों में सिंहासन को लेकर आंतरिक कलह हुए जिससे औरंगजेब मुगलों का शासक बना।

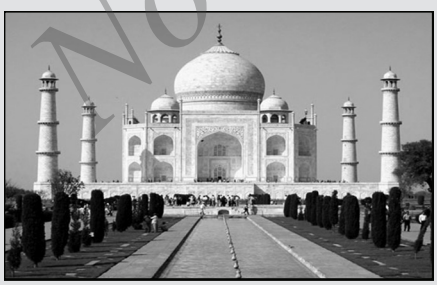

ताजमहल

ताजमहलः *ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। इसका निर्माण कार्य 1632 ई0 में प्रारंभ होकर 1653 ई0 में पूर्ण हुआ। इसे सफेद संगमरमर पत्थर से बनवाया गया था। ताजमहल संसार के प्रमुख स्मारकों में से एक है। यह स्मारक युनेस्को की अभिवृद्धि सूची में सम्मिलित है।*

©KTBS Not to be republished

औरंगजेब :

यह अच्छा सैन्य प्रशिक्षण पाकर सक्षम सैनिक बना। इसने अपने पिता शाहजहाँ को कैद करके ''आलम गीर'' पदवी प्राप्त कर इसके प्रशासन के विरुद्ध उत्तरपूर्व में अहोम, उत्तरपश्चिम में यूसफायी लोगों ने विद्रोह कर दिया जिसे तात्कालिक रुप से दबाया गया। मराठा शासक शिवाजी का अपमान कर उन्हें बंदी बनाया जो आगे चलकर मुगलों के विरुद्ध आक्रमण करने का प्रमुख कारण बना। उत्तर भारत में भी मेवाड के राजपूत, राठौर, सिक्ख, जाट, बुंदेल तथा सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसने बिजापुर के आदिल शाही तथा गोलकुंडा के निजाम शाही के साथ संघर्ष कर उन्हें अपने राज्य में विलीन कर लिया। किंतु अंत में प्रबल शक्ति राजपूतों के साथ इसकी शत्रुता से मुगलों की अवनति प्रारंभ हो गयी।

औरंगजेब ने कुरान के तत्वों को कट्टरता पूर्वक पालन करने का प्रयास किया। इसके काल में कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नाश किये गए। इसके साम्राज्य में सतीप्रथा, संगीत कार्यक्रम, जुल्स, जुआ, मद्यपान तथा गाँजा उत्पादित पदार्थ के उपयोग पर निषेध लगाया गया। इसने आडंबर को महत्व दिए बिना सरल-सादा जीवन बिताया। इसे जिंदा फकीर या सजीव, फकीर कहा जाता था।

मुगलों का योगदान

प्रशासन : मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था वंश पारंपरिक थी। निरंकुश राजप्रभुत्व की व्यवस्था मुगल साम्राज्य में थी। मुगलों ने स्वयं को सम्राट मानकर बादशाह नामक उपाधि पायी। प्रशासन को दक्षता से चलाने के लिए साम्राज्य को प्रांत, जिला और नगरों में विभाजित किया गया था। इनका निरीक्षण करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी थे। सुल्तान न्यायपालिका का मुखिया था। मुगल बादशाहों के पास सेनापति को बर्खास्त करना या मंत्रियों की नियुक्ति करना, ऐसे सब अधिकार थे। मनसबदारों की नियुक्ति करना, जागीर प्रदान करना, कानून बनाना बादशाहों का कर्तव्य था। वकील, दीवान, मीरबक्षी और मुख्य सदर, केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रीगण थे। प्रांतों के प्रशासन को राज्यपाल, दीवान, बक्षी, वकीया नवीस, कोतवाल, फौजदार, अमल गुजार और बतिकचि नामक अधिकारी देख-रेख करते थे।

राजस्व व्यवस्था : खेतीबाड़ी करना मुगल साम्राज्य के अधिकांश लोगों का प्रमुख उद्योग था। भूमि की उपजाऊ के स्थिति के आधार पर किसानों से लगान वसूला जाता था। कृषि भूमि का संपूर्ण भूमापन करके लगान तय किया जाता था। आज भी हमारी राज्य व्यवस्था प्रशासन में मुगलों के काल में चल रही राजस्व व्यवस्था के प्रचलित पद देखे जा सकते हैं।

सामाजिक व्यवस्था : तत्कालीन मुगल साम्राज्य में राजा, मंत्रीगण, अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग को आदरणीय स्थान प्राप्त था। इनकी पोषाक कीमती हुआ करती थी। ये हीरे, मोती पन्ना आदि जडे आभूषण धारण करते थे। औरंगजेब को छोड़कर बाकी सब लोग संगीत-सभाओं, मनोरंजन, मदिरा-पान और जुए में अपना समय व्यतीत करते थे। कृषक अधिक भू-राजस्व तथा सरकार के अनुचित नीति तथा बिचौलियों के अत्याचार से तंग जीवन व्यतीत कर रहे थे। कृषि से अलग वर्ग

©KTBS Not to be republished

में चमडे का काम करने वाले, कुम्हार, बढई, चमार, धोबी आदि सेवक वर्ग थे। सतीप्रथा, बाल विवाह, दहेजप्रथा, कन्याशुल्क आदि प्रचलित था।

आर्थिक व्यवस्था : उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अनेक नदियाँ बहने के कारण कृषि योग्य उपजाऊ भूमि थी। उत्तर भारत में एक तरह से नदियों का जाल होने के कारण सिंचाई को व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कृषि का विकास अच्छी तरह से होने लगा था। तब कई सरकारी कारखाने थे।

लाहौर, आगरा, फतेहपुर सिक्री और अहमदाबाद में सरकार के कारखाने थे। तत्कालीन वस्त्रोद्योग के केन्द्र इस प्रकार से हैं – बनारस, पटना, ढाका, शाहबाजपुर, सोनार, लाहौर, फतेहपुर सिक्री और आगरा आदि। अकबर के शासन काल के दौरान शॉल और दरी बनाने के बुनकर केन्द्रों ने तरक्की की। कश्मीर के शॉल तब भी बहुत प्रसिद्ध थे। मुगलों के काल में एशिया और यूरोप से भारत के वाणिज्यिक सम्बंध थे। कच्चा रेशम, लौह पदार्थ, घोड़े, सुगंध द्रव्य, सोना और चाँदी जैसे पदाथों का आयात किया जाता था। सूती कपड़े, काली मिर्च, नील, पौधे का पदार्थ अफीम और ऊनी वस्त्रों का प्रमुख रुप से निर्यात किया जाता था।

साहित्य : मुगल काल में फारसी, अरबी, तुर्की, हिन्दी और संस्कृत भाषाओं में रचनाएँ लिखी गई। बाबर और जहगीर विद्वान थे । बाबर ने अपनी आत्मकथा 'बाबर-नामा' की रचना की थी। जहांगीर ने 'तुझुक-इ-जहाँगीर' (आत्मकथा) की रचना की थी। अकबर के दरबार में अबुल फज़ल नामक विद्वान थे। इन्होंने 'आइने-अकबरी' और अकबर-नामा फारसी भाषा में लिखी थी। बदौनी ने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फैजी ने लीलावती नामक गणित पुस्तक को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। राजा तोड़रमल ने भागवत पुराण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तुलसीदास ने महाकाव्य 'रामचरितमानस' की रचना की थी। सूरदास ने 'सूरसागर' की रचना की थी। रसखान भी साहित्यकार थे। बीरबल ने भी उत्कृष्ठ कृतियों की रचना की थी।

कला और वास्तुशिल्प : मुगलों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। अकबर और शाहजहाँ द्वारा बनवाये गए स्मारक फतहपुर सिक्री दिल्ली और आगरा में स्थित हैं। ये स्थान मुगलों की राजधानियाँ हुआ करते थे। प्रसिद्ध आगरा का अकबरी महल, जहाँगीर महल और किलों का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी (विजय का) में पंचमहल, जोधावर महल बीरबल महल, इबादत खाखाना, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा शाहजहाँ के काल की महत्वपूर्ण देन हैं।

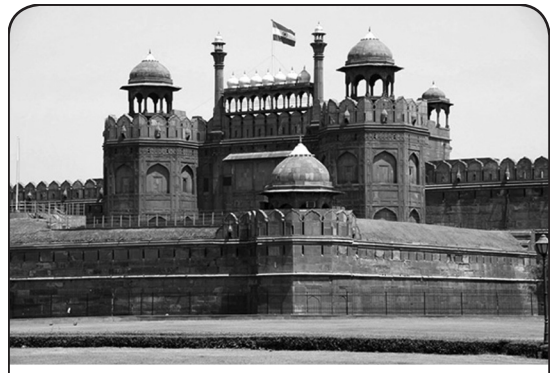

लाल किला

शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। दीवान-ए-खास, रंग महल, भारत का सबसे बड़ा मस्ज़िद जामिया मस्ज़िद जो दिल्ली में है इसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। इसने मुमताज

©KTBS Not to be republished

महल आदि इमारतें निर्मित करवायीं। मयूर सिंहासन को (सात वर्ष की अवधि में उन दिनों-एक करोड व्यय) बनवाया। देश की अत्यंत बडी मस्जिद जामिया मस्जिद इस काल की देन है। इसके अतिरिक्त लाहौर, काबुल, कश्मीर, कंदहार, अजमेर, अहमदाबाद आदि क्षेत्रों में शाहजहाँ के काल के वास्तुशिल्प देखे जा सकते हैं।

चित्रकला : हुमायूँ के शासनकाल में मुगलों की चित्रकला प्रारंभ हुई। पर्शिया के मीर सैय्यद अली और अब्दुस समद ने चित्रकला के क्षेत्र में हस्तप्रति की रचना की थी। अकबार के दरबार में कुल सत्रह चित्रकार थे जिनमें से तेरह हिन्दू चित्रकार थे। उनमें प्रसिद्ध चित्रकार दस्वंत, बसवान, लाल, जगन्नाथ, महेश और मुकुंद प्रमुख थे। किंतु शाहजहाँ तथा औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी। जहाँगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन नामक चित्रकार थे। ये चित्रकार मुगल बादशाओं के और रानियों के बृहत आकार के चित्र बनाते थे। इस प्रकार मुगलों का विविध क्षेत्रों में योगदान देखा जा सकता है।

मराठा राज्य

सत्रहवीं शताब्दी में भारत के दक्खन प्रदेश में मराठा राज्य का उदय हुआ। तत्कालीन समय में अधिकांश भारतीय भूभाग पर मुगलों का शासन था। मराठों का राज्य वर्तमान कर्नाटक और महाराष्ट्र के समूचे प्रदेश में व्याप्त था। सत्रहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र अहमद नगर के निजाम शाही और विजयापुर के आदिलशाहियों के अधीन में था। इन सुल्तानों ने स्थानीय मराठी लोगों को सेना में भर्ती कर लिया। देशपांड़े और देशमुख भूमि कर (Tax) का संग्रह करते थे। शाहजी भोंसले बिजापुर के सुल्तानों के अधीन प्रशासनिक अधिकारी था। इसने अपने सुल्तान से कुछ जागीरों को प्राप्त किया था।

शिवाजी

मराठा राज्य की स्थापना से भारत के इतिहास में नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। औरंगजेब के शासन काल तक मुगल साम्राज्य अवनत हो रहा था। पिछले मुगल साम्राटों द्वारा स्थापित सशक्त प्रशासन अब दुर्बल हो रहा था। राजधानी से दूर स्थित प्रांतों में दुर्बल होकर वहाँ अराजकता की स्थिति पैदा होगयी थी। अधिकारी सम्राटों के आदेश का पालन नहीं करते थे। पश्चिमी भाग में मुगल साम्राज्य के छोर का मराठवाडा प्रांत अधिकारियों द्वारा हावीं हो गया था। कृषक, व्यापारी तथा हस्तशिल्पी अत्याधिक कर के भाग से दब गए थे। अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट से सामाजिक जीवन भी अस्तव्यस्त हो गया था। स्वतंत्र रूप से सामाजिक तथा धार्मिक समारोह नहीं किए जा सकते थे। कर चुकाना पडता था। ऐसी अराजकता में धर्म और संस्कृति के बारे में मराठों में स्थित निष्ठावान शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष कर मराठा साम्राज्य स्थापित किया। मराठों में शिवाजी श्रेष्ट शासक थे। राज्य का विस्तार करने के साथ-साथ एक अच्छे प्रशासन की व्यवस्था करने में सफल हुए थे। शिवाजी ने महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संतों के उपदेश से स्फूर्ति पाकर हिन्दू धर्म की रक्षा करना और मराठा राज्य की स्थान को प्रमुख माना।

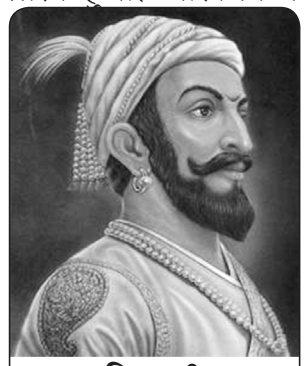

शिवाजी

©KTBS Not to be republished

शिवाजी पुणे जिले के शिवनेरी गाँव में जन्मे थे। इनके पिता शाहजी भोंसले अहमदनगर, मुगल और विजयापुर के सुलतानों के यहाँ नौकरी करते थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ये श्रद्धा से भरी सात्विक महिला थीं। इन्होंने अपने पुत्र में धार्मिक श्रद्धा और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान नैतिक मूल्यों जैसे अच्छे संस्कार डाले। दादाजीकोंड़देव शिवाजी के गुरु थे। इन्होंने शिवाजी को शास्त्रों का अध्ययन करवाकर साथ ही शस्त्रास्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। शिवाजी ही शस्त्रास्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। शिवाजी को कसरत करना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना जैसे क्षत्रियों की कलाओं में रुचियाँ थीं। शिवाजी ने बचपन में ही स्वतंत्र राज्य निर्माण का सपना देखा था। इसलिए पुणे को केन्द्रीय स्थान मानकर शिवाजी ने राज्य का विस्तार के काम में स्वयं को लगाया। इस दिशा में शिवाजी ने अपने स्थानीय निवासियों युवावर्ग (मावली) की टोली को सैन्य रुप में संघटित किया। शिवाजी ने अपने मावली सैनिकों को गेरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया। शिवाजी ने विजयापुर के सुल्तान से तोरण किला, पुरंदर गढ़ का किला, चकन किला, सिंहगढ़ और जवली किला, इन सब किलों को शिवाजी ने अपने कब्जे में कर लिया। शिवाजी ने प्रतापगढ़ नामक नया किला बनवाया। शिवाजी ने विजयापुर के सुल्तानों के विरुद्ध संघर्ष करने के कारण उसके पिता शाहजी सुल्तान को कैद कर लिया। पुन: ऐसा संघर्ष नहीं करेंगे इस तरह का आश्वासन पाकर शाहजी को रिहा कर दिया गया।

मुगलों और शिवाजी का संबंध

शिवाजी ने अनेक बार मुगल सुल्तान औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई की। दक्षिण भारत में शाही राज्यों को हराने के साथ-साथ मराठा राज्य को संपूर्ण रुप से हराने का औरंगजेब ने निश्चय किया था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शायिस्ता खान और जयसिंह को नियुक्त किया गया। जयसिंह ने शिवाजी को हराकर पुरंदर में शिवाजी से समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार शिवाजी को अपने 23 दुर्ग और सालाना 16 लाख की आमदनी प्राप्त होनेवाले प्रदेश को जयसिंह को सौंपना पड़ा। मुगलों के साथ निष्ठा से रहने की सलाह शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को दी। शिवाजी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में 5000 अश्वदल के साथ दिल्ली भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में आने का न्यौता दिया। औरंगजेब ने अपने दबार में शिवाजी का आदर-सत्कार न करके उनका अपमान किया। औरंगजेब के इस व्यवहार का विरोध करने के कारण उसे और पुत्र संभाजी को आगरा के कारागृह में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शिवाजी अपने पुत्र के साथ मिठाई को ठोकरी में बैठकर कारागृह से बाहर आने में सफल हो गए और किसी तरह रायगढ़ पहुँचे। शिवाजी ने अपनी सेना को मज़बूत स्थिति में लाकर जो किले पहले उनके हाथ से छूट गये थे, सेना की सहायता से फिर एक बार उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। शिवाजी मुगलों के प्रदेश से चौत (भूमिकर का एक चौथाई भाग) और अपने राज्य में सरदेशमुखी (भूमिकर का 10 प्रतिशत भाग) संग्रह करते थे। 1674 ई0. में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। उसी समय शिवाजी को 'छत्रपति' नामक उपाधि से सम्मानित किया गया।

©KTBS Not to be republished

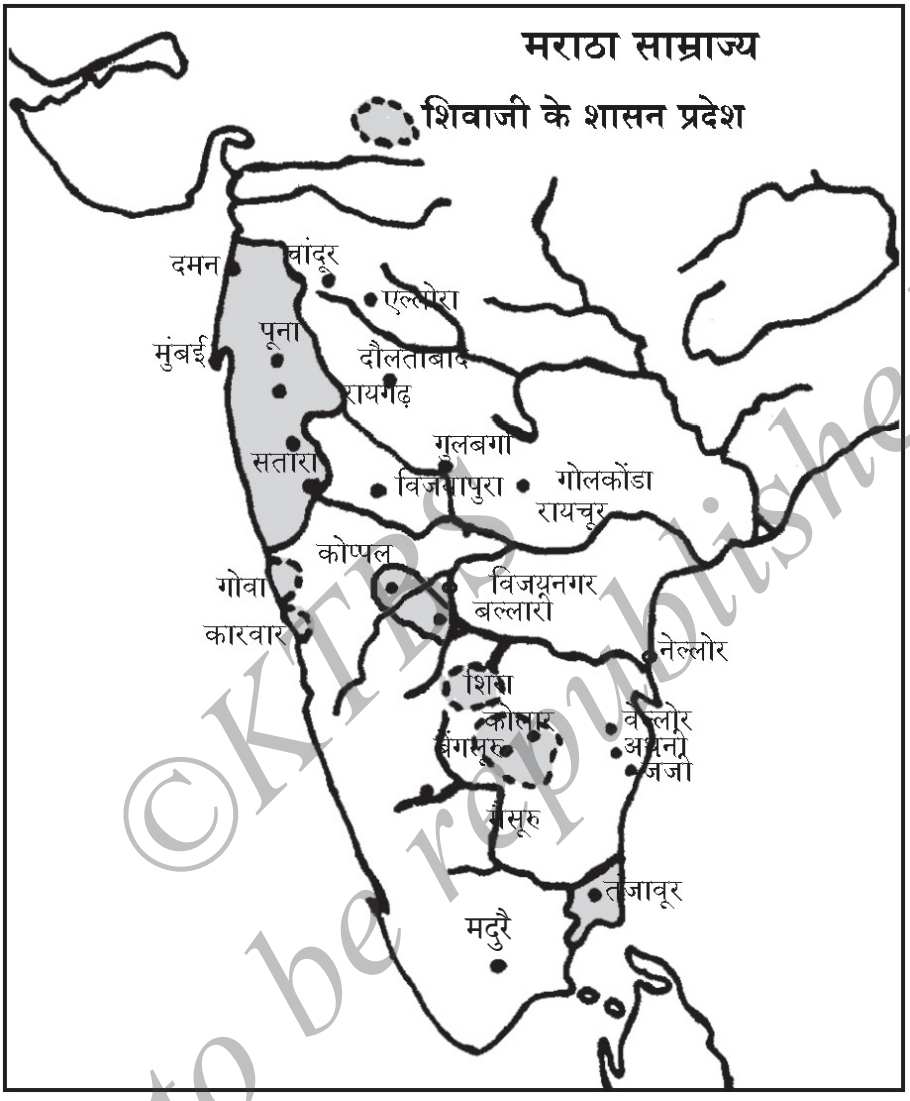

शिवाजी का प्रशासन : शिवाजी ने अपने विशाल राज्य में श्रेष्ठ प्रशासन की नींव रखी थी । साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा गया था। उन्हें स्वराज्य और मुगल राज्य नाम से जाना जाता था। मराठी प्रशासन को मुख्य भाषा थी। शिवाजी केन्द्र सरकार का प्रमुख मुखिया था। इनकी प्रशासनिक सहायता के लिए अष्ठ प्रधान नामक मंत्रीगण थे। साथ में इनकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी थे। प्रांत, जिला और ग्राम प्रशासन की इकाई थे।

राजस्व व्यवस्था : शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में लचीलेपन का गुण था। उन्होंने इस दृष्टि से किसानों की सुविधा के लिए रैतवारी पद्धति को अपनाया था। उन्होंने जागीरदारी से संबंधित राजस्व पद्धति को रद्द किया था। कर (Tax) को पैसे या वस्तु के रुप में देने की व्यवस्था थी। चौत और सरदेशमुखी नामक भू-राजस्व की व्यवस्था थी ।

©KTRS Not to be republished

न्यायिक व्यवस्था : शिवाजी के प्रशासन में परंपरागत न्यायिक व्यवस्था जारी में थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत न्याय किया करते थे। ब्राह्मण न्यायाधीश स्मृति के आधार पर निर्णय सुनाते थे।

सैन्य प्रणाली : मराठा राज्य की सेना में पैदल सेना, गजदल, अश्वदल और तोपखाने का घटक था। राजगढ़, राजगढ़, तोरणगढ़ और सिंहगढ़ में प्रमुख किले थे। हवलदार किले का मुख्य पर्यवेक्षक था। सेना में अनेक छोटे-छोटे घटक थे। गेरिल्ला युद्ध की कला में शिवाजी के सैनिकों ने महारत हासिल की थी।

गेरिल्ला युद्धः

पहाडों, टीलों और वन्य प्रदेशों में छिपकर अचानक ही शत्रुओंपर हमला करने की युद्ध कला।

शिवाजी के उत्तराधिकारी : शिवाजी के मृत्यु के समय में उनकी सौतेली माता साइबाई (संभाजी की माँ) के बीच में आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। सांभजी ने अपनी शक्ति से मराठा राज्य को अपने वश में कारके शासन करना शुरु किया था। इसमें दूरदृष्टि और विवेक का अभाव था। इसके द्वारा राज्य का संरक्षण तो हो नहीं पाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान युद्ध में मारा गया। इसकी पत्नी और छोटे बेटे शाहु को कैद कर लिया गया। इस स्थिति मे सांभाजी का सौतेला भाई राजाराम शाहु (सांभाजी का पुत्र) ने राजप्रतिनिधि के रुप में प्रशासन की बागड़ोर संभाली। राजाराम ने पुनः मुगलों से युद्ध करके गुजरात मालवा, खानदेश, बेरार और कुछ किलों को अपने वश में कर लिया। 1700 ई0 राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई मोहिते ने अपने दस वर्षीय पुत्र शिवाजी (द्वितीय) को राज सिंहासन पर बैठाया और खुद प्रशासन चलाने लगी। इसने 1700-1708 ई0 के बीच राज प्रतिनिधि के तौर पर कार्य किया। इसने भी औरंगजेब की सेना से युद्ध किया था। युद्ध के प्रारंभ में औरंगजेब की सेना जीत की ओर अग्रसर थी किंतु युद्ध के अंतिम समय में मराठों ने वापसी की और युद्ध जीत लिया। मराठों ने जो किले पहले खो दिये थे ; उनपर फिर से अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुरशाह (प्रथम) ने सांभाजी के पुत्र शाहु को कारागृह से रिहा कर दिया और उसे तक्षिण में स्थित मुगलों के सुभाग क्षेत्र से चौत और सरदेशमुखी संग्रह करने का अनुमति भी दिया। यह विषय ताराबाई और शाहु के बीच में आंतरिक कलह का कारण बना और ताराबाई पराजित हो गई। लेकिन शाहु में योग्यता नहीं थी। इसलिए अपने प्रशासन को पेशवा (प्रधानमंत्री) को सौंप दिया। इस प्रकार मराठा राज्य में पेशवाओं का प्रशासन शुरु हुआ।

पेशवा

बालाजी विश्वनाथ (1713-1720) : बालाजी विश्वनाथ, शाहु का सेनापति होने के साथ-साथ प्रसिद्ध मराठा नेता था। वह निष्ठावान और सक्षमता से कार्य निभाना जानता था। इसलिए मराठों ने बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा के रुप में नियुक्त किया। इसने शाहु और उसकी माता को मुगलों के कैद से छुड़ाने मे बड़ी भूमिका निभायी थी। सय्यद बंधु जो कि मुगल थे। उनसे दोस्ताना ताल्लुकात बनाकर बालाजी विश्वनाथ ने शिवाजी के अधीन जो प्रदेश थे। जिन पर मुगलों का कब्जा हो चुका

©KTBS Not to be republished

था। ऐसे प्रदेशों से भूमिकर संग्रह करने का अधिकार पाया। मराठा संघ के श्रेष्ठ नेतागण जैसे भोंसले, गायकवाड़, होल्कर, सिंधिया और पेशवाओं को एकजुट करके मराठों की कीर्ति को पुन: स्थापित किया।

बाजीराव (प्रथम) (1720–1740) : बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव (प्रथम) पेशवाओं की गद्दी पर नियुक्त हुआ। केवल उन्नीस वर्ष की उम्र में ही वह अत्यंत शूरवीर था। उत्तर भारत में अपने राज्य का विस्तार करने की दृष्टि से उसने गुजरात और मालवा के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया और जीते हुए प्रदेशों से चौत और सरदेशमुखी संग्रह करने का अधिकार भी पा लिया। इसने कर्नाटक के चित्रदुर्ग और श्रीरंगपट्टनम पर भी आक्रमण किया था। बाजीराव मुगर साम्राट के विरुद्ध जब युद्ध की घोषणा की तब निजाम–उल मुल्क मुगलों की सहायता करने के उद्धेश्य से अपनी सेना के साथ दिल्ली के मार्ग में जाते समय भोपाल के पाल युद्ध में मराठों से पराजित हुआ। इससे नर्मदा चंबल नदी के बीच का विशाल भूमि और पचास लाख रुपये युद्ध उपचार के रुप में बाजीराव को प्राप्त हुआ। पुर्तगालियों से सालसेट, बेसिन और सिद्धियों से जजिरा वंश में कर लिया। पूना को अपना प्रशासन केंद्र बनाया। इसी समय पर मराठा संघ के ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होल्कर, नागपुर के भोंसले, बरोदा के गायकवाड़ इन सब ने परस्पर बातचीत के जरिये स्वतंत्र हो जाने का फैसला किया। बाजीराव प्रथम ने न सिर्फ दक्षता से प्रशासन चलाया बल्कि मराठा राज्य की कोर्ति को पुन: स्थापित करने में सफल भी हुआ। इसलिए इसे 'दूसरा शिवाजी' नाम से भी जाना जाता है।

बालाजी बाजीराव (1740–1761) : इसने बीस वर्ष के उम्र में राजगद्दी संभाली थी। इसने प्रशासन को चलाने के लिए और मार्गदर्शन पाने के लिए अपने निकटतम संबंधी सदाशिव भाऊ को सलाहकार के रुप में नियुक्त किया। इसने मराठों की कीर्ति बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी थी। बालाजी बाजीराव ने राज्य को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाये थे। बुंदेलखंड़ पर अपना सार्वभौमत्व स्थापित करने के लिए 1742 ई0 में होलकर और सिंधिया की सेना की सहायता से बुंदेलखंड़ पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान से अहमदशाह अब्दाली ने मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करके लाहौर, मुल्तान, कश्मीर पर कब्जा कर लिया। उस समय मुगल बादशाह सफदरजंग आंतरिक और बाहरी आक्रमणों का सामना करने के कारण बादशाह ने मराठों से समझौता कर लिया। जिस प्रकार अपेक्षा की जा रही थी। उसी प्रकार अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया। इस युद्ध के दौरान बालाजी बाजीराव सेना सहित पानीपत के मैदान में दुशमनों के हाथों मारा गया।

माधव राव (प्रथम) : बालाजी बाजीराव के दूसरे पुत्र का नाम माधव राव (प्रथम) था। पिता को मृत्यु के बाद इसने पेशवाओं की राजगद्दी संभाली। माधवराव ने नाबालिग होने के कारण अपने चाचा को राजप्रतिनिधि के रुप में नियुक्त किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में बुरी तरह से हार जाने के बाद आश्चर्यकर रीति से पुन: उन्नति करके दक्षिण और उत्तर भारत में प्रबलशक्ति के रुप में उभरे। इसने अच्छे प्रशासन के लिए अनेक बदलाव किये। पानीपत के युद्ध के हार का लाभ उठाने के लिए जब निजाम ने प्रयत्न करने का निश्चय किया। तब उसे अहमदनगर के पास हुए युद्ध में हराया। इसने

©KTBS Not to be republished

मैसूर के हैदर अली को भी पराजित किया था। दूसरी बार मैसूर पर आक्रमण करके और युद्ध करने के बाद श्री रंगपट्टण पर भी विजय पा ली । इतना ही नहीं शिवाजी ने जो पहले प्रदेशों को कब्जा किया था । उनपर माधव राव ने उन्हें अपने वश में ले लिया। इसके साथ-साथ माधव राव ने युद्ध के परिहार के रुप में अपार धन संपत्ति प्राप्त की। उत्तर भारत में राजपूत, जाट और रोहिलों को भी युद्ध में हराया। मुगल बादशाह शाह आलम (द्वितीय) भटकता था। उसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के लिए माधव राव (प्रथम) ने सहायता की। इस प्रकार मराठों की कीर्ति को पुन: स्थापित किया। तीसरे आंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को बुरी तरह से हराया। इस हार के बाद मराठों का शासन भी समाप्त हो गया ।

अभ्यास

I. खाली जगह में उपयुक्त शब्द भरिये।

1) मुगल साम्राज्य की स्थापना _____ ने की थी।
2) मुगलों में प्रसिद्ध बादशाह का नाम _____ था।
3) आगरा में ताजमहल का निर्माण _____ ने करवाया था।
4) दीन-ए-इलाही नामक नये पंथ की स्थापना करने वाले का नाम _____ था।
5) शिवाजी की माता का नाम _____ था।

II निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1) बाबर की सैन्य उपलब्धियों के बारे में लिखिए।
2) शेरशाह को प्रशासनिक व्यवस्था और उससे पहले की प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना कीजिए।
3) अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेशों के नाम लिखिए।
4) शाहजहाँ कालीन कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र के योगदान का विवरण दीजिए।
5) शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विवरण दीजिए।
6) बाजीराव प्रथम की उपलब्धियों के बारे में विवरण दीजिए।

III. गतिविधियाँ

1) भारत के मानचित्र में अकबर द्वारा जीते गए क्षेत्रों को दर्शाइए।
2) शिवाजी के मन में देशभक्ति की भावना का विकास होने के लिए जीजाबाई ही कारण थी। इस के बारे में व्याख्या कीजिए।

IV. परियोजना कार्य :

अपने स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ब्यौरा लिखिए।

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 6

भक्तिमार्ग

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे –

- *रामानन्द, चैतन्य और गुरुनानक के बारे में जानकारी*
- *कर्नाटक में भक्तिमार्ग*
- *भक्तिमार्ग के परिणाम*
- *भक्तिमार्ग के प्रमुख लक्षण*

भक्ति आंदोलन का विकास मध्यकालीन भारत की एक प्रमुख विशेषता है। मुक्ति की कल्पना भारतीय धार्मिक तथा आध्यात्मिक परंपरा में काफी मुख्य स्थान पा चुकी है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में मुक्ति पाने के विविध तरीके हैं। इसके परिणाम स्वरूप ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, यज्ञ–याग आदि धार्मिक आचरण काफी प्रमुख मार्ग के रुप में ख्याति प्राप्त हुए। इनमें भक्ति मार्ग को विशेष स्थान मिला। विविध धर्म सुधारकों तथा दार्शनिकों ने उदार भक्ति पंथ का प्रतिपादन किया। भक्ति का अर्थ है ईश्वर में पवित्र विश्वास रखना। ईश्वर में भक्ति तथा शरणागत होना 'भक्ति' कहलाया। लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास करने का प्रयास किया गया और सर्वधर्म समानता के तत्व का प्रतिपादन किया गया। वे किसी भी विधि विधान का आचरण नही करते थे। वे राम, कृष्ण और अल्लाह जैसे अनेक नामों से पहचानकर भगवान की आराधना करते थे। उन्होंने मुक्ति पाने के लिए भक्तिमार्ग का सुझाव दिया। शुद्ध–पवित्र मन से और भगवान के शरण में आना ही भक्तिमार्ग का मूल सिद्धांत है।

भक्तिमार्ग के साथ–साथ इस्लाम धर्म में सूफीसंप्रदाय का भी विकास हुआ। इनका परस्चर प्रभाव देखा जा सकता है। भक्तिमार्ग, समाज के सभी स्तरों के लोगों में पहुँचा और अधिक समाजोन्मुख होते ही सार्वत्रिक हो गया। इस अवधि में समाज के विविध समुदायों से आनेवाले भक्त संत अपनी स्थानीय भाषा में ही भक्ति परवशता को प्रकट करते हुए, भक्ति की परिकल्पना को अधिक समाजोन्मुख रुप में परिचित कराया। इनमें उत्तर भारत के रामानंद, नामदेव, कबीर, गुरुनानक, मीराबाई, चैतन्य, रविदास (रैदास), सूरदास प्रमुख हैं। कर्नाटक में समाज के विविध स्तरों से आए पुरंदरदास, कनकदास, शिशुनाल शरीफ आदि अनेक भक्तसंत देखे जा सकते हैं।

रामानंद : रामानंद का जन्म इलाहाबाद के ब्राहमण परिवार में हुआ था। वे रामानुज के सिद्धांतों के अनुयायी थे। उन्होंने भक्ति और प्रेम के आधार पर वैष्णव धर्म की पाठशाला का प्रारंभ किया। उत्तर भारत के कुछ स्थानों में यात्रा करके राम और सीता के पूजा–पाठ को लोकप्रिय किया। वारणासी ही उनके कार्यक्षेत्र का केन्द्र स्थान था। इन्होंने जात पात का विरोध करते हुए सभी जाति के लोगों को अपने पंथ में शामिल कर लिया। इन सबमें से कबीरदास ने अत्यधिक ख्याति पायी। इन्होंने हिन्दी में प्रवचन दिए हैं।

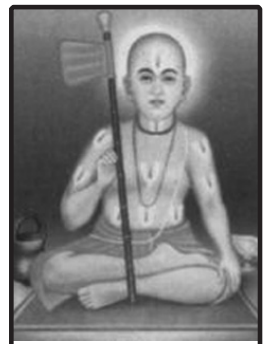

रामानंद

©KTBS Not to be republished

आपको यह ज्ञात रहे :

रामानंद ने लोगों को विशेष संदेश इस तरह से दिया

जाति पाति पूछो नो कोई

हरि को भजे सो हरि का होई

तुम किस जाति के हो ? ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।

जो व्यक्ति हरि का भजन या नामस्मरण करता है ; हरि (भगवान) उन्हें आशीर्वाद देते हैं।

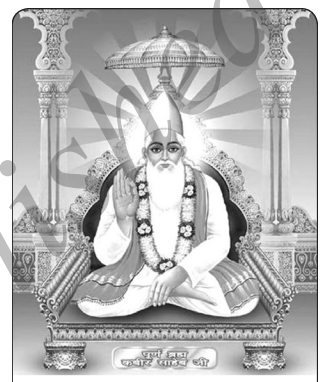

कबीर

कबीर (1440–1510) : उत्तर भारत के मध्य काल में कबीर प्रसिद्ध संत थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने अपना अधिकतम समय वारणासी में ही बिताया। इन्होंने लोगों को अपने नए सिद्धांत के बारे में उपदेश दिया। कबीर जाति-व्यवस्था का विरोध करते थे साथ ही बहुमूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वे मानते थे कि भगवान एक है। व्यक्ति चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सब के लिए भगवान एक हैं। भगवान एक होने के कारण उनका रुप रंग अलग-अलग नहीं हो सकता है। कबीर ने इन दोनों धर्मों के लोगों में सौहार्दता और सहिष्णुता को भावना का विकास करने का प्रयत्न किया था।

कबीर ने दोहों की रचना की थी। वर्तमान समय में हिन्दू और मुसलमान उत्तर-भारत में कबीर के दोहों का पठन करते हैं। कबीर के अनुयायियों को कबीर-पंथी नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि वे कबीर के आदशों के मार्ग पर चलते हैं। कबीर भारत के प्रमुख धार्मिक और समाज सुधारक थे।

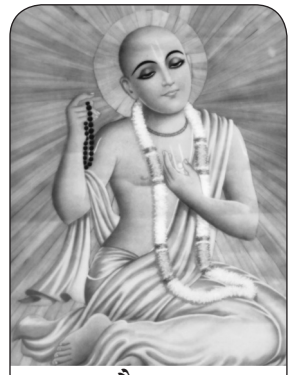

चैतन्य

चैतन्य (1486–1533) : भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संतों में चैतन्य का नाम प्रमुख है। व्यक्ति के मन मे श्रद्धा हो तो जात-पात का भेद स्वयं ही दूर हो जाता है। भक्ति से मनुष्य का चरित्र परिशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार चैतन्य ने लोगों को उपदेश दिया। इन्होंने कृष्ण की आराधना को लोकप्रिय किया। भगवान श्रीकृष्ण के बारे में अनेक गीतों की रचना की। इन्होंने जातपात का विरोध करके भाईचारे की भावना का प्रचार किया । चैतन्य के आध्यात्मिक चिंतन से सम्बन्धित उपदेशों को 'चैतन्य चरितामृत' नामक ग्रंथ में संग्रह किया गया है।

गुरुनानक (1469–1539) : इस काल के एक अन्य भक्ति पंथ के प्रतिपादक गुरुनानक का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी ग्राम में हुआ। इन्होंने दीर्घ काल तक देश का पर्यटन करके बाद में रावी नदी के तटपर कर्तारापुर में भक्ति केंद्र स्थापित किया। उनके अनुयायी सभी जाति मतों की सीमा से परे, लिंग तारतम्यता से दूर पंक्ति में भोजन करते थे। नानक ने भी पंक्ति

©KTBS Not to be republished

पोषक लंगर नामक भोजनशाला की स्थापना की। इसी प्रकार भक्त संतों का यह पवित्र स्थान धर्मशाला कहलाया। इसे आज गुरुद्वारा कहा जाता है। इन्होंने ईश्वर एक है, का उपदेश देने के अतिरिक्त मूर्ति पूजा का विरोध भी किया। सत्कार्य, परिशुद्ध जीवन और नीतिगत जीवन को अत्यधिक महत्व दिया। गुरुनानक के अनेक हिन्दू और मुसलमान शिष्य थे। इन्होंने सिक्ख धर्म की स्थापना की थी। इनके शिष्यों को 'सिक्ख' कहा जाता है। इनके उपदेशों को 'गुरु ग्रंथ साहिब' में संग्रह किया गया है। यह सिक्ख धर्म का पवित्र ग्रंथ है।इसे गुरुद्वारे में रखकर पूजा जाता है । यह सिक्खों का आदिग्रंथ नाम से जाना जाता है। इसे गुरुद्वारे में रखकर पूजा की जाती है।

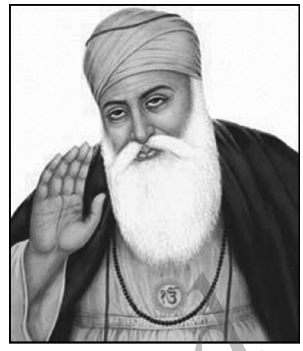

गुरुनानक

मीराबाई : मीराबाई राजपूत राजवंशी राजकुमारी थी। इसने मेवाड के राजकुमार का वरण किया था। तत्पश्चात् लौकिक जीवन से दूर हो गई। तब अस्पृश्य कुल में जन्मे भक्ति संत रविदास (रैदास) की शिष्य बनी। मीराबाई ने अपना सम्पूर्ण जीवन श्रीकृष्ण की आराधना में लगाया। भोग विलास के जीवन को त्यागकर कृष्ण की परम भक्त बनी । और कृष्ण की भक्ति से सम्बन्धित मीराबाई ने कीर्तनों की रचना की थी। यही कीर्तन आगे चलकर भजन नाम से लोकप्रिय बने। समस्त भारत में आज भी इन भजनों की गाया जाता है और राजस्थान तथा गुजरात राज्यों से अधिक ख्यात हुआ है। भारत के अनेक भागों में धर्म और जाति के बीच के अंतर कम करने के लिए अनेक सुधारकों ने प्रयास किया है।

मीराबाई

महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थित पंढरपुर में विठोवा का मन्दिर भक्तिपंथ का केन्द्रीय स्थान था। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास नए पंथ के संतों में विख्यात हुए। पुरंदरदास और कनकदास कर्नाटक के भक्ति आंदोलन के प्रमुख रहे। इनकी ''दासपरंरपरा'' प्रख्यात हुयी।

सूफीसंत : सूफी संत पर्सिया से भारत में आकर विविध भागों में रहने लगे। उन्हें 'पीर' (गुरु) नाम से जाना जाता था। 'सूफ' नामक सादा ऊन का कुर्ता पहनानेवाले मुस्लिम संत को 'सूफी' कहा गया। प्रेम और भक्ति से परमात्मा अथवा अल्लाह को प्राप्त किया जा सकता है, इस बात पर बल देते हुए कहा। सभी वर्गों के लोगों को आदर की दृष्टि से देखते हुए जीने के महत्व पर बल दिया। भक्ति से सम्बन्धित नृत्य और संगीत हमें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाते है; ऐसा सूफियों का विश्वास था। सूफी संतों ने उर्दू एवं हिन्दी भाषा में भक्ति के महत्व को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कृतियों की रचना की। कुतुबन नामक सूफी कवि ने 'मृगावती' और मलिक मुहम्मद जायसी ने 'पदमावत' नामक काव्य की रचना की थी। इनमें सूफी-सिद्धांतों के महत्व पर वर्णन किया गया है।

©KTBS Not to be republished

सूफी परंपरा अखिल भारत में व्याप्त है। सूफी पंथ में लगभग 12 विविध प्रकार हैं। इनमें चार अत्यंत प्रमुख है। उत्तर कर्नाटक के बीदर, कलबुरगी, विजयपुरा आदि इस परंपरा के प्रमुख केंद्र हैं। उरुस आचरण में हिंदू और मुसलमान समुदाय दोनों भक्ति से भाग लेते हैं। आज भी यह आचरण होता है।

शिशुनाल शरीफ – (1819–1889)

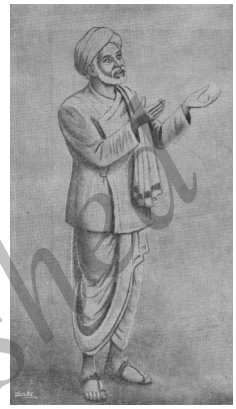

शिशुनालशरीफ

इमाम – हजामा इनके माता पिता थे। आज के हावेरी जिले के शिग्गावी तालुक के शिशुनाल में शरीफ का जन्म 1819 में हुआ। ख्वाजा की सलाह पर पिता इमाम साहेब ने बच्चे का नामकरण मुहम्मद शरीफ से किया।

'शरीफ' पारसी शब्द है। यह उद्दात लक्ष्य था उत्तम शील स्वभाववाले, अन्य लोगों से 'सम्मिलित व्यक्ति' अर्थ रखता है। नाम के अनुरुप शरीफ का व्यक्तित्व विकसित हुआ।

शिशुनाल शरीफ बचपन से ही इस्लाम, वीरशैव तथा वैदिक तत्वसिद्धान्तों से प्रभावित रहे। त्रिकाल ज्ञानी गोविंद भट्ट इनके गुरु थे। शिशुनाल के बच्चों के लिए शरीफ ने स्थानीय चंद्रेश्वर मंदिर में विद्यालय खोलने के द्वारा उनमें धार्मिक विशाल भावना के विकास में मदद की।

संघ जीवी शरीफ ने शिशुनाल प्रदेश में होनेवाले मेले, उत्सव, मैदानी खेल, मोहर्रम उत्सव आदि में सक्रिय भाग लेकर जनता में स्फूर्ति उत्पन्न की। ये मोहर्रम के जुलूस की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक विषयों / घटनाओं का अनुसरण कर रिवायत द्वारा रिवायत साहित्य के ख्यात व्यक्ति बने।

पुरंदरदास (1484–1564)

पुरंदरदास

'दास का अर्थ है – पुरंदरदास।' यह कथन गुरु व्यासराय द्वारा उनकी प्रशंसा में कहा गया था। पुरंदरदास ने वैष्णव भक्ति के परम हरि कीर्तन द्वारा कन्नड साहित्य, कर्नाटक संगीत को मौखिक देने द्वारा 'कर्नाटक संगीत पितामह' के नाम से ख्याति पाई है।

पुरंदरदास का जन्म आज महाराष्ट्र के पुरनगढ के आगर्भ श्रीमंत वर्तक के परिवार में हुआ। वरदप्पानायक और लक्ष्मीदेवी इनके माता-पिता थे। इनका पूर्व नाम शिनप्पानायक था जो स्वर्ण व्यापारी थे। शिनप्पानायक पक्के व्यापारी थे, जो आगे चलकर अपनी सती सरस्वती की इच्छा से मनपरिवर्तन कर पुरंदरदास के रुप में अध्यात्म की ओर बढे।

मध्व मत का प्रचार अपने कीर्तन द्वारा करने के लिए पुरंदरदास ने अनेक पवित्र क्षेत्रों की यात्रा की। इनमें तिरुपति, श्रीरंगपट्टण, अरुणगिरि, उडुपि, कंची, कनकाचल, काशी, कुंभकोणम, कूडलीपुरा, हस्तिगिरि, कालहस्ती, श्रीशैलम,

©KTBS Not to be republished

घटिकाचल, गदग, पंढरपुर, बेलूरु, मन्नूरु, मालूरु, मेलुकोटे, हंपी, हरिहर आदि प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हैं। यहाँ जाकर पुरंदरदास ने जनसामान्य को भक्तिमार्ग का उपदेश दिया।

पुरंदरदास के कीर्तन में प्रमुख रुप से वैष्णव भक्ति पर भक्ति के साथ-साथ सामाजिक जागरुकता, आडम्बरपूर्ण भक्ति की विडंबना, जीवन तत्व संबंधी अभिव्यक्ति को हम देख सकते हैं। उन्होंने जातिमत का खंडन किया। याग यज्ञ तिरस्कृत कर अंधविश्वास का विरोध किया। दिखावटी भक्ति का खंडन करके इन्होंने आंतरिक खोज, आत्मान्वेषण को प्रधानता दी। अंतरंग की शुद्धि के बिना मैल धोने से क्या लाभ है? जैसे प्रश्न किया।

ये पानी में बैठकर आडम्बरयुक्त ध्यान करने वालों की तुलना बक पक्षी से करते हैं। मन में दृढ़भक्ति के बिना तन को पानी में डुबाना व्यर्थ है, इसे स्पष्ट किया है।

'जियो और जीतो', 'मानव का जन्म महान है। इसे नुकसान मत पहुँचाओ, पागलों।' जैसे जीवन तत्व ज्ञान को लोगों में प्रसारित किया। और उनमें भक्ति का विकास किया। पुरंदर दास का एक एक कीर्तन मानव कुल को ज्ञानदीप बन कर मानव जीवन को सार्थक करने वाला स्थल बना है। उनके ज्ञान का यह भंडार कन्नड का पुरंदर उपनिषद् के रुप मे 'दासरेंदरे पुरंदर दासरय्या' नाम से ख्यात है।

कनकदास :

बीरप्पा और बच्चम्मा कनक के माता-पिता थे। ये श्री वैष्णव मत के अनुयायी थे। अपने एकमात्र पुत्र को अपने कुल देवता वेंकटपति का नाम रखने की इच्छा से उन्होंने उसका नामकरण 'तिम्मप्पा' किया।

एक बार तिम्मप्पा को भूमिगत अपार धनराशि प्राप्त हुई तब से उसे भाग्यशाली मानकर लोग उसे कनक कहने लगे। कनक ने स्वयं को प्राप्त धन का दुरुपयोग न करके उस धन से कागिनेले में प्रसिद्ध आदिकेशव का मंदिर बनवाया, ऐसा माना जाता है।

बाड तथा बंकापुर के स्थानीय नेता रहे कनक बचपन से ही युद्ध में प्रवीण थे। एक बार युद्ध भूमि में काफी घायल होने पर वे अधिकार तथा जीवन के प्रति अनिश्चितता के प्रति विरक्त हो गए। लौकिक सुख को त्याग कर दासमार्ग को अपनाया और 'कनकदास' कहलाने की प्रतीति है।

एक भक्त संत के रुप में कनकदास ने उस काल के समाज में स्थित ऊँच-नीच, बडा-छोटा, की भावना को मिटाने का प्रयास किया। खोखली भक्ति की निंदा की। सच्ची भक्ति के मार्ग से लोगों को ईश्वर का सामीप्य पाने का उपदेश दिया। भक्ति मार्ग की सरलता को दर्शाया। प्रमुख रुप से इनोंने ईश्वर के साक्षात्कार के लिए उत्तम जाति में जन्म लेना अनिवार्य बताने वाले पुरोहितों को अपने कीर्तन द्वारा झूठा साबित किया।

कनकदास भक्तिमार्ग के कवि भी थे तथा इन्होंने असंख्य कीर्तनों के साथ-साथ अनेक काव्यों की रचना भी की है। उनमें 'मोहन तरंगिणी', 'नलचरित्र', 'रामधान्य चरित' तथा 'हरिभक्तिसार' प्रमुख है।

©KTBS Not to be republished

भक्ति आंदोलन के परिणाम

हिन्दू प्रथाओं में सुधार और हिन्दु व मुसलमानों में मधुर सम्बन्ध स्थापित करना भक्तिवाद के दो मुख्य उद्देश्य थे। हिन्दू समाज में व्याप्त अनेक दोषों को सुधारकों ने निवारण किया। भारत की प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ। धर्मसुधारकों ने देशी भाषाओं में रचनाएँ करके उनके विकास के लिए सहायता की थी। यह भारतीय संस्कृति के विकास के लिए कारण बना। भारत में कई संस्कृतियों का संगम भारत के लिए गर्व की बात है।

आपकी जानकारी के लिए :

भक्तिवाद में संतों ने अपनी भाषाओं में ही कीर्तन और भजनों की रचना की थी । भक्तिवाद से भारतीय भाषाओं में देशी साहित्य का विकास हुआ। हिन्दी भाषा में सूरदास ने 'सूर-सागर', तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' की रचना की थी। मराठी में अभंगा कीर्तनों के साथ ज्ञानदेव को ज्ञानेश्वरी जैसे काव्यों की रचना हुई थी।

अभ्यास

I. रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द भरिए :

1) भक्ति का अर्थ है ईश्वर में शुद्ध ..... रखना।
2) रामानन्द के सबसे प्रिय शिष्य का नाम ..... था ।
3) कबीर के अनुयायियों को ..... कह कर पुकारा जाता है।
4) चैतन्य के आध्यात्मिक चिंतनों का संग्रह ..... में है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1) राम-सीता की पूजा को किसने लोकप्रिय किया ? उनके जाति के बारे में क्या विचार थे?
2) सिक्ख कौन थे ? उनके पवित्र ग्रंथ का नाम लिखिए।
3) भक्ति आंदोलन के परिणाम क्या थे?
4) पुरंदरदास ने भक्ति संबंधी किन अंशों को बताया है?

III. गतिविधियाँ :

1) भक्ति सुधारकों के जीवन चरित्र को जानिये।
2) अपने अध्यापक से धर्म-सुधारकों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए।

IV. परियोजना कार्य :

1) भक्तिवाद के सुधारकों में से किसी एक के बारे में परियोजना कार्य तैयार कीजिए।
2) कनकदास और पुरंदरदास के कीर्तनों में छिपे हुए मूल्यों के बारे में अपने शिक्षक की सहायता से चर्चा कीजिए।
3) कनकदास और पुरंदरदास के कीर्तनों का अभ्यास कीजिए।

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 7

मध्ययुगीन यूरोप

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे –

- *मध्ययुगीन यूरोप की परिस्थितियाँ*
- *गुलामी / सेवा कार्य व्यवस्था का अर्थ*
- *गुलाम व्यवस्था के विविध रुप*
- *गुलाम व्यवस्था के गुण-दोष*
- *गुलामी व्यवस्था का पतन*

रोमन साम्राज्य का पतन :

ईसा पूर्व 395 तक एकीकृत रोमन साम्राज्य था, तत्पश्चात् दो भागों में विभक्त हो गया। ईसा पूर्व 395 से 476 में रोम्यूलस अगस्ट्यूलस के पदच्युत होने तक पश्चिमी साम्राज्य अस्तित्व में था। ईसा पूर्व 395 से 1453 तक पूर्वी रोमन साम्राज्य अस्तित्व में रहा। पूर्वी रोमन साम्राज्य को 'बैजन्टाइन साम्राज्य' कहा जाता है। ईसा पूर्व 5 वीं शताब्दी से 15 हवीं शताब्दी तक यूरोप का मध्य युग माना जाता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही मध्य युग का प्रारंभ माना जाता है। सामान्यतः टर्कियों ने कांस्टेंटिनोपुल को ईसापूर्व 1453 में अपने वश में कर लिया था और मध्य युग का यह अंत माना गया।

प्रारंभ में सम्पूर्ण मध्ययुग को 'अंधकार युग' कहा जाता था। वास्तव में मध्य युग को तीन भागों आरंभिक, मध्य तथा अंतिम चरणों में विभक्त किया जा सकता है। तत्पश्चात् आरंभिक चरण को इस प्रकार पहचाना जा सकता है।

यूनानियों के नगर राज्यों के अनुसार रोम भी पेट्रीषियन नामक जमींदारी वर्ग के अधिकार में था। इन्होंने सभी राजनैतिक अधिकार को 'सेनेट' नाम से केंद्रीकृत किया था। रोमन गरीबों को 'प्लेबियन' कहा जाता था। इन्हें किसी भी प्रकार का राजनैतिक अधिकार नहीं था ये गुलाम थे।

'गुलामी' के नाम पर अधिकार चलाने वाले 'गुलामों के अधिकारी' उन्हें अपनी निजी जायदाद समझते थे। वे गुलामों के श्रम का दुरुपयोग करते थे। ये गुलाम भी एक निश्चित मालिक की जागीर होता था। गुलामों का कार्य अत्यंत निम्न स्तर का होता था। चाबुक के भय में ही कार्य करते थे। कला, संस्कृति तथा तत्व शास्त्र जैसे सभी कार्य गुलामों की मजदूरी से ही संभव हुए, क्योंकि गुलाम मजदूरी करते थे और उनके मालिक खाली फुरसत में रहते थे।

रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद यूरोप में मध्य युग का प्रारंभ हुआ। यूनान, रोम की सुसांस्कृतिक उपलब्धि के बाद एक हजार वर्ष के यूरोपीय इतिहास में सांस्कृतिक नीरसता दिखाई दी।

©KTBS Not to be republished

इसे 'अंधकार युग' कहा गया। यह विश्व के इतिहास में महत्व पूर्ण परिवर्तन का काल था। इस काल में बर्बर जाति के लोगों का उदय हुआ, साथ ही गुलामी पद्धति का जन्म हुआ।

गुलामी पद्धति :

रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप के कई देशों की राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गयी। रोमन चक्रवर्ती चार्लमन की मृत्यु के बाद परिस्थिति और बिगड गयी। अराजकता अव्यवस्था तांडव कर रही थी। जान-माल की सुरक्षा नहीं रही। ऐसी संदिग्ध परिस्थिति में नवीन राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था का उदय पश्चिमी यूरोप में हुआ।

क्रिया कलाप

अपने गाँव के ग्रामलिपिक/ अभिलेखाकार से मिलकर भूमि मालिकत्व प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।

खेती के लिए योग्य भूमि को कृषकों को देकर उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया गया। इन पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए गए। उन्हें परिश्रम वे उत्पादन के अनुकूल प्रतिफल नहीं मिलता था। धन के रुप में मजदूरी देते समय भी गुलामी करवाने वाले अपना दर्प दिखाते थे। यह गुलामी पद्धति / व्यवस्था थी।

गुलामी व्यवस्था में राजनैतिक तथा आर्थिक आधार पर तैयार भूमि के मालिक्तव की व्यवस्था थी। मध्य युग में यूरोप के एक व्यक्ति का सम्मान उसकी भूमि की मात्रा पर निर्धारित किया जाता था। उसके लिए केवल भूमि ही आमदनी का साधन होती थी। सहज ही इस समय राजा अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि का मालिक होता था। राजा नोबल (योग्य) लोगों के भूमि बाँटता था। नोबल अपने से निम्न स्तर के व्यक्तियों को भूमि बाँटता था। कहा जाए तो यह गुलामी पद्धति निर्दिष्ट सेवा प्राप्ति के लिए उत्पन्न व्यवस्था थी।

'गुलामी पद्धति' बलवान और बलहीनों के बीच का समझौता कहा जा सकता है। जो बलवान व्यक्ति भूमि का मालिकत्व रखता है उसे 'मालिक' (धणी) कहा जाता था। भूमि को हिस्से के रुप में प्राप्त करने वाला बलहीन व्यक्ति जागीरदार कहलाता था। बलवान मालिक अशक्त (बलहीनों) की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ जागीरदारों से निर्दिष्ट सेवाएँ प्राप्त करता था।

प्रमुख रुप से गुलामी पद्धति परस्पर लेन-देन की व्यवस्था है। मध्य युग में यूरोप के सभी वर्गों में, संघ संस्थाओं में इस व्यवस्था का पादार्पण हुआ। किंतु प्रतिकूलता यह थी कि इस व्यवस्था का स्वरुप, प्रकार एक ही प्रकार का नहीं था।

यूरोप के गुलामी व्यवस्था में प्रारंभिक शताब्दियों में भूमि की मंजूरी जीवन पूर्ण के लिए प्राप्त अधिकार हुआ करता था। किंतु 8 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजा भूमि पर अपने मालिकत्व के अधिकार को अपने तक ही रखते थे और उसे (भूमि) उपयोग करने का अधिकार सामंत या जागीरदारों को देने की पद्धति जारी की गई। इसी प्रकार चर्च (गिरिजाघर) की भूमि भी प्रदान की

©KTBS Not to be republished

गई। इसी प्रकार छोटे राजा भी इनका अनुसरण करने लगे। 9वीं शताब्दी के बाद दान की अर्जित जमीन परंपरागत रुप से उन तक ही सीमित रही। गिरिजाघर अधिकतर गुलामी पद्धति के अंतर्गत था।

दान में प्राप्त जमीन पर समान रुप से अधिकार क्रमशः बढता गया। तथा यह आनुवंशिक हो गया। अविभक्त अर्जित जमीन (पीढी से) की रक्षा की पृष्ठभूमि में ज्येष्ठपुत्र को प्रधानता देना जारी किया गया। इस में काफी परिवर्तन हुए। और आंतरिक भेट द्वाराअर्जित भूमि व्यवस्था चल निकली। अर्थात् राजा से भेंट प्राप्त करने वाले सामंत स्वयं दूसरों को भेंट देने या समान्तर नियुक्ति करने का अधिकार देने के स्तर तक परिवर्तन आया। ऐसी आर्थिकता पर पूर्ण आधारित बंधुआ मजदूर के रुप में कृषक थे।

गुलामी पद्धति का स्वरूप और प्रकार (प्रभुनिष्ठाप्रतिज्ञा)

जागीरदार की भूमि को 'भेंट' कहा जाता था। यह व्यवस्था दो प्रमुख सांप्रदायिक विधि से पूर्ण थी। प्रथम पदग्रहण – इस विधि में मालिक (धणि) जागीरदार को भूमि प्रदान करते समय न्याय तथा सुरक्षा का विश्वास दिलाता था। दूसरा है भक्तिभाव। इसमें जागीरदार स्वामिनिष्ठा तथा स्वामी सेवा का वचन देता था। 'धणि' (मालिक) वर्ग में अनेक स्तर थे। उनमें प्रमुख थे – ड्यूक, अर्ल, ब्यारन्स, तथा नाइट्स। जागीरदार गुलामों की सहायता से कृषि कार्य करते थे। ये इन गुलामों को जीवनयापन के लिए आवश्यक भूमि उनके कार्यरत रहने तक देते थे। उन्हें धन के रूप में वेतन नहीं देते थे।

गुलामी व्यवस्था के परिणाम

स्वतंत्र रहकर किसान थोडी भूमि पर खेती करते थे और वस्तु के रुप में उसका किराया भी देते थे। खेती करने वाले हम किसानों को अपने जीवन यापन के लिए छोटी मात्रा में भूमि (जमीन) पर कार्यरत रहते हुए जमींदार की जमीन पर मुफ्त मजदूरी भी करना पडता था। प्रभुत्व का हिस्सा रहे शास्त्र युक्त लोग अधिकारी वर्ग से आते थे। सैन्य शक्ति में उनका एक स्वामित्व होता था। इस प्रकार राजनैतिक और आर्थिक शक्ति एक ही वर्ग के लोगों में थी। (गाँवों में न्याय आदि अधिकतर लार्डस की जागीर (मेनोरियल) कोर्ट (न्यायालय) में होता था।

जमीन के मालिक मिलिटरी (सैन्य) सेवा के संबंध में जागीरदारों पर अवलंबित थे। इससे अधिकारी वर्ग अपनी इच्छानुसार अपना अधिकार चलाने पर कर लगाया गया। आर्थिक व्यवस्था में भी गमनीय विकासोन्मुख परिवर्तन में आया। मुख्य रुप से मानव अपने अधिकार तथा कर्तव्य भी इस व्यवस्था से सीख सका। इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा जर्मनी में साहित्यिक विकास को भी इस व्यवस्था में प्रोत्साहन मिला। इस व्यवस्था की विशेष देन थी नियमों की रचना। इस नियमों के द्वारा 'नोबल' जनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इससे नोबल, महिलाएँ, अशक्त, ईसाई धर्म के रक्षक बने। गुलामी व्यवस्था नवीन नगरों की व्यवस्था को धीरे-धीरे रचना करने लगी, यह व्यापार और हथकरधा (कुटीर) केंद्रों के रुप में स्थापित हुए। नये व्यापारी संघ अस्तित्व में आए। 14 हवीं शताब्दी तक अधिक से अधिक किसान कृषि क्षेत्र से बाहर निकाले गए। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल आदि क्षेत्रों मे नगर राज्य स्थापित हुए।

©KTBS Not to be republished

इस व्यवस्था के परिणाम स्वरुप उन्नत वर्ग के प्रभुत्व रखने वाले जागीरदार तथा नोबेल जनों के मध्य वाद-विवाद आरंभ हुआ। इस परिस्थिति से गुलामी समझौते टूट गए। कभी कभी मालिक लोग अधिकारी शासकों के साथ बराबरी करने लगते। कई राष्ट्र द्रोही लोग उत्पन्न हो गए जिससे उनके प्रांतों की एकता भंग हो गयी। न्याय संबंधी व्यवस्था भी असमानता के कारण दोषपूर्ण रही। इस सबसे बढ़कर चर्च और राज्यों के बील कलह उत्पन्न हो गए।

गुलामी व्यवस्था की अवनति :

14 वीं शताब्दी के मध्य में सम्पूर्ण यूरोप में उत्पन्न रोग (समस्याओं) से 35 करोड या कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग मृत्यु के कुएँ में जा गिरा। इसे इतिहास में 'ब्लेक डेथ' (काली मौत) कहा गया है। तत्पश्चात् प्लेग बार बार फैलता रहा और परिस्थिति तेजी से बिगडने लगी। इससे लगान कम हो गया। आमदनी कम हो गयी। खाद्यपदार्थों की माँग कम होने से कृषि आय भी कम हो गयी। 'ब्लेक डेथ' के बाद मजदूरों की कमी से किसान बलशाली हो गये। इसके प्रतिकूल जमीनदार पारंपरिक कर्तव्यों को और कठोर बना कर किसानों पर लादने का प्रयास करने लगे। इससे सामाजिक विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुयी। सम्पूर्ण यूरोप में विद्रोह व्यापक रुप से फैल गया। गुलामी व्यवस्था का पतन पूँजीपति वर्ग व्यवस्था को विकसित करने में सहायक हुआ।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए।

1) यूरोप की सांस्कृतिक नीरसता को ..... युग कहा जाता है।

2) भूमि के मालिकत्व का अधिकारी ..... कहा जाता था।

3) जागीरदार द्वारा प्राप्त भूमि को ..... कहते थे।

4) भूमि को जागिरदारी के लिए प्राप्त करनेवाले बलहीन व्यक्ति को ..... कहते थे।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1) गुलामी व्यवस्था से क्या तात्पर्य है ?

2) गुलामी व्यवस्था के गुण-दोषों की सूची बनाइए।

3) गुलामी व्यवस्था के परिणामों का विवरण दीजिए।

4) गुलामी व्यवस्था के पतन का कारण लिखिए।

III. गुलामी व्यवस्था के बारे में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए।

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 8

आधुनिक यूरोप

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे –

- *पुनःर्जागरण के कारण और परिणाम*
- *भौगोलिक अन्वेषण और परिणाम*
- *धर्म को सुधारने के कारण और परिणाम*
- *ओद्योगिक क्रांति और परिणाम*

पुनर्जागरण

प्राचीन यूरोप में स्थित पश्चिमी रोमन साम्राज्य 5 वीं शताब्दी में असभ्यजनों के आक्रमण से विनष्ट हो गया। ऐसे आक्रमण से ईसाई धर्म की रक्षा के लिए रोमन कैथोलिक लोग पोप के नेतृत्व में संगठित हुए। साथ ही अपने हितों की रक्षा के लिए चर्च के लोगों में मूढता–अंधविश्वास भरने का कार्य किया। फलस्वरुप सभी क्षेत्रों का विकास कुंठित हो गया। इसी पृष्ठभूमि में सम्पूर्ण युग को 'अंधकार युग' कहा गया। दुर्बल राजाओं के प्रभुत्व के परिणामस्वरुप गुलामी शासक मुक्त हो गये। यूरोप के मध्यम तथा निम्न वर्ग का समाज जर्जर हो गया। 15 वीं शताब्दी के मध्य में नवीन युग आरंभ हुआ।

अर्थ – लैटिन भाषा के 'रिनेसेरे' शब्द से 'रिनेसांस' नामक अंग्रेजी शब्द बना है। रिनेसांस का अर्थ है – पुनर्जन्म या पुनर्जागरण या नवोदय। प्राचीन यूनान और लौटिन साहित्य के पुनः पठन से उत्पन्न बौद्धिक विकास को पुनर्जीवन (पुनर्जागरण) कहा जाता है। इस विकास से यूरोपीय लोगों ने सरल, विचारशील, मानवीय और वैज्ञानिक चिंतन की दिशा में प्रगति की और अंधकार युग का अंत कर आधुनिक युग का प्रारंभ किया।

उदय – मध्ययुग के इटली की अपनी ही विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा थी। इटली के समृद्ध नगर रोम, वेनिस, जैनवा में लैटिन साहित्य के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण था। यूरोप में हुई क्रांति तथा आक्रमण से यूरोप के अन्य भागों में बुद्धिमान लोग अर्थात कवि, चित्रकार, वैज्ञानिक, मानवतावादी, दार्शनिक आदि इटली के समृद्ध देशों (नगरों) को चले गए। इससे पुनर्जागरण प्रथम बार इटली में प्रारंभ हुआ तत्पश्चात् यूरोप के अन्य भागों में विस्तरित हुआ।

©KTBS Not to be republished

कारण

1) यूरोप के मध्य युग के अंत तक पीटर अलबर्ट, रोजर बेकन, जॉन वैक्लिक आदि दार्शनिकों ने रोजर बेकन, जॉन वैक्लिक आदि दार्शनिकों ने कैथोलिक चर्च के अंधविश्वासों तथा दुरुपयोग पर प्रश्न उठाया और आगामी आन्दोलन का मार्ग प्रशस्त किया।

2) सन् 1453 में आटोमन नामक तुर्की ने रोमन साम्राज्य के महाद्वार कांस्टेंटिनोपुल नगर पर आक्रमण किया। तुर्कियों का अत्याचार असहनीय हो गया और वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग अपने ग्रंथों सहित इटली जैसे देशों को चले गए। और पुनर्जागरण का कारण बने।

3) ईस्वी 1455 में जर्मनी के गुटनवर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया। इससे सारे यूरोप में ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ।

4) यूरोप में स्थित बुद्धिजीवी वर्ग को राजा, पोप, धनिक वर्ग से आश्रय मिला। तृतीय पोप निकोलस, दसवें पोप लियो, फ्लोरेंस का मेडिनी परिवार, प्रथम रानी एलिजाबेथ आदि ने ज्ञान की बुद्धि का मार्ग प्रशास्त किया।

5) यूरोप में प्रारंभ हुए भौगोलिक आविष्कार तथा धर्म युद्ध से यूरोपीय लोगों को पूर्वी देशों का परिचय प्राप्त हुआ। इन नवीन प्रदेशों से ज्ञान तथा धन प्राप्तकर उन का पुनर्जागरण में उपयोग किया गया।

पुनर्जागरण शब्द का अर्थ है पुनर्जन्म या पुनर्जागृति। यह यूरोप के मध्य युग के अंत में हुए बौद्धिक परिवर्तनों को कुल मिलाकर सूचित करनेवाला पद है ; ऐसा कहा जा सकता है। 14 वीं और 15 वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप की कला-, वास्तुशिल्प, धर्म, दर्शनशास्त्र, विज्ञान और राजनैतिक विचारों के विकास को सूचित करता है। ज्ञान पुनर्जागरण आंदोलन पहले इटली देश में प्रारंभ हुआ। इसके बाद यह आंदोलन यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। इसलिए इटली को 'पुनर्जागरण की जननी' कहा गया है।

पुनर्जागरण के लक्षण

1) पुनर्जागरण काल के लोगों का दृष्टिकोण मध्ययुग से बिल्कुल भिन्न था। संसार और मानव के बारे में लोगों का अभिप्राय बदल गया। इसे मानवतावाद की संज्ञा दी गई। मानवतावादियों ने उत्कृष्ट साहित्य के क्षेत्र में अपनी रुचि को बढ़ाया। मानव जीवन से सम्बंधित नीति और अनुशासन पर बल देने के प्रयत्न बढ़े।

2) पुनर्जागरण काल के लेखकों से लेकर अंग्रेजी, इटली तथा जर्मन भाषा में साहित्यों की समृद्धि हुयी।

©KTBS Not to be republished

3) आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुए। खेतीबड़ी करनेवालों का जीवन वाणिज्य और औद्योगिक क्रियकलापों में बदलाव हुआ। सामाजिक सम्बन्धों में भी मूलभूत परिवर्तन हुए।

4) पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण यह था कि श्रेष्ठ संस्कृति के बारे में अपनी रुचि के आधार पर जानकारी प्राप्त करके जो स्वयं को श्रेष्ठ लगे, उसका अनुकरण करने की प्रवृत्ति लोगों में थी। इसे 'श्रेष्ठानुकरण' नाम से पुकारा जाता है।

5) पुनर्जागरण के लक्षण सबसे पहले इटली देश में दिखाई दिये। इसका कारण यह था कि ग्रीस और रोम के विद्वान इटली में आकर रहने लगे थे ।

पुनर्जागरण का साहित्य

इटली अनेक दिग्गज साहित्यकारों का केन्द्र स्थान था। फ्रांस, इंगलैण्ड, जर्मनी और स्पेन देश ने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। इस काल में साहित्य का सारांश धार्मिक न होकर सांसारिक जीवन निर्वाह करने के बारे में था। मानव का शरीर और अंग सौष्ठव जैसे विषयों पर साहित्य लिखे जाते थे। लैटिन भाषा के स्थान पर यूरोप की प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखे जाने लगे थे।

पेट्रार्क (1304 – 1374)

पेट्रार्क

पेट्रार्क को 'पुनर्जागरण का जनक' नाम से जाना जाता है। इसने लगभग 200 लैटिन और ग्रीक हस्तप्रतियों का संग्रह किया था। पेट्रार्क के प्रसिद्ध काव्य का नाम 'अफ्रीका' था। इसकी रचना लैटिन भाषा में की गई थी। पेट्रार्क अनेक गीतों और सॉनेट की रचना के लिए प्रख्यात था। मनुष्य जो अपने जीवनकाल में सुख-दुख भोगता है, इस विषय पर पेट्रार्क ने अपनी गहरी सोच को कविताओं में व्यक्त किया था।

बोकाषियो ने इटालियन भाषा में 'द डेकामेरान' नामक सौ कहानियों का संग्रह लिखा था। दांते (Dante) ने 'ड़िवाइन कॉमेडी की रचना की थी । चासर ने अंग्रेजी भाषा में 'कैंटरबरी टेल्स' नामक कहानियों के संग्रह को प्रकाशित किया था । स्पेन के सरवेंटिस ने डॉन क्विगज़ोट नामक ग्रंथ लिखा था। इंगलैंड़ के थामस मूर ने 'युटोपिया' नामक पुस्तक लिखी थी। इंग्लैंड के शेक्सपियर महान कवि और लेखक, नाटककार भी थे। इन्होंने अनेक प्रसिद्ध सुखांत और दुःखांत नाटकों की रचना की थी। नए ज्ञान को सीखने के लिए लंदन में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना की गयी थी।

पुनर्जागरण काल में कला (वास्तुशिल्प और शिल्पकला)

इस काल की कला अत्यंत सरल एवम् स्वाभाविक भी थी। पौराणिक पात्र, देवपुत्र, ईसामसीह और उनके शिष्यों की भावनाओं में मग्न स्थिति में कलाकारों और चित्रकारों ने अपनी कला का नमूना तैयार किया था।

©KTBS Not to be republished

16वीं शताब्दी में इटली में अनेक कलाकार थे। माइकल एंजेलो, राफेल, लियानार्डो-द-विंची का 'लास्ट सप्पर' और 'मोनालिसा' रफेल द्वारा चित्रित सिस्टाइन मेड़ोना' और टिटियन द्वारा चित्रित 'असंप्शन् ऑफ दी वर्जिन' प्रमुख वर्णचित्र थे।

पुनर्जागरण काल का चित्र

पुनर्जागरण काल में विज्ञान : (आधुनिक विज्ञान का जन्म)

पुनर्जागरण के काल से ही आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ। विज्ञान ने धार्मिक विश्वासों को किनारे कर नए अनुसंधानों पर काम करना शुरु दिया था। 'मानव के बारे में समझने में रुचि' इस काल के नए आविष्कारों का शुरुवात थी। मध्यकाल में जनसामान्य लोग बिना कोई प्रश्न किये सब कुछ मान लेते थे। आवश्यकता और प्रश्न करने प्रवृत्ति बढ़ने से वैज्ञानिक अनुसंधान भी बढ़ने लगे। फ्रांसिस बेकन के अनुसार प्राचीन काल के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण वर्तमान काल के अनुसंधान का प्रतिनिधित्व नहीं करसकते हैं। डेस्कार्टिस ने संदेह के मार्ग को एक देन दी इसके अनुसार किसी विचार को स्वीकार करने से पहले यदि संदेह हो तो हमें प्रश्न करना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया था। ग्रीस देश के टाल्मी ने माना था कि भूमि के चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। इस वाद को झुठलाते हुए पोलैंड़ के कोपरनिकस ने कहा कि - 'सूर्य केन्द्र में स्थित है और उसके चारों ओर भूमि सहित अन्य ग्रह परिभ्रमण करते हैं।

केप्लर

केप्लर : केप्लर जर्मनी का एक वैज्ञानिक था। इसने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अण्ड़ाकार रूप में परिभ्रमण करते हैं।

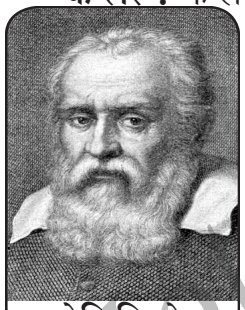

गेलिलियो

गेलिलियो : गेलिलियो ने दूरदर्शक (Telescop) का आविष्कार किया था । इसने कोपर निकस की परिकल्पना को सही माना था। चर्च के दबाव पर उसने अपने कथन को वापस लिया।

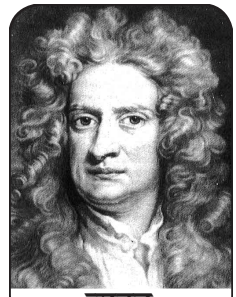

न्यूटन

न्यूटन : न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का परिपालन किया था। न्यूटन ने यह भी कहा था कि सभी आकाशकायों का चलन गुरुत्वाकर्षण के नियंत्रण में शामिल हैं। रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, शरीर विज्ञान के बारे में शौक से अध्ययन व अनुसंधान किये जाने लगे। एंड्रियो वसालियस ने शरीर की शस्त्र-चिकित्सा कर अस्थिपंजर, माँस पेशियों, मस्तिष्क, पाचन-तंत्र, जनन-प्रणाली (जननेन्द्रिय) इन सब आंतरिक अंगों की प्रभावशाली तरीके से चिकित्सा की जा सकती है; प्रतिपादित कर शरीर शास्त्र विषय पर इसने वैज्ञानिक ग्रंथ भी लिखा था।

©KTBS Not to be republished

पुनर्जागरण के परिणाम

1) पुनर्जागरण द्वारा यूरोप के मध्य युग के अज्ञान रुपी अंधकार का अंत कर आधुनिक ज्ञान का परिचय हुआ।
2) पुनर्जागरण मत संबंधी सुधार का प्रारंभ था। कैथोलिक चर्च का अंधविश्वास तथा हावीपन का अंत कर मानवीय तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया।
3) पुनर्जागरण काल की कला साहित्य तथा वैज्ञानिक प्रगति ने विस्तृत चिंतन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
4) पुनर्जागरण मानव की सहज जिज्ञासा तथा ज्ञान पिपासा को बढा कर भौगोलिक अन्वेषण का कारण बना।
5) यूरोपीय देशों की भाषा अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटलीयन तथा अन्य भाषाएँ भी काफी विकसित हुयीं।

भौगोलिक खोज

16 वीं शताब्दी को भौगोलिक ज्ञान बहुत कम था। उसके बाद के वर्षों में यूरोपवासियों ने अनेक समुद्री मार्गों की खोज की। नए महाद्वीप जैसे उत्तर-अमरीका, दक्षिण अमरीका और आस्ट्रेलिया मानचित्र में दिखाई देने लगे थे।

भौगोलिक खोजों को उत्तेजित करनेवाले कारक

1) 1453 ई0 तुर्कों ने कान्स्टांटिनोपल नगर पर कब्जा करने के फलस्वरुप पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों के बीच में व्यापार के दरवाज़े खुल गए। परिणाम स्वरुप भारत से आयात किये जानेवाला मसाले पदार्थों से तुर्कों को अत्यधिक लाभ होने लगा। इसलिए यूरोपवासियों को भारत तक पहुँचने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना अत्यंत अनिवार्य हो गया।
2) स्पेन और पुर्तगाल देश, अरब समुद्री व्यापारियों से वाणिज्य क्षेत्र में प्रतियोगिता की भावना लिए हुए थे।
3) ईसाई मिशनरियाँ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए नए देशों की खोज में लगी थी।
4) पूर्वी देशों की तरफ समुद्री यात्रा करने का जोखिम यूरोपवासियों ने उठाया था और उनमें एक रोमांच एवम् कुतूहल की भावना जागृत होने लगी वे मसाले पदार्थ, रेशम, कपास, मसलि न वस्त्र आदि लाकर लाभ प्राप्त करने लगे।
5) पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल है। नाविकों को दिशा दर्शानेवाले कंपास और एस्ट्रोलोब उपकरण उन्हें समुद्र में यात्रा करने के लिए सहायक सिद्ध होने लगी। विभिन्न प्रकार के मानचित्र नाविकों को सरलता से उपलब्ध होने लगे।

©KTBS Not to be republished

6) प्रसिद्ध पर्यटक मार्को पोलो ने पूवी देशों चीन तथा भारत जाकर वहाँ की समृद्धि का विवरण अपनी प्रसिद्ध रचना ''ट्रावल ऑफ मार्कोपोलो'' में दिया है। इससे यूरोप के व्यापारियों ने सोचा था कि चीन व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली देश है ; यूरोपीयों को इस देश में आने का प्रोत्साहन मिला।

दिशासूची

नाविक अपने गंतव्य की दूरी, दिशा एवम् मार्ग का पता लगाने के लिए इस साधन का इस्तेमाल करते थे।

अस्ट्रोलोब

यह सूर्य और ग्रह, अनेक नक्षत्र, भूमि से कितनी दूर हैं और काल की जानकारी देनेवाला साधन है।

नए स्थानों की खोज :

मध्ययुग के बाद में नए स्थानों की खोज में स्पेन और पुर्तगाल देश प्रमुख थे। पुर्तगाल के राजा हेनरी ने अनेक नाविकों को दूर समुद्र में यात्रा करके नए मार्ग की खोज के लिए प्रोत्साहित किया था। फलस्वरुप नाविकों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर दक्षिणी छोर तक का मार्ग खोज निकाला।

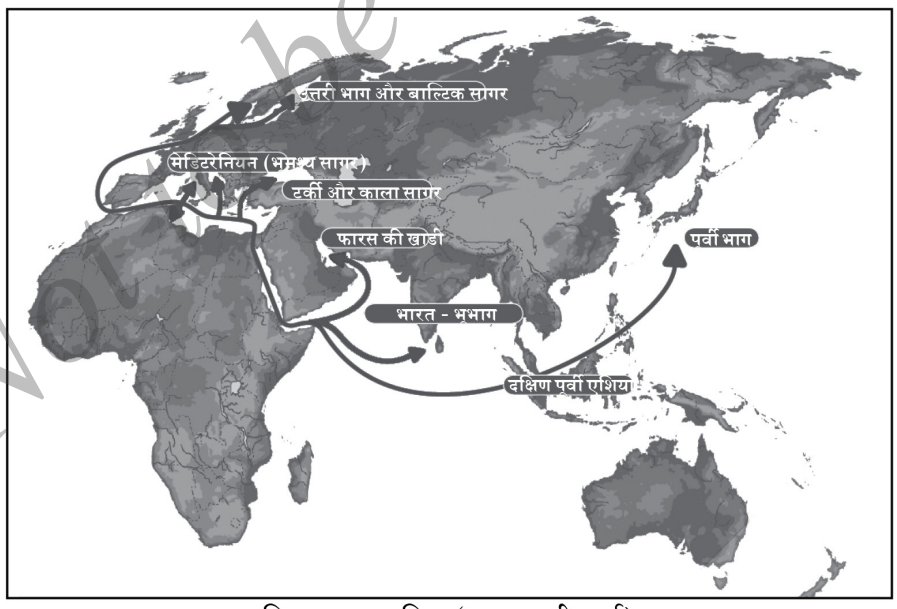

विश्व का मानचित्र (नया समुद्री मार्ग)

©KTBS Not to be republished

बार्थोलोम्या डयाज़ नामक नाविक ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुँचकर उस क्षेत्र को 'केप ऑफ गुड़ होप' नाम दिया। 1498 ई0 में वास्को-डगामा ने केप ऑफ गुड़ होप पहुँचकर आगे हिन्द महासागर को पार करके भारत के कालिकट (वर्तमान केरल का एक स्थान) पहुँचा था। समुद्री मार्ग से भारत में पहुँचने का यूरोपवासियों का सपना पूरा हो गया।

जिनेवा नगर का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के राजा की सहायता से 1492 ई0 में अटलांटिक महासागर को पर करके वेस्ट इंड़ीज़ (केरेबियंस) बहामा द्वीप पर पहुँचा। अमेरिगो वेस्पुस्सी इटली का निवासी तथा वह यूरोप से पश्चिम की ओर बढा और इसने अमेरिका की खोज की।

कब्राल एक पुर्तगाली नाविक था। इसने 1500 ई0 में ब्राजील देश में पहुँचकर अपने कदम रखे। बलभोवा भी पुर्तगाली नाविक था। इसने पनामा जलसंधि का पता लगाया था। इसी पश्चिम में विशाल महासागर को देखा, जिसे आज प्रशांत महासागर नाम से जाना जाता है। फर्डीनाड मैगैलन भी पुर्तगाली नाविक था। इसने कुल पाँच महीने में पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाया था। सन् 1520में वह दक्षिणी अमेरिका का पता लगाया वहां से हिंदमहासागर से होते हुए फिलीपींस पहुँचा। उसका एक जहाज वर्तमान के इंडोनेशिया द्वीप के मध्य से होकर गुजरा और पृथ्वी की प्रथम परिक्रया की। और केप ऑफ गुड होप मार्ग से होते हुए स्पेन पहुँचा।

नए स्थानों की खोज के परिणाम

1) यूरोपियों ने अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के साथ सम्पर्क बनाकर अपार धन ही प्राप्त नहीं किया बल्कि ज्ञान की भी वृद्धि की।

2) यूरोप की आर्थिक व्यवस्था का स्वरुप बदल गया। इटली और जर्मनी की समृद्धि का पतन हुआ। इंग्लैण्ड तथा फ्रांस जैसे देशों ने प्रबल सदृढ साम्राज्य की स्थापना की।

3) इंग्लैण्ड और फ्रांस देशों ने अमेरिका तथा भारत में (व्यापार) बाजार बढाया और उपनिवोशों की स्थापना कर आर्थिक रुप से काफी लाभ कमाया।

4) नए भू-प्रदेशों को स्थानांतरित हुए ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म का प्रचार दूसरे देशों में भी किया।

5) इस आविष्कार (खोज) से पूर्वी तथा पश्चिमी देशों के बीच सांस्कृतिक विनिमय होने लगे तथा नवीन ज्ञान प्राप्त हुए।

6) मेगलन के यान से भूमि के चपटे न होने तथा गोल होने का पता प्रायोगिक रुप से प्रमाणित हो गया।

7) उत्तरी अमेरिका की आर्थिक अभिवृद्धि के लिए अफ्रिका के नीग्रो लोगों का उपयोग किए जाने के कारण गुलामी व्यवस्था अस्तित्व में आयी।

©KIBS Not to be republished

धर्म सुधार

16 वीं शताब्दी में यूरोप में सबसे बड़ा आंदोलन धर्म सुधार को लेकर हुआ था। रोमन कैथोलिक चर्च के एकाधिकार को चुनौती देते हुए धर्म सुधार के मामले राज शासन के विरुद्ध आवाजें उठने लगीं। ऐसा लगता है कि मध्ययुग में सभी संस्थाओं में चर्च सबसे प्रधान शक्तियुक्त केंद्र थीं। धर्म सुधार से एक नए युग का आरंभ हुआ। पोप के आडंबर तथा चर्च के हावीपन के विरोध में मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी में प्रारंभ किया गया धार्मिक आंदोलन ही धर्म सुधार नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इस आंदोलन से आगे ईसाई धर्म में भेदभाव उत्पन्न हुए। फूट पैदा हुई। तथा कैथोलिक जन को स्वयं विमर्शा करने के स्तर तक पहुँचे।

1) अनेक ईसाई सन्यासी, पोप और पादरी पवित्र धार्मिक पद्धतियों को छोड़कर लौकिक एवम् सांसारिक सुखों को भोगने में व्यस्त थे। अनेक पादरी अनैतिक जीवन का निर्वाह कर रहे थे। पोप अपने दायरे में रहकर धर्मसुधार करने के बजाय राजनीति में दिलचस्पी ले रहे थे। इटली के बोकेशियों, हॉलैंड के इरासमस और इंग्लैंड के जॉन वैक्लिफ ने इन प्रथाओं का विरोध किया।

2) पुरोहित वर्ग में सब विद्वान नहीं थे। अनेक पुरोहितों ने धार्मिक प्रशिक्षण भी नहीं पाया था। जो लोग चर्च के बारे में टीका टिप्पणी करते थे ; पुरोहित लोग समर्थ रुप से उन्हें प्रत्युतर नहीं दे पाते थे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे पुरोहितों में अज्ञानता के कारण उनमें वाद-विवाद करके जीतने का सामथ्र्य नहीं था।

3) मध्ययुग में पोप और चक्रवर्ती राजा के बीच में कलह की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे चक्रवर्ती राजा के स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा।

4) राष्ट्रीय प्रभुत्वों की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई। अपने राज्य के आंतरिक मामलों में रोमन कैथोलिक चर्च अथवा पोप का हस्तक्षेप वे पसंद नहीं करते थे।

5) यूरोप के लोगों में प्रश्न पूछने की भावना का विकास हुआ। साथ ही लोगों ने सोचा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को धार्मिक मामलों में क्यों न अपनाया जाये।

6) बाइबल की मूल भाषा ग्रीक थी। जब बाइबल का अनुवाद अनेक भाषाओं में किया जाने लगा तो चर्च ने इसका विरोध किया। भाषा रूपांतर सामान्य जनता तक पहुंचा और मत सुधार आन्दोलन काफी प्रभावी रहा।

मार्टिन लूथर : (1483 – 1546)

मार्टिन लूथर धार्मिक सुधार के प्रमुख व्यक्ति थे। सन् 1483, नवंबर में हांस और मारग्रेट दंपति के पुत्र के रुप में इनका जन्म इसलबेन में हुआ। ये आगे चलकर संत रुप में अगस्टस चर्च में बइबल का अध्ययन करने लगे। तत्पश्चात् जर्मनी के विट्सनबर्ग विश्व द्यिालय में धर्मशास्त्र के प्रवक्ता बने। रोम की भव्य परम्परा वाले चर्च और पोप को प्रत्यक्ष देखने की लालसा से ये रोम आए। रोम की

©KTBS Not to be republished

समृद्धि, पोप का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन तथा अनैतिकता देखकर लूथर का मन दुःखी हो गया। ईसाई धर्म के सरल तत्वों तथा पोप के स्वभाव में काफी अंतर था।

मार्टिन लूथर

मार्टिन लूथर द्वारा आरभं किया गया धामिर्क आदांलन 'धर्म सधुार' नाम से विख्यात हुआ। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के उपदेशों एवम् शिक्षाओं को स्वीकार करने से इंकार किया और उन्हें अमान्य माना। 1517 ई0 में चर्च के द्वारा पापक्षमा नामक पत्रों के बेचे जाने के विरुद्ध मार्टिन लूथर ने अपनी आवाज़ उठाई थी। जनता द्वारा किये गए पाप के लिए निर्धारित दण्ड़ को कम करने का अधिकार पोप को भगवान से मिला है। ईसा मसीह और पादरियों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए उन्हें ऐसा अधिकार मिला है, ऐसा अभिप्राय कैथोलिक चर्च के पादरियों में था। मार्टिन लूथर के अनुसार पापों की क्षमा के लिए यक्ति को स्वयं अच्छे कार्य करना चाहिए। किंतु कई संदर्भों में ऐसा न कर करके चर्च में धन जमा करने का काम कर क्षमा याचना करते थे। मार्टिन लूथर ने ऐसे धंधे का तीव्र विरोध किया। मार्टिन लूथर के अनुयायियों को 'प्राटेस्टेंट' नाम से जाना जाता है। उस समय जर्मनी में आधी से ज़्यादा जनसंख्या प्रोटेस्टंट समुदायवालों की थी।

धर्मसुधार ने यूरोप में कुछ अलग ही मार्ग अपनाया और धार्मिक वातावरण कलुषित हो गया। सारे यूरोप में लोगों को धार्मिक विश्वास के नाम पर प्राण त्यागने पड़े। कुछ लोगों के अधिकार को छीन लिया गया। रोमन कैथोलिक जिन क्षेत्रों में बहुतायत संख्या में निवास करते थे; वहाँ में धार्मिक सुधारों के लिए सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती थी ; उन क्षेत्रों में प्राप्टेस्टेंट लोग कैथोलिक ईसाइयों को यातनाएँ देते थे। कैथोलिक और प्राप्टेस्टेंट के बीच में तीस वर्ष तक परस्पर द्वेष और संघर्ष चलता रहा था ।

धार्मिक सुधार के परिणाम :

1) धार्मिक सुधार के परिणाम स्वरुप ईसाइयों को धार्मिक एकता भंग हो गई। इसाई धर्म मुख्य रुप से तीन भागों में बंट गया। वे इस प्रकार से हैं – कैथोलिक चर्च, रूढिवादी चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च ।
2) यूरोप के अनेक देशों के राजा पोप के नियंत्रण से स्वतंत्र हो गए।
3) धर्मसुधार से राष्ट्रीय प्रभुत्वों का उदय हुआ।
4) चर्च को संपत्ति पर वहाँ की सरकारों का अधिकार हो गया था। चर्च की संपत्ति का इस्तेमाल आर्थिक प्रगति के लिए सुनिश्चित किया गया।
5) राष्ट्रीयता की भावना और भी मज़बूत हो गयी। यूरोप के राजाओं ने धार्मिक सहिष्णुता की भावना को अपनाया ।

©KTBS Not to be republished

6) इस आंदोलन से साहित्य क्षेत्र का विकास हुआ। प्रादेशिक भाषाओं ने यूरोपवासियों के मन पर प्रभाव ड़ाला था।

7) कैथोलिक चर्च के अंतर्गत ही अनेक सुधार हुए, आगे चलकर यही 'प्रतिसुधार' नाम से आंदोलन शुरु हुआ।

प्रतिसुधार आंदोलन

प्रोटेस्टंट पंथ बड़ी तेज़ी से लोगों पर प्रभाव ड़ालते हुए सर्वत्र फैल गया। इससे कैथोलिक पंथ के संरक्षक जागृत होकर अपने पंथ के अस्तित्व को बचाने के उद्देश्य से कैथोलिक पंथ में आवश्यक सुधार करने की बात को महसूस किया गया। इस दिशा में नेक सुधार भी किये गए। प्रोटेस्टंटवालों के वाद और तर्क से सामान्य लोग प्रभावित हुए। प्रोटेस्टंट पंथ का बढ़ता हुआ वर्चस्व कैथोलिक के अस्तित्व को डुबा सकता है। इस दृष्टि से कैथोलिक पंथ में अनेक सकारात्मक सुधार किये गए। ऐसे आवश्यक सुधार ही प्रतिसुधार नाम से आंदोलन बन गया। प्रोटेस्टंट पंथ को उन्नति को रोककर रोमन चर्च को जो उद्देश्य था। इसलिए गिरजाघरों में आंतरिक सुधार करके सब समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न चला। अधिकारों के दुरुपयोग को रोका गया। चर्च को प्रशासन व्यवस्था को ठीक किया गया।

इस प्रति सुधार आंदोलन का नेता एक स्पैनिश धनवान, इग्नेशियस लयोला था। इसने 1540 ई0 में जीसस सोसाइटी की स्थापना की थी। इनका प्रमुख उद्देश्य रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारों और खोये हुए वर्चस्व को पुन: स्थापित करना था। इस संघ के अनुयायियों को अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण देकर समाज की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण करना ही संघ का उद्देश्य था।

चर्च के नियमों का उल्लंघन करनेवालों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही और दण्ड़ देने की बात 'इंकविजिशन' नामक धार्मिक पूछपाछ की पद्धति 1542 ई0 से जारी में आयी थी। इस पद्धति ने कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट पंथ में शामिल होने की सारी गुंजाइशों को समाप्त कर दिया।

औद्योगिक क्रांति

वस्तु उत्पादन की क्रिया में मानव शक्ति के स्थान पर यांत्रिक शक्ति का उपयोग ही 'औद्योगिक क्रांति' कहा जाता है। यह सारे विश्व अत्यंत परिणामकारी क्रांति है। यह 18 वहीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में प्रारंभ हुयी और उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में फैल कर सारे विश्व में विस्तृत हुयी।

उपनिवेशों की स्थापना से व्यापार लें वृद्धि हुयी। उत्पादित वस्तुओं (Ready made) की माँग बढ़ गयी । परंपरागत तरीके की उत्पादन विधि से अधिक माँग की आपूर्ति करना असंभव था इसी समय बौद्धिक जागृति भी हुई, साथ ही लाभ कमाते की अपेक्षा भी की जाने लगी । उद्योगपतियों

©KTBS Not to be republished

को अपने उत्पादन के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नए-नए आविष्कारों ने औद्योगिक और परिवहन के क्षेत्र में अनेक बदलाव किए।

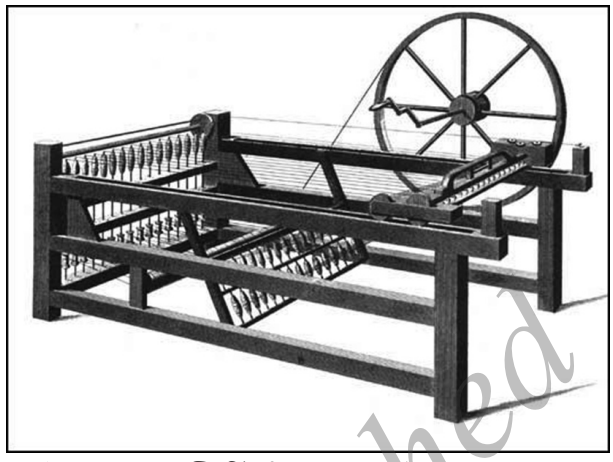

स्पिनिंगजेन्नी नामक यंत्र

कारण :

1) पुनर्जागरण के प्रारंभ से ही इंग्लैण्ड में वैज्ञानिक अविष्कार हुए जो औद्योगिक क्रांति का कारण बने।
2) भौगोलिक आविष्कार से यूरोप के प्रबल राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों से प्राप्त अत्याधिक लाभ को (पूँजी) औद्योगिक क्षेत्रों में लगाया और इस क्रांति के कारण बने।
3) यूरोप में जनसंख्या तथा ग्राहकों की अभिरुचि के बढते ही आवश्यक वस्तुओं की माँग भी बढी और वैज्ञानिक अन्वेषण अनिवार्य हो गए।
4) इंग्लैण्ड का राजनैतिक स्थायित्व, उत्तम जल परिवहन, प्राकृतिक संसाधन आदि औद्योगिक क्रांति के कारण रहे।
5) यूरोप के धर्म युद्ध (मतीय संघर्ष) से ऊब चुके वैज्ञानिक तकनीकी तथा कुशल कार्मिक इंग्लैण्ड में स्थानांतरित हुए और इस क्रांति के कारण बने।

औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैण्ड़ में प्रारंभ हुई। इसके बाद यह क्रांति संसार के अनेक देशों में फैल गई। यहाँ क्रांति से तात्पर्य है कि राजनीति के क्षेत्र में होनेवाले शीघ्र गति और हिंसात्मकवाले भारी परिवर्तन। लेकिन इंग्लैण्ड़ को औद्योगिक क्रांति में ऐसी शीघ्रगतिवाले और हिंसात्मक परिवर्तन नहीं हुए। परिवर्तन मंदगति से हो रहे थे। लेकिन ये सब परिवर्तन निरंतर हो रहे थे। वे सारे परिवर्तन व्यापक रुप से होने लगे थे ।

1760 ई0 से पहले इंग्लैण्ड़ कृषि-प्रधान देश था। कृषि के अलावा ऊनी कपड़े और सूती कपड़ों का उद्योग देश में विकसित था। इंग्लैण्ड के बाज़ारों में तैयार किए हुए वस्तुओं की माँग बढ़ गयी। लेकिन माँग के अनुरुप उत्पादन नहीं होता था। कुछ पूंजीपति कुशल कार्मिकों को काम के लिए नियुक्त करके उन्हें कच्चामाल की आपूर्ति करवा कर कारखाने के आकारवाले बड़े-बड़े गोदमों में काम करवाते थे। यही प्रणाली आगे चलकर काय्खाना पद्धति नाम से प्रसिद्ध हुई। कारखानों के मालिकों के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को बेचकर अधिक लाभ कमाते थे। लेकिन कुशल-कार्मिक और मज़दूर गरीब के गरीब रह गए।

©KTBS Not to be republished

1760 ई0 से लेकर 1830 ई0 के बीच में इग्लैण्ड़ में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में काफी बड़ा बदलाव हुआ। 1764 ई0 में जेम्स हारग्री0स ने 'सपनिंग जेरी' यंत्र का आविष्कार किया। कुछ वर्षों के बाद रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेरी यंत्र में बेहतर सुधार किया और 1769 ई0 में उसने पानी के चौकट का आविष्कार किया। कुछ वर्षों के बाद रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेरी यंत्र में बेहतर सुधार किया और 1769 ई0 में उसने पानी के चौखट का आविष्कार किया ।

1779 ई0 में स्याम्यूवल कैंपटन ने 'म्यूल' यंत्र का अविष्कार किया था। जॉन.के.ने. 'फ्लायिंग शटल' की खोज की थी। 1785 ई0 में एड़मंड कार्टराइट ने बुनाईयंत्र (पावर लूम) का अविष्कार किया था । इस आविष्कार से अधिक वस्त्रों को कम समय में उत्पादन करना संभव हो पाया ।

1793 ई0 में एली.विट्नी ने 'कॉटन जिन' नामक यंत्र का आविष्कार किया था। इन सब आविष्कारों से धागा बनाना और रुई से बीज अलग करने तथा तेजी से उत्पादन का कारण बना।

वाष्प के इंजन का आविष्कार औद्योगिक क्रांति के दौरान एक और मील का पत्थर था। 1705 ई0 में थॉमस न्यूकमर ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। 1774 ई0 में जेम्सवाट ने इस वाष्प के इंजन को अपने तरीखों से बहुत ही बेहतर बनाया। 1801 ई0 में रिचर्ड ट्रेवरथिक ने जेम्सवाट के इंजन को टूक से जोड़ दिया और उसे सड़क पर दौडने योग्य बनाया। उसके बाद ट्रेवरथिक ने पटरियों पर चलनेवाली स्वयंचलित वाष्प इंजन का आविष्कार किया । जॉर्ज स्टीफनसन ने 1815 ई0 में सामान् ढोनेवाले माल गाड़ी को खींचकर आगे लेजाने वाले इंजन का आविष्कार किया। इंगलैंड़ के स्वाकटन और ड्रालिंगटन नगरों के बीच में यात्रियों को ले जानेवाली रेलगाड़ी बनाया गया। लीवरपुल और मैंचेस्टर के बीच में औध्योगिक उत्पादन की पहुँचाने के लिए रेलमार्ग का निर्माण किया गया।

1801 ई0 में विलियम सिमिंगटन नामक अमरिकी विद्वान ने जेम्स वाट के इंजन को नाव से जोड़ दिया और उसे पानी में चलने योग्य बनाया। राबर्ट फुल्टन नामक अमरीकी निवासी ने ऐसे ही वाष्प जहाज (स्टीम बोट) का आविष्कार किया ।

परिणाम

1) औद्योगिक क्रांति से इंग्लैण्ड की आर्थिकता सुदृढ हुयी और इंग्लैण्ड प्रबल राष्ट्र के रुप में स्थापित हुआ।

2) बृहत् उद्योग के बढने से मजदूरों का शोषण भी बढ़ा। और समाजवाद का उदय हुआ।

©KTBS Not to be republished

3) आधुनिकता तेजी से प्रचलित हुयी और जन सामान्य का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन स्तर भी बढ़ गया।

4) औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में परिवहन क्षेत्र में हुए आविष्कार था परिष्करण से सारा विश्व एक गाँव सा लगने लगा।

5) औद्योगिक क्रांति से अत्यधिक अभिवृद्धि / विकास तो हुआ, फिर भी जनसंख्या की वृद्धि से गरीबी, बेरोजगारी तथा खाद्य संबधी समस्या जन्म ले रही थी।

6) औद्योगिक क्रांति से धनिक वर्ग तथा गरीबों (निर्धन) वर्ग के बीच अंतर बढ गया और वर्ग संघर्ष का उदय हुआ।

अभ्यास

I. रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द भरिए :

1. पुनर्जागरण का अर्थ _____ है।
2. पुनर्जागरण का जनक _____ को माना जाता है।
3. मार्टिन लूथर के अनुयायियों का नाम _____ ।
4. प्रति सुधार आंदोलन के नायक का नाम _____ था ।
5. स्पिनिंग जेन्नि यंत्र का आविष्कार _____ ने किया था।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम रहे?
2. भौगोलिक खोजों को निर्धारित करनेवाले कौन-कौन से कारक थे ?
3. लियोनार्डो-द-विंची के मुख्य वर्ण चित्र कौन-कौन से हैं ?
4. पुनर्जागरण काल में साहित्य के विकास के बारे में उदाहरण सहित विवरण लिखिए।
5. औद्योगिक क्रांति के परिणामों के बारे में लिखिए।

©KTBS Not to be republished

III. गतिविधियाँ :

1. अपने अध्यापक से पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए।
2. औद्योगिक क्रांति के दौरान आविष्कार किए गए यंत्रों के चित्र संग्रह कीजिए।

IV. परियोजना कार्य :

1. पुनर्जागरण काल के कलाकारों (चित्रकारों) द्वारा बनाये गए चित्रों को संग्रह कीजिए।
2. वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान किए गए विषयों को सूची तैयार कीजिए।
3. अपने विद्यालय के चित्रकला शिक्षक से वर्तमान प्रसिद्ध चित्रकारों के जीवनी के बारे में जानिए और संग्रह कीजिए।
4. यूरोप के वैज्ञानिकों के प्राचीन तथा भारतीय मध्यकालीन वैज्ञानिकों के नाम और आविष्कारों की सूची तैयार कीजिए।

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 9

क्रांति और राष्ट्रों का उदय

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी मिलती है –

- *राष्ट्रीय प्रभुत्व का उदय और विकास*
- *अमरीका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण और परिणाम*
- *फ्रांस की महाक्रांति के कारण*
- *इटली और जर्मनी का एकीकरण*

आधुनिक युग की प्रारंभिक स्थिति को दर्शानेवाला मुख्य अंश राष्ट्रीय प्रभुत्व का उगम। सामान्यत: 15, 16 और 17 वी शताब्दी में स्थित इन राज्यों की रचना तर्कसंगत नहीं थी । राज्य चक्राधिपत्य से लेकर नगर-राज्यों तक विविधता थी। राज्यों में जो लोग निवास करते थे : वे विविध जाति, वर्ण और संतति से संबंधित थे। इतना ही नहीं वे अलग-अलग भाषा बोलते थे और उनकी राष्ट्रीयता भी अलग थी। लोगों की संस्कृति भी भिन्न-भिन्न थी।

सामांतवाद के अवनति के बाद सामंतों की राजनीतिक शक्ति भी कम हो गई। यूरोप के अनेक राजाओं ने सामंतों पर अपना कड़ा नियंत्रण रखा था। लेकिन कुछ समय बाद राजा जो सामंतों पर अवलंबित थे उन्होंने आत्मनिर्भर होकर सब अधिकार अपने पास रखे। अनेक राजा प्रशासन को भगवान से प्राप्त अधिकार (Divine Right) मानते थे और उन्होंने महसूस किया कि प्रजा को उत्तर देना कोई जरूरी नहीं है।

मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने हित की दृष्टि से राजा को समर्थन दिया। इन्होंने राष्ट्रीय प्रभुत्वों के उदय और विकास में अपना योगदान दिया। लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना अथवा अत्यधिक देशप्रेम को भावना थी। इस भावना के साथ ही कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव भी जुड़े थे। इन राष्ट्रों ने सामंतवाद के काल का अराजकता को दूर किया। राष्ट्र प्रभुत्वों ने एक ही तरह के संस्कृति का पालन करनेवाले लोगों को एक ही राजा के शासन के अधीन लोगों को संघटित किया। अत्यधिक राष्ट्रीयता की भावना से राष्ट्रों में परस्पर संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठी।

अमेरिका और एशिया महाद्वीप में व्यापार और उपनिवेशों पर नियंत्रण रखने के लिए संघर्ष तथा युद्ध होने लगे।

अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम

उत्तर अमेरिका महद्वीप की खोज के बाद यूरोप के अनेक देशों ने अमरीका में उपनिवेशों की

©KTBS Not to be republished

स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। उत्तर अमरीका में फ्रांस, स्पेन, हॉलैण्ड़ और इंग्लैंड ने उपनिवेशों को स्थापना की थी । उत्तर अम रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्र जो कि अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में इंग्लैण्ड़ ने तेरह उपनिवेशों को स्थापना की थी। इन्हें ''नए अंग्रजी उपनिवेश नाम से जाना जाता था। उत्तर अमरीका में उपनिवेश'' को स्थापना के विषय में फ्रांस और इग्लैंड में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना थी। 13 उपनिवेशों के लोगों में स्वतंत्र होने को प्रबल इच्छा होने के कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध दंगे करने लगे।

कारण: उपनिवेशों के बारे में मातृदेश की धारण और उपनिवेशों के लोगों में स्वतंत्र होने की इच्छा, सप्तवार्षि युद्धों के परिणाम, नौसंचालन अधिनियम, थामस पेज, जॉन एड़म्स, सैम्यूवल एड़म्स, जॉन एडवर्ड़ कोक, बेंजमिन फ्रेंकलिन, आदि लेखकों के प्रभाव, क्यूबेक अधिनियम, टाउनशेड़ कर (Tax) और बोस्टन चाय पार्टी आदि कारणों से अमरीका में क्रांति हुई थी।

आपको यह ज्ञात रहे:

सप्तवार्षिक युद्ध (1756 – 63) *फ्रांस और इंग्लैण्ड़ के बीच में हुआ था। नौसंचालन अधिनियम 1760 ई0 में लागू हुआ था। इंग्लैण्ड़ के उपनिवेश जो समुद्र पारीय थे वहाँ व्यापार में इंग्लैण्ड को एकाधिकार का मौका मिला था। 1765 ई0 में स्टांप कर देना जारी में आया था। 1767 ई0 में चाय पत्ती, कागज़, काँच आदि वस्तुओं पर कर ड़ालना संभव हो पाया।*

उत्तर अमरीका में 13 अंग्रेजों के उपनिवेश

1) न्यू हैम्पशैर
2) न्यूयार्क
3) पेन्सिलवेनिया
4) मसाचुसेट्स
5) रोड्स आयलैंड
6) कनेक्टिकट
7) न्यूजेसी
8) दिलावेर
9) मैरीलैण्ड़
10) वर्जोनिया
11) उत्तर केरोलिना
12) दक्षिण केरोलिना
13) जॉर्जिया

बोस्टन चाय पार्टी (1773) : *विरोध होने के वावजूद भी ब्रिटेन ने चाय पत्ती से भरे जहाज को बोस्टन बंदरगाह भिजवाया। इससे उपनिवेशों में रहनेवाले लोगों को गुस्सा आया। रेड़ इण्डियन्स की वेषभूषा में 50 लोगों के समूह ने जहाज में जाकर चायपत्तियों से भरे 340 बक्सों को समुद्र के पानी में फेंक दिया।*

स्वतंत्रता को घोषणा : परिस्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए 1774 ई0 में अमरीका के 13 इंग्लिश उपनिवेशों के प्रतिनिधि फिलिड़ेल्फिया नगर के एक सभा में आये थे। उपनिवेश में लंबे समय से रहनेवाले निवासियों ने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए संकल्प किया। देशवासियों ने स्वतंत्रता के लिए शस्त्रास्त्र का इस्तेमाल करने की बात भी कही थी। ब्रिटेन के राजा ने उनके इस कार्रवाही को दंघा घोषित किया। ब्रिटेन के राजा ने अमरीका में अपनी सैनिक टुकडियों को भेजा। उपनिवेदों को सेना को अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं था। इस प्रकार अप्रैल 11, 1775 ई0 में 'लेग्ज़िगटन' में उपनिवेशों की सैन्य टुकड़ी ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। इस प्रकार अमरीका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया था। फिलिड़ेल्फिया सभा ने तब जॉर्ज वाशिंगटन की उपनिवेशों की सेना का महा सेनाधिपति के स्थान पर नियुक्त किया।

©KIBS Not to be republished

जॉर्ज वाशिंगटन: जॉर्ज वाशिंगटन राज्य का बागवानी का मालिक था। इन्होंने फ्रेंचों के विरुद्ध चले सप्त वार्षिक युद्ध में प्रमुख भूमिका निभायी थी। महा सेनाधिपति को हैसियत से कीर्ति अर्जित की थी। इसने अशिक्षित और अव्यवस्थित उपनिवेशों के सैनिकों में आत्मविश्वास और उत्साह को भावना को भरा था। सैनिकों को अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हिम्मत से लडने के लिए प्रेरित किया था। 1776, 4 जुलाई के दिन फिलिड़ेल्फिया को राष्ट्रीय सभा ने 'स्वतंत्रता की घोषणा' कर दी। इस दौरान बताया गया कि सभी 13 उपनिवेश ब्रिटेन के चंगुल से आज़ाद हैं। ब्रिटेन से राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिए गए हैं व 13 उपनिवेश अब से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं ऐसी घोषणा की गई।

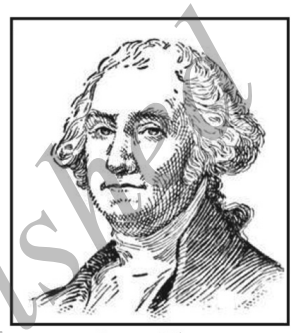

जॉर्ज वाशिंगटन

युद्ध : इंग्लैण्ड़ और उपनिवेशों के बीच में पाँच वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध के प्रारंभ में इंग्लैण्ड का पलड़ा भारी था। जॉर्ज वाशिंगटन की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन 'सारटोगा' युद्ध में इंग्लैण्ड़ की सेना हार गई। फ्रांसीसी सेना की सहायता से जॉर्ज वाशिंगटन ने यार्क टाऊन युद्ध में इंग्लैण्ड़ की सेना को पूरी तरह से हरा दिया। ब्रिटिश सेना के जनरल कार्नवालिस ने अपनी सेना सहित उपनिवेशों की सेना के सामने घुटने टेक दिए। 1783 ई0 में पैरिस के समझौते में 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। 4 जुलाई के दिन स्वतंत्रता की घोषणा करने के कारण अमरीकियों को वह दिन महत्वपूर्ण बन गया। आज भी 4 जुलाई के दिन अमरीकी लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।

1787 ई0 में फिलिड़ेल्फिया में स्वतंत्रता प्राप्त करनेवाले सभी तेरह उपनिवरों के प्रतिनिधियों ने सभा बुलाकर जॉर्ज वाशिंगटन को संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति चुना। उन्होंने एक संविधान की रचना की थी । यही विश्व का पहला लिखित संविधान था।

क्या आप जानते हैं?

अमेरिका के तृतीय राष्ट्रपति जेफरसन का कथन है – ''प्रत्येक पीढी एक नया राष्ट्र है।''

अमरीका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम : इससे फ्रांस को क्रांति को प्रेरणा मिली। उपनिवेशों के पक्ष में आकर संघर्ष करनेवाले अनेक फ्रांसिसियों को फ्रांस की महाक्रांति में नेता बनने का मौका मिला। अमरीका में ही अनेक स्पेन और पुर्तगाल के उपनिवेश थे। इन उपनिवेश के लोगों ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और वे स्वतंत्र हो गए। एक नये नाम के साथ याने कि संयुक्त राज्य अमरीका का उदय हुआ।

फ्रांस की महाक्रांति

फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश से निरंकुश राज शासन को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना करना था। फ्रांसीसी लोग चाहते थे कि देश में समानता और जनतंत्र के आधार पर नई सामाजिक और

©KTBS Not to be republished

राजनीतिक प्रणाली अस्तित्व में आये। फ्रांस को क्रांति से विश्व के अनेक देशी राजनीतिक आंदोलन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस को क्रांति के लिए निम्नलिखित कारण थे।

सामाजिक कारण: फ्रांसिसी समाज में असमानता हर क्षेत्र में व्याप्त थी। वह असमानता असहनीय एवं अम मानवीय थी। इस असमानता का दर्द जनता के हृदय में आक्रोश बनकर एक क्रांति का उदय हुआ। क्रांति होने से पहले फ्रांसिसी समाज में तीन वर्ग थे। पहले वर्ग में पादरी थे। दूसरे वर्ग में धनवान लोग थे। तीसरे वर्ग में शेष जनसामान्य लोग थे। पहले दो वर्ग के लोग सभी सुविधाएँ प्राप्त करते थे। इनकी संख्या भी कम थी । इन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था तथा ये लोग विलासी जीवन व्यतीत करते थे ।

आपको यह ज्ञात रहे

एत इतिहासकार के अनुसार फ्रांस की क्रांति घटने के साथ ही यूरोप का इतिहास, एक राष्ट्र, एक घटना और एक व्यक्ति से प्रभावित रही। वह एक देश फ्रांस था। वह एक घटना फ्रांस की क्रांति थी। वह एक व्यक्ति ही नेपोलियन था।

तीसरे वर्ग के लोग सुविधाओं से वंचित थे। इस वर्ग में बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर और नौकरीपेशे करनेवाले लोग शामिल थे। इनकी आमदनी बहुत कम थी पर इन्हें अधिक कर चुकाना पड़ता था। इनका जीवन शोचनीय था । इन्हें आदर-सम्मान से नहीं देखा जाता था । इन्हें राजनीतिक हक भी नहीं थे। इन्हें अपमान जनक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इन्हे धार्मिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि तीसरे वर्ग के लोग दुखी एवं असंतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। जनसामान्य लोग ऐसी खराब व्यवस्था को हटाने के लिए अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे।

आर्थिक कारण : फ्रांस कृषि प्रधान देश था। कृषि पद्धति में विकास होने पर भी कृषि पिछड़ी हुई थी। भूमि से उत्पति बहुत कम थी। किसानों की दयनीय स्थिति थी। हर साल अकाल आना सामान्य बात थी। इससे भोजन पाने के लिए दंगे भी होते थे। उद्योग वृत्ति संघों के अधीन थे। उद्योगों में आंतरिक अडचनें और अधिकारियों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप से उनकी प्रगति कुंठित हो गई थी। फलस्वरुप उत्पादन बहुत कम रहता था।

राजनीतिक कारण : फ्रांस में बूरबन राजघराने के लोग शासन चलाते थे। 16 वां लूयी ने राजम हल में शाही परिवार के सदस्यों व दरबारियों के साथ रहता था । वह विलासी जीवन बिताता था और मुक्तहस्त होकर खर्च करता था। सरकारी राजकाज के काम में लूयी राजा दिलचस्पी नहीं लेता था। उसकी पत्नी (रानी) का नाम मेरी अंटायिनेट था। वह आस्ट्रिया को राजकुमारी थी। लूयीकी पत्नी अपने सुख संतोष, त्योहार, भोग-विलास के लिए अनावश्यक खर्च करती थी। लोगों को परेशानियों

©KTBS Not to be republished

से रानी को कुछ लेना देना था। रानी राजकाज के काम में हस्तक्षेप करती थी। रानी विदेशी मूल की थी । जनसामान्य लोगों को लगता था कि रानी को उनके प्रति कोई स्नेह नहीं है। इस कारण से लोग उनसे नफरत करते थे। राजा उसे अपने नियंत्रण में नहीं ले सका। धीरे-धीरे परिस्थिति काफी गंभीर हो गई और इसका परिणाम क्रांति देश में फैल गई।

फ्रांसिसी दार्शनिकों का प्रभाव : प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री और विद्वान जैसे मान्टेस्क्यू, रुसो और वाल्टेर ने अपनी क्रांतिकारी लेखनों से क्रांति करने वालों को उत्तेजित किया ।

मान्टेस्क्यू : मान्टेस्क्यू ने अपनी 'स्पिरिट ऑफ लॉ (Spirit of laws)' नामक कृति में राजाओं को भगवान से प्राप्त अधिकार (Divine Right of Kings) को निराधार बताकर टीका-टिप्पणी की। मान्टेस्क्यू ने संवैधानिक राज प्रभुत्व के लिए अपना समर्थन जताया।

रुसो : रुसो ने अपनी रचना 'सामाजिक समझौता' (Social contract) में कहा है कि - ''मानव स्वतंत्र रुप से जन्म लेता है लेकिन वह हर जगह ज़जीरों से जकडा हुआ है।''

वाल्टेयर: वाल्टेर ने फ्रांस में व्याप्त कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का खंडन किया। साथ ही उसने रोमन कैथोलिक चर्च का भी खंडन किया।

मान्टेस्क्यू

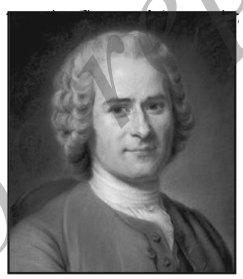
रुसो

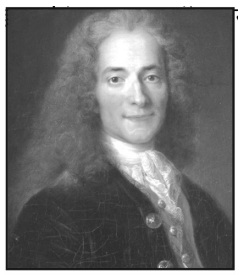
वाल्टेयर

अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव : अमरीका के स्वतंत्रता संग्राम ने भी फ्राँसिसियों पर गहरा प्रभाव डाला था। अमरीका में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करनेवाले अनेक फ्रांसिसी सैनिक अपनी मातृभूमि फ्रांस में लौट आये थे। उन्होंने क्रांतिकारियों में आवश्यक बल और उत्साह की भावना भर कर क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

इन सब घटनाओं के कारण फ्रांसिसी राजा सोलहवें लुई को मजबूर होकर 'स्टेट्स जनरल' नामक फ्रांस की कार्यपालिका सभा बुलानी पडी। ये सभा पिछले 175 वर्ष के बाद बुलायी गई थी। तीसरे वर्ग के सदस्यों ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा का सदस्य घोषित किया। शेष दो वर्ग के सदस्यों को अपने संघ में शामिल होने के लिए आह्वानित किया।

©KTBS Not to be republished

14 जुलाई 1789 ई0 में तीसरे वर्ग के सदस्यों ने 'बैस्टाइल' नामक राज्य के कारागृह पर आक्रमण करके कैदियों को स्वतंत्र कर दिया और निरंकुश राज प्रभुत्व को शासन प्रणाली को अंत कर दिया। धीरे-धीरे यह क्रांति विश्व के अनेक देशों में फैलने लगी। अब राजा सिर्फ नाम के लिए ही राजा रह गया था। राष्ट्रीय सभा ही सभी कानूनों की रचना करके और आदेशों को जारी करती थी। 27 अगस्त 1789 ई0 में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा को अंगीकृत किया गया। राजतंत्र व्यवस्था को हटाकर देश में गणराज्य की स्थापना की गयी।

फलस्वरुप फ्रांस में हिंसा होने लगी। तीव्र गति से सुधार करने की चाहत रखनेवाले 'जैकोबिन्स' नामक एक समूह सत्ता में आया। क्रांति की गतिविधियाँ खतरे की स्थिति में है, जानकर यह समूह घबराकर और कुछ भय से भी शासन करने लगा था। इसका नायक रोबिस्पियर था। संदेहास्पद लोगों की हत्या करने के लिए आविष्कृत गिलोटिन यंत्र द्वारा उनकी बलि ले ली गई।

फ्रांस की क्रांति के परिणाम:

फ्रांस की क्रांति से प्रमुख घटनाओं की शुरुवात हुई। सामंतवाद की पद्धति का अंत हो गया। पादरी और धनवानों के पास जो विशेष अधिकार थे, वे सब रद्द हो गए। साहूकारों के पास जो भूमि थी उसे सरकार ने ले लिया। चर्च अब राज्यों के अधीन हो गए थे। देशभर में एक ही तरह की प्रशासन व्यवस्था जारी थी। लोगों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को लागू करने का आश्वासन दिया गया।

एकीकरण आंदोलन

इटली का एकीकरण

प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का वैभव बुलंदियों पर था। इटली देश में एक ही भाषा बोलने के बावजूद भी देश स्विटजरलैंड ला था। देश में एक ही राष्ट्रीय राजतंत्र इटली का एकीकरण नहीं हो पाया था।

उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुवात में इटली अनेक छोटे-छोटे प्रदेशों में बंटा था। उनमें लोम्बार्ड़ी वेनिशिया, सिसिली नेपल्स (दो सिसिलियों का राज्य) पोप का राज्य, टस्कनी, पार्म और मोडेना प्रमुख थे। फिड्मंड राज्य में सार्ड़िनिया, फिड्मंड और जिनेवा थे।

©KTBS Not to be republished

1815 ई0 से लेकर 1848 के बीच में इटली देश के अनेक राज्यों में दंगे होने लगे थे। इन सब दंगों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को स्वतंत्रता और एकीकरण था। जोसफ मैजिनी, कौंट केवूर और गैरी बाल्ड़ी इटली के एकीकरण के शिल्पी थे।

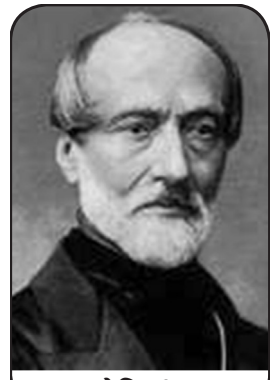
मैजिनी

मैज़िनी प्रसिद्ध क्रांतिकारी दार्शनिक और लेखक था । इसने अपने ग्रंथ 'इटली', 'आस्ट्रिया, पैपसी' में अपने लेखन से युवकों को उत्तेजित किया था। इसने राष्ट्र के एकीकरण और स्वतंत्रता आदि क्रांतिकारी विचारों से उत्तेजित करके तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध दंगे करने के लिए प्रेरित किया। 'तरुण इटली' (Young Italy) नामक राजनीतिक दल की स्थापना मैज़िनी ने की थी। राष्ट्र की स्वतंत्रता और इटली का एकीकरण इसका उद्देश्य था।

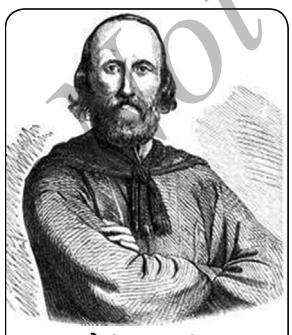
गैरीबाल्ड़ी

गैरीबाल्ड़ी एक योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी था। इसने 'यंग इटली' दल में भर्ती होकार अनेक बार अपनी पार्टी का नेतृत्व किया था। तत्पश्चात लाल कुर्ती नामक सेना को व्यवस्थित कर सार्डिनिया राज्य के

©KTBS not to be republished

साथ मिलकर आस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष किया। सन् 1860 में दो सिसिली राज्य पर अपने लालकुर्ती सैन्य दल की सहायता से आक्रमण करके इटली देश का एकीकरण करने शीघ्रगति से काम दिया। गैरीबाल्ड़ी ने अपने शासक से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सुधार लाने की माँग की थी।

इटली देश के एकीकरण के दौरान सार्डेनिया का मुख्यमंत्री कौंट केवूर प्रभावशाली व्यक्ति था। वह स्वयं एक पत्रकार और संपादक था। इटली देश के साहित्य के पुनर्जागरण के लिए रिसार्जिमेंटों नामक पत्रिका का आरम्भ किया था। अपने प्रभावी लेखन से लोगों के मन को और राजाओं के मन को प्रभावित किया।

कौंट केवूर

कौंट केवूर ने इटली से आस्ट्रिया को दूर करके सार्डिनिया को इटली का सबसे बड़ा और अत्यंत शक्तिशाली राज्य बनाने का निश्चय किया । साड़ॉनया का प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करते ही तत्क्षण अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरु कर दिया। राज्य में कौंट केवूर ने अनेक सुधारों को जारी करके इटली देश को अत्यंत प्रगतिशील राज्य बना दिया।

कौंट केवूर ने फ्रांस के साथ रहस्मय तरीके से समझौता किया। आस्ट्रिया को युद्ध के लिए उकसाकर, फ्रांस के साथ मिलकर आस्ट्रिया को हराया। आस्ट्रिया को लोम्बार्डी से दूर करके, सार्डिनिया और लोम्बार्डी को अपने राज्य में मिला लिया । टस्कनी, मोडेना, पार्म और उत्तरी पोप के राज्यों में क्रांतियाँ होने के बाद वे राज्य सार्डिनिया के साथ एकीकृत हो गए।

कौंट केवूर ने रहस्यमय तरीके से सिसिली पर आक्रमण करने के लिए गैरीबाल्ड़ी को प्रोत्साहित किया। सन् 1861 में विक्टर इमैन्युवल को इटली का राजा घोषित किया गया। इटली को आस्ट्रिया से वेनेशिया मिला। अब केवल रोम इटली देश से बाहर था। सन् 1870 में फ्रांस और प्रश्या के बीच में युद्ध आरंभ होने पर फ्रांस को अपनी सेना को रोम से वापस बुलाने के लिए बाध्य किया गया। विक्टर इमैन्युवल ने अपनी सेना के साथ रोम पर आक्रमण किया। रोम को इटली देश में मिलाकर, रोम को ही इटली की राजधानी बनाया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया।

जर्मनी का एकीकरण

उन्नीसवीं शताब्दी के शुरुआत में जर्मनी अनेक स्वतंत्र राज्यों में बंटा हुआ था। उन राज्यों में वुटेमबर्ग सबसे बड़ा और अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। बवेरिया, बेडन और हेक्स आदि प्रमुख राज्य थे। शेष राज्य बहुत छोटे थे। प्राय: वे परस्पर लड़ाइयाँ करते थे। छोटे राज्य राजनीतिक दृष्टि से बलहीन और आर्थिक रुप से पिछड़े थे। ऐसी परिस्थिति में लोग असंतुष्ट थे; वे देश में सुधार के लिए बेचैन थे।

©KTBS Not to be republished

फ्रांस की महाक्रांति ने जर्मनी के लोगों की राष्ट्रीय चेतना को जगाया। इससे राज्य के लोगों ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक व आर्थिक सुधारों के लिए आग्रह किया। आस्ट्रिया देश के नेतृत्व में जर्मन राज्यों का एक संघटन बनाया गया । लेकिन राज्यों में शासन कर रहे नेता अपनी स्वतंत्रता को और मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए प्रयत्न कर रहे थे।

जर्मन देश भक्तों और राष्ट्रवादियों ने प्रजातांत्रिक संघटनों के लिए और जर्मनी के एकीकरण के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन राजशासन के विरुद्ध हो रहे आंदोलन को दबा दिया गया और क्रांतिकारी देश छोड़कर भाग गए। प्रश्या ने इन गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया साथ ही आर्थिक प्रगति और औद्योगिकरण का विकास हुआ।

बिस्मार्क :

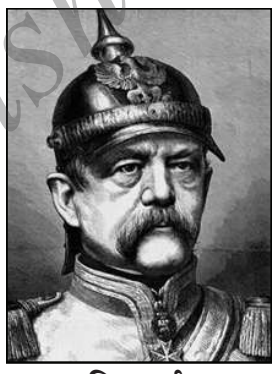

बिस्मार्क

जर्मनी के एकीकरण के प्रधान शिल्पी, प्रश्या राज्य के मुख्यमंत्री ऑटोवान बिस्मार्क थे। वे सरकारी नौकर तो थे ही साथ ही जर्मनी के विधानमंड़ल डयट के सदस्य भी थे। बिस्मार्क ने विदेशों में राजदूत की हैसियत से अपने देश का प्रारंभ किया था। वे अच्छे राजनीति विशारद भी थे। विस्मार्क ने विदेशों में राजदूत की हैसियत से अपने पेशे का प्रारंभ किया था। वे अच्छे राजनीति-विशारद भी थे। अपने पिछले अनुभव के कारण बिस्मार्क में परिज्ञान था। इसी दौरान वे आस्ट्रिया देश के नेतृत्व में जर्मन राज्यों का संघटन के लिए काम कर रहे थे। वे यहाँ की दुर्बलता के बारे में अच्छी तरह जानते थे। वे आस्ट्रिया फ्रांस और रुस में राजदूत के तौर पर काम करके वहाँ की दुर्बलता और शक्ति को अच्छी तरह जानते थे। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए प्रश्या अकेला ही सक्षम है, इस विचार से बिस्मार्क परिचित थे। बिस्मार्क अपेक्षा करते थे कि प्रश्या के राजतंत्र के नेतृत्व में एकीकरण हो। इस उद्देश्य की सफलता के लिए बिस्मार्क के मकसद (उद्देश्य) दो प्रकार के थे। पहला मकसद यह था कि आस्ट्रिया को जर्मन राज्य के संघ से बाहर रखना दूसरा मकसद यह था कि जर्मनी में मिलकर अपनी पहचान को खोने के बजाय जर्मनी को ही प्रश्या जैसा बनाना। वे चाहते थे कि प्रश्या की संस्कृति, रीति-रिवाज, प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य बल को पूरे जर्मनी तक विस्तार किया जाये।

बिस्मार्क का विचार था कि जर्मनी की समस्या का परिहार करने के लिए 'लहू और लोहा' को नीति को अपनाया जाये। इसका अर्थ है कि युद्ध के लिए तैयार हुआ जाये। इसलिए उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। उनका अगला उद्देश्य आस्ट्रिया को जर्मन राज्य के संघ से दूर करना था।

©KTBS Not to be republished

बिस्मार्क, शेल्सविग और होल्स्टीन नामक दो छोटे राज्यों को अपने देश में मिलाना चाहता था। जो कि वे राज्य डेन्मार्क के अधीन थे। इसलिए उसने आस्ट्रिया के साथ मिलकर डेन्मार्क से युद्ध करके उन राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया ।

बिस्मार्क ने इटली के साथ समझौता किया, वह समझौता इस प्रकार था कि यदि जर्मनी का आस्ट्रिया के साथ युद्ध हो तो इटली अपना समर्थन और सहायता उसे अवश्य दे। सुसज्जित जर्मनी के सेना ने आस्ट्रिया को हरा दिया और 1866 में 'उत्तर जर्मन राज्यों का संघ' की स्थापना की। प्रश्या के राज्य की वंशपारंपरिक तौर पर इस राज्य संघ का प्रमुख बनाया गया।

आस्ट्रिया को जर्मनी से अलग करने के बावजूद भी जर्मनी का एकीकरण अब भी पूर्ण नहीं हुआ था। फ्रांस से सटे हुए दक्षिण में स्थित 16 जर्मन राज्य ; राज्य संघ से अलग हो गए। जर्मनी को दुर्बल राष्ट्र बनाना ही फ्रांस के राजा नेपोलियन (तृतीय) की आकांक्षा थी। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होना है तो फ्रांस के साथ युद्ध अनिवार्य है ऐसा बिस्मार्क का विचार था। फलस्वरुप बिस्मार्क की तेयारी में जुट गया। युद्ध नेपोलियन द्वारा प्रश्या पर चढाई किये जाने पर तब दक्षिण जर्मन राज्यों ने उसे हरा दिया। और बिस्मार्क ने शेष राज्यों को जर्मन संघ में मिला लिया। जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। प्रश्या का विलियम (प्रथम) को जर्मन सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्या को अल्सेस और लोरेन प्रांत फ्रांस से मिले। इस प्रकार जर्मनी एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभर कर आया।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों में उपयुक्त पद भरिए :

1. इंग्लैंड़ के अटलांटिक किनारे स्थापित 13 उपनिवेशों को _____ नाम से जाना जाता है।
2. सन् 1774 में तेरह उपनिवेश के प्रतिनिधि _____ नगर की सभा में आये थे ।
3. अमरीका की स्वतंत्रता की घोषणा _____ में हुई थी।
4. ''स्पिरिट ऑफ लास्'' का रचनाकार _____ था।
5. 'तरुण इटली' नामक दल की स्थापना इटली में _____ ने की थी।
6. लहू और लोहा' नीति का प्रतिपादन _____ ने किया था।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. अमरीका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण लिखिए।
2. अमरीका के स्वतंत्रता संग्राम के महत्व के बारे में लिखिए।
3. फ्रांस की क्रांति के लिए आर्थिक तथ्य किस प्रकार कारण बने ?
4. इटली के एकीकरण के दौरान गैरीबाल्ड़ी की क्या भूमिका रही ?
5. जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार किसे माना जाता है? उनके बारे में टिप्पणी लिखिए।

III. गतिविधियाँ

1. फ्रांस की क्रांति के दौरान भाग लेनेवाले दार्शनिकों एवम् विद्वानों के बारे में अपने अध्यापकों से चर्चा कीजिए।
2. इटली के एकीकरण के लिए जो कारण जिम्मेदार हैं उनके बारे में अपने अध्यापक के जरिये समूह में चर्चा कीजिए।

IV. परियोजना कार्य :

1. फ्रांस की क्रांति में भाग लेनेवाले दार्शनिकों के बारे में जानकारी एवं छाया चित्र का इस्तेमाल करते हुए परियोजना कार्य तैयार कीजिए।
2. इटली के एकीकरण में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के बारे में परियोजना कार्य तैयार कीजिए।

©KTBS Not to be republished

राजनीति शास्त्र

अध्याय – 4

न्यायपालिक व्यवस्था

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होगी–

- सर्वोच्च न्यायालय की रचना और अधिकार सीमा।
- उच्च न्यायालय की रचना और अधिकार सीमा ।
- अधीन न्यायालय ।
- राजस्व न्यायालय ।

हमारी न्यायपालिका व्यवस्था एकीकृत है। और अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अर्थात अमेरिका की तरह केंद्र तथा प्राँतो में अलग अलग न्यायालय न होकर समस्त राष्ट्र के लिए एक ही न्यायापालिका व्यवस्था लागू की गई है । हमारी न्यायपालिका प्रशासन तथा कार्यनिर्वहण से पूर्ण स्वतंत्र है । उच्च न्यायालय तथा अधीन न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्र का अति उन्नत न्यायालय है । इसका निर्णय अंतिम होता है ।

सर्वोच्च न्यायालय

संविधान द्वारा सूचित संसदीय शासन से सर्वोच्च न्यायालय की रचना की गयी है। यह जनवरी 28, 1950 को अस्थित्व में आया। यह दिल्ली में है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते है। आज मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 31 न्यायाधीश है। या उसने कम से कम दस वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो। वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधिवेत्ता (कानून ज्ञाता हो)।

1. 'सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएँ'– यह भारत का नागरिक होता है।
2. वह कम से कम पाँच वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। या उसने कम से का दस वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो। वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधि वेत्ता हो।

न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति 65 वर्ष की आयु में होती है, चाहे तो वे इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकते है। असमर्थता या कर्तव्यलोप होने पर संसद के दोनों सदनों में निश्चित बहुत के प्राप्त होने पर संसद उन्हे पद से हटाया जा सकता है। सर्वेच्च न्यायालाय के न्यायाधीश निवृति अथवा पद से हटाने के पश्चात देश के किसी भी न्यायालय में वकालत का काम नही कर सकता। इनका वेतन भत्ता आदि संसद के कानून के अनुसार होता है।

©KTBS Not to be republished

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय के कार्य

मूल अधिकार सीमा : सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्य, राज्यों के बीच के विवादों पर विचार करता है। जनता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा तथा बंधी प्रत्यक्षीकरण (हेबियसकार्पस) तथा अन्य रिट अपीलों के बारे में पूछताछ करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है।

अपील और सलाह अधिकार सीमा : अधीन न्यायालय से प्रदत्त निर्णयों के अपिल पर सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। अपीलों को स्वीकार करके विचार विमर्श करने का अधिकार इस न्यायालय को है। अपील करने के लिए विशेष अनुति देने का अधिकार भी इसे है।

सलाह अधिकार सीमा : राष्ट्रपति के माँगने पर सर्तोच्च न्यायालय सलाह देता है। संविधान जारी करने से पूर्व सरकार के समझौते आदि विषयों के विवाद से संबंधित सलाह को भी राष्ट्रपति के माँगने पर सर्वाच्च न्यायालय सलाह देता है।

इन अधिकारों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय दस्तावेजों की रक्षा करता है। केंद्र और राज्यों के बीच के सलाहाकार के रूप में काम करते हुए विशेष रिट निकालने से सबंधित आदेश भी देता है।.

उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए संविधान में अवसर प्रदान किया गया है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक मात्र न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। न्ययाधीशें की संख्या में राज्य- राज्यों के बीच में भिन्नता होती है।

©KTBS Not to be republished

उच्च न्यायालय

आपको इसकी जानकारी रहे:

1. भारत में सबसे पहले अंग्रेजों में 1862 में कोलकत्ता, मुबई, मद्रास (चेन्नै) मं तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना कीं राज्य में प्रस्तुत कुल 21 उच्च न्यायालय हैं।
2. पंजाब हरियाण राज्यों के लिए चंडीगढ में एक मात्र न्यायालय है। उसी प्रकार असम, मणिपूर, मेघालय, त्रिपूरा, नागालैंड, मिजोराम और अरूणाचल प्रदेशों के लिए असम की गोहाटी में एक मात्र न्यायालय है
3. फिलाहल कर्नाटक बेंगलूर के उच्च न्यायालय के साभ-साथ धारवाड और कलबुर्गो में संचारी पीटों की स्थापना की गयी है।

उच्च न्यायालाय के न्यायाधीश की अर्हता :

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. निम्नतम, किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम किया हो अथवा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालाय में वकालत कर चुका हो।
3. राष्ट्रपति की दृष्टि में वह न्यायनिपुण हो। इनकी निवृति की आयु 62 वर्ष की होती है। इनके वेतन संसद के कानून के द्वारा किया जाता है। संविधान के 15 वी परिष्करण अधिनियम 1963 निवृति की आयु को 60 से 62 वर्ष की आमु तक बढाया गया है। यह केंद्र मंत्रिमंडल की अनुमति प्राप्त कर जुलाई 31 2010 के कानून द्वारा जारी किया गया है।

©KTBS Not to be republished

कार्य : उच्च न्यायालय का अधिकार पूरे राज्य में चलता है। उसके कार्य इस प्रकार है।

1. नागरिक (Civil) और अपराध विवाद, नौकायान, वैवाहिक संबंध न्यायिक अवज्ञा आदियों पर निर्णय देने का कार्य करता है।.
2. अधीन न्यायालाय के निर्णय पर अपील प्राप्त करके उन पर निर्णय सुनाने का अधिकार उच्च न्यायालय को है।
3. श्रेष्ठ न्यायालय की अधिकार सीमा में अनेवाले न्यायालयों के मुरद्दमा को हस्तांतरित करने और कुछ नियमों का पालन करने, और दस्तानेजो की सुरक्षा से संबंधित मार्गदर्शन उच्च न्यायालय देता है। उनपर निरीक्षण करने का काम भी करता है। इसके साथ कर्मचारियों की नियुक्ति, मूलभूत अधिकारों की रक्षा, विविध प्रकार के रिट, स्वीकार करके उन पर न्याय निर्णय सुनाने का कार्य उच्च न्यायालय करता है।

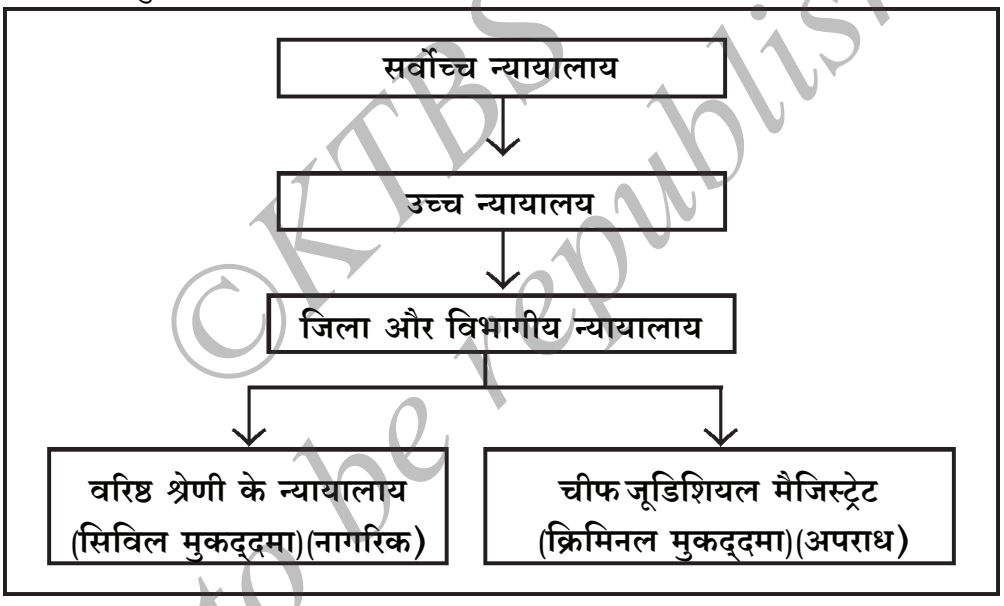

अधीन न्यायालय

1948 में न्यायालयों का सम्मेलन हुआ। इसमे अधीन न्यायालयों की स्वायूतता के बारे में आग्रह किया गया। परिणाम स्वरूप संविधान में अधीन न्यायालय उनकी रचना और कार्यक्षेत्र को लागू किया गया। ये न्यायालाय राज्य से थोडे भिन्न होने पर भी उनका मुख्य लक्षण समान्यत : एक जैसा ही होता है। न्यायालयों को दो भागो में विभाजित किया जाता है। वे है।

1. आम नागरिक न्यायालय(सिविल कोर्ट) 2. अपराध संबंधी न्यायालय(क्रिमिनल कोर्ट)

नागरिक न्यायालय : प्रत्येक जिला में यह न्यायालय होता है। जिला न्यायाधीश इसके मुख्य न्यायाधीश बनते है। राज्यपाल के साथ परामर्श करके उच्च- न्यायालय के न्यायाधीश इनकी नियुक्ति

©KTBS Not to be republished

करते हैं। जिसने राष्ट्र अथवा राज्य के किसी भी न्यायालय में 7 वर्ष को सेवा वकील के रूप में को हो। वह इस पद के लिए योग्य है। अन्य न्यायाधीश प्रतियोगिता परीक्षा परीक्ष द्वारा नियुक्त होते हैं।

इस न्यायालय में नागरिक विवाद जैसे जायदाद, भूमि, वित्तीय व्यवहार, शादी, विवाह विच्छेदन आदि को हल किया जाता है। इसके अलावा अधीन न्यायलय के निर्णयों पर अपील स्वीकार करके उन निर्णयों का पुन परिशीलन करने का अधिकार भी इन न्यायालयों की है। जिले के अंतर्गत आनेवाले सभी सिविल न्यायालयों पर जिला न्यायाधीश नियंत्रण रखते हैं।

इस न्यायालय के अधीन निम्नलिखिल न्यायालय है।:

1. अधीन न्यायाधीशों के न्यायालय
2. (अतिरिक्त) अपर अधीन न्यायाधीशों के न्यायालय
3. मुन्सिफ न्यायालय
4. अपर अतिरिक्त मुन्सिफ न्यायालय

अपराध न्यायालय अथवा दंडाधिकार न्यायालाय : 1 अप्रैल 1974 को अपराध न्यायालय की स्थापना हुई। इसे जिला दंडाधिकरी न्यायालय भी कहा जाता है। ये उच्च न्यायालय के अधीन में रहते हैं। अपराध न्यायालयों में जिला स्तर पर सत्र न्यायालय का स्थान ऊँचा होता है। जिला न्यायाधीश ही इसका भी न्यायाधीश के रूप में काम करता है। खून, लूटमार, डकैती आदी अपराधों से संबंधित मुकद्दमें को सुनवाई होती है। न्यायालय में मृत्युदंड साहित आजीवन सजा दी जा सकती है। ऐसे दंड उच्च न्यायालय से समर्ति होन चाहिए। इस न्यायालयके निर्णय पर उच्च न्यायालय में अपील भी कि जा सकती है। इसके अधीन में अन्य अपराध न्यायालय हैं।

मुख्य दंडाधिकारी न्यायलाय: इल न्यायालयों की मृत्युदंड अथवा आजीवन दंड देने का अधिकार नहीं है। मात्र सात वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती है।

प्रथम श्रेणी दडाधिकारी न्यायालय: इस न्यायालय को उच्च अधिकार प्राप्त है तीन साल अथवा 5000 रू तक का दंड अथवा दोनों देने का अधिकार है। अधीन न्यायालय के निर्णय के अपीलों का निर्णम सुनाता है।

द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी न्यायालय: इस न्यायालय को दो वर्ष से अधिक 1000 रू से अधिक, जुर्माना दंड देने का अधिकार है। अथवा दोनों दे सकता है।

तृतीय श्रेणी के दंडाधिकारी न्यायालय: इस न्यायालय को अधिकार सीमा कम है। एक महीने का बंधीकरण अथवा 50 रू तक का दंड ।अथवा दोनों दंड एक साथ देने का अधिकार मात्र इस न्यायालय की है। द्वितीय और तृतीय श्रोणी के न्यायालय के निर्णयों की अपीलों को स्वीकार करने का अधिकार इस कोर्ट को नहीं है।

जिला और सत्र न्यायालय वास्तव में एक ही है। दोनों केन्यायाधीश एक ही है। सिविल (नागारिक)

©KTBS Not to be republished

विवादों को निर्णय देने में जिला न्यायालय के रूप अपराध सम्बधी मुकद्दमों के निर्णय करते वक्त सत्र न्यायालय के रूप में काम करता है।

भूमिकर न्यायालय :

हर एक जिले में भूमिकर न्यायालयहोता है। ये भूमिकर से संबंधित मुकद्दमों का निर्णयसुनाने है। भूदस्तावेज, भूमिकर, आदि का निर्णय इस न्यायालयमें सुनाया जाता है। इस न्यायालय के अनेक प्रकार हैं।

तहसीलदार न्यायालय : भूमिकर न्यायालयों में यह निम्नस्तर का न्यायालाय है। तहसीलदार अथवा (तालूक दंडाधिकारी) इसके न्यायाधीश होते हैं। इस न्यायालय को तालूक दंडाधिकारी न्यायालय भी कहा जाता है।

जिला उपविभागाधिकारी न्यायालय: तहसिलदार न्यायालय के निर्णयके विरूद्द स्वीकृत अपीलों का निर्णययह न्यायालय सुनाता है। सहायक कमिश्नर इस न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं।

जिला भूमिकर न्यायालय अथवा जिला सत्र न्यायालय: ऐसे न्यायालय जिला केद्रो में होते है। उपविभाग अधिकारी और तहासिवदार के निर्णयों पर अपीलों को सुनवाई यहाँ होती है। जिलाधिकारी (Depty commissioner) इसके न्यायाधीश होते है।

आयुक्त न्यायालय: आयुक्त न्यायालय जिला सत्र न्यायालय के निर्णयों के विरूह के अपीलों को स्वीकार करके उनके संबध में अलोचना करके निर्णय सुनाते है। इसके न्यायाधीश राज्यस्तर के विभागाधिकारी होते है।

भूमिकर समिति : (मंडल) यह भूमिकर मुकदद मों से संबधित उच्च न्यायालय है। अधीन भूमिकर न्यायालय निर्णयों पर के विरूद्द अपील को स्वीकार करके उस पर निर्णय सुनाने का अधिकार इस न्यायालय की है। उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में यह काम करता है।

आपको इसकी जानकारी रहे:
प्रशासनिक दृष्टि से कर्नाटक में चार विभाग बनायगये हौ 1) बेंगलूरु 2) मैसूरु 3) कलबुरगी 4) बेलगाँव

जनता न्यायालय (लोक अदालत)

भारत में न्यायावितरण विलंब और खर्चीले है। इसको ध्यान में रखते हुए मुकद्दमों को शीघ्रतिशीघ्र और कम खर्च में न्याय, निर्णय सुनाने के लिए 1985 में लोक अदालत की स्थापना की गयी। काई एक निर्दिष्ट प्रकरण में भागीदार दो व्याक्तियों के बीच के विवादी पर राजी कराने का काम ऐसे अदालत करते हैं।

ऐसे न्यायालय गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक आदि राज्यों में कार्यरत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सामजिक कार्यकर्ता और युवा कानून स्नातक व्यक्ति इसको स्थापना के सदस्य है। राज्यउच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में हल न हुए मुकद्दमों को ऐसे न्यायालयों द्वारा निपटा लिया जाता है। इसके तीन प्रमुख गुण है।:

1. समझौते के लिए तत्पर रहना।
2. यह अति शीघ्र और मितव्ययी होता है।
3. अन्य न्यायालयों के कार्य-भार के दबाव को कम करता है।

©KTBS Not to be republished

इस न्यायालय में वाहन दुर्धटना, भू स्वाधीनता, बैंकिग से संबांधित प्रकरण वैवाहिक और जीवनांश, कार्मिक समस्या आदि समस्याओं का हल होता है। यह न्यायालय जिला कानून सेवा प्राधिकार अथवा तालूक कानून सेवा समिति से बना न्यायालय है। इसमें दो समझौता कराने वाले होते है।

ऐसे लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है उस पर उच्चतम न्यायालय में अपील नही कर सकते। इस निर्णय के लिए दोनों ओर के सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य हैं। नागरिक न्यायालय लिर्णय के बराबर इस न्यायालय का निर्णय होता है।

अभ्यास

I. खाली जगहों को उचित शब्दों से भरिए।

1. सर्वोच्च न्यायालय _____में अस्तित्व में आया ।
2. न्यायाधीश की निवृत्ति _____ आयु होती है ।
3. न्यायधीश की नियुक्ति _____ करता है।
4. भूमीकर मंडल का प्रमुख _____ होता है ।
5. जनता न्यायालय _____ में अस्तित्व में आए।

II. निम्नलिखित प्रश्नो का उत्तर समूह चर्चा करके लिखिए

1. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार कार्यों के बारे में लिखिए।
2. उच्च न्यायालय के अधिकार कार्यो का विवरण दीजिए।
3. नागरिक न्यायालय के अंतर्गत अधीन न्यायालय कौन कौन से है ?
4. अपराध न्यायालय के बारे में लिखिए।
5. भूमिकर न्यायालय के बारे में टिप्पणी लिखिए।
6. जनता न्यायालय (लोक अदालत) की स्थापना का उद्देश्य क्या है?

III. क्रिया कलाप.

1. अपने समीप के वकील से मिलकर न्यायालय के बारे में अधिक जानकारी हासिल कीजिए।
2. सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटक से मुख्य न्यायाधीश के रुप में सेवारत लोगों की तालिका बनाइए।
3. अपने निकट के न्यायलय जाकर न्यायालय के कार्य कलापो पर ध्यान देकर उसकी रपट तैयार कीजिए।
4. साप्ताहिक पत्रिकाओं के छपे न्यायालय संबंधी लेखों को पढें और इनका संग्रह कर अलबम तैयार करें।

◈ ◈ ◈

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 5

भारत की निर्वाचन व्यवस्था

इस अध्याय में निम्न लिखित जानकारी प्राप्त होगी :

- निर्वाचन आयोग
- निर्वाचन व्यवस्था की प्रक्रिया
- राजनैतिक पक्ष (दल)
- समिश्र सरकार
- माध्यम और प्रजा प्रभूत्व

भारत विश्व का बडा प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र है । प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था की सफलता के लिए निष्पक्षपात, निर्भय चुनाव का होना अनिवार्य है । चुनाव की देख-रेख निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए हमारे संविधान के XV (15) भाग में 324 से 329 तज की विधि (अधिनियम) में स्वतंत्र चुनाव आयोग व्यवस्था के बारे में बताया गया है । यह चुनाव आयोग अखिल भारत की संस्था है । अर्थात यह केंद्र तथा राज्य चुनाव की जिम्मदारी लेता है । अधिनियम 324 K तथा ZA के अनुरुप राज्य चुनाव आयोग स्थानीय स्वयं संस्थाओं का चुनाव चलाता है ।

निर्वाचन आयोग की रचना:

सांविधान के 324 वे अधिनियम में चुनाव आयोग की रचना के बारे में बताया गया है । भारत का चुनाव आयोग जनवरी 1950, 25 तारीख को स्थापित हुआ । प्रारंभ में एक प्रमुख चुनाव आयुक्त मात्र को लिया गया। सन् 1989 में संविधान के 61 में परिष्करण के अनुसार सार्वत्रिक वयस्क मतदान के लिए आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष (कम) किया गया । इससे निर्वाचन आयोग का कार्य क्षेत्र बढगया। इससे प्रमुख चुनाव आयुक्त के साथ साथ अन्य दो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई। सन् 1990 में दो चुनाव आयुक्त को निकाल दिया गया। सन् 1993 से चुनाव आयोग एक प्रमुख चुनाव आयुक्त तथा अन्य दो चुनाव आयुक्त। से युक्त हुआ। तीनो चुनाव आयुक्त समान अधिकार प्राप्त होते हैं । चुनाव आयुक्तो में भिन्न मत उत्पन्न होनेपर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करता है। इनकी अधिकार अवधि 6 वर्ष अथवा उनके 65 वे आयु तक होती है । इन्मे से जो पहले आये. उसे लागू करते हैं । ये किसी भी समय राष्ट्रपति को इस्तीफा (त्यागपत्र) दे सकते हैं । संसद असमर्थता तथा बुरे व्यवहार के आधार पर इन्हें पदच्युत करने का अधिकार रखता है ।

चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद तथा विधान सभा के चुनावो को आयोजित करता हैं । चुनाव की तारीख निश्चित होने के कारण नतीजा / परिणाम प्रकट करने तक की अवधि सम्पूर्ण अवधि होती है । इस अवधि को नीति संहिता अवधि कहा जाता है । चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग के अपने ही कर्मचारी नहीं होते । चुनाव आयोग राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने चुनाव कर्मचारियों के रुप में नियुक्त करता है।

©KTBS Not to be republished

पंचायत तथा राजनीतिक संस्थाओं के चुनाव को राज चुनाव आयोग आयोजित करता है । संविधान के 243K तथा अधिनियम के तहत राजपाल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है । कर्नाटक में कर्नाटक ग्रम स्वराज्य तथा पंचायत राज अधिनियम सन् 1993 में प्रकरण 308 के अनुरुप राज्य चुनाव आयोग था। यह राज्य की स्थानीय संस्थाओं के चुनाव को सफलता पूर्वक चलाता आ रहा है ।

चुनाव/निर्वाचन क्षेत्र: निर्वाचन चलाने के उद्देश्य से राज्य और देश में छोटे – छोटे निर्वाचन विभाग बनाकर उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ये निर्वाचन क्षेत्र आबादी के अनुसार विभाजित किये जाते हैं। पहला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दूसरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचितों को दो प्रकार से विभाजित करते हैं। पहले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी लोकसभा के सदस्य एम पी कहलाते हैं तो विधान सभा के चयनित सदस्य (एम.एल.ए) कहलाते हैं। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रो में नियमानुसार अनुसूचित जाति/वर्ग पिछडे वर्ग, परिशिष्ट जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण स्थान होते हैं। उन्हें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है।

मतदारो की निर्वाचक सूची : मतदान करने वालों के नाम तथा उनका विवरण निर्वाचक सूची के अंतर्गत मिलता है। निर्वाचक सूची को निर्वाचन आयोग निर्वाचन के पहले ही तैयार कर लेता है। यह निर्वाचन सूची हर 5 वर्ष में परिष्कृत किया जाता है। इस प्रकार परिष्कृत करते वक्त उनका भी नाम उसमें मिला लिया जाता है जो 18 वर्ष के हो चुके हों। जिनका देहांत होता है ऐसों के नाम निर्वाचक सूची से निकाला जाता है। इस प्रकार निर्वाचक सूची मतदाताओं को पहचानने में अधिकारियों को सहायता मिलती है। मतदाताओं की अन्य प्रति का पहचान पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। इससे मतदान में होने वाले चोरी को रोका जा सकता है। पहचान पत्र मतादाता को पहचानने में मदद करता है। मतदाता को मतदान के समय यह परिचय पत्र दिखाना पड़ता है । इस पत्र के न रहने पर (प्यान कार्ड) अथवा मोटर गाडी चलानेवाला लाइसेन्स अथवा निर्वाचन आयोग के द्वारा बताये गये पहचान से संबधित पत्र दिखा सकते हैं।

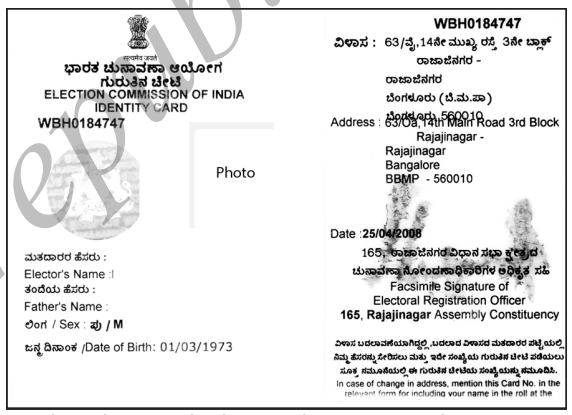

The electoral photo identity cards (EPIC)

भारत सरकार ने देश के सभी नागरिकों को जैविक मीटर (Biometric) वाले विशिष्ट पहचान पत्र देने की व्यवस्था को जारी किया है, जो 'आधार' नाम से जाना जाता है।.

©KTPS Not to be republished

अधिसूचना: निर्वाचन प्रक्रिया सूचना के द्वार प्रारंभ होता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन चलनेवाला दिनांक (तारीख). समय, अन्य पूर्ण विवरण रेडियो, दूरदर्शन, रामाचार पत्रों के द्वारा सूचित करता है। सरकार के गेजेट में भी प्रकटित किया जाता है।

प्रत्याशी (अभ्यर्थी) का नामांकन: हमारे देश में प्रतिनिधित लोकतंत्र रहने के कारण हर नागरीक को निर्वाचन में भाग लेने का और चुनाव लडके का हक् रहता है। निर्वाचन में स्पर्धा करने की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति कुछ अर्हताओं को पूरा करना पड़ता है। प्रत्याशी निश्चित समय के भीतर संबंधित अधिकारी के सामने नामांकन करना पड़ता है। नामांकन आवेदन पत्र के साथ ''सुरक्षित पेशगी / जमा राशि'' (Fixed Deposits) रखना पड़ता है।

राजकीय पक्ष के द्वारा अपने पक्ष की प्रतिनिधि के रूप में किसी एक के प्रत्याशी बनाकर उसे अधिकृत चिह्न दिया जाता है। वह उस पक्ष का अधिकृत अनुज्ञा पत्र (टिकेट) प्राप्त करता है। वह प्रत्याशी पक्ष के उस चिह्न के द्वारा निर्वाचन में भाग ले सकता है। कभी कभी व्यक्ति से बढ़कर पक्ष (पार्टी) का चिह्न ही प्रत्याशी की जीत में प्रमुख भूमिका निभाता है। कोई भी पक्ष से पहचाना नही जाता उसे स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में घोषणा करके चुनाव/निर्वाचन आयोग द्वारा चिह्न दिया जाता है।

नामापत्रों की जाँच: आवेदन पत्र स्वीकार करने के अंतिम दिनांक के बाद नियुक्त अधिकारी प्रत्याशी को नामांकन पत्र और उसके साथ संलग्न सभी दस्तावेज की जाँच करके अर्हता प्राप्त करनेवाले और तिरस्कृत प्रत्याशियों का नाम प्रकटित करता है।

नामांकन वापस लेना: योग्य प्रत्याशियों की सूची प्रकट करने के बाद प्रत्याशी चाहता है तो नामांकन वापस लेने के लिए एक निर्दिष्ट दिनांक प्रकटित किया जाता है।

निर्वाचन प्रचार: निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों की अंतिम अधिसूचना के बाद निर्वाचन (चुनाव) का प्रचार कार्य शुरू होता है। यह प्रचार कार्य मतदान के दिन से 48 घंटे पहले ही समाप्त होता है। प्रचार के समय विविध राजकीय पक्ष अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करते है। अगर हमारे पक्षका प्रत्याशी विजयी होगा तो दिये जानेवाले सुविधाओं का भरोसा दिया जाता है। इस प्रकार के भरोसे या आश्वासनों को 'निर्वाचन प्रणाली' कहा जाता है। इस अवधि में सर्वाजनिक समावेश, घरों में जाकर मतों की याचना करना, ध्वज, निशान, कपड़ों के तोरण, भित्तिपत्रिका, करपत्र, नारे, घोषणा इत्यादि की भरमार देखने मिलती है। हर प्रत्याशी का निर्वाचन आयोग की 'नीति संहिता' का पालन करना पडता है।

मतदान का दिन: मतदान के दिन का तात्पर्य होता है मत चलाने के लिए तय किया हुआ निश्चित दिन। उस दिन मतकेंद्र में जाकर मत चलाना पड़ता है। मतकेंद्र का अर्थ होता है मत चलाने

©KTBS Not to be republished

का निश्चित जगह। वहाँ प्रशिक्षित निर्वाचन अधिकारी नियोजित रहते हैं। मतदाता की पहचान प्राप्त करने के बाद मत पत्र (Ballot paper) दिया जाता है। इस मतपत्र में सभी प्रत्याशियों के नाम तथा निशान होते हैं। ये चिह्न अनपढ़ लोगों को भी मत डालने में मदद करते हैं।

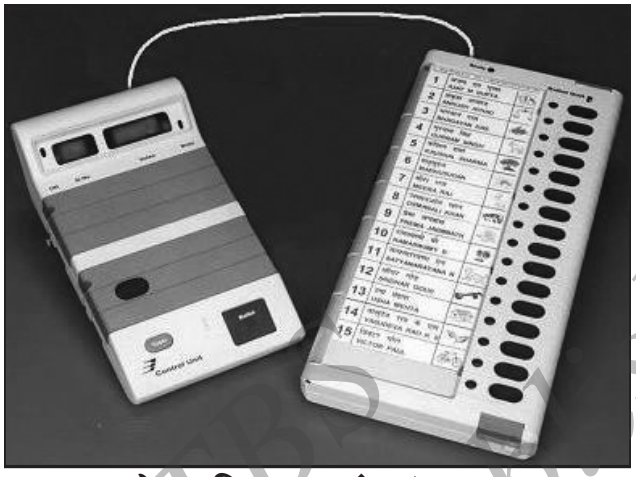

इलेक्ट्रानिक मत यंत्र (EVM)

पुराने मतपत्रों के बदले इलेक्ट्रानिक मतपत्रों को निर्वाचन में अपनाया गया है। मतदाता इस यंत्र में (बटन) दबाकर अपना मत दाखिला कर सकता है। इस यंत्र में प्रत्याशी और उसके निशान आदि रहते हैं। मतदान का समय समाप्त होने के बाद मतयंत्र को संबंधित केंद्रों में पहुँचाया जाता है।

हर एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन या युनाव की प्रक्रिया निर्वहण करने के लिए निर्वाचन आयोग एक अधिकारी को नियुक्त करता है। उसे 'रिटर्निंग अधिकारी' कहा जाता है। (Returning officer) इसके अधीन में मतकेंद्रों में कार्य करनेवाले निर्वाचन कर्मचारी नियुक्त होते हैं।

मतों की गणना: निर्वाचन समाप्त होने के बाद निश्चित दिन प्रत्याशी और उनके अनुयायीयों के सम्मुख गिनती के लिए नियुक्त अधिकारियों के द्वारा मतों की गिनती होती है। इलेक्ट्रानिक यंत्रों के आने के बाद यह कार्य अत्यंत आसान हुआ है। कुछ विशेष संदर्भों में पुनगिनती का मौका भी रहता है। यदि मतों की गिनती में कोई अव्यवहार होता है तो प्रत्याशी न्यायालय में अपील कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी मतों की गिनती के बाद परिणाम की घोषणा (प्रकट) करता है।

राजनैतिक दल: लोकतांत्रिक सरकारों में राजनैतिक पक्षों का होना आवश्यक ही नही बल्कि अनिवार्य है। राजनैतिक पक्षों की प्रतिनिधि सरकार और समुदाय की बीच की कडी होते हैं। राजनैतिक पक्ष सामाजिक और आर्थिक प्रगति के नियम और कानून की रचना में प्रमुख भूमिका

©KTBS not to be republished

निभाते हैं। राजनीति में प्रवेश करनेवालों को राजनैतिक पक्ष प्रशिक्षण केंद्र है। राष्ट्र स्तर में केंद्र संसद के लोक सभा राज्य स्तर में विधान सभा में बहुमत प्राप्त राजनैतिक पक्ष सरकार की रचना करता है। सरकार रचनेवाला पक्ष प्रशासनीय पक्ष कहलाता है। दूसरे स्थान में विपक्ष रहता है। छोटे-छोटे पक्षों के स्वतंत्र सदस्य स्वेच्छा से प्रशासनीय अथवा विपक्ष का साथ दे सकते है। विपक्ष प्रशसनीय पक्ष की कार्य प्रक्रियाओं की विमर्शा करने का अधिकार रखता है।

राष्ट्रीय पक्ष: भारत में अनेक राजनैतिक पक्ष है जिनको राष्ट्र राज्य प्रांत के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। राष्ट्रस्तर के राजनैतिक पक्ष अनेक राज्यों में अपनी शाखाओं की रचना किये हैं। ये पक्ष केंद्र के लोकसभा राज्य के विधान सभाओं में अपने गौरवान्वित प्रतिनिधी प्राप्त किये हैं। ऐसे पक्षों को राष्ट्रस्तर की मान्यता आयोग द्वारा मिलती है। राष्ट्रीय काग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पक्ष आदि राष्ट्रीय पक्ष हैं जो अपने ही चिह्न द्वारा पहचाने जाते हैं।

प्रादेशिक राजनैतिक पक्ष (पार्टी): प्रादेशिक राजनैतिक पक्ष राज्य राजनैतिक पार्टियों के नाम से भी जाने जाते हैं। विधान सभा में अधिक मात्रा में सदस्यों को पानेवाले पक्ष को प्रादेशिक पक्ष की मान्यता मिलती है। बहुत सारी प्रादेशिक पार्टियाँ अपने प्रभाव से बहुमत प्राप्त करके सरकार की रचना कर चुकी हैं। वे है तमिलनाडु के डी.एम.के तथा ए,आई.डी.एम के दल, असम गण परिषद, आंध्रप्रदेश के तेलुगुदेशम् पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी, कर्नाटक में जनतादल (जात्यातीत) आदि प्रमुख हैं जो अपने ही निर्वाचन चिह्नों को प्राप्त किये हैं।

लोकसभा में भी प्रादेशिक पक्षों के प्रतिनिधियों को देख सकते हैं। कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही करपाता ऐसे अवसरों में प्रादेशिक पक्ष सरकार की रचना में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

सम्मिश्र सरकार: आजकल बहुत सारे पक्ष अधिकार के लिए निर्वाचन (चुनाव) में भाग लेते हैं। कोई भी पार्टी स्पष्ट जनादेश प्राप्त करके सरकार की रचना करता है। लेकिन कई संदर्भों में सरकार रचना करने का बहुमत प्राप्त नही होता ऐसे परिस्थिति को 'त्रिशंकु लोकसभा' (Hung Parliament or Assembly) 'त्रिशंकु विधान सभा' कहा जाता है। ऐसे अवसर पर कुछ पक्ष संयोजित होकर सरकार रचना के सदस्यबालों को प्राप्त करके मैत्री स्थापित करते हैं। इस प्रकार की मैत्री को 'मतदानोत्तर मैत्री' कहते हैं। कुछ संदर्भों में निर्वाचन के पूर्व ही दो अथवा दो से अधिक पक्षा मिलकर स्थानों का बटवारा करके साथ साथ में चुनाव लडते हैं। इस प्रकार की मैत्री को 'चुनाव पूर्व मैत्री' कहते हैं। इन दो प्रकार की मैत्रियों से त्रिशंकु स्थिति में सरकार की रचना करने में आसान होता है। ऐसी मैत्री से जो सरकार बनेगा उसे 'सम्मिश्र सरकार' कहते है। ऐसी मैत्री से जो सरकार में मित्र पक्षवाले मंत्रि मंडल में अपना हिस्सा लेकर स्थानों को प्राप्त करते हैं। कुछ संदर्भों में मित्र पक्ष अपना हिस्सा लिये बिना सरकार का साथ देते है तो इसे 'बाह्य सपोर्ट' कहते है। 1989 इसवी से लोकसभा और विधान सभा में अंतत्र सरकार की रचना हुई है।

©KTBS Not to be republished

सार्वजनिक अभिप्राय : आम आदमी अपने से संबंधित किसी विषय पर अपने अभिप्राय को व्यक्त करना सार्वजनिक अभिप्राय कहलाता है। ऐसा अभिप्राय बहुजन राजनैतिक अभिप्राय नही कहलाता सरकार सार्वजनिकों के अभिप्रायों के आधार पर नियमों को बनाता है। सार्वजनिक अभिप्राय विषयाधारित होकर कालानुसार परिवर्तन होने की संभावना रहती है। सार्वजनिक घटना के प्रति जागृत होकर अपने अभिप्राय को स्वतंत्र रूप से बिना कोई भय और पूर्वाग्रह से व्यक्त कर सकते हैं। सरकार और राजकीय पक्ष सार्वजनिक अभिप्रायों को प्रोत्याहित करते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, सम ाचार पत्र पत्रिका, अंतर्जाल आदि समूह माध्यम सार्वजनिक अभिप्राय प्राप्त करने में मदद करते हैं।

समूह माध्यम और लोकतंत्र : प्रतिदिन होनेवाले घटनाओं की सूचना समूह माध्यम देते हैं। सरकार की योजना और नियमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। माध्यम सरकार की कार्य शैली के बारे में लोगों को जानकारी देने के साथ साथ लोगों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों को उनकी समस्याओं को जनप्रति निधियों के सामने रखते हैं। इसलिए समूह माध्यम हरवक्त सत्य, निर्भीक बिना पक्षपात के अभिप्रायों को प्रकट करना चाहिए। सूक्ष्म विचारों का वैभवीकरण करके भय का वातावरण निर्माण ही करना चाहिए जात्यतीत और लोकतंत्र तत्वों को हानी पहुँचाये बिना कार्य करना चाहिए।

पत्रिका माध्यम के अधीन में प्रतिदिन के समाचार पत्र साप्ताहिक पत्र आदि आते हैं। ऐसे पत्र पत्रिका अनिवार्य रूप से समाचार पत्र पंजीकरण कचहरी (Register of News Paper) में पंजीकरण करा लेना चाहिए। ऐसे पत्रिकाओं की स्वांतत्र्य रक्षा के लिए भारत में 'भारतीय पत्रिका परिषद' की स्थापना हुई हैं। माध्यम क्षेत्र में दूरदर्शन रेडियों अंतर्जाल जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यम कार्य करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रानिक माध्यम 1962 के आकाशवाणी प्रसरण संहिता के अधीन में कार्य करते हैं। आम लोग, अधिकारी और नायकों को अपने विचार विनिमय के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

प्रतिवेदन (सूचना) प्राधिकार: भारत देश में सूचना प्रसरण अधिनियम को 2005 में जारी किया गया है। इस संहिता का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निर्मूलन करना प्रशासन में पारदर्शिता लाना आदि होता है। आम आदमी एक आवेदन के द्वारा सरकार से अपने से संबंधित किसी भी विषय की जानकारी सूचना प्राप्त कर सकता है। संबंधित अधिकारी सूचना प्राप्त करने चाहनेवालों को 30 दिन के भीतर देना पड़ता है। स्वतंत्रता और जीवन से संबंधित सूचना को 48 घंटों के भीतर देना पड़ता है। अगर व्यक्ति राष्ट्र की ऐवयता, सुरक्षा से संबंधित सूचना प्राप्त करना चाहेगा तो सूचना देने से इनकार भी किया जा सकता है।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए:

1. मतदारों की सूची _____ वर्षो मे एक बार परिष्कृत की जाती है ।
2. प्रचार कार्य मतदान के दिन से _____ घंटे पूर्व पूर्ण हो जाता है ।
3. राजनैतिक पक्षों (दलों) को _____ मान्यता प्रदान करता है ।
4. पत्रिका स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए स्थित संस्था _____ है।
5. सूचना अधिकार कानून को _____ में जारी किया गया।

II निम्नालिखित प्रश्नों का उत्तर समूह चर्चा कर लिखिए:

1 मतदारों की सूची के संबंध में एक टिप्पणी लिखिए ।

2 राजनैतिक पक्षों (दलों) के प्रतिनिधि सरकार तथा जन समुदाय के बीच कडी के रुप में होत है। इस कथन का समर्थन कीजिए।

3 सम्मिश्र सरकार के बारे में लिखिए।

4 "सूचना अधिकार'' सरकार को प्रजा के लिए जिम्मेदार बनाने में सहायक है । इस पर चर्चा कीजिए।

III क्रिया कलाप:

1. चुनाव प्रक्रिया पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए।
2. निर्वाचन आयोग के कार्यों की तालिका बनाइए।
3. राष्ट्रीय पक्षों(दलों) की तालिका बनाइए।

◈ ◈ ◈

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 6

देश की सुरक्षा

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों को सीखते हैं।

- सेना बलों के प्रकार और उनका उत्तरदायित्व।
- सेनाबलों का केंद्रस्थान और उनके प्रमुख व्यक्ति ।
- सेनाक्षेत्र से राष्ट्र सुरक्षा की अभिवृदि।
- सेना बलों के अलावा दूसरी श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था।

आप जानते हैं कि हमारा देश इसके पहले बाहरी आक्रमण का शिकार हुआ था। अनेक हडताल, त्याग बलिदानों से 1947, 6 अगस्त 15 तारीख को स्वंतत्र हुआ। अपनी इस स्वतंत्रता की रक्षा करना हम भारतीयों का कर्तव्य है। साथ ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करके बाहरी आक्रमण से वचाना है।

भारत एक विशाल देश है। जो 15,200 कि.मी भूसीमा, 7516.50 कि. मी लंबी समुद्री सीमा से युक्त है। पाकिस्तान चीन, भूतान, नेपाल, बंगलादेश मयन्मार हमारे पडोसी देश है। इंडोनेशिय मलेशिया, कबौंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, और मालदिव समुद्र संपर्क के पडोसी राष्ट्र हैं। हम शांति को आर्केक्षि है फिर भी पडोसी राष्ट्र हमें शाति से रहने नहीं देते। शांतिसंदान बातचीत, समझोतों के द्वारा सब समस्याओं का हल निकालने का प्रयास भारत कर रहा है। फिर भी पूर्ण रूप से हम सफल नहीं। इसलिए हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी है। इसके लिए सुरक्षाबल की भूमिका महत्वपूर्ण है ।

हमारे सेनाबलों को रचना:

हमारे देश में थलसेना, जल सेना और वायुसेनाएँ है। राष्ट्रपति इन सेनाबलों के सर्वोच्च दंडनायक है। थल सेना के प्रमुख को जनरल, जनरल के प्रमुख को अड्रमिरल और वायुसेना के प्रमुख को एयर चीफ माईल के नाम से जाना जाता है। इन तीनों विभागों के न्वय के लिए 2001 में चीफ आफ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ नाम के अधिकारी को नियुक्ति की गयी है। देश के रक्षा मंत्री तीन विभागों (थलसेना, जल सेना, वायुसेना) के कार्यो का संघटन करते हैं। तीनों सेना बल के दंडनायकों को भी संभालते हैं। सेनाबल के प्रत्येक विभाग के अलग-अलग प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र है।

रक्षा मंत्रालय का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। इस मंत्रालय के विभाग हैं। -1) सुरक्षा उत्पादन विभाग 3) सुरक्षा अनुसंधान और अभिवृद्धि विभाग 4) निवृति सेना कल्याण विभाग

©KTBS Not to be republished

भारतीत थल सेना

भू सेना का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। इसका प्रमुख महासेनाधिपति कहलाता है। उप सेनाधिपति, सेनापति, सेना प्रधान अधिकारी मास्टर जनरल, मिलिटरी सचिव, मेलिटरी (फौजी) प्रौद्योगिक (इंजीनियर) आदि सहायक के रूप में काम करते हैं। थल सेना में पैदल सैनिक दल, अश्वदल (क्यावलरी) हथियार बंद सशस्त्र, फिरंगी दल आदि होते हैं। परिवहन आपूर्ति इंजिनियरिंग विभाग भी इसमें है। प्रशासन के उद्देश्य से थल सेना को 7 कमांडें में विभाजित किया है। उनके केंद्रस्थानों का विवरण निम्नलिखित है।

1. पश्चिम कमांड – चंदीमंदिर (चंडीगढ़)
2. पूर्वा कमांड – कोलकता (पश्चिम बंगाल)
3. उत्तरी कमांड – उधमपुर (कश्मीर)
4. दक्षिणी कमांड – पुणे (महाराष्ट्र)
5. केंद्र कमांड – लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
6. प्रशिक्षणकमांड – माव (मध्यप्रदेश)
7. उत्तर–पश्चिमी कमांड – जयपुर (राजस्थान)

थल सेना

इन कमांडों की क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय दो भागों में बाँटा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल कमांड का प्रमुख है। मेजर जनरल क्षेत्र प्रमुख है। उपक्षेत्रीय प्रमुख को ब्रिगेडियर कहते है। पूना के निकट खड़गवासला राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी,ऊटी के निकट वेल्लिंगटन में स्थित रक्षा सेना कर्मचारी कालेज, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज, देहरादून में स्थित भारतीय मिलिटरी अकादमी, चेन्नै में स्थित अधिकारी प्रशिक्षण शाला आदि प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र हैं।

किसी भी पड़ोसी राष्ट्र के अक्रमण से राष्ट्र के भू भाग की रक्षा करके अखंडता को बनाय रखना थल सेना के तकनीकी परिवेश की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण कार्य है। हर सवाल को स्वीकार करने को हमेशा भू – सेना तत्पर रहती है। देश की विशाल सीमा सुरक्षा, प्राकृतिक विपत्ति का सामना करना आदि प्रमुख कार्य भू सेना निभाती है।

©KTBS Not to be republished

भारत को (नौका) सेना

नौका सेना

विश्व में विशाल तटीय रेखा भारत की है। यह सीमा अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप तक है। इनकी सुरक्षा के लिए सशक्त नौका सेना की जरूरत है। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। भारत के राष्ट्रपति इसके प्रधान अधिपति है।

नौका सेना की तीन क्षेत्रीय कमांडों में बाँटा गया है। 1) पश्चिमी नौका कामंड (केंद्र कार्यलय मुंबई) 2) पूर्वी नौका कमांड (प्रधान कार्यालय–विशाखा पट्टणम) 3) दक्षिणी नौका कामंड (प्रधान कार्यालय कोच्चिन) में है। भारतीय नौका सेना के दो बेड़े है। पश्चिम बेडा, पूर्वा बेडा। विशाखपट्टण में हिदुस्तान नाविक कारखाना है। कोलकता और गोवा में भी जहाज निर्माण कार्य चल रहा है। इन कारखानों में जहाज, जलांतरगामी और छोटे नावों का निर्माण किया जाता है।

अरूलियांडर वर्ग के युद्ध पोतों, ऐ एन एस नीलगिरि, हिमगिरि, देवगिरि, तारागिरि विध्यगिरि, चक्रधारि (मार्च 2012 में संयोजित) और भारतीय शैली के ऐ.एन एस. गोदावरी संचारी सर्वे जहाज और तटीय सुरक्षा बलों का निर्माण किया गया है। हाल ही में भारतीय शैली के ऐ.एन.एस. विभूति प्रक्षेपण जहाजों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार भारत आधुनिक युद्ध नौकाबल प्राप्त छठें राष्ट्र के रूप में प्रख्यात है। भारतीय नौका बल अधिकरियों केलिए दो प्रशिक्षण केद्रों की स्थापना की गयी है । बे है – केरला के ऐ.एन.एस. बंडुर्ति महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित ऐ.एन.एस शिवाजीं।

भारतीय वायुसेना

भारतीय वायुसेना आधुनिक तकनीकों से युक्त सुसज्जित उपकरणों वाली है। शस्त्रास्त्र, उत्तम व्यवस्था उड्यन तांत्रिक ज्ञान, शत्रुओं के विरूह लड़ने के सुरक्षित सामर्य से युक्त है। वायुसेना मुख्य साधन हैं युद्द हवाईजहाज की वायुसेना महत्वपूर्ण स्थान हैं।

वायुसेना

भारतीय वायुसेना युद्द और शांति के समय देश के लिए परिणामकारी उत्तर दायित्व को निभाता है। राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा और स्थिरता को बनाये रखने में वायुसेना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका

©KTBS Not to be republished

प्रधान कार्यालय दिल्ली में हैं। पाँच परिचालन (ऑपरेशनल) और दे कार्यात्मक कमांड़ हैं। ये है। :

परिचालन कमांड

1. पशिचमी कमांड – दिल्ली
2. पूर्वा कमांड – शिलांग (मेघालय)
3. केंद्र कमांड – इलाहाबाद (गुजरात)
4. उत्तर पूर्वी कमांड – गांधीनगर (गुजरत)
5. दक्षिणी कमांड – तिरूवनंतपुरम (केरल)

क्रिया कलाप

भूतपूर्व सैनिकों के साथ हमारी सेना दल व्यवस्था के बारे में चर्चा कर जानकारी प्राप्त कीजिए।

कार्यात्मक कमांडः (Functional**)**

1. प्रशिक्षण कमांड – बेंगलूर (कर्नाटक)
2. निर्वाह (रक्षा) कमांड – नागपुर (महाराष्ट्र)

इनके अलावा वायुसेना का प्रशिक्षण देने वाले प्रमुख केंद्र बेंगलूर और हैदराबाद में हैं। वायुसेना में नियुक्त होनेवालों को उड्डयन प्रशिक्षण देने की विशेष प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना दुड़िघाट में को गती है। उरगी प्रकार प्रशासन और तकनिकी प्रशिक्षण केंद्र बेंगलूर और कोयमतूर में है। हमारी वायुसेना में एक हजार से अधिक हवाई जहाज, और हेलिकाफटर है। उनमें प्रमुख शैली के हवाई जहाज हैकेनबेरा, हंटर, अजित मिग 21 मिग 23, मिग 25 मिग 27, मिग 29, मिरेज 2000 आदि है।

इसकी जानकारी आप को रहे
तीन प्रकार के सेवा वर्ग

1. थल सेना	**2. नौका सेना**	**3. वायुसेना**
र) जनरल	र) अड्मिरल	र) एयर चीफ मार्शल
ल) लेफ्टिनेंट जनरल	ल) वाइस अडमिरल	ल) एयर मार्शल
ल) मेजर जनरल	ल) रियर अड्रमिरल	ल) एयर वैस मार्शल
व) ब्रिगेडियर	व) कमडर	व) एयर कमांडर
श) कर्नल	श) कैप्टन	श) ग्रूप कमांडर
ष) लेफ्टनेंट कर्नल	ष) कमांडर	ष) विंग कमांडर
स) मेजर	स) लेफ्टिनेंट कमांडर	स) स्क्वार्डन लीडर
ह) कैप्टन	ह) लेफ्टिनेंट	ह) फ्लैट लेफ्टिनेंट
ळ) लेफ्टिनेंट	ळ) सब लेफ्टिनेंट	ळ) फ्लैयिंग अफिसर

©KTBS Not to be republished

सेना नियुक्ति : भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय सेना में जाति, धर्म, वर्ग, और समुदायिक भेद भाव के बिना नियुक्त हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति में सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शारीरिक, मानासिक, शैक्षणिक और समान्य योग्यताएँ (अर्हता) होनी चाहिए।

भूसेना में निचले स्तर के पदों के लिए नियुक्त करते वक्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त पुरूष जनसंख्या के अनुसार किए जाते हैं। वायुसेना के लिए सशक्त युवकों की नियुक्ति पंजीकरण द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है। यह केंद्र वायुसेना नियुक्ति मंडल (central Aurmen Selection Board) द्वारा होती है। नौजलसेना में नाविकों की नियुक्ति नौकाबल नियुक्ति संघटन द्वारा होती है। इसकी जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और नौका बल केंद्र कार्यलय की होती है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के लिए महिलाओ को नियुक्ति करते वक्त विशेष योजना द्वारा को जाती है।

रक्षा–उत्पादन : रक्षणा उत्पादन के कार्यो को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला– कपनी की ओर से चलाये जा रहे कारखाने तथा दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने–गोला बारूद, शत्रास्त्र टैंकर आदि आर्डियन्स कारखानों में तैयार किये जाते है। पनडुब्बी, हवाई जहाज, भूवाहन जैसे बुलडोजर आदि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में निर्मित किये जाते हैं।

इसकी जानकारी रहे।	सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षण उद्यम
1954 –BEL (Bharath Electronics Ltd.)	1964 –HAL(Hindustan eronautics Ltd.)
1964 –BEML (Bharath. Earth. MoLers Ltd.)	1970 –BDL(Bharath. Dynamics Ltd. etc)

हमारी सुरक्षा को तैयारी और अनुसंधान अभिवृद्धि: आज हमारे सुरक्षा बलों के समाने अनेक चुनौतियाँ है। इसलिए राष्ट्रसीमा की रक्षा में हमारे सैनिकों को सदा तैयार रहना पड़ता है। हमारी सेना को विश्व में चौथा स्थान प्राप्त है। वायुसेना और नौ सेना पाँचवें स्थान पर है।

हमारे नौकाबल को शक्तिशाली बनाने के लिए कारवार के पास सीबर्ड नौका अड्डा स्थापित किया गया है। इसके अलावा 1958 में रक्षणा अनुसंधान और अभिवृद्दि संस्था DRDP - Defence Reaserch and development Organisation) की स्थापना भी की गयी है। भूमि से भूमि पर वार करनेवाले प्रक्षेपण पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आधुनिक प्रक्षेषण हमारे नौकाबल में है। (19 अप्रैल 2012 में अग्नि 5 को 5000 कि. मी. की लक्ष्य रखकर प्रक्षेपित किया गया। सबमेरिन, एंटी सबमरिन (जलांतरगामी) तकनीक की अभिवृद्धि की गयी। भारत आज प्रसिद्द गण राष्ट्रों की श्रेणी में है। अमेरिका, रूस ब्रिटेन, फ्रान्स अन्य राष्ट्र हैं।

बोफोर्स फिरंगी को कार्गिल युद्ध में (भारत और पाकिस्तान) सफलता से प्रयोग किया गया है। समय आने पर युद्द का सामना करने के लिए परमाणु अस्त्र का तकनीक पोखरन के प्रयोग से ज्ञात कर लिया गया है। राष्ट्र के विविध प्रदेशों में 55 रक्षा प्रयोगालयों को स्थापना की गयी है। राष्ट्र की सुरक्षा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए हमें सेना में शामिल होना है। अपनी सेनाबलों की तरह हमें भी सदा तैयार रहना है।

©KTBS Not to be republished

इसकी जानकारी आप को रहे

कारगिल युद्ध- *1999 :* भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के मई–जून में कारगिल युद्द हुआ। मई 16 के दिन पाकिस्तान के सैनिकों ने कशमीर के ऊँचे प्रदेश पर हवाई जहाज द्वारा आक्रमण किया। प्रत्युत्तर में आपरेशन विजय के नाम से भारत ने भी हमला बोल दिया। पहले भारतीय सेना को थोडा पीछ हटना पडा। लेकिन बाद में आक्रमण को दुगुना कर बोफोर्स बंदूकों से जून 14 को आक्रमण करने पर पाकीस्तान अपमानित होकर हार मानकार पीछे हट गया। यह छोटा युद्द होने पर भी विव का ध्यान इसकी ओर रहा। शांतिप्रिय देश भारत पर आक्रमण करनेवाले पकिस्तान को आक्रमणकारी देश के नाम से विश्व दोष देने लागा। इस युद्द से भारतीयों में राष्ट्रचेतना की जागृति हुई।

इस युद्ध में भारत के करीब 30000 सैनिकों भाग लिया पाकिस्तान के आक्रमणकारी सैनिको की संख्या लगभग 5000 तक यात्री गयी। भारतीय भूसेना को प्रोत्सहन देते हुए वायुसेना सेफड सागर कार्यशरु किया। जुलई के अंतिम सप्ताह में सेना की ओर अतिम आक्रमण हुआ। जूलाई 6 को युद्द समाप्त हुआ। पाकिस्तान के विरूद्द इस जीत को कारगिल विजय दिवस के नाम से पहचाना गया है। हर वर्ष जुलाई 26 को इस दिवस का आचरण किया जाता है।

दूसरी श्रेणी की रक्षा व्यावस्था

हमारे सेना बलों की पूरक व्यावस्था में दूसरी श्राणी की सुरक्षा के अनेक इकाईयों की स्थापना की गयी है।

1. प्रादेशिक सेना (Territorial army) 2. एन. सी. सी. (National Cadet Corps)
3. तटीय पहरा (Coastal Guard) 4. सीमा सुरक्ष दल (Border Security Force)
5. नागरिक रक्षा (Civil Defence) 6.गृहरक्षक दल (Home Guards)
7. रेड क्रास (Red Cross)

प्रादेशिक सेना (**Territorial army**) : यह अंशकालिक स्वयं सेवाबल है। 1949 के संसद अधिनिय के अनुसार इसकी स्थापना हुई। इसमे सेना में कार्यरत सैनिक नहीं होते। अपने काम के बीच समय निकालकर इच्छुक युवक मिलिटरी प्रशिक्षण इसमें पा सकते हैं। 18 आयु से 45 आयु तक के नागारिक इसमें शामिल हो सकते हैं। राष्ट्र को आपातकालीन परिर्शस्थति का सामना प्राकृतिक विकोप के संदर्भ में यह कार्य करता है। हरसाल नवबंर महीने के तीसरे सप्ताह के शनिवार की क्षेत्रीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।

©KTBS Not to be republished

एन सी सी (National Cadet Corps): एन.सी.सी देश का एक प्रधान संघटन है। 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसमे पाठशाला विशवविद्यालय के छात्र स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं। नेतृत्व की भावना का विकास करना, व्यातिगत गुणों का विकास करना, दोस्ती बनाना और आदर्श सेवा मनो भावना का विकास करना आदि एन.सी.सी. के मुख्य उद्देश्य होते हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति में देश की सहायता करना उद्देश्य है।

एन सी.सी के दो विभाग हैं। सीनियर और जूनियर। सीनि में कालेज के छात्र होते हैं। जूनियर में पाठशाला के छात्र होते हैं। एन. सी.सी. से छात्रों की अनेक उपयोग हैं।

1. एन.सी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को सेना में भर्ति होने का विशषे अवकाश दिया गया है।
2. प्रशिक्षण में शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. पदयात्रा साहस प्रयाण
4. फिसलना- रेंगना पर्वतारोहण
5. साहसिक यात्रा (ट्रेकिंग)
6. पर्वतारोहण (स्केलिंग)

तट सुरक्षा बल (**coastal Guards**): यह एक आंशिक मिलिटरी सेवा है। दूसरी श्रेणी के सुरक्षा बलों में यह महत्वपूर्ण है। 1978 में इसकी स्थापना हुई । यह तट की सुरक्षा आरै राष्ट्र की रक्षा के संबंधित रक्षाबल है। यह करीब 7, 516. 5 की. मी. तटीय प्रदशे की रक्षा का कार्य करता है। इस सुरक्षा बल की नौकाओं के अनके वीयोचित नाम हैं- जैसे पुठार, विक्रम, विजय और वीर। गैर कानूनी समुद्री व्यापार चोरी करना आदि अव्यर्व हारों को यह रोकता है। इसका प्रधान कायर्ल य दिल्ली में है। इसके एक डैयरक्टर जनरल भी होते है। इस संघटन के प्रादोशिक कार्यालय मुबंई, चैन्नै, गांधीनगर, और अंडमान निकोबार के पोर्टलेयर में है।

सीमा सुरक्षा बल : सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। इसके सैनिक हमारे देश की करीब 15200 की. मी. की सीम रेखा प्रदेशों की रक्षा करते हैं। इसका प्रशिक्षण केंद्र बेंगलूर के यलहंका में हैं। सीमा भाग में अतिक्रम प्रवेश, गैर कानूनी धंधे आदि को यह रोकता हैं। आंतिरिक सुरक्षा के लिए असम डफल्स, इंडोटिबेटियन सीमा पुलिस (ISP) केंद्र आरक्षित सुरक्षा बाल (CRPF) राष्ट्रीय सुरक्षा बल (आंतकवाद को रोकने) केंद्रिय ओद्योगिक सुरक्षाबल (CISF) रेल सुरक्षा बल (RPF) आदि सहयक सेनाबल के रूप में काम करते हैं।

©KTBS Not to be republished

नागरिक रक्षा बल (**Civil Difence**) : प्राणों की रक्षा, नागरिकों की जायदाद की रक्षा, ओद्योगिक उत्पादनों की रक्षा इसका मुख्य उददेश्य है। स्वेच्छा से इस संघटन में शामिल हो सकते हैं। इस संघटन के करीब 22 विभागों को दशे में सीमित किया गया है। हालही में 13 लाख नागारिक रक्षण स्वयं सेवक बने हैं उनमें प्रस्ततु 6.64 लाख स्वयं सवे क प्रशिक्षण पाये हैं।

गृह रक्षा दल : यह एक स्वयं सेवा संघटन है। 1946 में इसकी स्थापना हुई। यह स्थानीय पुलिसों को सहायता करता है। नागारिक समाज के अंतरिक कलहों को रोकने, शांतिस्थापना करने में, निवचिन में पुलिस को सहायता करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों अपनाया है। 1962 में चीन आक्रमण के समय इस स्वयं सेवा संघटन ने समवस्त्र धारण कर देश की रक्षा में सहायता पहुँचाया हमारे देश में करीब 5,73,793 गृहरक्षक दल के स्वयं सेवक है। देश भर में यह संघटन व्याप्त है।

क्रिया कलाप

अपने स्कूल में एन.सी.सी. स्काऊट में शामिल होकर अधिक अनुभव पाइये।

रेड क्रास : यह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संघटन है। 1920 में संसद में विधेयक पारित करने के द्वारा इसकी स्थापना हुई। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।

भारत की रेड क्रास संस्था मानवीय स्वर्थ संघटन के रूप में काम करती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब इसकी 700 शाखाएँ है। भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष है। राज्यशाखा के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसके एक सचिव और एक जनरल मुख्य कार्य निर्वाह अधिकारी होते है। इस संस्था में 19 सदस्यों की प्रशासनिक मंडली है। इसके कार्याध्यक्ष और 6 सदास्यों का नामांकन राष्ट्रपति करते है। बाकी 12 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की शाखाओं के मतदान द्वारा चुने जाते हैं। यह एक मानवीय संघटन है जो राष्ट्र की आपात कालीन परिस्थिति में लोगों की सहायता करता है। बिना किसी भेद भाव से युद्द भूमि में घायलों अस्वथों को सेवा करता है। इस संस्था के 7 मूलभूत तत्व हैं। 1) मानवीयता 2) निष्पक्षपात 3) स्थिरता 4) स्वतंत्रता 5) स्वयं सेवा 6) ऐक्यता 7) विश्वव्यापकता।

हमारे तीन सुरक्षा बलों के साथ दूसरी श्रेणी के सुरक्षाबलों से देश सुरक्षित है। हमारे सैनिकों की मदद करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। सैनिक देश के लिए अपने प्राण बलिदान करते हैं इसलिए उनका सम्मान, इज्जत करना प्रोत्सा न हमार कर्तव्य देना है। इसीलिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीरचक्र आदि पुरस्कार सैनिकों का लिए दिये जाते हैं। ऐसे पुरस्कार शांति के समय में दिये जानेवाले अशोक चक्र के समान है।

सुरक्षा बल और अंतर्राष्ट्रीय शांति : हमारे सेनाबल केवल राष्ट्ररक्षा के लिए सीमित नही हैं बल्कि विदेशो में शांति स्थापना करने के द्वारा देश की गरिमा बढ़ाते हैं। विश्वसंस्था को निगरानी में हमारे सैनिकों ने गाजा कोरिया, कांगो, श्रीलंका आदि प्रदेशों में सेवा कर कीर्ति प्राप्त की है। हमारे सैनिकों की सहायत से बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र हुआ है। इस प्रकार केवल युद्दों के समय में सीमित न रहकर शांति के समय में भी हमारे सुरक्षा बल देश के लिए अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये बाढ़, भूकंप, भूक्षरण, आंधी तूफान जैसे प्राकृतिक विकोपों से ग्रस्त जनता की सहायता करते हैं।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. खाली जगहों को उचित शब्दों से भरिए.

1. हमारी सुरक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य की _____ रक्षा करना है।
2. हमारे तीन सेनाबलों के सर्वोच्च प्रधान दंडनायक _____ है।
3. भू सेना के प्रमुख _____ है।
4. रक्षामंत्रालय का प्रधान कार्यालय _____ में है।
5. हिदुंस्तान का जहाज कारखाना _____ में है।
6. सीमा सुरक्षा बल का प्रशिण केंद्र _____ में है।
7. भारतीय रेडक्रास की स्थापना _____ में है।

II. निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए.

1. कारवार के पास स्थित नौका अड्डे का नाम क्या है ?
2. हमारे रक्षा मंत्रालय के चार विभाग कौन से हैं ?
3. भारत की भूसेना की रचना का विवरण दीजिए।
4. भारतीय भूसेना के कमांड कौन से हैं ?
5. भारतीय वायु सेना के कार्यों का विवरण दीजिए।
6. सेना नियुक्ति के लिए कौन-सी योग्यताएँ होनी चाहिए?
7. एन. सी. सी. के मुख्य लक्ष्य कौन-से हैं? उससे क्या उपयोग है?
8. भारतीय रेड क्रास संघटन का विवरण दीजिए।

III. प्रक्रिया.

1. देश की सुरक्षा हमारे सेनाबल पर आधारित है। इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता रखिए।
2. अपने पासवाले रेडक्रास संघटन की भेंट करके उसके कार्य की सूची बानाइए।
3. निवृत सैनिकों को विद्यालय में आमंत्रित करके उनक सेवा अनुभव प्राप्त कीजिए।

IV. परियोजना.

1. हमारे सेना बलों का चित्र तैयार करके विद्यालय में प्रदर्शन कीजिए।
2. विद्यालय में रेडक्रास संस्था बनाकर सार्वजनिकों को उसकी जानकारी दीजिए।
3. युद्ध पोत (जंगी जहाज) जंगी नौकाओं का चित्र संग्रह कीजिए।

◈ ◈ ◈

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 7

राष्ट्रीय भावैक्य

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो को समझेंगे।

- राष्ट्रीयता का अर्थ।
- देश कों विविधता में एकता लानेवाले अंश।
- राष्ट्रीय भावैक्य को सफलता के अंश।
- राष्ट्रीय भावैक्य की सफलता में आनेवालों बाधाएँ (रूकावट)।

राष्ट्रीयता : राष्ट्र शब्द से राष्ट्रीयता शब्द की व्युत्पति हुई है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार राष्ट्रीयता को निर्धारित करने वाले अंश– 1) अपने निवास स्थान को मातृभूमि मानने वाला जनसमूह। 2) समुदायमें भ्रातृत्व की भावना 3) राष्ट्र को सुख दुखों में समान रूप से भाग लेने वाले। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय और ऐसी भावना को राष्ट्रीयता कहते हैं।

आदि काल से भारत में निवासित लोगों में ऐसी भावना देखी जा सकती हैं। हमारे देश पर हुए विदेशी आक्रमणों के खिलाफ लड़ने कोंभावना राष्ट्रीयता लाती हैं। अंग्रेजों के ख़िलाफ भी हम इसी भावना से लडे थे।–

राष्ट्रीय भावैक्यता : एक देश के नागारिक होने के नाते हम एक हैं की भावना ही राष्ट्रीय भावैक्यता है। विविध जाति, धर्म, प्रादेशिकता और विविध भाषा के लोग होकर भी अनेकता को पहचानना। इस प्रकार की ऐकता शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्व पूर्ण हैं।

भारत एक विशाल देश है। विश्व की जनसंख्या में दूसरा स्थान इसे प्राप्त है। इस देश में करीब 1652 भाषाओं और उपभाषाओं को बोलनेवाले लोग हैं। इनमें 1 8 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में संविधान में अपनाया गया है। हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म और जाति (हिर्दू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी) के लोगे का निवास करना भारत का अद्वितीय लक्षण है। उसी प्रकार विविध वेशभूषा, आहार पद्दति, और सामजिक व्यवस्था होने के बावजूद भी हममे ऐक्यता की भावना है। भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से प्रत्येक भाग को एकत्रित रुप में एक ही संविधान में अपनाया गया है।

©KTBS Not to be republished

विविधता में एकता : भारत में विविधता होते हुए भी ऐक्यया को मूल बुनियाद है। भौगोलिक, समाजिक, भाषा, संप्रदाय, राजनैतिक, धार्मिक जनांगीय तथा संस्कृति के बीच में विविधता होने पर भी हिमालय से कन्याकुमारी तक के भारतीयों को जीवन शैली में ऐक्यता के अंश दिखाई देते हैं। एक प्रकार की प्रशासन व्यवस्था, सरल समूह माध्यम, आधुनिक शिक्षण, स्वास्य, कानून पद्धति आदि एकता के अंशो को प्रतिबिंबित करते हैं।

विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करनेवाले अंश:

भौगेलिक एकता: भारत दूसरे दशों से भिन्न होकर, हिमालय पर्वत, बंगाल खाडी, हिदंमहासागार, अरब सागर, आदि प्राकृतिक रूप से ऐक्यता प्राप्त है। इस भौगोलिक पृष्ठभूमि पर रहने वालों द्वारा राष्ट्रगीत गाना राष्ट्रीय एकता का द्योतक है।

राजनैतिक एकता : अनादि काल से भारत में एकरूपता को हम देख सकते हैं। आज भी भारत में एक संविधान, एकरूपेण कानून, शिक्षाक्रम, संघीय न्यायांग व्यवस्था, शक्तिशाली केंद्र सरकार को प्रशासन नीति में राजनैतिक एकता देखी जा सकती है। राजनैतिक रूप से भारतीयों को भावना शिक्षण, स्वास्थ्य, कानून, संचार माध्यम आदि क्षेत्रो में सर्वमान्य एकता आदि है।

धार्मिक एकता : भारत में अनेक प्रकार के धर्म है। हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, इस्लाम, पारसी आदि। प्रत्येक धर्म अपने ईद-पर्वो को मनाता है। एक धर्म के लोगों द्वारा दूसरे धर्म के त्योहारों में भाग लेने से एकता आती है। सर्वधर्म समन्वय की भावना आती हैं। सब धर्मवाले अपने अपने धर्मो का आचरण करने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं।

भाषा की एकता : भारत विविध भाषाओं का मायका है संस्कृत - भाषाओं की मूल भाषा है। अनेक भाषाओं के बोलनेवाले लोग भारत में हैं। प्रत्येक राज्य में अपनी भाषा और साहित्य को देखा जा सकता है। फिर भी भाषा की एकता को भारत में हम देख सकते हैं। एक भाषा के लोग दूसरी भाषा का सम्मान करते हैं।

सांस्कृकित एकता : भारत में विविध वर्ग जाति, धर्म होने पर भी सांस्कृतिक एकता को देख सकते है। विविध प्रदेश के लोगो के अपने संप्रदाय आचार-विचार, वेश-भूषा आहार पद्धति, जीवन शैली आदि सांस्कृतिक विविधता होने पर भी वे समन्वय को लिए हुये हैं।

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करनेवाले अंश

1. धर्मनिरपेक्षता : भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म विरोधी नहीं। इसका मतलब है प्रत्येक नागरिक यहाँ अपने धर्म का आचरण करने का धार्मिक अधिकार प्राप्त कर चुका है। सर्व धर्म समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए यह राष्ट्रीय एकता का पूरक अंश है।

2. लोकतंत्र : भारत लोकतंत्रात्क राष्ट्र है। यहाँ के नागरिक समान रूपसे कानून के अधीन हैं। मूलभूल अधिकार और राज्य निर्देशक तत्वों में सब नागरिकों की समान माना गया है। लोग विविध भाषा और संस्कृति के आधार पर कोई भेद- भाव नही कर हैं। इसलिए कानून की दृष्टि में भी भारत एकता का राष्ट्र है।

©KTBS Not to be republished

3. राष्ट्रीय त्योहार : स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रदिवस, गाँधी जयंती आदि हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। इनके द्वारा भारतीयों को एकजुट होने का अवसर मिलता है। इन त्योहारों को सब भारतीय नागरिक देश के प्रत्येक भाग में मनाते हैं। अपनी भाषा संस्कृति को भुलाकर सब के द्वारा इसका आचरण होने के कारण राष्ट्रीय एकता प्रतिबिंबित होती है।

4. राष्ट्रीय चिह्न : राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र प्राणी, आदि हमारे राष्ट्रीय चिह्न हैं। ये हमारी एकता के प्रतीक हैं। ये अंश भी हमारे किसी भी आचरण के संदर्भ में अथवा आपत्ति के संदर्भ में हम लोगों के बीच एकता लाते हैं।

5. पारस्परिक सौहार्द : केंद्र और राज्य सरकार सामान्य ध्येयों द्वारा काम करते हैं। राष्ट्र का प्रत्येक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर अवलंबित है। प्रत्येक प्रदेश के उत्पादन आर्थिक विकास में अपना योगदान देते है।

उदा: पंजाब गेहूँ का उत्पादन करता है। तमिलनाडु में उसका विक्रय होता है। कपास गुजरात में उत्पादन किया जाता है तो बिहार में विक्रय होता है। इसलिए एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर अवलंबित है। कोई भी प्रदेश पूर्णत स्वावलंबी नहीं होता। यह भी हमारे राष्ट्रीय एकता का द्योतक है। इतना ही नही संचार माध्यम, समूह माध्यम, प्राकृतिक अंश, संस्कृति, प्रादेशिकता, धर्म, भाषा आदि होने पर भी राष्ट्रीयता लोगो में देखी जा सकती है।

राष्ट्रीय चिह्न

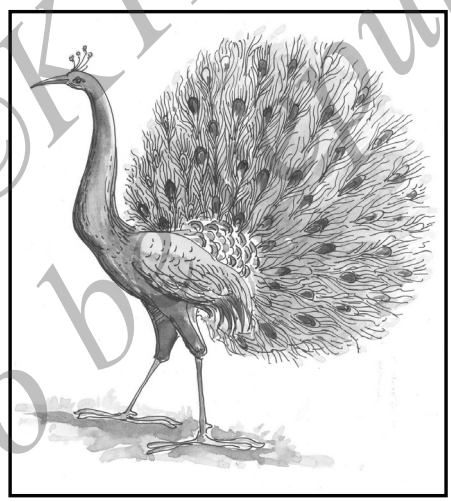

राष्ट्रीय पक्षी – मयूर

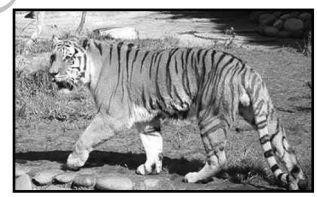

राष्ट्रीय प्राणी – बाघ

राष्ट्रीय पुष्प – कमल

राष्ट्रीय एकता में रूकावट डालनेवाले अंश

1. देश में विविध धर्म के लोग अपने धर्मे से संबंधित संघठन बना कर संघटित होते है। यह धर्म से संबंधित राष्ट्रीय एकता में बाधा डालनेवाला अंश है।
2. देश में अनेक भाषा ऐं हैं। भाषा का अंधा अभिमान उत्पन्न हो रहा है।
3. देश में कई जाति, संघठनों की रचना होने के कारण लोगो में जाति का अभिमान ज्यादा हो रहा है।
4. हमारा राज्य, हमारा प्रदेश ऐसी मनोभावना राष्ट्रीय एकता में बाधा डालती है।

©KTBS Not to be republished

5. सीमा विवाद, राज्यों के बीच का जलविवाद, भाषाविवाद भी राष्ट्रीय एकता केलिये समस्या ऐं बन रहा है।

क्रिया कलाप :

आपके विद्यालय में राष्ट्रीय भावैक्यता में वृद्धि करनेवाले संदर्भों पर टिप्पणी लिखिए।

उपयुक्त इन अंशों के अलावा, आतंकवाद, छुआ-छूत नेताओ में इच्छाशक्ति की कमी, जागरूकता की कमी आदि भी राष्ट्रीय एकता में बाधा डालते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा है कि भारत में विविध वर्ग, जाति, धर्मवाले लोग, है, सब लोग एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें। प्रत्येक धर्म के पर्व में परस्पर सहकारिता, परोपकार को भावना होनी चाहिए। सामूहिक भिन्नता दूर होनी चाहिए। देश की शिक्षाण व्यवस्था में सुधार लाना है। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। पाठशाला को छोड़नेवाले छात्रोंका नियंत्रण करे। अपनी जिम्मेदारियों को समझक भारतीय नागरिक होने के नाते भाषा, संस्कृति, धर्मों की इज्जत करें। इससे राष्ट्रीय एकता आ सकती है।

अभ्यास

I. खाली जगहों को उचित शब्दों से भरिए।

1. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है यह _____ विरोधी नहीं है।
2. कौमवाद हमारे _____ की बड़ी बाधा है।
3. गणतंत्रदिवस _____ त्योहार है।
4. भारत में राष्ट्रीय भाषा के रुप में अंगीकृत भाषाओं की संख्या _____है।
5. हमारा राष्ट्रीय प्राणी _____ है।

II. निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. राष्ट्रीयता किसे कहते हैं?
2. राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं?
3. विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करने वाले अंश कौन से हैं?
4. राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करनेवाले अंश कौन से है?
5. राष्ट्रीयता एकता में बाधा डालनेवाली समस्याओं को निपटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं सलाह दीजिए।

III. प्रक्रिया

1. विविधता में एकता लानेवाले चित्रों को लिखकर प्रदर्शन कीजिए।
2. अपने प्रदेशों में विविध धर्मों के त्योहारां का आचरण करने से संबधित जानकारी प्राप्त कीजिए।

IV. परीयोजना :

1. राष्ट्रीय एकता को प्रतिबिंबित करनेवाले चित्रों का संग्रह कीजिए ।
2. राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करनेवाले धर्मग्रंथों का संग्रह कीजिए।

◈ ◈ ◈

©KTBS Not to be republished

समाजशास्त्र

अध्याय 3

सामाजिक परिवर्तन

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *सामाजिक परिवर्तन का अर्थ*
- *आपसी संबंध (पारस्परिकता)*
- *सहजीवन*
- *संघर्ष*
- *सहायता*
- *स्पर्धा / प्रतियोगिता*

सामाजिक परिवर्तन का अर्थ – परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मानव समाज का विकास भी कालांतर में हुए परिवर्तन के कारण ही हुआ है। परिवर्तन – कालांतर, मानव व्यवहार, सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक नीति–नियमों में हुए महत्वपूर्ण सुधार पर अवलंबित है। इसी प्रकार यह सामाजिक प्रक्रिया के स्वरुप और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को भी सूचित करता है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक – आर्थिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, या तकनीकी आविष्कारों में वृद्धि करता है। अर्थात् मानव की चलनस्थिति का प्रमुख कारण सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है।

'परिवर्तन' प्रमुख रुप से दो स्रोतों से होता है। पहला – प्राकृतिक कारणों – प्राकृतिक विकोप, भूकम्प, बाढ आदि द्वारा सामाजिक जीवन में अनिवार्य रुप से परिवर्तन आता है। प्रकृति से सामंजस्य बनाने में ये परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण – आजकल सार्वभौमिक रुप से तापमान के बढ़ने से अनेक प्राकृतिक परिवर्तन को हम देख सकते हैं।

दूसरा, मानव की चलनशीलता और क्रियाशीलता के नवीन आविष्कारों द्वारा होने वाला परिवर्तन है। उदाहरण – गुलामी, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध आंदोलन द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की गयी। तत्पश्चात् महिलाओं का अधिकार, दलित वर्ग का अधिकार तथा नागरिकता का अधिकार, सुरक्षा के नवीन कानून तथा प्रशासन व्यवस्था को स्वरुप दिया गया। इससे सामाजिक संरचना तथा कार्य संबंधों में कई परिवर्तन हुए हैं। ऐसे परिवर्तन को ही 'सामाजिक परिवर्तन' कहा जा ता है।

इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है – 'सामाजिक परिवर्तन – लोगों के जीने के तरीके के होने वाला परिवर्तन हैं।'

मैकाइवर नामक सामाजशास्त्री के अनुसार – 'सामाजिक संबंधो' में होने वाला परिवर्तन ही 'सामाजिक परिवर्तन' है।

©KSEBS Not to be republished

सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ –

- सामाजिक परिवर्तन निरंतर होता है।
- सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक (सार्वत्रिक) है।
- सामाजिक परिवर्तन का स्वरुप और गति / चाल एक समान नहीं होता है।
- सामाजिक परिवर्तन सामाजिक प्रक्रिया की जंजीर की सृष्टि करता है।

सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रक्रिया –

सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। समाजशास्त्री पार्क तथा बर्गेस ने चार प्रमुख विधि द्वारा सामाजिक प्रक्रिया का विवरण दिया है। किंतु सामान्यतः चर्चा में रहने वाली सामाजिक प्रक्रियाऐं ये हैं –

1) संघर्ष 2) पारस्परिकता 3) सहायता

4) सहजीवन तथा 5) प्रतियोगिता / स्पर्धा।

यहाँ प्रतियोगिता को भी सामाजिक प्रक्रिया के रुप में माता गया है।

1) संघर्ष - 'संघर्ष' सामाजिक परिवर्तन में अत्यंत प्रमुख तथा तीव्र स्वरुप की सामाजिक प्रक्रिया है। एक समूह या झुण्ड द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला विविध प्रयास सामाजिक संघर्ष ही है। उदाहरण – कबड्डी खेलते समय दोनों पक्ष अंक प्राप्त करने के लिए घोरप्रयत्न करते रहते हैं। जो पक्ष युक्ति और शक्ति से खेलता है, वह विजयी होता है। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा अपने अधिकारों के लिए, अपनी आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रयास रत होकर वह न प्राप्त होने पर, स्वतंत्रता और समानता न मिलने पर वैयक्तिक रुप से और आन्दोलन के रुप में संघर्ष कर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसका सटीक उदाहरण है – लडकियों और दलितों के अधिकारों को छीन लेने पर, सम्पूर्ण समाज में इस अधिकार को न छीने जाने पर चर्चा प्रारंभ होती है। यह चर्चा अधिकारों को छीनने वालों तथा जिनके अधिकार छिन गए हैं, उनके मध्य मात्र नहीं होती। यह एक प्रकार से अधिकारों के प्रतिपादन का संघर्ष होता है। यह सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रमुख तत्व है।

2) पारस्पारिकता - सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष जितना प्रमुख है उतनी ही प्रमुख सामाजिक प्रक्रिया अर्थात् पारस्परिकता है। प्रत्येक समाज में रहनेवाले व्यक्ति तथा समूह अपने अपने विचारों के आधार पर कुछ निर्णय लेते हैं। यह निर्णय कई प्रकार के संघर्षों भेद भावों की सृष्टि करता है। इन्हें पारस्परिकता द्वारा समाधान किया जाता है। पारस्परिकता न होकर यदि केवल संघर्ष ही होता रहे तो उस समाज में अराजकता और समूह संघर्ष के बढने की संभावना रहती है। इसलिए परस्पर बातचीत – सलाह कर समझौते किए जाते हैं। इसे ही हम 'पारस्परिकता' कहते हैं। यह पारस्परिकता परिवार में, बाहर, समाज में, आन्दोलन में, सिद्धात्तों में अनेक प्रकार के परिवर्तन का

©KTBS Not to be republished

कारण बनती है। यह दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व का सम्मान करने का क्रम भी है। अतः इससे समाज में शांति, सौहार्द्रता का निर्माण होता है।

3) सहयोग - 'सहयोग' मानव द्वारा अपने लिए आवश्यक चीजों को प्राप्त करने के लिए उपयोग करने का एक मार्ग है। समाज में कई सामाजिक संबंध भी लेन-देन द्वारा ही चलते हैं। इसे सहयोग या सहकारिता की भावना कहा जाता हैं। सहयोग के दो प्रकार हैं -

प्रत्यक्ष सहयोग तथा परोक्ष सहयोग। इसका विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है - एक बच्चा विद्यालय में सीखना चाहता है तो उस बच्चे के सीखने समय पढाने वाला शिक्षक उस बच्चे के सीखने का प्रत्यक्ष सहायक होता है। उसी विद्यालय सीखने का प्रत्यक्ष सहायक होता है। उसी विद्यालय में प्रशासन चलाने वाले प्रधानाध्यापक, मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला, विद्यालय को स्वच्छ रखने वाले कर्मचारी, बच्चों के लिए पीने के पानी का प्रबंध करने वाले माता-पिता बच्चों के सीखने में परोक्ष रुप से सहायक होते हैं। इस प्रकार सहयोग द्वारा चलने वाला विद्यालय जहाँ स्थित है वहाँ के वातावरण में उत्तम शिक्षा में सहायक होकर उस गाँव या शहर में परिवर्तन लाने का कारण बनता है। शिक्षा द्वारा सीखना आगे हममें परस्पर मिल जुल कर रहने के मार्ग को प्रशस्त करता है।

4) सहजीवन (मेलजोल) - सहजीवन, मानव समाज के होने तथा विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। सहजीवन हमारे संविधान के आशय - सर्वधर्म, समाजवादिता, प्रजातंत्र से युक्त है। इसका अर्थ है - सभी लोगों का समान अवसर द्वारा, स्वतंत्र रुप से, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय द्वारा एक साथ जीवन बिताना। इसका विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है। संविधान के 14 हवें नियम में कानून के समक्ष सभी समान है, यह सूचना दी गयी है। यह जाति, धर्म, भेद, लिंग, प्रदेश तथा सभी समानताओं से संबंधित है। सामाजिक, आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। भारत जैसे विविधता में एकता वाले देश में सौहार्दता अनिवार्य है। असंख्य जाति, संस्कृति, भाषा, आचार-विचार से युक्त भारतीयों का परस्पर मिलजुल कर रहना विश्व में एक आदर्श की स्थापना करता है। यही सामाजिक परिवर्तन का एक कारण भी बनता है। यह संघर्ष रहित शाँति तथा अहिंसा पूर्ण जीवन का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार 'हम सब एक हैं' की भावना को बढावा मिलता है।

5) प्रतियोगिता / स्पर्धा : प्रतियोगिता मानव जीवन के विकास के मार्ग से ही प्रारंभ हो चुकी थी। डार्विन अपने विकासवाद को इस प्रकार वर्णित करते हैं - 'जीव का विकास संघर्ष और प्रतियोगिता की पृष्ठ भूमि में ही होता है। इसी प्रकार विकास करते समय प्रतियोगिता बढते ही बलशाली लोग टिक जाते हैं। दुर्बल लोग शेष / समाप्त हो जाते हैं।' प्राणी, पक्षी, कीट भी आहार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ऐसी स्पर्धाएँ मानव समाज में भी हैं। सहज स्पर्धा के लिए किसी प्रकार का समूह या पक्षपात नहीं होता। किंतु आजकल की कुछ प्रतियोगिताओं में अमानवीय व्यवहार हम देख सकते हैं। जो समाज में अनेक प्रकार के संघर्ष को जन्म

क्रिया कलाप - सहयोग, सह जीवन के महत्व के बारे में परिवार के सदस्यों से पडोसियों से जानकारी प्राप्त कीजिए।

©KTBS Not to be republished

देता आ रहा है। अतः हमें प्रतियोगिताओं को स्वस्थ वातावरण में नियम रहित बनाना होगा। नियम रहित तथा नियम सहित स्पर्धाएँ समाज में अनेक सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देती हैं। किंतु आजकल सार्वभौमिक आर्थिकता स्पर्धा / प्रतियोगिता को समाज के स्वास्थ्य से अधिक आमदनी के स्रोत के रुप में बढावा दे रही है। यह विकास जीव जगत के मनोभाव में परिवर्तन लाता है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए –

1. सौहार्दता का पूरक तत्व _____ है।
2. सामाजिक परिवर्तन के मूल तत्व _____ हैं।
3. सहयोगी जीवन के लिए विद्यालय एक _____ कहलाता है।
4. सामाजिक परिवर्तन में कानून _____ है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है ?
2. सहयोग के प्रकार बताइए।
3. सहयोग से क्या तात्पर्य है ?
4. सहजीवन का प्रमुख तत्व क्या है ?
5. सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ बताइए।
6. क्या सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है ?
7. 'विविधता में एकता' की विशेषता बताइए।
8. प्रतियोगिता / स्पर्धा के दिन-बदिन बढते जाने का कारण क्या है ?

III. क्रिया कलाप

1. संघर्ष की सुविधा - असुविधा के बारे में संवाद का आयोजन करें।
2. सौहार्द्रता के महत्व पर निबंध और चर्चा गोष्ठी का आयोजन करें।

IV. नियोजित कार्य

1. सामाजिक परिवर्तन के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए।
2. विद्यालय के निकट के सहकारी व्यवस्था क्षेत्र में बच्चों को ले जाएँ।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

अध्याय 4

समुदाय

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *समुदाय का अर्थ*
- *घुमक्कड समुदाय तथा उनकी विशेषताएँ / लक्षण*
- *आदिवासी समुदाय तथा उनकी विशेषताएँ*
- *ग्राम समुदाय तथा उनकी विशेषताएँ*
- *नगर समुदाय तथा उनकी विशेषताएँ*

समुदाय का अर्थ - एक समूह में तीन से अधिक लोग निवास करते हुए कुछ सामान्य नीति नियमों, मूल्यों तथा पहचान से युक्त हों, एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश में रहते हों, उन्हें समुदाय कहते हैं। इस प्रकार समुदाय को एक सामाजिक इकाई कहा जाता है।

सभी समुदाय, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तु, सामग्री आदि को अपने अपने स्थान पर उत्पादित कर उपलब्ध कराते हैं। अर्थात् विविध विशेषताओं तथा वृत्ति पर अवलंबित, खाद्य उत्पादन का तरीका, खाद्य उपयोग का तरीका, निवास स्थान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने के पानी सहित आवश्यक मूल सुविधाओं की उपलब्धता, आदि ऐसे ही अन्य सुविधाओं को समुदाय प्राप्त करता है। सामाजिक जीवन, प्राप्ति विशेषताएँ, सांस्कृतिक जीवन, विश्वास, आर्थिक व्यवस्था, जनसंख्या के आधार पर समुदायों को मुख्य रुप से चार भागों में बाँटा जा सकता है। ये हैं – घुमक्कड, आदिवासी, ग्राम तथा नगर समुदाय।

घुमक्कड समुदाय – घुमक्कडपन एक जीवन जीने का तरीका है, यह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटोनिका में वर्णित है। शिकार तथा खाद्य संग्रहण, पशुपालन या व्यापार के लिए एक स्थान पर न टिक कर जलवायु के अनुकूल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को घूमने वाले समूह को घुमक्कड समुदाय कहा जाता है। यह घूमता स्थानांतरण प्रक्रिया से भिन्न है। तमिल में पोक्कन, तुलू में तेंडुलि, तेलुगू में तिरुगुबोतु, मलयालम में तेंटि, लैटिन में नोमास, अंग्रेजी में नोमाड कहा जाता है। साथ ही परदेशी, स्थान न रहने वाला, देश संचारी, परस्थान वाला (विदेशी), बाहरी, उचल्या, जिप्सी, प्रदेश छोडने वाले आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है।

घुमक्कड समुदाय की विशेषताएँ –

1) जीवन या जीने के लिए घूमता – पारंपरिक रुप से प्राणी, पक्षी का शिकार / आखेट उन्हें पालतू बनाना और प्रदर्शन, पशुपालन, देसीऔषधि, कला प्रदर्शन, आदि द्वारा जीने के लिए घूमना

©KTBS Not to be republished

इनका काम है। उदाहरण – भालू, बंदर, साँप, नंदी बैल का प्रदर्शन, कठपुतली नाच, कसरती खेल/ नाच, देवी (मारम्मा) प्रदर्शन, देसी औषधि, छोटी मोटी वस्तुओं को बेचना और सुधार करना इन घुमक्कड (खानाबदोश / बंजारों) की प्रमुख विशेषता है। आजकल प्लास्टिक, पेपर चुनना और बेचना भी इनके जीवन का हिस्सा बन गया है।

2) मैदानों के पेडपौधों के नीचे या नगर की गंदी बस्तियों में अलग से तात्कालिक रुप से निवास करना – स्थिर रुप से न टिक कर, आर्थिक सुरक्षा के बिना, निरक्षरता के कारण गाँवों से दूर / बाहर, सार्वजनिक स्थानों के मैदानी भागों में तात्कालिक रुप से वास करते हैं।

3) शून्य या अल्प पूँजी पर जीवन व्यतीत करने वाले – इस समुदाय के लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक सुरक्षा नहीं होती। इनमें काफी लोग गुजरी बीनना, बाल्टी ठीक करना, धागे, पिन, सुई, जडीबूटी बेचना, मछली पकडना, खेतीमें मजदूरी करना, इस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं।

4) सर्वचेतनावादी – अगाध प्राकृतिक ज्ञान, प्रकृतिक अगोचर शक्ति में सिद्धहस्त तथा इनमें विश्वास रखने वाले हैं।

5) विभिन्न मातृभाषा वाले – घुमक्कड समुदाय अनेक जातिभेदों से युक्त होते हैं। ये अपने ही विशिष्ट भाषा को बोलते हैं।

आदिवासी समुदाय और उनकी विशेषताएँ –

आदिवासी शब्द का जीवविज्ञान के वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक ने विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। किट्टेल ने अपने अर्थकोश में आदिवासी शब्द को 'परिवार (कुटुम्ब)' तथा 'कुल' नामक अर्थ दिया है। आदिवासी शब्द अंग्रेजी भाषा में 'ट्राइब' पद से आया है। यूनानी और रोमन लेखकों ने लैटियम जिले में टिके आदिवासियों को सर्वप्रथम 'ट्राइब' से संबोधित किया ज्ञात होता है। परिवार तथा रक्त संबंधी कुल / वंश के समूह के लिए कन्नड में आदिवासी के लिए बुडकट्टू शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्हें आदिवासी, मूलनिवासी, पर्वतवासी (गिरिजन), वन्यजाति भी कहा गया है। एक निर्दिष्ट प्रदेश में निवास करने वाले या उसे अपना कहने वाले, राजनैतिक रुप से, सामाजिक रुप से, सांस्कृतिक रुप से पारस्परिकता से रहने वाले स्वयं प्रशासित समूह ही 'आदिवासी' कहलाता है। यह – लंदन के रॉयल एन्थ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा वर्णित हुआ है।

भौतिक मानव शास्त्रज्ञों ने मानव के दैहिक / शारीरिक लक्षणों का शास्त्रीय रुप से अध्ययन कर आदिवासियों को तीन बडे आदिवासियों के रुप में विभाजित किया है। ये हैं – ककेशिचन, मंगोलियन, और नीग्रो। ये समूह क्रम से श्वेत, पीले तथा काले कहलाते है।

©KTBS Not to be republished

अ) ककेशीयन – इस आदिवासी जाति के लोग श्वेत वर्ण वाले हैं। ये ऊँचे कद के, लम्बी नुकीली छोटे ओंठ, शरीर पर घने बाल, भूरे रंग आदि शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं। ये आदिवासी लोग यूरोप, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका, फिलीस्तीन, एशिया, ईरान, बलूचिस्तान, और उत्तर भारत में देखे जा सकते हैं। ककेशियन आदिवासियों में देखे जा सकते हैं। ककेशियन आदिवासियों में नार्डिक, अल्पाइन, मेडिटरेनियन (भूमध्यसागरीय तथा हिंदू नामक चार उप जातियाँ हैं।

आ) मंगोलियन – इस आदिवासी जाति के लोग पीले रंग वाले अर्थात बुझे रंग के होते हैं। ये गोलसिर, झुकी हुयी आँखें, चपटे और गोलाकार मुख, सीधे लंबे बाल आदि शारीरिक लक्षणों वाले हैं। इनका जबडा अधिक बाहर नहीं निकला होता है। ये एशिया के पूर्वी भाग में, मलाया के प्राथःद्वीप में, अमेरिका में भी देखे जा सकते हैं। इन आदिवासी जनों में मंगोलियन, मलेशियन, अमेरिकन, इंडियन नामक तीन उपजातियाँ हैं।

इ) नीग्रो – इस आदिवासी जाति के लोग गोलसिर, चपटी नाक, आगे को निकला हुआ जबडा, गोल भूरी छोटी आँखों वाले, चमकीले औट छोटे धुँघराले बाल, मोटे ओंठ आदि शारीरिक लक्षण वाले होते हैं। ये लोग अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा भारतीय भू भाग में देखे जा सकते हैं। आस्ट्रेलिया और भारत के आदिवासी मात्र इस समूह के हैं। इस आदिवासी समूह में मलेशियन, नीग्रो तथा काले रंग के नारे लोग तीन उपजातियाँ है। ये तीन प्रमुख आदिवासी समूह तथा उपआदिवासी तथा जनजाति में विभक्त हैं।

भारत में आदिवासी लोगों के निवास के प्रमुख तीन भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार हैं –

1) उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र – हिमालय के उप पर्वतीय कंदराओं की श्रेणियों में नागा आदिवासियों के कोन्याक, रंगमा, सेंगमा, अहो, अंगाया, ल्होटा, पोमे, चांग, काबुल, कुकी आदिवासी लुशामी, लाखेर, चिन्स, गाऐ, खासी, कचारी, लेश्चा, भूरिया, राभा, थारु, खासा, चीनी, इत्यादि समुदाय निवास करता है।

2) केंद्रीय या मध्य क्षेत्र – इस क्षेत्र में पाश्चिम बंगाल, बिहार, उडीसा, दक्षिण के उत्तरी प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरी राजस्थान, राज्यों में रहने वाले संथाल, मुंडा, उराँव, भूमिज, कोया, लोथा, सापुर, जवुंग, खोंडा, कोर्कु, गाँडा, थील, बिरहार, कोल, मालेर, असुर, बैगा, प्रधा, बिरझिम, अगेरिया, हिलमारिया, विसोन हार्नमारिम आदि आदिवासी जन प्रमुख हैं।

©KTBS Not to be republished

3) दक्षिण क्षेत्र – इस क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक राज्यों में चेंचु, तोडा, बडगा, कोटा, पणियन, इरुल, कुरमन, कुरुंब, गोंडा, राजगोंडा, सोलिगा, जंगलीकुरुबा, जेनु (राहद) कुरुबा, कोरगा, इसल, कोटा, पल्लियन, यरव, धनगर गौली, काडु गोल्ल, हालक्कि वोक्कलिग, आदि आदिवासी प्रमुख हैं।

आदिवासियों की विशेषताएँ –

1) सरल एवं स्वयं में परिपूर्णता।

2) प्रकृति के पूजक

3) समूह के बारे में उनकी निष्ठा और समग्रता का महत्व

4) महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता और समानता।

5) आंतरिक बांधव्य विवाह।

6) विविध मातृभाषा

7) प्राकृतिक वातावरण में ही निवास

8) शिकार, छोटी मात्रा में कृषि, वन के उप उत्पन्न की आर्थिक व्यवस्था।

ग्राम समुदाय

प्रादेशिक भाषा में ग्राम के विविध नाम हैं। उदाहरण के लिए हल्ली, पल्ली, ऊरु, खोडा, गाँव आदि। भारत गाँवों का देश है। यह कहा जाता है। भारत के प्राचीन साहित्य में ग्रामों का संघटन तथा उनके प्रशासन संबंधी कई विवरण देखे जा सकते हैं। मानव समाज ग्राम नामक पालने में ही विकसित हुआ है, ऐसा बोगार्डस का मत है। ग्राम अत्यंत प्राचीन स्थान होने पर भी यह अर्थपूर्ण रुप से विवरण देने में समर्थ नहीं रहा है। बोगार्डस के अनुसार ''कम जनधनत्व वाला, सरल तथा मितव्ययी जीवन बिताने वाला, प्राथमिक संबंधों से युक्त परिवार का संगठन ही 'ग्राम समुदाय' है।''

किंतु आज ग्रामों को पहचानने के लिए जनसंख्या की बहुलता ही सार्वत्रिक रुप से आधार है। हालैण्ड में 20 हजार से कम जनसंख्या वाले प्रदेश गाँव है। अमेरिका में 25 हजार, फ्रांस, जपान आदि देशों में 30 हजार से कम जनसंख्या वाला प्रदेश गाँव कहलाता है। भारत में पाँच हजार से कम जनसंख्या वाला प्रदेश गाँव कहलाता है।

किंतु इसके लिए भिन्न भिन्न उपाधियाँ भी जोडी गयी हैं। पिछली पाँच जनगणना द्वारा जनसंख्या का आकार ही नहीं, वहाँ के प्राप्ति जीवन, आर्थिक जीवन, आयदनी का स्रोत, कमाने के कार्य कलाप, आवश्यक मूल सुविधाएँ, आदि के आधार पर ग्रामीण प्रदेश का विवरण दिया गया है।

जनसंख्या शास्त्र की पृष्ठभूमि में गाँव का तात्पर्य है – 5000 से कम जनसंख्या के वास का

©KTBS Not to be republished

प्रदेश, प्रति वर्ग क्षेत्रफल कि.मी. 400 से कम जनघनत्व हो। यहाँ सैकडा 70 से अधिक लोग कृषि और उससे संबंधित कार्य करते हैं। जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण प्रदेश का वर्णन करना उचित नहीं होगा, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच सामाजिक संबंध अधिक प्रमुख है। ऐसा कुछ समाजशास्त्रज्ञों का कथन है।

ग्राम की रचना – ग्राम, नगर से सामाजिक रुप से, सांस्कृतिक रुप से भिन्न होता है। ग्राम कहते ही कृषि तथा तत्संबंधी वृत्ति पर अवलंबित कई परिवारों का निवास प्रदेश कहा जा सकता है। कई परिवारों के चारों ओर खेत-खलिहान, छोटे रास्ते, मेंड, पेड-पौधे, कृषि या नैसर्गिक अवलंबित जनसमूह वहीं वास करते देखे जा सकते हैं। केवल कृषि पर अवलंबित परिवार में कृषि के अतिरिक्त पालतू जानवरों जैसे - बैल, भैंस, गाय, भेंड, मुर्गी आदि का पालन भी होता है। कुलमिलाकर ग्राम का भौतिक स्वरुप कई कृषि संबंधी तत्वों से युक्त होता है। जनसंख्या की मात्रा, जनघन्तव, वृत्ति, नैसर्गिक स्वरुप, पानी, भूमि, मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति तथा जलवायु का प्रभाव इससे जुडा है।

ग्रामों के प्रकार – ग्रामों को विशाल अर्थ में तीन प्रकार में बाँटा गया है -

1) केंद्रीकृत ग्राम – ऐसे ग्रामों को प्रमुख विशेषता यह है कि खेतों के बीच घर होते हैं। घर एक के साथ एक जुडे हुए होते हैं। घरों के चारों ओर खेत होते हैं। व्यवसाय / खेती करने वालों की संख्या बढ़ते ही ग्राम का व्याप्ति क्षेत्र भी विशाल होता जाता है।

2) वैयक्तिक खेत, घरों के ग्राम – ऐसे ग्राम कर्नाटक के समुद्र तटीय प्रदेशों तथा रायचूर जिले के सिंचाई क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। यहाँ एक कृषक परिवार दूसरे कृषक परिवार से अलग निवास करता है। किसान के निवास स्थल के चारों ओर गौशाला, कृषि के लिए आवश्यक साधन सामग्री, फसलो के देर लगाने का स्थान, जानवरों के लिए आवश्यक चोर-भूसे-घास रखे जाते हैं।

3) बिखरे समूह ग्राम – ऐसे ग्राम कर्नाटक के पहाडी प्रदेशों तथा मलेनाडु (पर्वतीय प्रदेशों) के जिलों में देखे जा सकते हैं। यहाँ घर समूह में नहीं रहते। चार-छःह परिवार एक छोटे टीले पर वास कर रहे हों तो उसी टीले के ढलवॉ भाग में और कई परिवार रहते हैं। ऐसे कई घरों का समूह एक ग्राम कहलाता है।

4) पंक्तिवद्ध घरों के ग्राम – ऐसे ग्रामों में सड़क के दोनों ओर पंक्तिबद्ध रुप से कुछ परिवार वास करते हैं। यहाँ एक घर दूसरे घर से जुडा सा रहता है। यहाँ घरों को विभाजित करने के लिए दो घरों के बीच दीवार होती है। सभी घर एक ही इमारत का विस्तृत भाग लगते हैं।

5) चक्राकार ग्राम – ऐसे ग्राम गोलाकार ग्राम कहलाते हैं। विशेषतः मंदिर, मस्जिद, चर्च (मिरजाघर), तालाब आदि स्थानों के चारों ओर लोगों का निवास गृह होता है।

©KTBS Not to be republished

6) चौकोर या आयताकार ग्राम – ऐसे ग्राम पंक्तिबद्ध ग्रामों से मिलते जुलते हैं। इनकी विशेषता यह है कि घरों की कतारें (पंक्ति) एक के साथ एक समानान्तर या लम्बवत रुप में होती हैं।

7) शास्त्रों के जुडने (चौराहे) तथा बाजार वाले ग्राम – कृषि से इतर वृत्वि पर आधारित परिवार यहाँ निवास करते हैं। दो या तीन रास्तों के जुडने वाले प्रदेशों में ये घर होते हैं। निवास स्थलों के साथ दुकानें, भोजनालय आदि भी होते हैं। इन्हे (कैमरा, हाथ) हैण्डपोस्ट, जंक्शन, कूडु आदि नामों से जाना जाता है।

उपरोक्त विवरण वाले ग्रामों का विभाजन एक तरह से अपूर्ण हो सकता है। कुछ ग्राम ऐसे वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्योंकि अभिवृद्धि, तकनीकी पर आधारित कृषि तथा नवीन उद्योगों से होने वाले परिवर्तन से ग्रामों की रचना में तेजी से परिवर्तन हो रहा है।

ग्राम समुदाय की विशेषताएँ – भारत के ग्रामीण समाज में जब तब अनेक परिवर्तन होते रहे हैं, जिससे प्रभावित होने पर भी कुछ विशेष लक्षण ग्रामों के होते हैं।

1) छोटा आकार – मैक्स वेबर के अनुसार अधिक संख्या में भारतवासी ग्रामों में वास करते हैं। सन् 2011 की जनगणना की रपट के अनुसार कुल जनसंख्या की 68 प्रतिशत मात्रा ग्राम में वास करती है। इसका प्रभाव जनता के सामाजिक जीवन पर देखा जा सकता है। ग्राम सामान्यतः छोटे आकार में होते हैं। जनघनत्व घना नहीं होता।

2) प्राथमिक संबंध – ग्रामीण समाज सीधा प्राथमिक संबंध होता है। अर्थात् यहाँ व्यक्ति - व्यक्ति के बीच स्नेह, प्रेम, बंधुत्व तथा आमने-सामने सीधा संपर्क रहता है।

3) कृषि तथा कृषि पूरक आर्थिक जीवन – ग्रामीण जीवन काफी सरल है। कृषि तथा कृषि संबंधी क्रिया कलाप यहाँ प्रमुख होते हैं। व्यवसाय / खेती प्रमुख रुप से प्रकृति पर निर्भर है। ग्रामीण प्रदेशों में 59 प्रतिशत पुरुष और 75 प्रतिशत महिलाएँ जीवनयापन के लिए सीधे कृषि पर निर्भर रहते हैं। पिछली तीन जनगणना की अवधि में कृषक मजदूरों की संख्या 74.6 मिलियन (1991) से 106.8 मिलियन (2001) तथा 144 मिलियन (2011) में बढत हुयी। कृषि को जलवायु के साथ खेले जाने वाला जुआ कहा जाता है। कृषि और कृषि संबंधी क्रिया कलाप, निश्चित आमदनी के बिना ग्रामीण जीवन एक बडी समस्या है।

©KTBS Not to be republished

4) सामुदायिक जीवन – ग्राम समुदाय के लोग प्रकृति में अचल भक्ति रखते हैं। वर्षा के लिए सभी मिलकर पूजा अर्चना करते हैं। स्थानीय देवी-देवता, संबंधी मेले, त्योहार आदि को सामूहिक रुप से मनाते हैं। सामान्यतः सभी लोग सौहार्द्रता से जीवन व्यतीत करते हैं। 'स्वयं सबके लिए तथा सभी उनके लिए' जैसे सहकारी तत्वों पर ग्रामों का विकास हुआ है। यहाँ स्पर्धा, धोखा, बेईमानी, कृत्रिमता, अत्याचार को अधिक अवसर नहीं होता।

5) प्रजाप्रभुत्व का आदर्श – भारत के ग्राम आज प्रजाप्रभुत्व की नींव पर खडे हैं। ग्राम के कुछ सामान्य कार्यों में सभी प्रजाति तथा जाति के लोग भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत में सभी प्रजाति तथा जाति के लोगों का भाग लेना ही इसका उदाहरण है।

6) स्वावलंबी इकाई – भारत के ग्राम सभी दृष्टि से स्वतंत्र इकाई हैं। उत्पादन उपभोग में पारस्परिकता है। राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से ये स्वतंत्र हैं। इसी कारण 'मेटकॉफ' ने ग्रामों को 'छोटा गणराज्य' (लिटिल रिपब्लिक) कह कर वर्णित किया है।

7) आस-पडोस – आस-पडोस ग्रामीण समाज की एक विशेषता है। सार्वजनिक कार्यों में, जन्म-मृत्यु के अवसर पर, पर्व-त्योहार के समय आस-पडोस विशेष प्रकार से कार्य निभाता है।

8) नागरिकों की मूल सुविधाओं में कमी – ग्रामीण प्रदेशों में मानव समाज के लिए आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक सुरक्षा व्यवस्था और न्यायालय व्यवस्था आदि में असंतुलन का होना भी एक वास्तविक सत्य है।

नगर समुदाय

नगर समुदाय का मानव चरित्र के समान ही इतिहास है। काल के अनुरुप मानव में उत्पादन सामर्थ्य (क्षमता) तथा उत्पादन मार्ग ने नगरों के स्वरुप को बदल दिया है। हडप्पा, मोहनजोदडो नगरों से अब तक नगरों का बृहत् मात्रा में विस्तार होता आ रहा है। इस प्रकार नगर-मानव जीवन के विकास में एक विशिष्ट सोपान या स्तर है। यह मानव जीवन की शैली में सुधार के साथ साथ मानव की नागरिकता के स्वरुप के परिवर्तन में नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

व्यवसायिक क्रांति के बाद नगरों के स्वरुप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। तकनीकी क्रांति व्यवसायिक क्रांति को प्रभावित करती है। व्यवसायिक क्रांति की प्रक्रिया नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस समय अनगिनत लोग ग्रामीण प्रदेशों से नगर प्रदेशों को स्थानांतरित हो गए। छोटे शहर, बृहत नगरों के रुप में बदल गए। कृषि का अतिरिक्त उत्पादन कृषिएतर क्रिया कलापों को बढाया।

©KTPS Not to be republished

अतिरिक्त उत्पादन से बृहत् इमारतों के निर्माण तथा बृहत उद्योगों की स्थापना तथा बृहत व्यवहार-वाणिज्य के लिए अवसर प्रदान हुआ। इस प्रक्रिया से नगरों को ग्रामों से अलग कर ग्राम तथा नगर नामक दो व्यवस्था का निर्माण हुआ।

नगरों को आधुनिक जन निवास क्षेत्र कहा जा सकता है। नगर का जीवन मानव के सामाजिक चरित्र में अत्यंत उन्नत तथा वैभव पूर्ण जीवन का आदर्श होने पर भी यह संकीर्ण है। प्रशासनिक अर्थ में एक राष्ट्र का प्रशासन एक जननिवास के लिए, नगरीय स्थान है। ऐसा अधिकृत प्रकाशन होने पर वह नगर हुआ करता था। जिस समुदाय में 5000 जनसंख्या से अधिक लोग हैं। प्रति वर्ग क्षेत्रफल कि.मी. 1000 जनघनत्व है। वहाँ निवास करने वाले लोगों में 75 प्रतिशत से अधिक लोग जीने के लिए कृषि से भिन्न कार्य कलापों में संलग्र हैं, उसे भी नगर कहा जाता है। जनसंख्या शास्त्र की दृष्टि से जिस प्रदेश में अत्यधिक जनसंख्या और जनघनत्व हो, उसे नगर कहा जा सकता है।

नगरीकरण एक समाज में कालानुसार चलने वाली प्रक्रिया है। कई कारणों से नगरवासियों की संख्या में बढ़त हो रही है। एक समाज अपने ग्रामीण क्षेत्र से नगर समाज की ओर परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही नगरीकरण है। औद्योगीकरण द्वारा सभी समाजों में आर्थिक चेतना उत्पन्न कर जन निवास क्षेत्रों को नवीन स्वरुप देने का प्रारंभ होने से लेकर ही नगरीकरण की प्रक्रिया हो रही है। इस प्रकार की नगरीकरण की प्रक्रिया आज जगत के सभी राष्ट्रों में देखी जा सकती है।

नगर समुदायों की विशेषता –

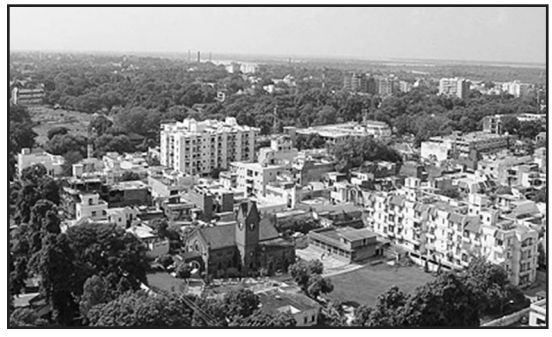

1) बडा आकार – नगर समुदाय बडा होता है। यहाँ अधिक जनघनत्व होता है। उदाहरण के लिए बेंगलूरु में सन् 2011 की जनगणनानुसार एक वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में 4381 लोग निवास करते हैं।

2) सांस्कृतिक बहुलता – नगरों में कई संस्कृति को बहुलता देखी जा सकती है। क्योंकि भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग भिन्न-भिन्न प्रदेशों से आकर एक ही स्थान पर निवास कर रहे होते हैं। तब उनक जीवन एकही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर न होकर विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विकसित होता है।

©KTBS Not to be republished

3) कृषि से इतर (भिन्न) वृत्ति – नगरों में अधिकतर लोग कृषि से भिन्न वृत्ति / कार्य करते हैं। ऐसे क्रिया कलापों में व्यवसाय उत्पादन, व्यापार तथा वाणिज्य, वृत्तिपरता और प्रशासन में उद्योग ऐसे विविध कार्यों में लोग लगे हुए है।

4) गौण हो रहे प्राथमिक संबंध – नगर समुदायों में औपचारिक संबंध ही अधिक हैं। एक तरीके से कोई भी किसी से भी अधिक लगाव नहीं रखता है। वे स्वार्थी हो गए है केवल अपने परिवार मात्र से मतलब रखते हैं।

5) नगरीकों की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि – नगर प्रदेशों में मानव समाज के लिए आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग आदि नगरिक व्यवस्था अधिक देखी जा सकती है।

6) औपचारिक सामाजिक नियंत्रण – नगर प्रदेशों में समाज की सुरक्षा तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था, न्यायालय व्यवस्था आदि नागरिक सुरक्षा व्यवस्था द्वारा सामाजिक नियंत्रण लागू रहता है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए –

1. निर्दिष्ट प्रदेश में तीन लोगों से अधिक लोगों का जीवन जीना _____ कहलाता है।
2. भारतीय समाज का आधार स्तंभ _____ समुदाय है।
3. उत्तरपूर्वी क्षेत्र के आदिवासी _____ कहलाते हैं।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चर्चा कर लिखिए –

1. 'आदिवासी' से क्या तात्पर्य है ?
2. 'ग्राम' से आप क्या समझते हैं ?
3. नगर की परिकल्पना को समझाइए।
4. 'व्यवसायीकरण' किसका सूचक है ?
5. आदिवासी समुदाय की विशेषताएँ क्या हैं ?
6. ग्राम समुदाय की विशेषताओं को लिखिए।
7. नगर समुदाय की विशेषताएँ कौन-कौन सी है ?

©KTBS Not to be republished

8. भौगोलिक पृष्ठ भूमि में भारत की आदिवासी जनता को किस प्रकार विभाजित किया गया है। बताइए।

9. ग्राम समुदाय के प्रकारों का विवरण दीजिए।

III. क्रिया कलाप

1. ग्रामीण तथा नगरीय जीवन की समस्याओं और सुविधाओं के बारे में बच्चों के दो समूह बनाकर चर्चा गोष्ठी का आयोजन कीजिए।

2. विद्यालय के समीपवर्ती बच्चों को ज्ञात आदिवासी जीवन शैली का संग्रह करवाना।

IV. नियोजित कार्य

1. बच्चों को, ग्राम / नगर की सुविधाओं में कमी में सुधार करने के लिए ग्राम पंचायत / नगर सभा / कारपोरेशन (महापालिका) द्वारा उठाए गए कदम के बारे में स्थानीय सरकार के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करने को कहें।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

भूगोल

अध्याय – 6
खनिज संसाधन (संपत्ति)

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों को जानकारी प्राप्त करेंगे

- *कर्नाटक में प्राप्त उपलब्ध खनिजों का परिचय और उनका महत्व।*
- *कर्नाटक के प्रमुख खनिजों का वितरण और उत्पादन।*

एक देश, राज्य अथवा प्रदेश की आर्थिक उन्नति में वहाँ प्राप्त खनिज संसाधनों का प्रमुख महत्व है। कर्नाटक राज्य में विविध प्रकार की खनिज सम्पत्ति है। उनमें कच्चा लोहा, सोना, मैंगनीज, चूनापत्थर, ताँबा, बाक्साइट, क्रोमाइट, कलनार, – एसबेस्टस, अभ्रक, और ग्रेनाइट. प्रमुख खनिज हैं। कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में हम आगे जानेंगे

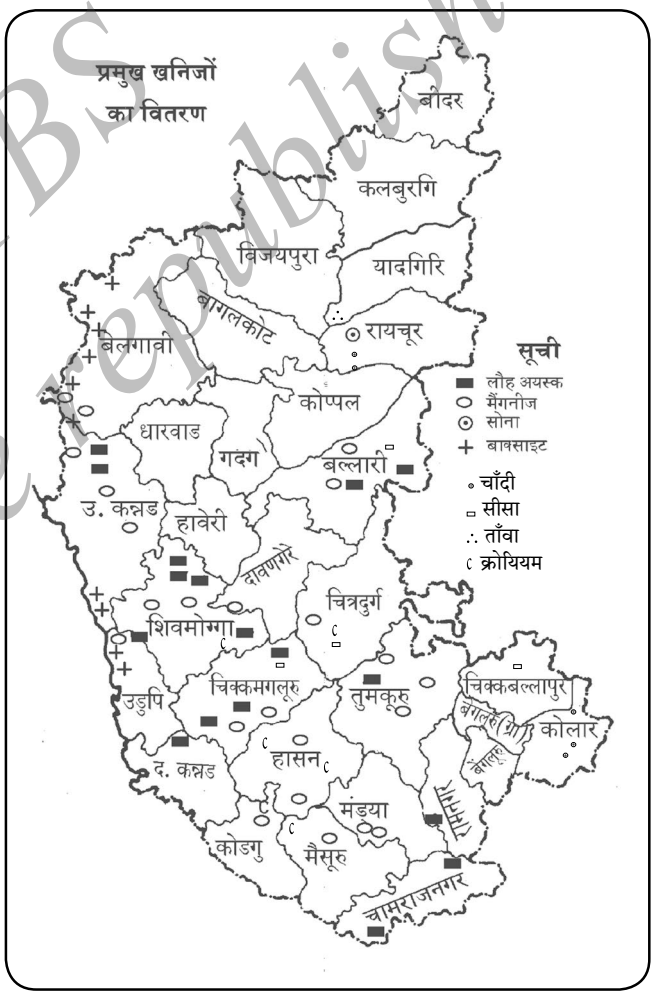

कच्चा लोहा (लौह अयस्क) : यह लोहा और इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल है। कर्नाटक में उत्तम श्रेणी के मेग्नेटाइट और हेमाटाइट वर्ग की काफी मात्रा में कच्चे लोहे की खान है। भारत में कच्चा लोहा उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक द्वितीय स्थान पर है। राज्य में कुल 75 कच्चे लोहे की खान है। हमारे राज्य में उत्पादित कच्चे लोहे में श्रेष्ठ स्तर का मेग्नेटाइट 63 प्रतिशत होता है, शेष हेमाटाइट वर्ग का होता है।

वितरण: कर्नाटक में कच्चे लोहे का वितरण अधिकतम बल्लारी, चिक्कम गलूरु,बागलकोटे, चित्रदुर्गा, तुमकुरू शिवमोग्गा, दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड तथा गदग जिलों में देखा जा सकता है। बल्लारी जिले में कच्चे लोहे की कई खानें हैं। और यह जिला

©KTBS Not to be republished

प्रथम स्थान रखता है। यह होसपेटे तथा संडूरू प्रदेशों में देखा जा सकता है। दोणीमलै (द्रोणीपर्वत) विभूतिगुड्डा, बेलगाला, कुमारस्वामी पहाड, तिम्मप्पन गुडी, देवाद्रि श्रेणी तथा रायदुर्ग पहाडियों में कच्चा लोहा उत्पादन किया जाता है।

दूसरे स्थान पर चिक्कमगलूरु है। बाबाबुडनगिरि पहाड, केम्मण गुंडी (लाल मिट्टी का गड्ढा), कुद्रेमुख, गंगामूला, कल्हतगिरी, जेनुसुरि, पहाडों पर लौह अयस्क प्राप्त होता है। जीव वैविध्यता को बनाए रखने की दृष्टि से राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उत्पाद क्षेत्र कुद्रमुख में खानों की खुदाई को स्थगित करने का – निर्णय दिया है। चित्रदुर्गा जिले का होसदुर्गा, सासलु, बागलकोटे, अमीनगढ, तुमकुरू जिले का हुलियारू, चिक्कनायकनहल्ली, शिवमोग्गा जिले का कुंम्सी, शंकरगुड्डा, सिद्धरहल्ली आदि क्षेत्रों में अयस्क के निक्षेप हैं।

क्रियाकलाप

आपके जिले में उपलब्ध खनिज सम्पदा की तालिका

राज्य में उत्पादित लौह अयस्क को भद्रावती तथा बल्लारी के निकट जिन्दाल विजयनगर लौह इस्पात कारखने में उपयोग किया जाता है और शेष भाग निर्यात किया जाता है।

मैंगनीज: मैंगनीज अयस्क (कच्चा मैंगनीज) मुख्य रूप से पर्तशिला और रूपान्तरित शिलाओं में ऑक्साइड रूप में मिलता है। इसे मिश्र लौह के रूप में इस्पात के निर्माण में कठोरता को बढाने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही इसे रासायनिक विद्युत उद्योग, रासायनिक खाद, सूती कपडे की छपाई (छापा) और रंगों के निर्माण के लिए भी उपयोग किया जाता है। इससे मैंगनीज को 'बहुउपयोगी खनिज' भी कहा जाता है।

वितरण : कर्नाटक में मैंगनीज अयस्क निक्षेप काफी मात्रा में उपलब्ध है। देश के कुल निक्षेपों का 27 प्रतिशत भाग कर्नाटक में प्राप्त है। मैंगनिज उत्पादन में उडीसा के बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। राज्य का मैंगनीज वितरण लौह अयस्क प्रदेशों में ही देखा जाता है। बल्लारी जिले का संडूर प्रदेश प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ राज्य का 90 प्रतिशत मैंगनीज उत्पादन होता है। अन्य प्रमुख मैंगनीज को खानों में शिवमोग्गा जिले का कुशी, शंकरगुड्डा, होसहल्ली, चित्रदुर्ग जिले का सादरहल्ली, तुमकूर जिले का चिक्कनायकनहल्ली उत्तर कन्नड जिले का शिरसी तालुक, सूपा, लोंडा, उस्काण्ड तथा धारवाड, विजयापुरा, चिक्कमगलूरु जिले आते हैं। राज्य के मैंगनीज उत्पादन का बडा हिस्सा जापान, चीन आदि राष्ट्रों को निर्यात होता है।

बाक्साइट: बाक्साइट अयस्क (कच्चा बाक्साइट) अल्यूमीनियम उत्पादन के लिए अधिकतम उपयोग किया जाता है। सीमेन्ट, इस्पात, विद्युत तारों के निर्माण में इसका उपयोग होने के कारण इसकी मांग बढ़ रही है।

©KTBS Not to be republished

वितरण : कर्नाटक में बक्साइट अयस्क के निक्षेप बेलगावी, चिक्कमगलूरु, चित्रदुर्गा, दक्षिण कन्नड और उडुपि जिलों में फैले हुए हैं। बेलगावी जिला प्रमुख बाक्साइट उत्पाद क्षेत्र है। यहाँ के बेलगावी तथा खानापुर तालुक में बाक्साइट की खानें हैं। इन अयस्कों को बेलगावी के इंडियन अल्यूमीनियम कंपनी के उद्योग में उपयोग किया जा रहा है।

सोना (स्बर्ण): सोना विरल (दुर्लभ), चमकीली, अधिक टिकाऊ और पीली धातु है। इसे आभूषण बनाने, घडी इत्यादि बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण में अधिक उपयोग किया जाता है। सोने की माँग तथा उपयोग आजकल बढती जा रही है जिस से इसका दाम दुगना हो गया है।

कर्नाटक सोने की खानों (खनन) के लिए भारत में प्रथम स्थान रखता है। उत्पादन का कुल 80 प्रतिशत सोना कर्नाटक की खानों से ही प्राप्त होता है। यह सम्पूर्ण भाग कर्नाटक अकेला ही उत्पादित करता है। इस कारण कर्नाटक को 'स्वर्णप्रदेश' कहा जाता है। कर्नाटक में प्राचीन काल से सोने की खान एवं खनन का प्रयोग है। परन्तु बडे पैमाने पर सोने का खनन सन् 1880 में, जॉन टेलर नामक व्यक्ति ने प्रारम्भ किया और सन् 1885 में के.जी.एफ (कोलार गोल्ड फील्ड्स) अस्तित्व में आया।

कोलार के सोने की खानों के प्रदेशों में चार प्रमुख खानें हैं। वे हैं – नंदीदुर्गा, उरिगाम, चाम्पियन रीफ और मैसूरु की खान। इनमें चाम्पियन रीफ खान अत्यन्त गहरी खान (3217 मीटर) है। इस खान में कुछ वर्षों के निरंतर उत्खनन से स्वर्ण निक्षेप की मात्रा कम हो गयी है। अब उत्खनन कार्यस्थगित हो गया है। हट्टी प्रदेश में उत्खनन कार्य जारी है।

वर्तमान रायचूर जिले का 'हट्टी' भारत की सबसे बडी सोने की खान है। यहाँ अधिक स्वर्ण उत्पादन होता है। तुमकूर जिले के बेल्लार, शिरा के निकट स्थित अज्जनहल्ली में भी स्वर्ण अयस्क (कच्चा सोना) उत्पदित होता है। अन्य सोने के निक्षेपों में गदग जिले का मुलगुंदा, कप्पत्तु गुड्डा, हासन जिले का केंपिनकोटे आदि हैं।

अभ्यास

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ति कोजिए :

1. कुद्रमुख क्षेत्र में _____ खनिज प्राप्त होता है ।
2. उत्तम स्तर का लौह खनिज _____ से प्राप्त होता है।
3. बल्लारी जिले के संडूर स्थान में _____ की खान है।
4. बाक्साइट खनिज से _____ लौह उत्पादन किया जाता है।
5. सर्वाधिक गहरी सोने की खान _____ में है।

©KTBS Not to be republished

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

1. कर्नाटक को सोने की भूमि क्यों कहा जाता है?
2. कर्नाटक में प्राप्त प्रमुख खनिजों के नाम लिखिए ?
3. मिश्र लौह के रूप में प्रयोग किया जाने वाला खनिज कौन सा है?
4. हमारे राज्य में लौह खनिज प्राप्त होने वाले प्रदेशों के नाम लिखिए।
5. बाक्साइट उत्पादक प्रमुख जिला कौन-सा है ?
6. कर्नाटक के प्रमुख सोने की खानों के नाम लिखिए ।

III. सुमेलित कीजिए:

अ	आ
1. सूपा	a. मैंगनीज
2. हट्टी	b. बाक्साइट
3. कुम्सी	c. चूना पत्थर
4. खानापुर	d. लौह खनिज
	e. सोने की खान

V. क्रिया कलाप:

1. कर्नाटक में उपलब्ध खनिज के नमूनों का संग्रह कीजिए और टिप्पणी लिखिए।
2. कर्नाटक के नक्शे में खनिजों का वितरण दर्शाइए।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 7

कर्नाटक का यातायात

इस अध्याय से निम्नलिखित अंशों को जानेंगे

- *कर्नाटक में यातायात के साधन का महत्व ।*
- *सडक यातायात– प्रकार, प्रमुख राजमार्ग।*
- *रेल यातायात का महत्व, प्रमुख रेल मार्ग।*
- *जल यातायात और वायु यातायात।*

एक स्थान से दूसरे स्थान को माल और यात्रियों का 'आवागमन साधन' ही यातायात है। कृषि उद्योग और व्यापार वृद्धि में यातायात के साधन ही प्रमुख महत्वपूर्ण हैं। कर्नाटक अनेक नैसर्गिक संसाधनों से युक्त राज्य है। यहाँ खनिज, वाणिज्य उत्पाद, वन सम्पत्ति, शक्ति संसाधन उपलब्ध हैं। इनके सही और पूर्ण उपयोग से आर्थिक अभिवृद्धि की जा सकती है। जिसके लिए सुव्यवस्थित यातायात की सुविधा का होना अनिवार्य है। कर्नाटक कृषि प्रधान राज्य है। खाद्य पदार्थ और अन्य कृषि उत्पादनों को कृषि क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए, खानों से खनिजों को लाने, उद्योग धन्धों द्वारा तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने, यात्रियों के ले जाने ले आने (आवागमन) ऐसे ही कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक कारणों से यातायात की सुविधा की आवश्यक है। कर्नाटक में रेल, सडक, जल तथा वायु यातायात की व्यवस्था है।

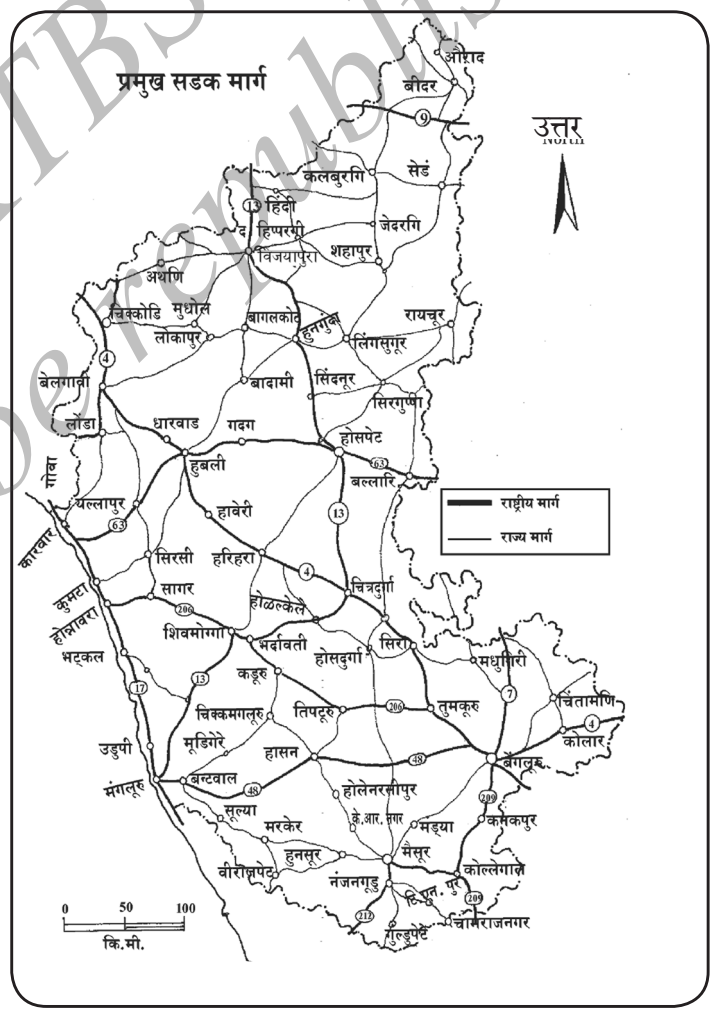

©KTBS Not to be republished

सडक यातायात

महत्व: कर्नाटक की जनता अधिकतर गाँवों में ही बसती है। जिससे प्रत्येक गाँव, कस्बे, तथा अन्य आवासीय क्षेत्रों को जोडने (सम्पर्क करने) के लिए सडक यातायात का बडा महत्व है। सडकों का निर्माण सरल और कम खर्च में किया जा सकता है। इसके द्वारा यात्री और सामान (माल) आसानी से राज्य के कोनेकोने तक पहुँचाए जा सकते हैं। सडकों की अभिवृद्धि राज्य की कृषि, उद्योगधन्धों, खानों तथा वाणिज्य उद्योगों के विकास को निर्धारित करती है।

सडक यातायात का विस्तार : कर्नाटक में प्राचीन काल से सड़क यातायात की परम्परा रही है। पहले राजा- महाराजा अपने सैनिकों के प्रशासनिक निर्वाह के लिए सडकों का निर्माण कराते थे। प्रमुख सडकों पर यात्रियों के आश्रय स्थान, ठहरने का स्थान, वाटिका (बाग-बगीचे), छत्रों का निर्माण (सराय) करवाया गया। तटीय क्षेत्रों तथा अदरूनी प्रदेशों के सम्पर्क के लिए सड़क बनवाए गए।

कर्नाटक में स्वतंत्रता से पूर्व सड़क निर्माण की व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन मैसूर प्रांत, बैंगलूर और जिला केंद्रों के साथ सम्पर्क जोडने के लिए सडकें थीं। जो सुव्यवस्थित नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद विशाल मैसूर के निर्माण के बाद सन् 1961 में कुल 43,182 कि.मी. लम्बे सडकें थी। आज कुल सडक की लम्बाई 2,53,601 कि. मी. है। इनमें से 35.70 प्रतिशत भाग पक्की सड़के और 64.30 प्रतिशत भाग कच्ची सड़कें है। आजकल सड़कों का दर्जा भी उन्नत होता जा रहा है।

स्वयं करे:
आपके जिले से गुजरनेवाले राष्ट्रीय राजमार्ग और वे आपके जिले के किन - किन तालुकों से होकर गुजरते है, उसकी सूची बनाइए।

सड़कों के प्रकार: कर्नाटक की सडकों को चार प्रकारों में वाँटा जा सकता है: 1) राष्ट्रीय भार्ग 2) राज्य मार्ग 3) जिला सडकें और 4) ग्रामीण सडकें।

1. राष्ट्रीय मार्ग: प्रमुख नगर, राज्य, राजधानी और बंदरगाहों को जोडने वाली सडकों को राष्ट्रीय मार्ग कहा जाता है। ये सडकें चौडी तथा उत्तम स्तर की और सुव्यवस्थित हैं। ये द्विपथी, चतुष्पथी तथा षट्पथी सडकें है। केन्द्र सरकार के अन्तर्गत इनका निर्वहण कार्य राष्ट्रीय बृहत मार्ग प्राधिकार (NHAL) से जुडा है। कर्नाटक में वर्तमान समय में 14 राष्ट्रीय बुहत् सडकें हैं। ये कुल 6572 कि. मी. लम्बी हैं। उत्तर कन्नड (कर्नाटक), बीजापुर, बेलगावी

कर्नाटक से गुजरनेवाला अत्यंत लम्बा राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 13

मंगलूरु, मुडबिद्री, कोप्पा, शिवमोग्गा, चित्रदुर्गा, होसपेटे, इलकल, विजयापुरा से होकर सोलापुर में जाकर मिलता है।

©KTBS Not to be republished

शिवमोग्गा, बेंगलूरु ग्राम्य, तुमकुरू दक्षिण कन्नड तथा बल्लारी जिलों में अधिक राष्ट्रीय बृहत मार्ग फैला हुआ है। लेकिन रायचूर और कोडगु जिलों में राष्ट्रीय बृहत मार्ग नहीं हैं।

राष्ट्रीय बृहत् मार्ग NH–4 और NH–7 राष्ट्रीय बृहत् मार्ग प्राधिकार के सुवर्ण चतुष्कोण बृहत् मार्ग योजना और कारीडोर योजना (गलियारा योजना) से जुडा है। ये छः पथो से युक्त है। राज्य से गुजरते वाली अन्य प्रमुख राष्ट्रीय बृहत् सडकें NH4A, NH7, NH9, NH63, NH207, NH-13, NH-17, NH-218 NH-48, NH-206, NH-209 और NH-212 हैं।

2. राज्य के बृहत् मार्ग: कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु से जिला केंन्द्र, प्रमुख शहर तथा राष्ट्रीय बृहत् मार्ग से संलग्न सडकों को राज्य बृहत् मार्ग कहा जाता है। इनका निर्माण और व्यवस्था (प्रबंध) राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कर्नाटक राज्य में 19578 कि.मी. लम्बी राज्य बृहत् सडकें है। बेलगावी जिला अत्यन्त लम्बी बृहत् सडक वाला जिला है। बेंगलूरु अत्यन्त कम लम्बी (छोटी) राज्य बृहत सडक वाला जिला है। क्योंकि यहाँ नगरी सडकें अधिक हैं।

3. जिला सडक: जिला केन्द्र से सभी तालुक केन्द्रों को प्रमुख शहरों, ग्रामों, रेलमार्गों तथा बृहत् मार्गों से संपर्क जोडने वाले मार्गों को 'जिला सडक' कहते हैं। इनको निर्माण अभिवृद्धि तथा देखरेख 'जिलापंचायत' के अन्तर्गत आता है। राज्य में कुल 49, 909 कि. मी. लम्बा 'जिला मार्ग (सड़क)' है। सबसे अधिक जिला सड्क तुमकुरू जिले में है। रायचूर जिले में सबसे कम जिला सडकें हैं।

4. ग्रामीण सड़क: ताल्लुक केन्द्र से प्रत्येक ग्राम को, सभी जिला सडकों से सम्पर्क जोडने वाली सड़कें ही ग्रामीण सड़कें है। इनका, निर्माण एवं व्यवस्था तालुक पंचायत तथा ग्राम पंचायत प्रशासन की जिम्मेदारी है। कर्नाटक राज्य में कुल 1,77,542 कि.मी. लम्बी ग्रामीण सड़कें हैं।

उपरिलिखित प्रकार की सडकों के अतिरिक्त, विविध उद्देश्य और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था के अधीन स्थित सडके हैं। उदाहरण लोकोपयोगी सडकें, वन विभाग, सिंचाई विभाग, और नगरपालिका तथा महानगरपालिका की सड़कें।

©KTBS Not to be republished

रेल यातायात

कर्नाटक में सडक यातायात के बाद रेल यातायात प्रमुख है। (निम्न दर) कम दाम में अधिक दूर की यात्रा और माल ले जाने ले आने के लिए रेल यातायात को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

कर्नाटक में सर्वप्रथम रेल संचार का प्रारभ सन् 1864 में हुआ। बेंगलूरु और मद्रास नगरों के बीच 'मद्रास रेलवे कंपनी' ने इसका निर्माण किया था । यह सन 1956 तक कुल 2595 कि.मी. लम्बा रेल मार्ग था जो दक्षिण रेल मंडल के अन्तर्गत था। आज यह उत्तर पश्चिम रेल मंडल के रूप में अस्तित्व में है। और हुबली के अधिकार में है। कर्नाटक में आज कुल 3244 कि.मी. रेल मार्ग है।

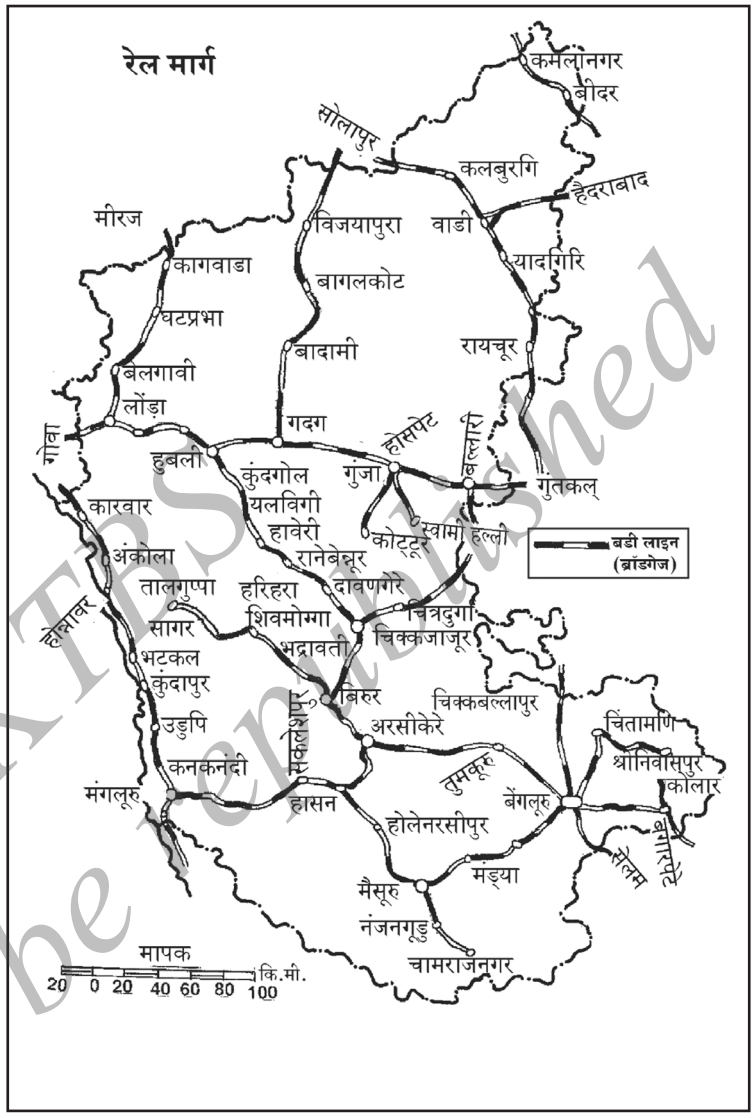

कर्नाटक के सभी जिलों में रेल मार्गों का समान वितरण नहीं हैं। बेंगलूरु, बल्लारी, बेलगावी, हासन, उत्तर कन्नड, चित्रदुर्गा, उडुपि, रामनगर, दक्षिण कन्नड जिलों में लगभग 150-200 कि.मी. लम्बा रेल मार्ग है। कोडगु जिले में कोई भी रेलमार्ग नहीं है।

क्रिया कलाप :

सडक यातायात और रेल यातायात के अनुपात के बारे में अपना अनुभाव अपने समूह में बाँटिए। तत्पश्चात् किस यातयात को उत्तम मानते हैं । निर्णय लीजिए ?

©KTBS Not to be republished

कोंकण रेलवे: यह पश्चिमी तटीय प्रदेश का महत्वपूण रेल मार्ग है। यह मंगलूर से मुम्बई के बीच की यात्रा अवधि को लगभग 41 घंटे से 18 घंट कम करता है। इसकी लम्बाई कर्नाटक में 273 कि. मी. है। इसमें 13 प्रमुख और 310 अन्य पुल हैं। उनमें शरावती का पुल (2.2 कि. मी.) अत्यंत लम्बा है। काली नदी का पुल (1.2 कि.मी) भी प्रमुख है। कई सुरंग मार्ग और पुलों से गुजरने वाला यह मार्ग अत्यंत सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों से युक्त है।

मैट्रो रेल: बेंगलूरु बृहत् नगर के रूप में विकसित होने के साथ-साथ यातायात सम्बान्धी समस्याएँ अधिक होती जा ही हैं। इसके निवारण/समाधान के लिए नम्म मेट्रो (हमारा मेट्रो) नगर रेल योजना जारी की गई। इससे 20 अक्तूबर 2011 में सर्वप्रथम मेट्रोरेल बेंगलूरु के बैयप्पनहल्ली से एम.जी. सडक तक कार्यान्वित हुयी और लाखों लोग यात्रा कर रहे हैं। इससे तुरंत एकस्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा जा सकता है। आज भी मेट्रो रेल मार्ग निर्माण अवस्था में है।

वायु यातायात

वायु यातायात अत्यंत वेग चालित यातायात का साधन है। यह यात्रियों, डाक और बहुमूल्य हल्की वस्तुओं को शीघ्र दूर के स्थलों को (ले जाने ले आने) परिवहन के लिए बडा उपयुक्त है। नैसर्गिक प्राकृतिक संकट आने पर तथा युद्द जैसें आकस्मिक परिस्थितियों में परिहार कार्य निभाने में भी यह यातायात साधन में सहायक है। परन्तु यह महँगा यातायात का साधन होने के कारण सभी वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है।

कर्नाटक में प्रथम विमानयान सन् 1946 में बेंगलूर-हैदारबाद के बीच 'दक्कन एयरवेस' नामक कंपनी ने प्रारंभ किया था। भारतीय विमान संचार सन् 1953 में राष्ट्रीयकृत हो गए और इन्डियन एयर लाइन्स संस्था के प्रारम्भ होते ही बेंगलूर से विविध केन्द्रों को विमानयान की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। राज्य की राजधानी बेंगलूरु सन् 1996 में अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन घोषित किया गया। बेलगवी, हुबली, मैसूरु, मंगलूरु में देशीय विमान पत्तन है। नवीन विमानपत्तन हासन, कलबुरगी में निर्माणाधीन है।

इससे पूर्व बेंगलूरु *H.A.L* (हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) विमान पत्तनों में अन्तर्राष्ट्रीय विम ान पत्तन को 34 कि. मी. दूरीपर देवनहल्ली को दिनांक 24-5- 2008 को स्थानांतरित किया गया। *H.A.L* विमान पतन जहाजरान (पायलट) के प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। नव निर्मित देवनहल्ली विमान पत्तन भारत का प्रथम (हरित क्षेत्र पत्तन) ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है । यह सुसज्जित सुविधाओं से युक्त अति आधुनिक विमान पत्तन है। इसे केंपेगौडा अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन कहते है।

©KTBS Not to be republished

जल यातायात

कर्नाटक यें अन्तर्देशीय तथा समुद्री यातायात दोनों ही परम्परा में हैं। इनकी उपलब्धि बहुत सीमित है। उन्हें बहुत महत्व नहीं मिला है। प्राचीन काल में अन्तर्देशीय जल यातातात ग्रामीण नाव, डोंगी (हरिगोल), बेडे (तेप्पा), तक ही सीमित था। आजकल यंत्रचालित नावों का चलन है। यह उत्तर कन्नड, उडुपि तथा दक्षिण कन्नड जिलों में देखा जा सकता है। इन जिलों में बहने वाली नदियाँ में गंगावली, काली, शरावती, हालाडी, चक्रा, नेत्रावती कोल्लार (उडुपी जिला) आदि मुख्य हैं। जिनमें अन्तर्देशीय जल यातायात होता है। कृष्णा नदी को पार करने केलिए कुछ स्थानों पर नावों का उपयोग होता है। सड़क तथा यातायात की सुविधा की अभिवृद्धि से जल यातायात व्यवस्था का उपयोग कम हो गया है।

बन्दरगाह : समुद्रीतट पर जहाजों के ठहरने के स्थान को बन्दरगाह कहते हैं। मत्स्यपालन, व्यापार, जन यात्रा और माल पहुँचाने के लिए जहाजों का प्रयोग होता है। कर्नाटक में लगभग 25 छोटे और बडे बन्दरगाह हैं। सन् 1957 में बन्दरगाह अभिवृद्धि विभाग ने स्थापित किया था । और सुविधाओं का विस्तार आरंभ किया। नव मंगलूरु सन 1974 में मई 4 तारीख को भारत का 9 वाँ (नौवां) प्रमुख बंदरगह घोषित हुआ। इसे कर्नाटक का 'बडा/मुख्य द्वार' कहा जाता है। इस बंदरगाह से कच्चा लोहा (लोह अयस्क) कॉफी, मसाले, काजू, चंदन, खपरैल, क्रोमाइट, ग्रेनाइट पत्थर, संसाधित फल और मछलियाँ निर्यात होती हैं। यहाँ से पेट्रोलियम का आयात होता है। साथ ही राज्य ने दस छोटे बंदरगाहों की अभिवृद्धि की है। वे हैं- प्राचीन मंगलूरु बंदरगाह, मल्पे बंदरगाह, हंगार कट्टे, कुंदापुर, पडुबिद्री, भटकल, होन्नावर, बेलेकेरी और कारवार। इनमें से कारवार बंदरगाह अत्यंत सुन्दर बंदरगाह के रूप में विख्यात है। यह सर्वमुखी बंदरगाह होते हुए अपने यहाँ से लौह अयस्क (कच्चा लोह), मैंगनीज, ग्रेनाइट और व्यवसाय द्वारा उत्पन्न चीजों को निर्यात करता है।

अभ्यास

I. सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कोजिए :

1. प्रत्येक गाँवों-शहरों को _____ यातायात जोडता है।.
2. कर्नाटक से कुल _____ राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है।
3. बेंगलूरु नगर में स्थित नगर रेल व्यवस्था को _____ कहते है।
4. कर्नाटक के मुख्य द्वार के रूप में _____ बंदरगाह को जाना जाता है।
5. पश्चिमी तट के रेल मार्ग को _____ कहा जाता है।

©KTBS Not to be republished

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

1. सड़क यातायात के महत्व को समझाइए।.
2. कर्नाटक के सड़क के प्रकारों के बारे में लिखिए।
3. कर्नाटक के प्रमुख रेलमार्गो की सूची बनाइए।
4. वायु यातायात से क्या लाभ हैं?
5. कर्नाटक के बन्दरगाहों के नाम लिखिए।

III. सुमेलित कीजिए:

अ	आ
1. सुवर्ण चतुष्कोण	अ) बंदरगाह
2. ब्राड गेज (बड़ी लाइन)	क) बेंगलूर
3. एच.ए.एल	ज) एन.एच–4
4. बेलिकेरी	प) वायु पत्तन
5. हमारा मेट्रो (नम्म मेट्रो)	ब) रेल मार्ग
	म) जल मार्ग

IV. क्रिया कलाप:

1. कर्नाटक से गुजरने वाले राजमार्गों को चुनकर कर्नाटक के नक्शे में उनका नामांकन कीजिए।

V. योजना/प्रदत्त कार्य:

1. अपनी रेल यात्रा के अनुभव को लिखिए।
2. अपने स्थलीय यातायात की व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 8

कर्नाटक के उद्योग धन्धे

इस अध्याय से निम्नलिखित अंशों को जानेंगे

- *कर्नाटक के उद्योग धन्धों का महत्व ।*
- *कर्नाटक के प्रमुख उद्योग धन्धों के क्षेत्र।*
- *लौह इस्पात उद्योग का वर्गीकरण एवं उत्पादन।*
- *सूती कपडा, चीनी, सीमेन्ट, कागज के उद्योग धन्धे।*
- *बेंगलूर- भारत का प्रमुख सूचना तकनीकी उद्योग केंद्र।*

किसी भी राज्य के शीघ्र विकास में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा सुनहरा मौका हमारे राज्य को प्राप्त है। अपार खनिज संपत्ति, कच्चा माल, आवश्यक जलवायु, सिंचाई व्यवस्था, यातायात, अनुभवी मजदूरों की उपलब्धि, विशाल व्यापार केन्द्र तथा तकनीकी होने के कारण कर्नाटक अनेक वैविध्यमय उद्योग धन्धों के लिए नामचीन है। हमारा राज्य कृषि आधारित कुटीर उद्योग से लेकर आधुनिक उद्योग धन्धों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

कर्नाटक में उद्योग धन्धों के विकास के लिए सर एम विश्वेश्वरय्या जी का बहुत योगदान है। ''औद्योगिकीकरण के बिना विनाश'' इस तथ्य पर चलने वाले विश्वेश्वरय्या जी ने कर्नाटक राज्य के अनेक उद्योगधन्धों की बुनियाद डाली। सन् 1902 में शिवनसमुद्र जलविद्युतशक्ति उत्पादन के प्रारंभ के बाद विभिन्न मूलभूत सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को तैयार करते वाले उद्योग प्रारंभ हुए। चावल की मिलें, खपरैल बनाना, बीडी सिगरेट, लोहा और पीतल ढलाई के कारखाने स्थापित किये गए। सन् 1923 के बाद राज्य में लोहा और इस्पात उद्योग, साबुन निर्माण, कपास और रेशम की स्वतंत्रता से पूर्व ही उनदिनों का मैसूर प्रांत उद्योग धन्धों के लिए प्रसिद्ध था। इसका कारण था-प्रारंभ में अंग्रेजों तथा तत्कालीन शासकों की इस ओर अभिरुचि।

स्वतंत्रता के बाद केन्द्र सरकार को उद्योग नीति राज्य के उद्योग धन्धों के विकास में सहायक रही। इसके परिणाम स्वरुप अनेक उद्योग स्थापित हुए। उदाहरण में विमान निर्माण, प्रौद्योगिकी, मशीनी उपकरण, घड़ियाँ, लोहा, और इस्पात, अल्युमीनियम, सूचनाएवं तकनीकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा जैविकी तकनीकी उद्योग इत्यादि प्रमुख हैं।

लौह इस्पात उद्योग : दक्षिण भारत में कर्नाटक को ही सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का

©KTBS Not to be republished

क्षेत्र प्राप्त है। सर. एम. विश्वेश्वरय्या की दूरदर्शिता से बाबाबुडनगिरि पहाडी से काफी मात्रा में प्राप्त लौह अयस्क के उपयोग के लिए शिवमोग्गा जिले के भद्रावती क्षेत्र में सन् 1923 में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। इसे मैसूरु आयन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड (MISL) के नाम से जाना गया। तत्पश्चात् यह सन् 1989 में भारत इस्पात प्रधिकार को सौंपा गया। आज यह विश्वेश्रय्या लौह- इस्पात के नाम से प्रसिद्द है। इस कारखाने के लिए आवश्यक लौह-अयस्क केम्मण्णु गुंडी से, बंडी गुड्डा से चूना, भद्रा नदी से जल और संडूर से मैंगनीज की पूर्ति होती है। आरंभ में भट्टी के लिए लकडी, ईधन का उपयोग होता था । शरावती विद्युतशक्ति उत्पादन केंद्र के प्रारंभ होने पर जल विद्युतशक्ति का उपयोग होने लगा। अब विशेष प्रकार के इस्पात, ढलवाँ लोहे का उत्पादन होता है। कर्नाटक का एक और विशेष (प्रमुख) लौह इस्पात उद्योग वैयक्तिक क्षेत्र का जिन्दाल, विजयनगर इस्पात लिमिटेड है। जो बल्लारी जिले के तोरणगल स्थान में स्न 2001 में बडे ही आधुनिक कोरेक्स तकनीकी के प्रयोग से स्थापित हुआ है। यह लोहा और इस्पात का उत्पादन करता है।

सूती कपड़ा उद्योग : सूती कपडा उद्योग आधुनिक उद्योग धन्धों में से एक है। यह कृषि आधारित उद्योग है। प्राचीन काल से ही हथकरधा वस्त्र निर्माण की प्रथा कर्नाटक में चली आ रही है। आजभी हथकरधा धन्धे प्रचलित हैं। कृत्रिम रेशों वाले वस्त्र, विदेशी सूती वस्त्रों की स्पर्धा में सूती वस्त्रों की आज भी राज्य में बहुत माँग है।

आधुनिक सूती मिलें 19 वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में आरंभ होने लगी थी। रूई (कपास) से बीज अलग करने (ओटाई मिल), रुई से धागे निकालने बनाने (कताई मिल, सूत कताई) आदि काम उत्तरी जिलों में आरंभ हुआ। सर्वप्रथम सन् 1884 में एम.एस के मिलकलबुरगी में स्थापित हुआ। तत्पश्चात् हुबली में सूती वस्त्र उद्योग प्रारंभ हुआ। सन् 1900 के बाद सूती वस्त्र की बडी-बडी मिले स्थापित हुयीं। उनमें बेंगलूरु का बिन्नी मिल, मिनर्वा मिल, मैसूरु का के. आर. मिल, दावणगेरे का कॉटनमिल इत्यादि स्वतंत्रापूर्व ही स्थापित मिलें है।

तत्पश्चात् कपास उत्पादन में उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में अभिवद्धि हुयी। दावणगेरे सूती वस्त्र उद्योग का अत्यंत प्रमुख केंद्र बन गया। यह 'कर्नाटक का मेनचैस्टर' कहलाता है । हुब्बल्ली इलकल, गुलेदगुड्डा हुणसूरु, नंजनगूडु, पिरियापट्टणा, चामराजनगरों में भी सूती-वस्त्र कातने- बुनने की मिलें हैं। वर्तमान राज्य में 44 सूती वस्त्रों की मिलें है। इनमें वार्षिक उत्पादन की दृष्टि से लगभग 5.1 दसलाख मीटर सूती वस्त्र उत्पादित होता है।

आजकल कुछ मिलें बंद पडी हैं। इसका कारण कच्चे सूत की कमी, पुराने यंत्र, विद्युतशक्ति की कमी, बढ़ता उत्पादन खर्च कृत्रिम रेशेदार वस्त्र की स्पर्धा आदि है।

कर्नाटक में वस्त्र उद्याग की स्थिति को सुधारने के लिए 'सुवर्ण वस्त्र नीति' 2008- 13 नामक योजना का प्रारंभ सरकार द्वारा हुआ, जिनमें 11 जिलों में तैयार वस्त्र कंपनियों की स्थापना हुयी। इनसे उत्पादित माल को विदेशों को निर्यात करना ही इसका उद्देश्य है। आज वस्त्र निर्यात क्षेत्र की दृष्टि से कर्नाटक का स्थान देश में दूसरा है। दोड्डबल्लापुर, आनेकल, बेलगावी, मैसूरु, रामनगर इन स्थानों में तैयार वस्त्र की फैक्ट्रियाँ हैं।

©KTBS Not to be republished

चीनी उद्योग

ज्ञात रहे:
- कर्नाटक का शक्कर नगर मंड्या है।
- शक्कर जिला–बेलगावी है।

चीनी उद्योग कर्नाटक के प्रमुख बड़े उद्योगों में से एक है। यह भी कृषि – आधारित उद्योग है। इसके विकास के लिए आवश्यक सभी सकारात्मक अंश राज्य में उपलब्ध हैं। उदा– गन्ना (ईख) उत्पादन (सह सामग्री), उत्तम जलवायु, विद्युत, स्थानीय बाजार, यातायात के साधन इत्यादि। यह कर्नाटक की आर्थिक व्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है। 19 वीं शताष्दी के प्रारंभ में ही श्रीरंगपट्टण के पालल्लि (अष्टग्राम) तथा चिक्कबल्लापुर में चीनी निर्माण (उत्पादन) का उल्लेख सर फ्रांसिस बुकानन ने किया है। सन् 1847 में चीनी का उत्पादन कर लंदन के वस्तु प्रदर्शन में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त करने का उल्लेख मिला है। सर्व प्रथम चीनी उद्योग सन् 1943 में मैसूर चीनी कंपनी (MySugar) मंड्या में प्रारंभ हुआ। सन् 1951 तक यह एकमात्र चीनी का कारखाना था। आज राज्य में कुल 47 चीनी के कारखाने हैं। वार्षिक उत्पादन की दृष्टि से यहाँ 339 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है और यह राज्य भारत में चीनी उत्पादन के लिए तृतीय स्थान रखता है।

©KTBS Not to be republished

वितरण: कर्नाटक में चीनी उद्योग, विशेषकर गन्ना (ईख) उत्पादक प्रदेशों में वितरित है। कावेरी, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के जलानयन प्रदेशों में यह केंद्रीकृत हैं। बेलगवी तथा बागलकोट जिलों में अत्यधिक चीनी के कारखाने हैं। तत्पश्चात मंडया, मैसूर, बीदर, विजयापुरा, कलबुरगि बल्लारी तथा दावणगेरे जिलों का स्थान प्रमुख है।

गन्ने के छिलके तथा राब इस उद्योग से प्राप्त उपपदार्थ है। गन्ने के छिलकों से कागज तैयार होता है। और ईंधन के रुप में भी इसका उपयोग होता है। राब का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है।

कागज– उद्योग

कागज आधुनिक जगत की महत्वपूर्ण वस्तु है। यह शिक्षण, मुद्रण पत्र–पत्रिकाएँ तथा संस्कृति विकास के लिए आवश्यक वस्तु है। कागज उद्योग वन आधारित है। इस उद्योग के लिए बाँस, वृक्षों के गूदे, घास, गन्ने के छिलके, चिथडे, रद्दी कागजों का उपयोग कच्चेमाल के रुप में किया जाता है। सर्वप्रथम कर्नाटक में शिवमोग्गा तथा चिक्कमगलूरु के घने जंगलों को ध्यान में रखकर भद्रावती में 'मैसूर पेपर मिल लिमिटेड' की स्थापना सन् 1936 में की गई। तत्पश्चात व्यक्तिगत कंपनी वेस्टकोस्ट (पश्चिमी घाट) पेपर मिल की स्थापना दांडेली में की गई। यहाँ कच्चामाल निकटवर्ती वन क्षेत्रों से बाँस, नीलगिरि वृक्ष का गूदा, काली नदी से जल, जोगप्रपात से विद्युत आदि उपलब्ध होता था। नंजनगूडु, कृष्ण राज नगर, सत्यगाला, मुंडगोड, मुनीराबाद, यडियूरु तथा बेंगलूरु राज्य का शेष कागज उत्पादन क्षेत्र है। भारत में कागज उत्पादन के लिए कर्नाटक चौथा स्थान रखता है। कर्नाटक प्रति वर्ष 3.6 लाख टन कागज उत्पादन करता है।

सीमेंट उद्योग

कर्नाटक में नगरीकण तथा औद्योगिकीकरण का विकास बढ़ने के साथ–साथ निर्माण कार्य में सीमेंट की मांग भी बढ़ गयी है। मकान बनाने, बडे–बडे सार्वजनिक भवनों के निर्माण, सडक, पुल, बाँध आधि के निर्माण के लिए सीमेन्ट आवश्यक है।

सीमेन्ट उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक अत्यधिक चूनापत्थर राज्य में उपलब्ध है । साथ ही जिप्सम तथा बाक्सइट भी उपलब्ध है। केवल कोयला पड़ोसी राज्यों से आयात किया जाता है। जल, बालू, यातायात, विद्युत शक्ति (ऊर्जा), चिकनी मिट्टी, विस्तृत व्यापार की सुविधा भी सीमेन्ट उद्योग के विकास में सहायक रही है।

क्रिया कलाप

अपने समीप के उद्योग केंद्र में जाइए और वहाँ प्रयोग की जानीवाली कच्ची सामग्री का संग्रह वे कैसे करते है, जाने।

©KTBS Not to be republished

राज्या का प्रथम सीमेन्ट कारखाना सन् 1939 में भद्रावती में स्थापित हुआ। तत्पश्चात बागलकोट, तुमकुरू जिले के अमसंद्रा,कलबुरगी जिले के शाहाबाद में सीमेन्ट के कारखाने स्थापित हुए। अन्य सीमेन्ट उद्योग केन्द्रों में वाडी, लोकापुर, चित्रदुर्गा जिले का इट्टिगेहली, मडकेरे, कंचीपुरा, कलदगी, कुरकुंटा, सेडम और चितापुर प्रमुख है। देश के कुल सीमेन्ट उत्पादन का 8 प्रतिशत भाग कर्नाटक में उत्पदित होता है। कर्नाटक राज्य लगभग 121 लाख टन वार्षिक सीमेन्ट उत्पादन की क्षमता रखता है।

सूचना– तकनीकी उद्योग

कर्नाटक भारत का प्रमुख ज्ञान (सूचना) एवं तकनीक केन्द्र है। यहाँ सूचना तकनीकी उद्योग का काफी विकास हुआ। है। अनेक प्रौद्योगिक महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, कंप्यूटर (गणकयंत्र) आधारित तकनीकी कोर्स (पाठ्यक्रमों) पर अधिक बल दिया जा रहा है। जिससे परिवर्तित अगाध मानव शक्ति है। इससे अनेक सॉफ्टवेयर उद्योगों की स्थापना हुयी है और कर्नाटक का इस दिशा में भारत में अति उन्नत स्थान है।

बेंगलूरु ; भारत का प्रमुख सूचना तकनीकी केंद्र

बुहत् बेंगलूरु भारत का 'सिलीकॉन घाटी' के नाम से प्रसिद्ध है। सॉफ्टवेयर (तकनीकी अंश) अथवा कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामग्री उत्पादन तथा निर्यात करने में यह प्रथम स्थान रखता है। यह जगत (विश्व) के दस प्रमुख उन्नत तकनीकी (हाइटेक) नगरों में से एक है। इसके आस–पास के अन्य नगरों में भी सॉफ्टवेयर उद्योग व्यापक रुप में फैल रहा है। इस एक ही नगर (बेंगलूर) में 1200 आइ. टी. बी. टी. उद्योग तथा लगभग 4 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार को व्यवस्था हो सकी है। यहाँ विश्व की कुछ प्रसिद्ध कंपनियों ने अपनी शाखाएँ स्थापित की हैं। इसका कारण उत्तम जलवायु, विद्युत आपूर्ति, तकनीकी विशेषज्ञ (निपुण), आर्थिक सहायता, विस्तृत बाजार तथा मूल सुविधाओं का होना है। इससे बृहत् बेंगलूरु भारत के प्रतिष्ठित सूचना तकनीकी केंद्र के रुप में जाना जाता है।

बेंगलूरु में इंफोसिस, विप्रो आदि प्रतिष्ठित कंपनियाँ हैं। इनकी विविध शाखाएँ राज्य के अन्य कुछ नगर केंद्रों में देखी जा सकती हैं। उदा– मैसूरु, हुब्बाल्ली, कलबुरगि, शिवमोग्गा, तुमकूरु, मंगलूरु आदि। मानव संसाधनों की सूचना, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पाठयक्रम आदि की जानकारी देने के लिए यह उद्योग बडा उपयोगी है।

©KTBS Not to be republished

कर्नाटक के उद्योग धन्धों के क्षेत्र

राज्य में उद्योग धन्धों की व्यापकता के आधार पर कर्नाटक में 5 उद्योग क्षेत्र बाँटे जा सकते है। वे हैं –

1. बेंगलूरु – कोलार–तुमकुरू उद्योग क्षेत्र– यह अत्यंत अधिक उद्योगोंवाला क्षेत्र है।
2. बेलगावी– धारवाड क्षेत्र
3. दक्षिण कन्नड, उडुपि जिला।
4. बल्लारी–रायचूर– कोप्पल जिला उद्योग क्षेत्र ।
5. मैसूरु– मंड्या उद्योग क्षेत्र

अभ्यास

I. रिक्त स्थनों की पूर्ति कीजिए:

1. कर्नाटक में सर्वप्रथम लौह और इस्पात कारखने की स्थापना _____ में हुयी।
2. कर्नाटक का मेनचेस्टर _____ कहलाता है।
3. गन्ने से _____ का उपादन होता है।
4. अम्मासंद्रा में _____ कारखाना स्थित है।
5. सिलीकॉन घाटी के नाम से _____ नगर को जाना जाता है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

1. कर्नाटक में कारखनों की वृद्धि (विकास) के बारे में एक टिप्पणी लिखिए।
2. कर्नाटक में लौह और इस्पात कारखानों के बारें में विवरण दीजिए।
3. सूती कपडों के कारखाने कर्नाटक में कहाँ–कहाँ हैं ?
4. चीनी की कारखाना स्थापित करने के लिए आवश्यक अंशों को बताइए।
5. बेंगलूरु में सूचना तकनीकी उद्योगों के केंद्रीकृत होने का कारण समझाइए।

©KTBS Not to be republished

III. सुमेलित कीजिए:

अ	आ
1. दान्डेली	अ) सीमेन्ट
2. तोरणगल	क) सूती कपडा
3. मोलकाल्मूरू	ज) कागज
4. शाहाबाद	प) कप्प्यूटर
5. इन्फोसिस	ब) लौह एंव इस्पात

IV. क्रिया कलाप:

1. कर्नाटक के मानचित्र की रचना कर उसमें कर्नाटक के प्रमुख उद्योग धन्धों को नामांकित कीजिए।

V. योजना/प्रदत्त कार्य:

1. अपने निकटवर्ती कारखाने का दौरा कीजिए । वहाँ उपयोग किए जाने वाले कच्चेमाल, उसका संग्रह और उससे तैयार वस्तु के बारे में रपट तैयार कीजिए।
2. बेंगलूरु नगर में देखे जाने वाले ज्ञानाधारित औद्योगिक संस्थाओं की एक सूची तैयार कीजिए।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 9

कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन केन्द्र

इस अध्याय से निम्नलिखित अंशों को जानेंगे

- *कर्नाटक के नैसर्गिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का परिचय तथा महत्व।*
- *प्रमुख प्रेक्षणीय स्थानों का विवरण तथा उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व।*
- *प्रमुख पहाड, जलप्रपात, ऐतिहासिक स्थान।*

''देश देखो कोश पढो'' यह कन्नड भाषा की कहावत है। लोग अपने व्यापार विकास के लिए, कौतूहल के लिए, धार्मिक आचरण, मन को शांति, घूमने, सुन्दर स्थलों को देखने की जिज्ञासा, खुशी के लिए, स्वास्थ्यवर्धन के लिए, अपने वास स्थान से उचित स्थानों पर जाकर कुछ दिन विहार करके वापस आने को पर्यटन या प्रवास कहते हैं। पर्यटन स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था, लघु आहार की व्यवस्था होती है। इससे लोग उन स्थानों पर कुछ दिन ठहरकर अन्य प्रेक्षणीय स्थलों को प्रस्थान करते हैं।

आधुनिक जगत में पर्यटन मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। पर्यटन से प्रांत संस्कृति नागरिकता, जनजीवन का क्रम आदि समझने का मौका मिलता है।

कर्नाटक भारत के अनेक प्रेक्षणीय स्थलों वाले प्रसिद्ध राज्यों में से एक है। कर्नाटक प्रकृतिदत्त अनेक सुंदर स्थलों से परिपूर्ण है। हरियाली युक्त मनमोहक पश्चिमी घाट, वहाँ की नदियाँ, जलप्रपात, सुन्दर मनोहर घाटियाँ, वन्यजीवन, चंदनवन आदि कर्नाटक के सौन्दर्य में वृद्धि करते हैं। सुन्दर समुद्री तट, ऐतिहासिक स्थल, शिल्पकला सौन्दर्य से युक्त मंदिर विविध धर्मों के धार्मिक केन्द्र, देशविदेश के लोगों को आकर्षित करते हैं। इनके महत्व को समझकर कर्नाटक के प्रेक्षणीय स्थलों को देखने के लिए सरकार ने सन् 1974 में व्यवस्थित पर्यटन तथा पालन/निर्वाह के लिए कर्नाटक प्रवासोद्यम निगम (KSTDC) की स्थापना की। प्रवासियों के लिए मूल भूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने, यात्री निवास, प्रवासी गृह, नाश्ता पानी केन्द्र आदि की व्यवस्था प्रमुख प्रेक्षणीय स्थानों में की गई है।

कर्नाटक पर्यटकों के लिए स्वर्ग जैस आनंद देता है। यह विविध सुंदर स्थलों से पूर्ण है। तथा लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। युनेस्को (UNESCO) ने हंपी, पट्टदकल और आजकल पश्चिमी घाटों कों 'विश्व परम्परा स्थल', कह कर परिचय कराया है। इससे सम्पूर्ण विश्व में कर्नाटक को ख्याति मिली है।

©KTBS Not to be republished

कर्नाटक सरकार ने नवीन प्रवासोद्यम नीति को जारी कर निजी/अशासकीय संस्थाओं की मौका और प्रोत्साहन दिया है। उत्तम प्रवासोद्यम निर्वहण राज्य के रूप में सन् 1996-97 में इस राज्य को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित प्रेक्षणीय स्थल कर्नाटक में प्रसिद्ध हैं।

कर्नाटक का पर्वतीय स्थल: कर्नाटक वैविध्यमय भूस्वरूप वाला प्रदेश है। अनेक ऊँचे पर्वत श्रेणियों से युक्त है। यहाँ अनेक पर्वतीय क्षेत्र इनमें प्रमुख हैं। चिक्कमगलूरु जिला के कुदुरेमुख प्रमुख गिरिधाम है। इसके चारों ओर हरे भरे घने जंगल, पहाड, कांफो के बागन, जलप्रपात है। जिस कारण यह बड़ा ही आकर्षणीय स्थल है।

चिकबल्लापूर जिले का नंदी पर्वतीय क्षेत्र समुद्रतल से लगभग 1492 मीटर ऊँचा है। यहाँ की जलवायु ठंडी है। यह बेंगलूर के काफी निकट होने कारण लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। यहाँ आवास तथा खाने पीने की व्यवस्था होने के कारण ठहरने की सुविधा भी है। अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए महात्मा गाँधीजी यहाँ ठहरे थे इसलिए 'गाँधी भवन' का निर्माण किया गया।

इसी प्रकार बिलिगिरिरंगा पहाड, आगुंबे का सूर्यास्त स्थल, केम्मण गुंडी, देवरायन दुर्गा, चित्रदुर्ग जिले का जोगी मट्टी,कोडचाद्री हिमयुक्त गोपालस्वामी पहाड, रामनगर की चट्टानें मधुगिरि का एक शिलापहाड, विस्मयकारी याणा की चट्टानें, मडकेरी आदि ग्रीष्म ऋतु में ठहरने के स्थान हैं तथा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

कर्नाटक के जलप्रपात: हमारा राज्य जलप्रपातों को नगरी है। मलेनाडु (पर्वतीय प्रदेश) अनेक जलप्रपातों से युक्त है। वर्षाकाल में इनका जल बड़ेवेग से बहता है। उत्तर कन्नडजिले में अत्यन्त अधिक जलप्रपात है।

भारत का सबसे ऊँचा जल प्रपात जोग शिवमोग्गा जिले में है। यहाँ शरावती नदी चार भागों में बंटकर लगभग 292 मीटर की ऊँचाई से गिरती है। इन्हें राजा, रोरर, रॉकेट तथा रानी के नाम से जाना जाता है। यह वर्षाकाल में पूर्ण जल पूरित होकर, सौन्दर्यमय होकर विस्मरणीय रूप प्रस्तुत करता है।

कावेरी नदी मंड्या के निकट शिवन समुद्र के निकट गगनचुक्की, भरचुक्की जुडवाँ जलप्रपात का निर्माण करती है। मडकेरी के निकट का अब्बीप्रपात बडा सुन्दर है। केम्मण गुंडी गिरिधाम में हेब्बे जलप्रपात है। कल्हतगिरि जलप्रपात उत्तर कन्नड जिले का उँच्चल्ली जलप्रपात मागोडु जलप्रपात, बेलगावी का गोकाक जलप्रपात अन्य, प्रमुख जलप्रपात है। यह घटप्रभा नदी द्वारा निर्मित है। इसे 'कर्नाटक का न्याग्रा' कहा जाता है।

क्रिया कलाप

अपने विद्यालय स्तर पर जिला दर्शन की व्यवस्था कर जिले के प्रमुख केंद्रो की टिप्पणी तैयार करें।

©KTBS Not to be republished

कर्नाटक के वन्यजीव धाम (स्थल)

कर्नाटक राज्य घने जंगलों से युक्त प्रदेशों वाला राज्य है। जंगल तथा जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार अनेक वन्यजीवी धाम, पक्षीधाम, राष्टीय उद्यानवान, बाघ धाम, विविध जीवों के क्षेत्रों का निर्वाह कर रही है।

कर्नाटक में पाँच राष्ट्रीय उद्यानवन हैं। वे हैं नागरहोले का राजीव गाँधी राष्ट्रीय उद्यानवन, बंडीपुर, बन्नेरघट्ट, कुदरेमुख तथा अंक्षी राष्ट्रीय उद्यान वन।

प्राणियों का उनके ही क्षेत्र में संरक्षण (सुरक्षा) प्रदान करने के लिए राज्य में 18 वन्यजीव धाम निर्मित है। उनमें प्रमुख है मुत्तोडि, बंडीपुर, नाराहाले, दांडेली, भद्रा वन्य जीव धाम, रंगनतिट्टु, कोक्करे बेल्लूर, मंदगद्दे, गुडवि पक्षीधाम इत्यादि।

आओ अपने शहर के बारे में जानें

हमारे राज्य के प्रत्येक स्थान अपना ही महत्व रखते हैं। इस प्रकार हमारे शहर के इतिहास तथा महत्व के बारे में पूर्वजों से जानकारी एकत्र करेंगे।

कर्नाटक सुन्दर समुद्रीतट से युक्त राज्य है। उनमें गोकर्ण का ओम बीच (तट) उल्लाल बीच, मुरूडेश्वार, मरवंते, मलपे इत्यादि समुद्रीतट असंख्य पर्यटकों को आकर्षित करता है।

उडुपि के समीप सेंट मेरीस मनोहारी द्वीप विशिष्ट स्तम्भाकार प्राकृतिक चट्टान वाला मनोहारी स्थल है। मुरूडेश्वर का नेत्राणी द्वीप, कारवार का देवगढ़ और कूर्मागढ़ द्वीप सुंदर पर्यटन स्थन है।

ऐतिहासिक क्षेत्र (चारित्रिक स्थान): हमारे प्रांत के शासक कदंब, होयसल. चालुक्य, विजयनागर शासकों ने उनके द्वारा निर्मित शिल्पकला के वैभव से युक्त लोगों को आकर्षित करते वाले अनेक स्थानों को अपने पीछे छोडा है। उनमें हंपी, बेलूर, हलेबीड, सोमनाथपुर, बादामी, पट्टदकल अयहोले, बीजापुर का गोलगुंबज, लक्कुंडी, आदि ऐतिहासिक स्थल प्रमुख है। ये राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त क्षेत्र है।

यात्रास्थल: कर्नाटक में अनेक यात्रास्थान है। धर्मस्थल, उडुपि, श्रृंगेरी, होरनाडु, कोल्लूर, गोकर्ण, उलवि, शिरसी, श्रवणबेलगोल, कूडलसंगम, मेलूकोटे आदिचुंचनगिरि, कारकला, देवागुड्डा, मैलारक्षेत्र,कलबुरगी का बंदे नवाज दरगाह,विजयापुरा का इब्राहीम रजा, शिरा का मल्लीकर हान दरगाह, मैसूरु का सेंट फिलेमिना चर्च मंगलूर का रोजारियो केथेड्रल चर्च आदि प्रमुख यात्रास्थल हैं।

कर्नाटक के किले: चरित्र सम्बधी अनेक सुरक्षित दुर्ग (किले) कर्नाटक में आज भी पर्यटकों के प्रमुख स्थान हैं। बीदर दुर्ग, विजयापुरा,कलबुरगी, विजयनगर दुर्ग, केलदी, चित्रदुर्ग का किला, मधुगिरी नंदी पहाड, पावागढ, मंजराबाद, उच्चंगी दुर्ग, कवलेदुर्ग, पारसगढ, श्रीरंगपट्टण, तटीय दुर्गों में बहादुरगढ़, बसराज दुर्ग, देवगढ, कूर्मगढ इत्यादि प्रमुख दुर्ग हैं।

©KTBS Not to be republished

ये ऊपरलिखित सभी प्रेक्षणीय स्थल कर्नाटक के गौरव में चार चांद लगाते हैं। हमारी राजधानी बेंगलूर आजकल पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। यहाँ की उत्तम जलवायु, विधानसभा जैसी सुंदर इमारतें कब्बन पार्क, लालबाग जैसे अनेक आकर्षक उद्यान इसे उद्यान नगरी कहने के लिए उपयुक्त है। यह कर्नाटक का अति बृहत् नगर है। राष्ट्रस्तर के बृहत् नगरों में बेंगलूरु एक है।

उसी प्रकार मैसूरु राजमहलों का नगर है। यहाँ अनेक सुन्दर राजमहल है। यहाँ के सुप्रसिद्द दशहरा त्योहार के अवसर पर देश-विदेश से लाखों लोग यहाँ आते है। यहाँ चामुंडी पहाड, कृष्णराजसागर, वृंदावन उद्यान आदि प्रमुख प्रेक्षणीय स्थल है।

ज्ञात रहे:

- प्राकृतिक विस्मय युक्त स्थल कर्नाटक में है। सिंतेरी रॉक, बेगलूर का केगेरी के निकट रामहल्ली का वृहत् बरगद वृक्ष, सवणूर के विस्मय कारी इमली के वृक्ष आदि।
- अपने गाँव तथा आस-पास के गाँवों के ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों आदि के बारे में जानकारी संग्रह कीजिए

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

1. नंदी पहाडी स्थान (हिलस्टेशन) _____ जिले में है।
2. अब्बी जलप्रपात _____ नगर के निकट है।
3. कर्नाटक का न्याग्रा नाम से _____ जलप्रपात प्रसिद्ध है।
4. गोकर्ण के निकट _____ बीच (समुद्री तट) है।
5. ''राजमहलों का शहर'' नाम से _____ नगर जाना जाता है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

1. यात्रा द्वारा होने वाले लाभ कौन- कौन से हैं?
2. यात्रा स्थलों में आवश्यक मूल सुविधाओं के बारे में लिखिए।
3. कुद्रेमुख पहाडी स्थल के बारे में टिप्पणी लिखिए।
4. कर्नाटक के वन्यजीव धामों के नाम लिखिए।
5. कर्नाटक के अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों के बारे में लिखिए।

©KTBS Not to be republished

III. सुमेलित कीजिए:

अ	आ
1. बिलिगिरि रंगा पहाड़	अ) उत्तर कन्नड जिला
2. जोगी मट्टी	क) चामराजनगर
3. याणा	ज) पक्षीधाम (चिडियाघार)
4. अथनी	प) चित्रदुर्गा
5. रंगनतिट्टू	ब) राष्ट्रीय उद्यान वन
	म) मयूरधाम

IV. क्रियाकलाप:

1. कर्नाटक के पर्वतीय स्थल, वन्य धामों की सूची बनाएँ।
2. कर्नाटक के प्रमुख प्रेक्षणीय स्थलों के बारे में अपना यात्रा अनुभव लिखिए।

V. प्रदत्त कार्य:

1. पर्यटन स्थलों का छवि चित्र संग्रह कर अलबम तैयार कीजिए।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 10

कर्नाटक की जनसंख्या

इस अध्याय से निम्नलिखित अंशों को जानेंगे

- *कर्नाटक की जनसंख्या का महत्व।।*
- *जनसंख्या वृद्धि, आकार एवं वितरण।*
- *जनसंख्या घनत्व और साक्षरता।*
- *घनी जनसंख्या (आबादी) का परिणाम, प्रमुख आबादी वाले नगर।*

एक निर्दिष्ट भू-भाग पर निवास करने वाले जन-समूह को जनसंख्या कहते हैं। यह उस प्रदेश की अभिवृद्धि(विकास) पर प्रभाव डालता है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग देश के विकास में सहायक होता है। वह जनसंख्या के आकार, वृद्धि, आयु रचना, विशेषता पर आधारित है।

जानसंख्या का आकार : इससे पूर्व, जैसा कि बताया जा चुका है कर्नाटक विस्तार की दृष्टि से आठवें स्थान पर है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की जनसंख्या 6,11,30,704 है। इसमें पुरूषों की संख्या 3,10, 57, 742 तथा महिलाओं की संख्या 3,00,72,662 है। जनसंख्या की मात्रा राज्य के सभी जिलों में समान रूप से वितरित नहीं है। बेंगलूरु के शहरी इलाकों में अत्यधिक जनसंख्या है तथा राज्य में यह प्रथम स्थान पर है। कोडगु इस तुलना में अंतिम स्थान रखता है। बेंगलूर के बाद बेलगावी मैसूरु,तुमकूरु, कलबुरगी तथा बल्लारी जिलों में जनसंख्या अधिक है।

जनसंख्या वृद्धि: सन् 2001 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की कुल जनसंख्या 5,28,50,562 थी। सन् 2001 से सन् 2011 तक जनसंख्या में 80,80, 142 बढोत्तरी हो गयी है। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि की दर 17.64 से कम है। इसका कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा जन जागृति साक्षरता कार्यक्रम तथा जन्म (पैदाइश) पर रोक, गर्भनिरोधक आदि है।

जनसंख्या घनत्व: प्रति एक कि.मी. क्षेत्रफल में निवास करने वाली औसतन जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सन् 2001 की जनगणन के अनुसार हमारे राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति कि मी, क्षेत्र फल में 275 था। वह सन् 2011 तक 319 हो गया है। फिर भी भारत की औसत जनसंख्या के अनुसार कम है। जिलानुसार जनसंख्या घनत्व को देखा जाए तो बेंगलूरु नगर की जनसंख्या का घनत्व अधिक है। तथा राज्य में प्रथम स्थान पर हैं। दक्षिण कन्नड, मैसूरु, बेंगलूरु, ग्रामीण क्षेत्र, धारवाड, कोलार ग्रामीण क्षेत्र, धारवाड, कोलार जले इसके बाद गिने जाते है। इसकी तुलना में कोडगू (135) अत्यंत कम जनघनत्व का उदाहरण है।

©KTBS Not to be republished

ग्रामीण तथा नगर जनसंख्या: कर्नाटक ग्राम प्रधान राज्य है। यहाँ 29, 340 गाँव है। सन् 2011 के अनुसार इनमें कुल 3.75 करोड़ जनसंख्या का वास है। अर्थात कर्नाटक की कुल जनसंख्या का 61.4 प्रतिशत गाँवों में तथा शेष 38.6 प्रतिशत भाग । (2.35 करोड) शहरों में बसा है। भारत की जनसंख्या के औसतकी तुलना में कर्नाटक की जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुयी है। सभी जिलों में यह समान नहीं है। बेंगलूरु नगर जिला अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या युक्त है। कोडगु अत्यंत कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है।

लिंग अनुपात: प्रत्येक एक हजार पुरुषों (स्त्री पुरुष का अनुपात) के लिए म हिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। सन् 2001 में लिंगानुपात 965 था, जो सन् 2011 में 968 हो गया है। सभी जिलों में यह अनुपात भी समान नहीं है। उडुपि, कोडगु, दक्षिण कन्नड, हासन जिलों में । पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है। । उडुपि जिले में प्रति एक हजार पुरूषों के अनुपात में 1093 स्त्रयाँ है। जो कर्नाटक राज्या का सर्वाधिक स्त्री अनुपात का जिला है। कोडगु, दक्षिण कन्नड, हासन जिले इसके बाद गिने जाते हैं बेंगलूर नगर के जिलो में प्रति एक हजार पुरूषों के अनुपात में 908 स्त्रियाँ हैं, जो राज्य के अत्यत कम स्त्रियों के अनुपात का क्षेत्र है।

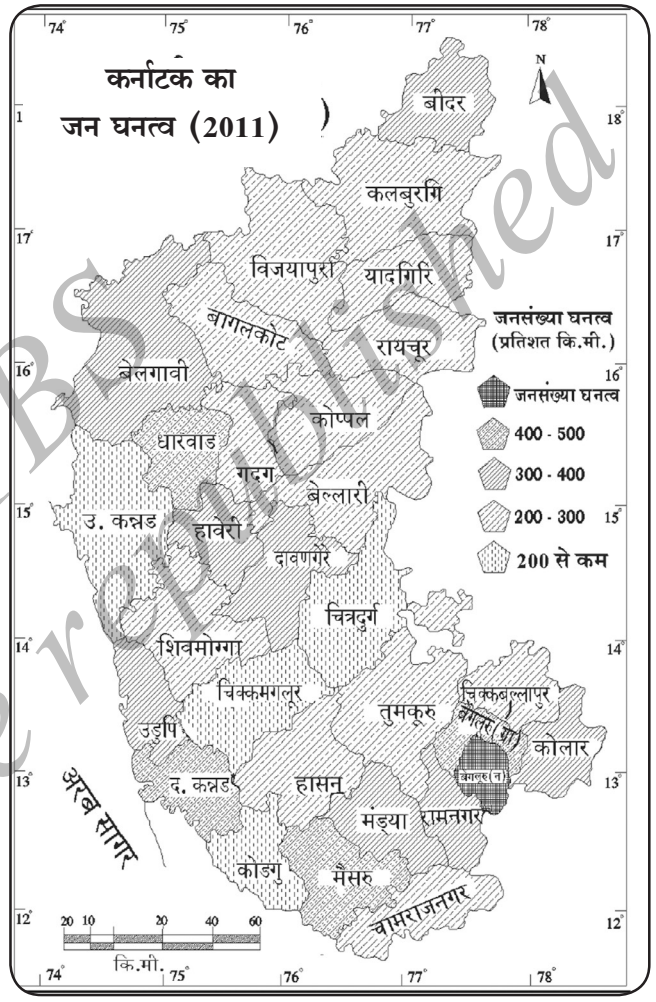

आयु – औसत रचना: सन् 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे 29.7 प्रतिशत हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की संख्या सैकडा 5.5 भाग है तथा 15 से 60 वर्ष तक की आयु वाले कार्यरत लोगों की संख्या सैकडा 64.9 भाग है।

साक्षरता–दर: लिखने का ज्ञान रखने वाले लोगों को साक्षर कहा जाता है। राज्य का साक्षरता दर औसतन सन् 2011 में सैकडा 75.6 प्रतिशत भाग था, जो भारत का 74% उत्तम औसत है। जिलानुसार साक्षरता प्रतिशत दक्षिण कन्नड में 88.6छ है तथा यह साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तत्पश्चात बेंगलूरु नगर जिला 88.5% द्वितीय स्थान रखता है। उडुपि और कोडगू जिले क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। इसके विपरीत यादागिरि 52.4% अत्यंत कम साक्षरता वाला जिला है। कर्नाटक में पुरुषों की साक्षरता का दर सैकडा 82.9% है तो महिलाओं की साक्षरता का दर सैकडा 68.2% है। नगर तथा ग्रामीण प्रदेशों की साक्षरता को देखने पर ज्ञात होता है कि–नगर प्रदेशों की साक्षरता ग्रामीण प्रदेशों की तुलना में स्वाभाविक रुप से अधिक है।

चर्चा करें :

राज्य की जनसंख्या राज्य का मानव संसाधान है? कैसे?

©KTBS Not to be republished

कर्नाटक के प्रथम दस घनी आबादी वाले (सन् 2011) क्षेत्र

क्र.सं	नगर	जनसंख्या	क्र.स	नगर	जनसंख्या
1.	बेंगलूरु	84,99,399	6.	कलबुरगी	5,41,617
2.	मैसूरु	9,83,893	7.	दावणगेरे	4,35,128
3.	हुब्बल्ली धारवाड	9,43,857	8.	बल्लारी	4,09,644
4.	मंगलूर	6,19,664	9.	विजयपुरा	3,26,360
5.	बेलगावी	6,10,189	10.	शिवमोग्गा	3,22,428

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1. 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की कुल जनसंख्या _____है।
2. कर्नाटक का _____ जिला अत्यधिक जनसंख्य वाला जिला है।
3. महिलाओं की संख्या _____ जिले में सर्वधिक है।
4. कम जनसंख्य वाला जिला _____ है।
5. कर्नाटक में प्रति एक कि. मी क्षेत्र फल जनसंख्या घनत्व_____ का है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

1. कर्नाटक की जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिखिए।
2. अत्यधिक और यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के नाम लिखिए।
3. कर्नाटक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण के बारे में लिखिए।
4. कर्नाटक की साक्षरता के बारे में संक्षित टिप्पणी लिखिए।

III. क्रियाकलाप:

1. कर्नाटक के नक्शे में जनसंख्या घनत्व के अनुरूप साक्षरता वितरण को दर्शाएं।

IV. योजना/प्रदत्त कार्य**:**

1. आप अपने आवासीय क्षेत्र, शहर अथवा गांव संबंधी जनसंख्या घनत्व का विवरण संग्रह कर एक टिप्पणी लिखिए।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

अर्थशास्त्र

अध्याय – 3

गरीबी और भूख

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी –

- *गरीबी का अर्थ और कारण*
- *गरीबी रेखा की परिकल्पना*
- *भारत में गरीबी की मात्रा*
- *भूख और खाद्य सुरक्षा*
- *गरीबी और भूख के लिंग आयाम*
- *गरीबी निर्मूलन के लिए प्रचलित कार्यक्रम*
- *खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता और उसे साकार बनानेवाले कार्यक्रम*

भारत की पंचवार्षिक योजना में गरीबी हटाने का लक्ष्य होने के बाद भी प्राथमिक सुविधा के अभाव में आज भी जनसंख्या की मात्रा अधिक हुई है। इस अध्याय में गरीबी का अर्थ, उसे दूर करने का प्रयास, खाद्य सुरक्षा आदि का अध्ययन करेंगे।

गरीबी का अर्थ :

आप अपने आस पास के जीवन को जब देखेंगे तो नगर और ग्रामीण प्रदेश दोनों में गरीबी को देखते हैं। नगरों में सडक के किनारे व्यापार करनेवाले कुली, श्रमिक, भिक्षुक, छोटे छोटे उद्यम के कार्मिक, घुमक्कड आदि लोग गरीब कहलाते हैं। गाँवों में अपनी निजी जमीन न होकर दूसरों के खेत में मजदूरी करनेवाले, खेती से भिन्न काम करने वाले, टोकरी बुनने वाले, घडा बनाने वाले, कुम्हार आदि गरीब हैं।

गरीब दो वक्त का कौर कमाने में भी असफल होते हैं। इससे वे अपौष्टिकता और अस्वस्थता से तडपते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के बिना कुशलता प्राप्त नहीं करते। इन्हें रोजगार का अवसर बहुत कम मिलता है। स्थाई उद्योग नहीं मिलता। कच्चा मकान या वे गृह विहीन होते हैं। इस प्रकार मानव जीवन के लिए जो मूल सुविधा जैसे रोटी, पानी, कपडा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से रहित और वंचित स्थिति कों गरीबी कहते हैं। गरीबी को पहचान कर उसकी मात्रा का मापन करने निश्चित मानदंड की आवश्यकता है। स्वातंत्र्य पूर्व में दादाभाई नवरोजी ने गरीबों को पहचानने के लिए गरीबी सेवा को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसे गरीबी को मापने की प्रमुख सूची माना जाता है। गरीबी रेखा क्या है? व्यक्ति की अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने की निम्नतम आय का परिमाण या मात्रा गरीबी रेखा है। यह व्यक्ति की जीविका को दर्शाता है।

©KTBS Not to be republished

2005 में प्रो सुरेश तेंडुल्कर समिति की सिफारिश के अनुसार खाद्य के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात पर खर्च करने का मासिक अनुभोग आय के आधार पर गरीबी रेखा की रचना की गयी है। तत्पश्चात सी. रंगराजन समिति ने तेंडुल्कर समिति की सिफारिशों का अनुसरण करके ग्रामीण भाग में 32 और नगरों में 42 तक के मासिक अनुभोगी आय को गरीबी रेखा की सीमा तय की है इससे अधिक खर्च करनेवालों को गरीबी सेवा के ऊपर रहनेवाले माना जाता है। गरीबी रेखा से निचले स्तर के लोग गरीब कहलाते हैं।

उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विश्व बैंक द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 1.25 डालर पैसा कमाने में असमर्थ रहता है उसे गरीबी रेखा के निचले स्थान में रखा जाता है। इस के अनुसार 41% प्रतिशत लोग हाल ही में गरीब माने गए हैं।

भारत में गरीबी की सीमा :

विविध समिति और कार्यकारी समूहवालों की व्यवस्था के अनुसार और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगलन की समीक्षा में कही गयी बातों के अनुसार गरीबी सेवा से निचले लोगों की सीमा को पहचान कर चित्र में दिखाया गया है।

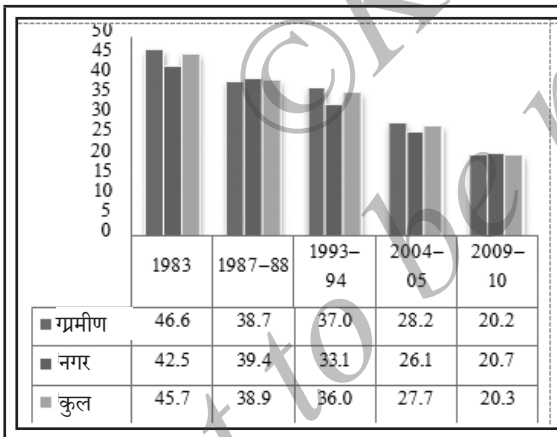

	1983	1987–88	1993–94	2004–05	2009–10
ग्रमीण	46.6	38.7	37.0	28.2	20.2
नगर	42.5	39.4	33.1	26.1	20.7
कुल	45.7	38.9	36.0	27.7	20.3

गरीबी रेखा के निचले स्तर में रहनेवाले लोगों का औसत

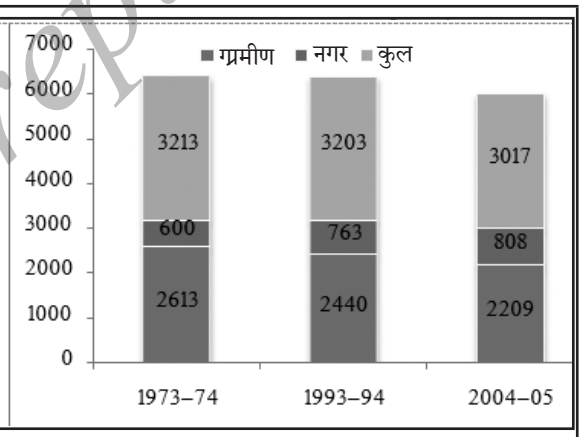

भारत में गरीबों की कुल संख्या

1983 में 46% प्रतिशत गरीबी का परिमाण या सीमा 2009–10 तक 20% तक निचले स्थान में पहुँच चुकी थी। गाँव और नगर दोनों में गरीबी की सीमा कम हुई है। सन 2000 से आगे गरीबी और भी निम्नस्थान पर आकर गाँव के लोगों की गरीबी, नगर के लोगों की गरीबी से अधिक तेजी से नीचे आयी है। गरीबों की संख्या को चित्र–2 में दिखाया गया है।

©KTBS Not to be republished

चित्र में जैसे दिखाया गया है उसके अनुसार गरीबों की संख्या 1973-74 तथा 2004-05 की अवधी में 3213 लाख से 3017 लाख तक कम हुई है। औसत की दृष्टि से गरीबी कम हुई है लेकिन गरीबों की संख्या कम न होकर आज भी करीब 30 करोड गरीब है। ग्रामीण गरीब कुल गरीबों के 73% प्रतिशत कम होकर नगर प्रदेशों में गरीबों की संख्या अधिक हुई है।

भारत में गरीबी के कारण :

भारत की गरीबी के लिए अनेक ऐतिहासिक आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक कारण है। लेकिन गरीबी के प्रमुख आर्थिक कारणों को निम्नलिखित रुप में विवरण दिया जाता है।

1. बढ़ती जनसंख्या : जनसंख्या के अधिक बढ़ने से कोई भी कार्यक्रम को लागू करने पर बढ़ती जनसंख्या को मूल सुविधा पहुँचाने में असफल होते है।

2. राष्ट्रीय आय की कमी और उसके विकास में मंदगति : एक ओर देश अनाभिवृद्धि और दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या प्रतिव्यक्ति आय को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह एक विष वर्तुल की रचना का कारण बना। कम आमदनी - कम बचत - कम पूंजी लगाना - कम उत्पादकता - कम तथा मंदगति की आय विकास - और भी अधिक गरीबी जैसे विषैली वस्तु को जन्म दिया है।

3. दरों का बढना : प्रतिदिन बढ़नेवाले दर, गरीबों को लेने की शक्ति को कम किया है। उन्हें सुविधा से वंचित करके गरीब बना दिया है।

4. बेरोजगारी : अभिवृद्धि की प्रक्रिया रोजगार की अपेक्षा करनेवाले लोगों को पूर्ण रुप से न अपनाने के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है।

5. पूंजी की कमी : कम आय, कम बचत के कारण पूंजी जुटाने में भी कमी देखी जाती है। इससे उत्पादकता पर उल्टा असर पड़ता है।

भूख और खाद्य सुरक्षा :

गरीबी का प्रमुख लक्षण भूख है। अर्थात प्रतिदिन पौष्टिक खाद्य न मिलना खाद्य पदार्थ भौतिक रुप से न मिलना या मिलने पर भी उचित आय की कमी के कारण उन्हें नही लेना खाद्य असुरक्षा का कारण बनता है। बहुधा गरीब लोग भूखे रहते हैं। आजकल भूख की सीमा को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति, सूच्यांक नामक मानदंड को निरुपित किया। हर साल विविध देश के भूखों की सीमा का मापन किया जाता है।

©KTBS Not to be republished

यह जाने

- विश्व भूख सूच्यांक की संरचना : निम्नलिखित आयामों को एकत्रित करके उसे रचा जाता है :
- अपौष्टिकता : कुल जनसंख्या में अपौष्टिकता से तडपनेवाले
- कुपोषित बच्चों की मात्रा : पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे जो अपनी लंबाई के अनुरुप कम वजनवाले हैं।
- नाटे बच्चों की मात्रा : अपनी आयु के अनुसार ऊँचाई न पानेवाले पाँच साल के बच्चे।
- बच्चों का मरण दर : पाँच साल के भीतर के बच्चों का मरण मात्रा।

2015 के विश्व भूख सूच्यंक के आधार पर 128 राष्ट्र की सूची में भूख की समस्या से जुडे राष्ट्रों को दिखाया गया है।

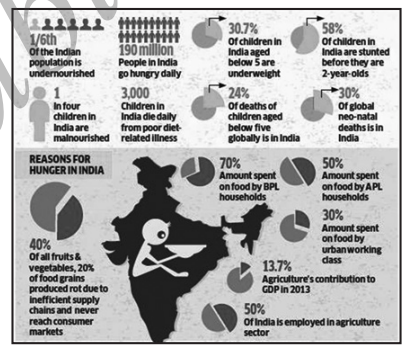

आजकल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य समीक्षा के अनुसार भारत में करीब 79% प्रतिशत गर्भिणी महिला रक्त हीनता से तडप रही हैं। प्रत्येक दो बच्चों में एक बच्चा, तीन महिलाओं में एक महिला कम वजन की होती है कम वजनवाले कुल विश्व के बालकों में 42% प्रतिशत बच्चे भारत में है। रक्तहीनता–कम वजन भूख और खाद्य न मिलने के कारण होती है। हम खाद्य अनाजों के उत्पादन में बहुधा स्वावलंबी बने है अपने देश के लिए जो अनाज चाहिए उसकी प्राप्ति हम स्वयं कर ले रहे है। दूध के उत्पादन में हम विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। फल और सतसी उत्पादन भी अधिक है। फिर भी भारत के बहुधा लोग भूख से तडप रहे हैं। यह एक समस्या है। लोगों में खाद्य को लेने की शक्ति न होना खाद्य वितरण का दोष आदि यह समस्या उत्पन्न हुई है।

खाद्य सुरक्षा :

देश के प्रत्येक नागरिकों को निम्नतम खाद्य उनकी पहुँच के मूल्य में देना आवश्यक है।

इसको हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं। खाद्य सुरक्षा एक प्रोत्साहदायक कार्य है। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह सहायक है खाद्य सुरक्षा इन तीनों की गारंटी रखता है।

1. देश के सब लोगों को खाद्य पहुँचाना।

2. सब लोगों को उत्तम खाद्य खरीदने की क्षमता बढ़ाना।

©KTBS Not to be republished

3. गरीबों में खाद्य खरीदने की जो रुकावट है, उन्हें दूर करना।

भारत में केंद्र तथा राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा को दो उपक्रमों द्वारा साकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है।**1. प्रतिरोधी भंडार 2. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था**

1. प्रतिरोधी भंडार : सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष निम्नतम प्रोत्साहन धन देकर खाद्य पदार्थों को खरीदकर बाँटा जाता है। इस काम के लिए 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई यह निगम खाद्य पदार्थों को खरीदी, संग्रह, वितरण आदि करता है। इसे प्रतिरोधी भंडार प्रक्रिया कहा जाता है।

2. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था : भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे अनाज को सरकार मार्केट के दाम से कम दामों में गरीबों को उचित मूल्यों की दुकान द्वारा वितरण करती है। इसके अलावा खाद्य तेल, चीनी, मिट्टी का तेल, अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं को बाँटा जाता है। पूरे भारत में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य वितरण दुकानें हैं। 16 करोड परिवार को इसका लाभ मिल रहा है।

इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड पाना अनिवार्य है इस राशन कार्ड से निश्चित रुप से परिवार को खाद्य वितरण किया जाता है। गरीबी रेखा से निचले स्तर के गरीबों को राशन कार्ड द्वारा कम मूल्य में प्रत्येक मास में खाद्य दिया जाता है। गरीब लोगों के लिए अंत्योदय खाद्य (अन्न) योजना जारी की गई है। इसके द्वारा कम दरों में खाद्य का वितरण होता है।

खाद्य भाग्य (अन्न भाग्य)

2013 में जारी की गई कर्नाटक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में यह एक है। भूख मुक्त कर्नाटक की परिकल्पना से इसकी रचना हुई है। गरीबी रेखा से निचले स्तर के परिवार के हर व्यक्ति को 5 कि.ग्रा. खाद्य धान (3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ / ज्वार / रागी को मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा एक लीटर तेल (Palm Oil) अयोडिन सहित नमक और एक किलो चीनी को अत्यंत कम मूल्य में दिया जाता है। इस प्रकार राज्य में अपौष्टिकता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा को विस्तृता करने सरकार समग्र शिशु अभिवृद्धि योजना (ICDS) को जारी किया है। इसके द्वारा गर्भिणियों में अपौष्टिकता को दूर करने का प्रयास है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजन को जारी करके पढाई करनेवाले छात्रों को भरपेट भोजन देने की व्यवस्था की गई है।

©KTBS Not to be republished

गरीबी हटाओ कार्यक्रम :

सरकार गरीबी हटाने के अनेक कार्य कर रही है। गरीबों को रोजगार देकर खाद्य खरीदने की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वे हैं –

1. आर्थिक अभिवृद्धि कार्य : आर्थिक अभिवृद्धि और गरीबी के बीच निकट संबंध है। देश के आर्थिक रुप से अभिवृद्धि होने से गरीबी कम होती है। पंचवार्षिक योजना द्वारा सरकार ने सभी के लिए आर्थिक अभिवृद्धि करने का प्रयास किया है।

2. गरीबी हटाओ कार्य : सरकार 1960 से आगे ग्रामीण भाग में स्थित जनसमुदाय के लिए आवश्यक रोजगार देने रोजगार निर्माण कार्य जारी किया है। उनमे दो भेद हैं।

1. स्व उद्योग कार्य : देश में स्थित गरीब और साक्षरों को पहचानकर उन्हें कर्ज देकर स्व उद्योग करने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बनायी गयी है। उनमें प्रमुख हैं – 1980 में जारी की गई समग्र ग्रामीण अभिवृद्धि योजना (IRDP), 1997 में जारी की गई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SSRY), 1999 में जारी की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना (SGSRY) और 2011 के आगे जारी की गई राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोपाय अभियान अथवा दीनदयाल अंत्योदय योजना।

2. कुली उद्योग कार्य : निजी जायदाद जिनकी नही होती, कौशल रहित गरीबों को कुली रोजगार कार्यक्रमों को जारी किया गया है। ग्रामीण भागों में तालाब, पुल, रास्ता, पाठशाला, अस्पताल अन्य समुदाय की जायदादों के निर्माण कार्य, में कुली कार्य से रोजगार दिया जाता है।

2006 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय उद्योग खातरी योजना (MGNREGS) को जारी किया गया है यह हाल ही में जारी की गयी महत्वपूर्ण योजना है। इसके द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार के इच्छित व्यक्ति को निम्नतम 100 दिन काम दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत काम करनेवाले अपने ग्राम पंचायत में नाम पंजीकृत कराके काम करने से संबंधित अनुमति पत्र माँग लेते है। 15 दिन के भीतर उन्हें कोई रोजगार नहीं देते तो उन्हें रोजगार भत्ता दिया जाए।

3. निम्नतम मूल सुविधा की अपूर्ति : ग्रामीण लोगों की जरुरत है खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी आदि । इस मूल सुविधा देकर उनके जीवनस्तर को बढ़ाने हेतु अनेक कार्य किये जा रहे हैं। उचित मूल्य की दुकानों से गरीबों को कम कीमत में अनाज वितरण किया जाता है। 'यशस्विनी योजना' के अंतर्गत उन्हे उचित स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाती है।

'इंदिरा आवास योजना' और 'वाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना' के द्वारा बेघरवालों को घर बनाकर दिए जाते हैं। 'निर्मल ग्राम योजना' और हाल ही की स्वच्छ भारत अभियान योजना के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। 2000 में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY)

©KTBS Not to be republished

को जारी की गयी है। इसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पीने, का पानी ग्राम की बिजली आदि सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

4. सामाजिक सुरक्षा कार्य : इसके अंतर्गत समाज के गरीब परिवार, असहायक, बुजुर्ग, विकलांग आदि को सरकार द्वारा दी जानेवाली सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा कहेंगे। अनाथ, बुड्ढों को 'संध्या सुरक्षा योजना' के द्वारा वृद्धों को वेतन दिया जाता है। असमर्थ, विकलांग, विधवाओं को विधवा मासाशन दिया जाता है।

इस प्रकार सरकार अनेक कार्यों द्वारा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे गरीबी हट रही है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए –

1. राष्ट्रीय आदर्श समीक्षा संघटन (NSSO) के अनुसार 2004-05 में भारत में _____ प्रतिशत भाग में गरीब लोग रहते थे।
2. भारत में गरीबों को पहचानने के लिए सर्वप्रथम गरीबी रेखा का उपयोग करने वाले _____ थे।
3. भारत सरकार ने खाद्य पदार्थों को खरीद कर संग्रह करने के लिए _____ संस्था की स्थापना की है।
4. गरीब लोगों को उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा को _____ नाम से पुकारा जाता है।
5. वृद्धों के वेतन के लिए जारी योजना का नाम _____ हैं।
6. सरकार द्वारा खाद्य सामग्री को खरीदने के मूल्य को _____ मूल्य कहा जाता है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए

1. गरीबी का अर्थ समझाइए ?
2. मानव की निम्न तम मूलभूत आवश्यकताएँ कौन कौन सी हैं ?
3. 'गरीबी की रेखा' से क्या तात्पर्य है ?
4. भूख की मात्रा को नापने के लिए तैयार की गई सूची कौन सी है ?

©KTBS Not to be republished

5. खाद्य सुरक्षा का अर्थ लिखिए।

6. 'प्रतिरोध भंडार' से आप क्या समझते हैं ?

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाँच छः वाक्यों में लिखिए।

1. भारत में गरीबी की पहचान कैसे की जा रही है ?

2. गरीबी की सूची क्या क्या है ?

3. भारत में 'बढती भूख' का कारण क्या है ?

4. भारत में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के कार्यनिर्वाह के बारे में लिखिए।

5. गरीबी निर्मूलन के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं ? सूची बनाइए।

6. गरीबों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के बारे में लिखिए।

IV. क्रिया कलाप

1. सड़को के किनारे पर खाली स्थानों में तात्कालिक तंबू गाड कर जीवन बितानेवाले आदिवासी लोगों को देखें। उनके भोजन, आवास, उनके बच्चों की शिक्षा आदि पर चर्चा करें।

2. अपने समीप के ग्राम पंचायत में जाकर गरीबों को पहचान कैसी की जा रही है, जानें।

3. स्वयं को एक राज्य का खाद्य सचिव मान कर, गरीबी हटाने के लिए बनायी जाने वाली योजनाओं की सूची बनाइए।

V. नियोजित कार्य –

अपने ग्राम के उचित मूल्य की दुकान पर जाइए। वहाँ निम्नलिखित अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करें –

1. किन किन सामग्रियों को वितरित किया जाता है ?

2. किन मूल्यों पर वितरित किया जाता है ? वहाँ का मूल्य तथा किराने की दुकान में बेचने वाले उसी सामग्री के मूल्य में अंतर कितना है ?

3. कितने परिवारों को यहाँ से सामग्री वितरित होती है ?

★★★★★

©KTBS Not to be republished

अध्याय – 4

श्रम तथा रोजगार

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी होगी –

- *श्रम का अर्थ*
- *भारत की श्रमशक्ति संरचना*
- *भारत की रोजगार समस्या का स्वरुप*
- *उद्योग निर्माण कार्यक्रम*

श्रम एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य उत्पाद का अंग है यह उत्पादन की क्रिया में मानव का अंश माना जाता है। श्रम के बिना कोई उत्पादन असाध्य है। श्रम द्वारा उत्पादन में मौलिकता लाया जा सकती है।

श्रम का अर्थ : मानव पदार्थ अथवा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले भौतिक बौद्धिक सामर्थ्य को श्रम कहता ह। जीविका के लिए किये जानेवाले सभी काम इसमें होते है। अपनी खुशी के लिए अथवा सहानुभूति द्वारा किया जानेवाला काम श्रम नहीं कहलाता। अपनी सेवा के लिए वेतन लेनेवाली दादियों की सेवा को श्रम कहते हैं। एक माँ द्वारा अपने बच्चे के लालन पालन के लिए किया जानेवाला काम श्रम नहीं कहलाता।

> संतोष के अलावा किया जानेवाला पदार्थों की उत्पादन की दृष्टि से देह और मन के द्वारा किया जानेवाला भागशः अथवा संपूर्ण प्रयास को श्रम कहते हैं – अल्फ्रेड मार्शल

श्रम मानव से संबंधित है। उसके विशिष्ट लक्षण हैं।

1. श्रमिक से श्रम को अलग नहीं कर सकते।
2. श्रम का संग्रह नहीं होता।
3. श्रम की आपूर्ति कालांतर में होती है।
4. श्रम का स्थानांतरण नहीं होता।
5. श्रम दक्षता में भिन्नता होती है।

श्रम का महत्व : श्रम उत्पादक अंग है। उत्पादन में इसका स्थान बडा है। श्रम शक्ति की मात्रा पर देश की अभिवृद्धि बढायी जा सकती है। श्रम जितना अधिक होता है, उस देश की आर्थिक प्रक्रियाओं की मात्रा अभिवृद्धि का स्तर अधिक होता है।

©KTBS Not to be republished

सामान्यतः श्रम शक्ति के माप को देश के 15 से 60 वर्ष की आयुवाले लोगों पर निर्धारित करते हैं। 15 साल से कम 60 साल के अधिक आयुवालों को श्रमिक नहीं माना जाता। प्रस्तुत भारत को जनसंख्या लाभांश पानेवाला राष्ट्र माना गया है। युवा पीढी और अन्य लोगों की संख्या अधिक होने के कारण ऐसा माना गया है।

भारत में श्रम शक्ति की रचना: श्रमिकों या श्रम शक्ति की रचना को उसके आकार लिंग क्रिया कलाप तथा श्रम शक्ति की रचना क्षेत्र पर आधारित बँटवारे से समझ सकते हैं। जनगणन और राष्ट्रीय नमूना समीक्षा संगठन इसका संग्रह करते हैं। इस जानकारी के द्वारा भारत की श्रम शक्ति का अध्ययन करेंगे

1. **श्रमशक्ति का आकार** : 2011 के जनगणना के अनुसार 39.8% प्रतिशत लोग रोजगार युक्त रुप में पहचाने गए हैं। बाकी 60% लोग अवलंबित माने गये हैं। यह हमारे देश की बेरोजगारी को दर्शाता है। 2001 और 2011 की अवधि में श्रमिकों की संख्या 40.2 करोड से 48.2 करोड तक अधिक बढी। जो सरकार द्वारा उचित उद्योग के अवसर प्रदान करने को प्रदर्शित करता है।

2. **श्रम शक्ति की लिंग रचना** : 2001 और 2011 दोनों जनगणना में महिला श्रमिकों की संख्या 35% थी। अर्थात पुरुषों से कम मात्रा में स्त्रियाँ भाग लेती हैं। इन्हे उचित रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। उनके कुछ कार्यों को काम नहीं माना जाता, ऐसी जानकारी भी मिली है।

3. **श्रम शक्ति की औद्योगिक और क्षेत्र आधारित संरचना**

औद्योगिक संरचना कृषि, उद्यम और सेवा क्षेत्र में स्वयं को लगाए हुये मजदूरों के आधार पर की जाती है। 2011 के बाद भी भारत में अधिक मात्रा में कृषि और कृषि संबंधी प्रक्रियाओं से जुडे हुए हैं। (कोष्ठक देखिए)

कोष्ठक – 1 भारत में कर्मचारियों का क्षेत्रीय वर्गीकरण

क्षेत्र	निवास स्थान		लिंग		कुल
	ग्रामीण	नगर	पुरुष	महिला	कुल
प्राथमिक	66.6	9.0	43.6	62.8	48.9
द्वितीयक	16.0	31.0	25.9	20.0	24.3
तृतीयक	17.4	60.0	30.5	17.2	26.8
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

करीब 66% (प्रतिशत) लोग प्राथमिक अर्थात कृषि तथा उससे संबंधी प्रक्रियाओं से जुडे हैं। शेष कार्मिक लगभग कम समान रुप से द्वितीयक (औद्योगिक) और तृतीयक स्तर (सेवा) में लगे हुए

©KTBS Not to be republished

हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि-अनेक वर्षो के बाद कृषि में निरत लोग की संख्या कम होकर सेवा में लगे लोगों की संख्या अधिक हो गयी है। इस औद्योगीकरण का वर्गीकरण आय के वर्गीकरण से तुलना की जाये तो गति धीमी मालूम पडती है। ग्रामीण भागों मे कृषि प्रधान है तो नगरों में सेवा क्षेत्र प्रमुख है। अधिक मात्रा के पुरुष उद्योग और सेवा में लगे हैं। तो महिलाएँ कृषिसंबंधी कार्यो में ही संलग्न हैं। यह श्रमिकों का वितरण ग्रमीण प्रदेशों में तथा महिलाओं के लिए कृषि से भिन्न उद्योग निर्माण की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है । इससे कुल मिलाकर आय का मार्ग खुलेगा और गरीबी दूर हो सकती है।

4. श्रमिको के संगठित और असंगठित क्षेत्र : उद्योग के नियमों के आधार पर कार्मिकों का ऐसा विभजन किया जाता है। कानूनी बुनियाद पर पंजीकृत संरचित उद्यमों को संघटित और अपंजीकृत उद्यम को असंगठित क्षेत्र माना जाता है। पंजीकृत उद्यम में सरकार के सभी नियमों को अपनाकर कार्मिकों को सुरक्षा देनी पड़ती है। सारी सुविधाएँ देनी पड़ती है। बल्कि असंगठित सेवा क्षेत्र में वहाँ के कार्मिकों को सुरक्षा नहीं मिलती। उदाः रिलेयन्स समूह के उद्यम, टाटा इस्पात उद्यम आदि पंजीकृत उद्यम है तो छोटे-मोटे व्यापारी, भवन निर्माण के लोग, सडक किनारे व्यापारी पंजीकृत रहित कार्मिक होते हैं। उन्हें कोई सुरक्षा नहीं रहती। उद्योग स्थिति भी कठिन होती है। सरकार के नियमों के अधीन न रहकर काम करने से यह अनौपचारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कोष्ठक के अनुसार 2011-12 में केवल 18% प्रतिशत कार्मिक नियमित उद्योग पाकर संगठित क्षेत्र में हैं।

कोष्ठक - 2 उद्योग की स्थिति के अनुसार श्रमिकों का विभाजन			
उद्योग स्थिति	1972-73	1993-94	2011-12
स्वउद्योग	61.4	54.6	52.0
वेतन पानेवाले नियमित उद्योग	15.4	13.6	18.0
अनियमित उद्योग	23.2	31.8	30.0
कुल	100.0	100.0	100.0

52% प्रतिशत स्व उद्योगी होने पर यह क्षेत्र कम वेतन वाला क्षेत्र माना जाता था। दूसरा कोई मार्ग न होने के कारण परिवार के सभी जन उसमें स्वयं को श्रमिक लगा रखते हैं। अनियमित कुली पिछले कुछ वर्षो में बढ़रहे होने के कारण फिलहाल लगभग 30% कर्मचारी इस प्रकार के काम लगे हुए हैं।

बेरोजगारी तथा भारत में बेरोजगारी की मात्रा :

प्रस्तुत कुली दर में काम करने की इच्छ रखने वाले व्यक्ति को काम न मिलने की स्थिति को बेरोजगार कहते हैं। भारत में बिना काम के और बेरोजगारों की संख्या अधिक और बढ रही है।

©KTBS Not to be republished

भारत जैसे बृहत राष्ट्र में कुल बेरोजगारों की संख्या को गिनना आसान नहीं है। भारत सरकार के कार्मिक व्यूरो के सर्वेक्षण के अनुसार 1951 में 5 दस लाख की मात्रा के बेरोजगारों की संख्या 2010 तक 40.47 दस लाख तक बढनेवाली है। वर्तमान स्थिति में भारत में बेरोजगारी की मात्रा श्रम शक्ति का 9.4% तक है। पुरुषों में 8% तक है तो महिलाओं में वह 14.6% तक है। उसी प्रकार ग्रामीण प्रदेशों में बेरोजगारी का दर 10.1% तक है तो नगर प्रदेश में वह 7.3% तक है।

भारत में बेरोजगारी समस्या के कारण :

भारत के बेरोजगारी समस्या के प्रमुख कारण हैं–

1. **उद्योग रहित आर्थिक विकास:** भारत में आजकल के आर्थिक विकास को उद्योग रहित कहा जाता है। 1990 के बाद उद्योग क्षेत्र में सेवा क्षेत्रों का विकास पूंजी तथा तकनीकी को अपनाकर किया गया है। उसी प्रकार प्राथमिक क्षेत्र मंदगति से विकास होते हुए ग्रामीण भागों मे 'उद्योग की सृष्टि नही' हो पायी।

2. **श्रमिकों की संख्या में वृद्धि :** बढ़ती जनसंख्या के कारण कार्मिकों की संख्या अधिक बढ़ चुकी है। ग्रामीण भागों में बेरोजगारी छिपी हुई नजर आती है तो नगरों में मुक्त रुप में दिखाई देती है।

3. **तकनीकी की असमंजसता :** इसके पहले जैसे कहागया है कृषि तथा उद्यमों में अपनायी जानेवाली तकनीकी पूँजी पर लागू होकर असमंजसता दिखाई देती है।

4. **कृषि पर अवलंबित:** कृषि ऋतु पर आधारित प्रक्रिया होने के कारण उसमें लगे हुए लोगों को कुछ महीने तक मात्र उद्योग की सुरक्षा रहती है। अर्थात भारत में कृषि पर अवलंबित उद्योग ही अधिक हैं।

5. **छोटे और गृहोद्योगों की अवनति :** भारत में उद्योग देनेवाली छोटी और गृहोद्योग की अवनति से बेरोजगारी बढी है।

6. **कार्मिक / श्रमिकों का स्थानांतरण :** श्रमिकों की पारिवारिक निष्ठा, भाषा, धर्म, परिस्थिति आदि संबंधी समस्या के कारण वे स्थानांतरित हो रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है।

भारत में उद्योग निर्माण के कार्य :

देश की प्रत्येक पंचवार्षिक योजना में बेरोजगारी को समाप्त करने की इच्छा थी। केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ने अनेक कार्यों को जारी किया है। उनके द्वारा लोगों को निजी उद्योग, स्वउद्योग, कुली आधारित उद्योग देने से संबंधित थे।

©KTBS Not to be republished

परिस्थिति के अनुसार सरकार ने अनेक कार्यक्रमों को जारी किया है उनमें प्रमुख हैं –

ग्रामीण प्रदेश

1977	:	कामकाज के लिए अनाज (कुलीगागी कालू)
1979	:	ग्रामीण युवकों को स्वउद्योग प्रशिक्षण योजना।
1980	:	समग्र ग्रामीण अभिवृद्धि योजना।
1980	:	राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग योजना।
1983	:	ग्रामीण भूमिरहित लोगों को उद्योग की गारंटी योजना।
1989	:	जवाहर रोजगार योजना।
1993	:	उद्योग भरोसा योजना।
1999	:	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
2004	:	राष्ट्रीय कामकाज के लिए अनाज।
2006	:	राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग गारंटी योजना।

नगर प्रदेश

1989	:	नेहरु रोजगार योजना ।
1990	:	नगर मजदूर उद्योग योजना ।
1993	:	प्रधान मंत्री रोजगार योजना।
1997	:	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय उद्योग की निश्चित योजना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय उद्योग निश्चित योजना 25 अगस्त 2005 में अधिनियम रूप में पारित हुयी, फिर भी यह 2.2.2006 में लागू हुयी । जो अधिनियम ग्रामीण प्रदेश के किसी भी परिवार के एक प्रौढ श्रमिक को प्रतिवर्ष 100 दिन कौशल रहित उद्योग निश्चित रूप से निम्नतम मजदूरी पर काम देने का संविधान में उल्लेख करता है । यदि उद्योग प्रदान करने में सरकार विफल हो तो वह व्यक्ति बेरोजगार भत्ता पानी का अधिकारी होगा । नरेग योजना 100% नगर की जनसंख्या वाले जिलों को छोडकर शेष सभी जिलों में लागू हो रही है ।

©KTBS Not to be republished

परिष्कृत आर्थिक संशोधन राष्ट्रीय परिषद की (NCAER) एक रपट के अनुसार एम जी नरेग विश्व का अत्यंत बडा गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम के परिणाम ये हैं प्रथम बार पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी दी जा रही है । तथा इस योजन का लाभ पानें वाले में पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या आधिक है ।

महिलाओं की सहभागिता अधिक होते ही परिवार की आय में वृद्धि हुई है । इस योजना के कारण लोगों में बैंक सेवा पाने की संख्या भी बढ़ी है । किंतु पिछले औद्योगिक कार्यक्रम के समान ही यह योजना भी निम्नतम स्तर पर लागू हुई साथ ही इसके निरीक्षक भी उचित नहीं हैं । इस प्रकार यह योजना अपेक्षित मात्रा में परिणामकारी नहीं रही है ।

महिला श्रमिक की परिस्थिति

भारत में महिलाओं के उद्योग से संबंधित निम्नलिखित विशेषताएँ देखी जा सकती हैं –

1. महिलाओं के कार्यों की कमी – भारत में महिला श्रमिकों की मात्रा घट रही है । ग्रामीण प्रदेशों में 31% तथा नगर प्रदेशों में 20% श्रमिकों की मात्रा है । यह 1990 में लगभग 40% थी अब 2011–12 तक 22% हो गयी है ।

2. उद्योग संबंधी अडचनें/बाधाएँ –महिला उद्योग के संबंध में कई बाधाएँ हैं । उद्योग का चयन, कार्य की स्थिति, कार्य की सुरक्षा, वेतन संबंधी अंतर, घर तथा कार्य संबंधी सुरक्षा में संतुलन बनाना आदि समस्याएँ महिलाओं के उद्योग में कठिनाई उत्पन्न करते हैं ।

3. महिलाओं की आर्थिक निर्भरता – 2004–05 में 85% महिलाएँ आर्थिक रुप से पुरुषों पर पूर्णतः अवलंबित थी और यह मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई जो महिलाओं की उद्योग हीनता को प्रदर्शित करता है ।

4. अनियमित तथा सामयिक (अस्थिर) उद्योग – काफी महिला श्रमिक वर्ग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत (63% पुरुषों में यह 44% है) रहकर वहाँ की उत्पादकता कम हो गई हैं । इसी प्रकार 13% महिलाएँ नियमित उद्योग में संलग्न हैं इनमें 20% पुरुष हैं । नगर प्रदेशों में महिलाएँ घरेलू उद्योग कर रही हैं या अत्यंत हीनस्थिति में हैं ।

शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक सेवा पर अधिक व्यय होने के कारण महिलाओं का श्रम बढ़ाना पडता हैं । इसी प्रकार उन्नत पदों (आई.ए.एस, के.ए.एस आदि) ही नहीं विधानसभा, विधान परिषद तथा संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाने के कारण कुल मिलाकर उनके कार्यक्षेत्र में बढ़त हो रही है ।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए –

1. उत्पादन में श्रम _____ का उत्पादनांग है ।

2. कार्य करने की आयुसीमा _____ वर्ष है।

3. भारत की कुल श्रम शक्ति में महिला श्रम शक्ति का हिस्सा_____ है।

4. आर्थिक अभिवृद्धि के साथ-साथ _____ क्षेत्र में श्रमिकों का हिस्सा घट गया है।

5. एम.जी नरेग कानून को लागू किया जाने वाला वर्ष _____ है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए –

1. श्रम का अर्थ समझाइए ?

2. असंघटित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है?

3. बेरोजगारी का वर्णन कीजिए?

4. बेरोजगारी की मात्रा / दर को किस प्रकार जाँच सकते हैं?

5. भारत में बेरोजगारी की समस्या का विवरण दीजिए।

6. भारत में महिला उद्योग की विशेषताएँ क्या हैं?

7. एम.जी. नरेग योजना के उद्देश और कार्यान्वयन का उल्लेख कीजिए?

III. नियोजित कार्य –

1. बेरोजगार लोगों से साक्षात्कार बेरोजगारी का कारण और प्रकार जानने का प्रयास करें ।

2. श्रमशक्ति के लिंग संबंधी विशेषताओं पर एक रपट तैयार कीजिए ?

IV. क्रिया कलाप

1. एक उद्योग स्थान पर जायें और वहाँ के कार्य की स्थिति तथा श्रम विभाजन के बारे में रपट तैयार करें ।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

अध्याय–2
वित्तीय व्यवस्था

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो को सीखते है।

- *व्यावहारिक संस्थाओं में वित्तीय व्यवस्था का अर्थ*
- *व्यावहारिक संस्थाओं में वित्तीय व्यवस्था का महत्व*
- *व्यावहारिक संस्थाओं में वित्त की आपूर्ति, अल्पावधि दीर्घावधि माँग*
- *व्यावहारिक संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति करनेवाली संस्थाएँ*

व्यावहारिक संस्थाओं में वित्त व्यवस्था का अर्थ

व्यवस्था का अर्थ : वित्त का अर्थ होता है कि व्यावहारिक संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर रूपयों का संग्रह करना उसका उपयोग लाभदायक उद्देश्यों के लिए करना।

गुटमन और डॉगल के अनुसार एक व्यावहारिक संस्था की वित्तीय प्रक्रिया, योजना, संग्रह, नियंत्रण और निधि के कार्यो से संबंधित होती है।

उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि व्यावहारिक संस्था की वित्तीय प्रक्रिया, याने निधियों का संग्रह, वितरण और दक्षता से संभालना होती है।

व्यावहारिक संस्था में वित्तीय व्यवस्था का महत्व:

1. वित्त व्यावहारिक संस्थाओं की नाड़ी है। वित्त के बिना कोई भी व्यवहारिक प्रक्रिया नहीं चलती।
2. वित्त के द्वारा उत्पादन कार्य और सेवा प्रक्रिया की संस्थाओं की आपूर्ति कर सकते है।
3. पूंजियों का संग्रह विनियोग करने की दिशा में नियंत्रित रीति से मार्गदर्शन करता है।
4. वित्त व्यावहारिक संस्था के अनेक शाखाओं को लक्ष्य प्राप्ति और व्यवहार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिक निभाता है।
5. वित्तीय संस्था का आधुनिकीकरण, विविधता, विस्तरण और वृद्धि में वित्त का पात्र महत्वपूर्ण होता है।
6. वित्तीय संस्था के नये अनुसंधान, बाजार की समीक्षा विज्ञापन तथा संस्था का प्रचार प्रसार करने में वित्त का महत्व पूर्ण स्थान होता है।
7. पिछड़े प्रदेशों में उद्योग स्थापना के लिए वित्त की अधिक आवश्यकता होती है।
8. वित्तीय स्थिरता की दक्षता को बढ़ाता है।

व्यावहारिक संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति :

व्यावहारिक संस्थाओं को अपने द्वारा प्राप्त पैसे को लौटाने हेतु सामान्यत: दो प्रकार के वित्त व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

a) अल्पावधि वित्त b) दीर्घावधि वित्त।

©KTBS Not to be republished

अल्पावधि वित्त: संस्था की प्रतिदिन की वित्त प्रक्रियाओं की आवश्यक्ता को अल्पावधि वित्त कहते हैं ।

सामान्यत: उसकी अवधि एक साल की होती है। संस्था की क्रियाशील पूंजी मतलब कच्चा पदार्थ खरीदने वेतन वितरण, बाजार के खर्च का निर्वाह करने, प्रशासनीय कार्यों का खर्च आदि संभालने के लिए अल्पावधि वित्त की आवश्यकता होती है।

संस्थाओं को पदार्थ बिक्री करने के बाद दाम आने तक समय लगता है। इस अवधि में खर्च को संभालने के लिए अल्पावधि वित्त की आवश्यकता पड़ती है।

अलपावधि वित्त के स्त्रोत: व्यावहारिक संस्था अल्पावधि वित्त के लिए अनेक स्त्रोतों पर अवलंबित होती है, वे हैं :

ए) व्यापार का कर्ज: व्यापार कर्ज का मतलब संस्था पदार्थों की आपूर्ति करनेवालों से प्राप्त कर्ज सामान्यत: व्यावहारिक संस्था पदार्थों को प्राप्त करने के दो या तीन महीनों के बाद रूपये वापस लौटाती है।

बी) बैंको का कर्ज अथवा ऋण: सामान्यात: व्यावहारिक संस्था के लोग तीन महीने से एक साल तक उधार वापस करने का समय लेते हैं। बैंक ऐसी संस्थाओं को ओवर ड्राफ्ट (अधिविकर्ष) द्वारा पैसा देती है।

सी) ग्राहकों से उधार लेना: कुछ संदर्भों में व्यावहारिक संस्था पदार्थों को विक्रय करने वाले ग्राहकों से भी उधार लेती है।

डी) अल्पावधि सार्विजनिक निक्षेप (Diposit) अथवा किश्तों द्वारा उधार लेना : इसके अनुसार व्यावहारिक संस्था कुछ संदर्भों में सार्वजनिकों से निक्षेप संग्रह करती है। अथवा स्थानीय साहूकारों से किश्तों के रूप में पैसा वापस करने की शर्त पर उधार लेती हैं।

ई) स्थानीय महाजनों से उधार लेना: कुछ संदर्भों में स्थानीय महाजनों से अल्पावधि के लिए व्यावहारिक संस्था उधार लेती है।

दीर्घावधि वित्त: सामान्यत: इस प्रकार के उधार की अवधि एक साल की होती है। इस प्रकार का उधार उत्पादन के स्तर को बढ़ाता है। आधुनिक उत्पादन व्यवस्था को अपनाने में मदद करता है। इस प्रकार का उधार स्थिर पूंजी के लिए लाभदायक होता है। उदा: स्थिर संपत्ति को पाना और प्रस्तुत उत्पादन कार्यों को आधुनिक कार्यों के लिए विस्तरित करना आदि।

दिर्घावधि कर्ज अल्पावधि कर्ज से महँगा होता है। मतलब ब्याज दर ज्यादा होता है। ऐसे उधार को शेयर द्वारा अथवा किश्तों के आधार पर प्राप्त करते वित्तीय संस्थाओं से भी प्राप्त करते हैं।

ए) शेयर देने के द्वारा संग्रह : साझेदार पूंजी संस्था पूंजी का छोटे-छोटे स्त्रोतों द्वारा संग्रह करती है। साझेदार पूंजी संस्थाओं को प्रारंभ करते वक्त सार्वजनिकों को शेयर का वितरण किया जाता है। अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए शेयरों को बाँटते है।

बी) ऋणपत्रों के द्वारा वित्त संग्रह: साझेदार पूंजी संस्था दीर्घावधि ऋण संग्रह करके ऋण पत्रों को सार्वजनिकों को वितरण करते हैं। इस प्रकार के ऋणपत्र संस्था के ऋणपत्र होते हैं। एक संस्था अपनी मोहर पर ऋणपत्र सार्वजनिकों में वितरित करती है। अवधि के बाद उधार वापस करने की शर्त

©KTBS Not to be republished

को ऋणपत्रों में दिया जाता है। निर्दिष्ट दर के ब्याज को ऋणपत्रवालों को देने की शर्त उसमें होती है। इस प्रकार लोगों से दीर्घावधि उधार प्राप्त किय जाता है।

व्यावहारिक संस्थाओं दीर्घावाधि वित्त आपूर्ति करनेवाली संस्थाएँ : सांघिक संस्था और उद्योगों को दिर्घावाधि उधार वाली कुछ वित्तीय संस्थाओं की स्थापना हुई हैं वे हैं :

1. भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (IFCI)
2. राज्य वित्तीय निगम (SFC's)
3. भारतीय औद्योगिक अभिवृद्धि बैंक (IBRD)
4. निर्यात आयात बैंक (EXIM Bank)
5. वाणिज्य बैंक (Commercial Banks)
6. सहकारी बैंक (Co - Oprative Banks)

1) भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (IFCI): संसद के अधिनियम के अनुसार उद्योगों को दीर्घावधि उधार देने लिए 1948 में इसकी स्थापना हुई। सार्वजनिक नियमित कंपनी, सहकारी संघ राज्य सरकार के अधीनस्थ नियमित कंपनियों को यह निगम उधार देता है।

2) राज्य वित्तीय निगम (SFC's): संसद ने 1951 में राज्य सरकार अपने राज्यों में वित्तीय निगम स्थापित कर लेने से संबांधित अधिनियम को पारित किया निगम इसके अनुसार जन्मु और कश्मीर के अलावा सब राज्यों में ऐसे राज्य वित्तीय निगम छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए वित्त प्रदान कर सकता है।

3) भारतीय औद्योगिक अभिवृद्धि बॅक्र (IDBI): 1964 के अधिनियम के अनुसार भारतीय औद्यागिक अभिवृद्धि बैंकों की स्थापना हुई। 1976 तक यह भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में था। 1976 के बाद केंद्र सरकार को स्थानांतरित किया गया। प्रस्तुत यह स्वायत संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। कंपनियों से शेयर खरीदने के द्वारा दिघवाधि उधार देता है। भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम और राज्य वित्तीय निगमों के शेयर को भी इस बैंक द्वारा खरीदा जाता है।

4) निर्यात आयात बैंक: यह भारत का आयात निर्यात बैंक है। 1982 में इसकी स्थापना हुई। यह सरकारी स्वामित्व का बैंक है। निर्यात और आयात संस्थाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

उपर्युक्त वित्तीय संस्थाओं के अलावा व्यापारी संस्था, वाणीज्य बैंक और सहकारी बैंकों के द्वारा भी कर्ज पा सकते हैं। व्यावहारिक संस्थाओं को दीर्घकालीन सार्वजनिक निक्षेप और सट्टेबाजी पूंजियों द्वारा भी वित्तीय सुविधा प्राप्त होती है।

दीर्घकालीन सार्वजनिक निक्षेप: व्यावहारिक संस्था अपनी दीर्घकालीन वित्तीय आवश्कताओं को सार्वजनिकों से दीर्घकालीन निक्षेप (Deposits) द्वारा संग्रह करती है। इस प्रकार के निक्षेपों को अधिक नियमपालन किये बिना सरलता से पा सकते है। इस प्रकार के निक्षेपों को 5 वर्षो की अवधि के लिए संग्रह किया जाता है। सामान्यत:ये अधिक सुरक्षित नही होते। निक्षेपों पर 8 से 10 प्रतिशत तक ब्याज दिया जाता है। लेकिन ऐसे निक्षेपों की कुल रकम द्वारा प्राप्त पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। इन उधारों से सार्वजनिक भी अपने पैसे को निक्षेप के रूप में रखकर लाभ पा सकते हैं।

साहसिक पूँजी (Venture capital): इस प्रकार की पूँजी नये और संशोधानात्मक कार्यों को

©KTBS Not to be republished

करनेवाले व्यावहारिक संस्था की मूल आवश्यकता से संबंधित है। संस्थाओं से तैयार होनेवाले उत्पादनों को नुकसान का डर रहता है। लेकिन उनसे लाभ भी अधिक होता है। साहसिक पूंजी कंपनियों की तकनीकी कार्यों में क्रियाशीलता और उत्साह प्रदान कर के कपनियों को तकनीकी क्रियाशीलता और उत्साह दिखाती है।

पारस्परिक निधि (Mutual fund**):** पारस्परिक निधि द्वारा भी दीर्घकालीन उधारों को प्रदान किया जाता है। 1964 में इनकी स्थापना हुई। पारस्परिक निधि का मतलब होता है सार्वजनिक बचत को एकत्रित करने के पूंजीपत्र। गैर सरकारी क्षेत्रों में भी इनकी स्थापना अधिक हो रही है। ये सरकारी पूंजी पत्र निक्षपण पत्र आदि में पूंजी जमा करनेवाले वित्तीय माध्यम है। उदा– यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया मेग्नम इक्विटी फंड, जीवन बीमा विकास निक्षेप, मार्केट योजना प्रूडेन्शियल फंड, आय निक्षेप, बजाज ऑलियन्स आदि।

अंतरीष्ट्रीय स्तर के वित्तीय मूलों में जागतिक न्यासधारी रसीद (GDR) प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

वित्तीय बाजार (Financial Markets**)** वित्तीय बाजार दो प्रकार के है वे हैं

(1) **1) रूपयों का बाजार (Money Market)** (2) **पूंजी बाजार (Capital Market)**

1) रूपयों का बाजार: यह अधिक व्यवस्था में अल्पावधि उधार देने और लेने से संबंधित वित्तीय संस्था से संबंधित है। इस प्रकार के बाजार में कार्यानवित पूंजी के लिए व्यावहारिक संस्थाओं को पैसा दिया जाता है। ऐसे बाजारों में उधार का ब्याज दर निर्दिष्ट ब्याज पूंजी मार्केट दर से अधिक होता है। एक दिन से एक सप्ताह, एक मास, 3 से 6 महीनों की अवधि के लिए उधार लिया जाता है। व्यापारी विनिमय पत्र, अल्पावधि सहकारी बाँड, खजाना, विनिमय पत्र आदि द्वारा उधार प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में वाणिज्य बैंक और गैर सरकारी महाजन भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

2) पूंजी बाजार (capital Market) : पूंजी बाजार दीर्घकालीन पूंजी के लिए उधार देने और लेने की सुविधाओं से संबंधित सांस्थिक व्यवस्था है। सामान्यत ये स्थिर पूंजी के लिए उधार देते है। यहाँ का ब्याज दर वित्तीय बाजार से कम होता है। 20 से 30 वर्ष की अवधि के लिए ये उधार देते हैं। पूंजी बाजार में वित्तीय संस्था, पूंजी विश्व समिति, पारस्पारिक निधियों का योगदान महत्वपूर्ण है।

शेयर बाजार, शेयरों का विनिमय केंद्र (Stock Exchange**):**यह पूंजी बाजार की एक इकाई है। वर्तमान शेयर और बाँड खरीदनेवाले, बेचनेवाले और उनके प्रतिनिधियों का व्यवहार केंद्र है। शेयर बाजार की स्थापना 1773 मे लंदन में हुई। भारत में पहली शेयर बाजार की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई। आज भारत में 24 शेयर बाजार हैं। इनमें तेरह सार्वजनिक नियंत्रित कंपनियाँ हैं। बाकी स्वप्रेरित लाभापेक्षी संस्थाएँ है। 8 शेयर बाजार स्थाई है। प्रति वर्ष इनका नवीकरण आवश्यक है।

शेयर बाजार शेयर और सुरक्षा पत्रों को खरीदने और बेचने पर नियंत्रण रखते हैं। यह सरकार से नियंत्रित होते हैं। शेयर और बाँड को खरीदना और बेचना, शेयर सदस्यों को अपनी एक निश्चित स्थान की सुविधा कराती है। ये सदस्य अपने लेखा नियम अधिनियम के अधीन काम करते हैं।

शेयर व्यवहार को सुगम सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय शेयर विनिमय केंद्र को स्थापना की गयी है। यह संस्था अपने पूंजीदारों को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के अनकूल वित्तीय बाजार चलाने में मदद करती है। 1993 में इस संस्था ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया । आजकल यह कंप्पूटर, दूरभाष, टेलेक्स

©KTBS Not to be republished

और फैक्स के जरिये देश के कोने कोने तक व्यापार का निर्वाह कर रहा है। इस प्रकार के राष्ट्रीय शेयर विनिमय केंद्रों में दलालों को मात्र व्यापार करने की सुविधा होती है। शेयरदार अपने शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए बैंक में खाता प्रारंभ करना है। इसे डिमेट (Demat) लेखा कहा जाता है। यह डिमाट खाता शेयरों की सुरक्षा करता है। इस डिमेट के बिना शेयरों को बेच और खरीद नहीं सकते।

अभ्यास

I. निम्नलिखित रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए :

1. व्यावहारिक संस्था की दो प्रकार की वित्तीय आवश्यकता होती है _____ और _____ ।
2. पदार्थों को बेचनेवाले और खरीदनेवाले उधार लेते हैं। इस प्रकार के उधार को _____ कहते हैं।
3. व्यावहारिक संस्था अपने प्रतिदिन के कार्यों के लिए _____ प्रकार का उधार लेती है।
4. अति शीघ्र मांगों के लिए व्यावहारिक संस्था से _____ उधार लेते हैं।
5. साझेदार पूंजी संस्था की अपनी पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं इन्हे _____ कहते हैं।
6. व्यावहारिक संस्थाओं के आयात और निर्यातों के लिए कर्ज देनेवाला बैंक_____ हैं।
7. भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम में _____ स्थापित हुआ।
8. भारत में सबसे पहले शेयर बाजार _____ नगर में प्रारंभ हुआ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2–3 वाक्यों में लिखिए:

1. व्यावहारिक क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंधन का अर्थ क्या है?
2. व्यावहारिक संस्था के लिए आवश्यक दो प्रकार के उधार कौन- से हैं?
3. व्यावहारिक संस्थाओं के लिए उधार पाने के कोई चार मूल आवश्यकताओं को लिखिए।
4. व्यावहारिक संस्थाओं के लिए अल्पावधि उधार की आवश्यकता क्यों होती है लिखिए।
5. दीर्घकालीन उधार के बारे में लिखिए।
6. पारस्परिक निधि को कोई तीन संस्थाओं के बारे में लिखिए।

III. निम्मलिखित प्रश्नों का उत्तर 8–10 वाक्यों में लिखिए

1. व्यावहारिक संस्थाओं में वित्त का महत्व तथा भूमिका क्या है? लिखिए।
2. व्यावहारिक संस्था के लिए दीर्घावधि उधार की आवश्यकता कौन- सी है, लिखिए।

©KTBS Not to be republished

3. शेयर और ऋणपत्र दीर्घकालीन उधार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वे कौन-से हैं? वे कैसे मदद करते हैं?

4. भारतीय वित्तीय निगम (IFCI) और राज्य वित्तीय निगम वाणिज्य संस्थाओं के व्यवहार के लिए वित्त की आपूर्ति कैसे करते है।

5. सार्वजनिक दीर्घावधि निक्षेप क्या है। उनसे होनेवाले लाभ के बारे में लिखिए।

6. वित्तीय बाजार किसे कहते है? पूंजी बाजार से यह कैसे भिन्न है?

7. व्यावहारिक संस्थाओं के लिए शेयर बाजार की आवश्यकता का स्थूल परिचय दिजिए।

IV. क्रिया कलाप:

1. अपने निकटवर्ती बैंक जाकर वहाँ के व्यवहार संघटन, उधार देने आदि के बारे में व्यवस्थापक से जानकारी प्राप्त कीजिए।

2. शेयर मार्केट के बारे में दैनिक पत्रिकाओं तथा इंटरनेट से प्राप्त जानकारी संग्रह कीजिए। शेयर मॉकट के उतार-चढाव के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए।

★★★★★

©KTBS Not to be republished

अध्याय - 3

व्यवसाय शास्त्र में लेखा

इस अध्याय के अन्तर्गत निम्नलिखित अंशों को जानकारी प्राप्त होगी।

- लेखा का अर्थ एवं परिभाषा।
- व्यवसायशास्त्र में लेखा की आवश्यकता।
- खाता - विवरण, विविध प्रकार के खातों को जमा-खर्च के नियम।
- व्यवसाय के विविध रिवाजों/पद्दतियों को दैनिकपुस्तक तथा खाते में दाखिल/ दर्ज करना।
- व्यवसाय संगठन की सम्पति संबंधी जिम्मेदारियों को समझना।
- अतिम रुप से एक अवधि में व्यापार के पूर्ण परिणाम को जानना।

लेखा का अर्थ और परिभाषा

धन अथवा धन रूप में परिवर्तन की जाने वाली व्यापार पद्धतियों को पहचान कर, उनकी पूंजी (धन) मूल्य को जानकर, उन्हें वर्गीकृत कर, तुलनाकर, अर्थ विवरण के साथ उनका परिणाम जानने के लिए हर संभव, एक निर्दिष्ट पुस्तक में क्रमबद्ध दाखिला करने का काम ही लेखा कहलाता है।

सामान्य अर्थ में व्यवसाय सम्बधी परिणाम जानने के लिए व्यवसाय की पद्धति का क्रमबद्ध दाखिला करने का तरीका लेखा कहलाता है।

परिभाषा / व्याख्या

1. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउन्टेंट्स-(AICP-merican Institute of Certified Public ccountants) संस्था ने लेखा को इस प्रकार परिभाषित किया है लेखा- अधिक पैमाने पर धनराशि के स्वरूप तथा परिणाम को प्रदर्शित करने बाले व्यवसाय तथा घटनाओं का स्पष्टत: और नगद रूप में दाखिला करके वर्गीकरण तथा संक्षिप्त करने की एक कला है।

2. अमेरिकन अंकाउन्टिग एसोसिएशन (AAA-American Accounting Association) इस संस्था ने लेखा की इस प्रकार व्याख्या की है- आर्थिक सूचनाओं वाले - सटीक (सही) निर्णयों तथा नतीजों तक पहुँचने में सुविधाजनक सूचनाओं को पहचानने, मूल्यांकन करने तथा सम्पर्क करने की प्रक्रिया-लेखा है।

लेखा के लक्षण

1. लेखा विज्ञान है तथा कला भी है। क्योंकि लेखा कुछ निर्दिष्ट तरीकों और नियमों से युक्त है। इस कारण वह विज्ञान है। लेखा-कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ तरीकों का अनुसरण करता है इससे यह कला है।

©KTBS Not to be republished

2. लेख व्यवसाय की पद्धतियों का विभाजन करता है।
3. लेखा व्यवसाय की पद्धतियों का वर्गीकरण कर निर्दिष्ट और तत्सम्बंधी खातों में दाखिला करता है।
4. लेखा व्यवसाय की पद्धतियों का धन रूप में मूल्य प्रदर्शित करता है।
5. लेखा व्यवसाय पद्धतियों को संक्षित कर खातों से सूचनाएँ प्राप्तकर अंतिम लेखा का व्यवसायिक खाता लाभ- हानि का खाता तथा संपत्ति सम्बधी कर्तव्यों को सूची तैयारकरता है।
6. लेखा व्यवसाय के निर्णय लेने में सुविधाजनक परिणाम या नतीजे प्रस्तुत करता है।

लेखा को आवश्यकता

W.C.F हार्टली के अनुसार शरीर के लिए जिस प्रकार आहार आवश्यक है उसी प्रकार व्यवसाय व्यापार में लाभ आवश्यक है। प्रत्येक व्यापार संगठन लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से व्यापार प्रारंभ करता है। व्यवसाय की पद्धति/रिवाजों के अनुरूप वस्तु तैयार करना, वस्तु खरीदना, आता है। इनको लिखित रूप में जानना अति आवश्यक है। एक निर्दिष्ट अवधि में व्यवसाय संगठन द्वारा प्राप्त असल लाभ कितना है, अथवा कितना नुकसान उठाया है, उसे जानना अत्यन्त आवश्यक होता है। अन्य लोगों से प्राप्त किया जाने वाला धन कितना है तथा अन्य लोगों की कितना धन दिया जाना है, इसे भी जानना होता है। इन सबके लिए लेखा लिखित रुप में होना चाहिए। अत्यंत सामान्य उदाहरण के अनुसार गाँव की एक ग्वालिन किसी को दूध बेचती है तो उसकी मात्रा के अनुरुप दीवार पर रेखाएँ अथवा बिंदु खींचती है। एक लीटर दूध हो तो एक रेखा या एक पूर्ण बिंदु आधा लीटर हो तो आधी रेखा या आधी बिन्दी खींचती है। अवधि पूर्ण होने पर किस किसको- कितना दूध उसने बेचा इसका लेखा जोखा रेखाओं या बिंदुओं को जोड कर जानती है तथा उसके अनुरूप धन वसूल करती है। इसी प्रकार कई पद्धतियों/व्यवहारों को चलाने वाली एक व्यापार संस्था को इनके परिणाम को जानने के लिए अलग-अलग हिसाब लिखना पड़ता है। इससे व्यवसाय संस्था में माल कितना बेचा गया तथा कितना खरीदा गया, उससे कितना लाभ हुआ, किसे कितना धन देना है, कितना वसूल करना है। आदि को समझकर एक अवधि में संस्था द्वारा प्राप्त लाभ या एक लाभ की मात्रा को जानने के लिए लेखा की आवश्यक निश्चित रुप में है।

लेखा के उपयोग अथवा लाभ.

- लेखा-जोखा (हिसाब-किताब) का दाखिला- व्यापार संगठन का जमा-खर्च का पक्का दाखिला होता है।
- लेखा का दाखिला - व्यावसाय संबंधी प्रक्रियाओं को पूर्ण सूचनाएँ प्रदान करता है।

©KTBS Not to be republished

- लेखा द्वारा वर्ष – प्रतिवर्ष व्यवसाय – व्यापार के परिणामों की तुलना करने की सुविधा होती है।
- लेखा द्वारा व्यवसाय के रूपए – पैसों की सामर्थ्य का पता चलाता है।
- लेखा – व्यापार संगठन अन्य लोगों को देने वाले धन की मात्रा तथा लेने वाले धन की मात्रा का अंदाजा लगाने में सुविधा जनक होता है।
- लेखा– दस्तावेजों के दाखिले का हस्ताक्षर पाने तथा सबूत के तौरपर रखने में सहायक है। सरकार या अन्य किसी भी संस्था के लिए व्यापार के लिए लेखा का दाखिला होना अति आवश्यक है।
- लेखा का दाखिला व्यापार संगठन के अगले वर्ष की योजनओं तथा निर्णयों को लेने के लिए अत्यधिक उपयोगी है।

लेखा के प्रकार

लेखा में जमा तथा खर्च का मुख्य स्थान है। इन जमा – खर्चों के दाखिले से सम्बधित लेखा पुस्तक में दाखिला करने की कला पुस्तक निर्वहण कहलाती है। जमा खर्च के दाखिले की पुस्तक को खाता कहा जाता है।

लेखा (वही) के दो प्रकार

1. दोहरी प्रविष्टि पद्धति (Double - Entry System)
2. एक प्रविष्टि पद्धति (Single - Entry System)

दोहरी प्रविष्टि पद्धतिः प्रत्येक व्यापार प्रक्रिय दो अंशों से युक्त होती है। एक अंश फलदायक होता है, दूसरा फल प्राप्त करता है। इन दोनों अंशों को ध्यान में रखकर लेखा पुस्तक में दाखिला किया जाता है। प्रत्येक अंश का एक लेखा (हिसाब) या खाता दो भागों से युक्त होता है। (नमूना आगे देखिए) इस प्रकार एक खाता लाभ पाता है तो दूसरा फल देता है। इन्हें दाखिल करते समय एक प्रक्रिया को दोनों खातों में विपरीत स्थानों पर दाखिला किया जान चाहिए । इसे दोहरी प्रविष्टि पद्धति कहते हैं। उदा– नगद के लिए माल बेचा गया। यहाँ नगद खाता फल प्राप्त करता है। माल बेचने का खाता फल देता है। नगद खाते में एक तरफ दाखिला करने पर माल बेचने के खाते में उसके विपरीत स्थान पर इसका दाखिला होना चाहिए। फलप्राप्त (लाभ) खाते को खर्च की ओर दाखिला करने पर फल देनेवाले खाते के जमा की ओर दाखिला करते हैं। (प्रक्रियाओं का दाखिला आगे दियागया है)

©KTBS Not to be republished

एक प्रविष्टि पद्धति : कुछ व्यापार व्यवसाय संस्थाएँ दोहरी प्रविष्टि पद्धति को पूर्ण रूप से अनुसरण नही करती हैं। वे व्यापार प्रक्रिया के केवल एक अंश मात्र को हयान में रखकार एक लेख या खाते में एक ओर (तरफ) मात्र दाखिला करती है। कुछ प्रक्रियाओं का दाखिला किया ही नहीं जाता, इस प्रकार लेखा की दाखिला पद्धति **एक प्रविष्टि पद्धति** कहलाती है। इस पद्धति में अनेकाबार प्रक्रियाओं का पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं होता है। इससे सामान्यत: सभी व्यापार संगठनों में प्रविष्टि की पद्धति ही अनुसरणीय है।

दोहरी प्रविष्टि के प्रकार को लेखा या निर्वहण का क्रम:

1) दैनिक बही व्यवसाय प्रक्रियाएँ प्रति पुस्तक में दाखिल की जाती है।

2) प्रति (हिसाब हेतु) पुस्तक- प्रक्रियाओं का विश्लेषण कर किस खाते के जमा भाग में किस खाते की खर्चे भाग में दाखिला होना है, समझकर निम्नलिखित नमूने में दैनिक पुस्तक में दाखिला किया जाता है

दैनिक पुस्तक का नमूना

दिनांक	विवरण	खाता पृष्ठ संख्या	खर्चा – कुल धन (रुपयों में)	जमा कुल धन (रूपयों में)
.....	..... खाता खर्च ..... **खाता जमा** (विवरण) .....)	– –	* * * * *	* * * * *

प्रक्रियाओं का दाखिला पूर्ण विवरण के साथ पहले दैनिक पुस्तक में दाखिल जाने के कारण दैनिक पुस्तकों को मूल पुस्तक कहते हैं।

(.....)

3) दैनिक पुस्तकों दाखिलों को तत्सम्बन्धी खातों में स्थानान्तरित किया जाता है।

4) एक निश्चित अवधि के बाद या आवश्यकता पड़ने पर खातों का शेषांश पता लगाया जाता है। शेषांशों से तात्पर्य है- दोनों तरफ (जमा+खर्च) के खातों का अंतर (दोनों शेषांशों का जोड़ समान होना चाहिए।)

5) इन शेषांशों की सूची तैयार की जाती है। इन्हें तुलनात्मक (परीक्षण) तालिका कहते हैं। (Trial balance)

6) इस जाँच (परीक्षण) तालिका को बनाने के बाद अंतिम लेखा तैयार किया जाता है। अंतिम लेखा के तीन भाग हैं-

©KTBS Not to be republished

ए) वाणिज्य (व्यापार) खाता। (Trading account)

बी) लाभ तथा हानि खाता (सामान्यतः इन दोनों लेखों को एक साथ लिखा जाता है)।

उदा : दीर्घावधि व एकावधि का अंतिम व्यापार तथा लाभ हानि का खाता।

सी) सम्पत्ति तथा कर्तव्य पक्काचिट्ठा- यहाँ व्यापार की (कुल) सभी सपत्ति तथा पक्के चिट्ठे की बालिका गिरवी पत्रिका भी कहा जाता है। (सम्पात्ति तथा)

इन सभी दाखिलों की वही (लेख) को वर्तुल (चक्राकार) चक्र कहा जाता है)

लेखा का वर्तुल रेखा चित्र (Accounting cycle)

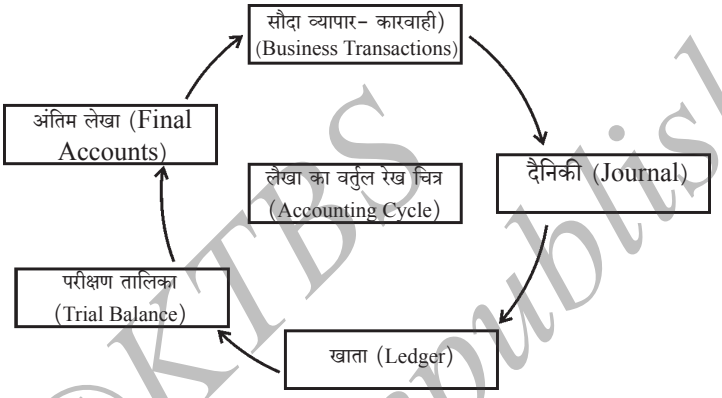

खातों का वर्गीकरण: व्यापारी संस्थाएँ प्रक्रियाओं को लिखित रूप देन के लिए तीन प्रकार के खातों का उपयोग करती हैं

1. व्यक्तिगत खाता (Personal Accounts) 2. असल (वास्तविक खाता (Real Accounts)

3. नाम मात्र (संज्ञात्मक) खाता (Nominal Accounts)

व्यक्तिगत (वैयक्तिक) खाता: एक संस्था व्यक्ति यों के साथा या संस्थाओं के साथ जो भी व्यवहार रखती है उसे लिखित रूप में (खाता) रखती है जो व्यक्ति खाता कहलाता है। उदा: सुरेश का खाता, बैंक खाता, राजन का खाता ABC हिस्सेदारी खाता, कपनी खाता आदि।

संपत्ति खाता: संस्था अपने अधीन प्रत्येक सम्पत्ति या किये गये बीमे, यातायात व्यय अन्तर्गत आते हैं। अपने अधीन जायदादों या माल सम्बधी व्यवहारों का लिखिल रूप का खाता सम्पत्ति खाता कहलाता है उदा. इमारतों भवनों का खाता, नगदखाता, सहायक सामग्री खाता, यंत्रों का खाता आदि।

नाममात्र खाते या नामधेय खाते (Nominal ccounts) : संस्था द्वारा अर्जित आय या लाभ व देय अनेक व्यय के लिए, हानि के लिए, प्रत्येक के लिए एक - एक खाता रखा जाता है। इन्हें नाममात्र खाता या लाभ-हानि खाता कहते हैं। उदा- वेतन देना, बेंक से प्राप्त ब्याज, दी गई मजदूरी, दिया गया कर प्राप्त एवं देय कमीशन, बीमा व्यय किसानों का लेन-देन, यातायात व्यय आदि।

©KTBS Not to be republished

दाखिलों में जमा – खर्च के नियम

> **ज्ञात रहें**
>
> लेखा पुस्तकों में खर्च शब्द के लिए (Debit) 'Dr' आरै जमा के लिए (Credit) 'Cr' शब्दों का उपयोग किया जाता है।

व्यवसाय प्रक्रिया में दाखिला किए जाने वाले तीन प्रकार के खातों को संस्था रखती है। इन तीनों प्रकारों के खातों का खर्च आरै जमा संबंधी पालन योग्य नियमों को जानेगें –.

व्यक्ति वाचक खाता : फल प्राप्त व्याक्ति के खाते में खर्च (डेबिट) फल देने वाले खाते में जमा (क्रेडिट देने वाला) का प्रयोग होता है।

सम्पत्ति खाता : सम्पत्ति के अन्तर्गत धन आता हो उसके खाते में खर्च, सम्पत्ति जाती हो तो खाते में जमा का प्रयोग होता है। (Debit-What comes in, credit-what goes out)

नाममात्र खाता : हानि जमा अथवा व्यय खातों में खर्च, लाभ या आय अर्जित खातों में जमा लिखित होना चाहिए।

ऊपर लिखित नियमों के अनुसार खर्चएवं जमा के उदाहरण ये हैं –

> **ध्यान दें**
>
> व्यापार प्रारभं करने से संबंधित धन को पूंजी कहते है। यह वैयक्तिक खाता के अधीन आता है।

1. राजन ने 80.00 रूपयों से व्यापार/व्यवसाय प्रारंभ किया। यहाँ दो खाते 1) नगद खाता– सम्पात्ति खाता– नगद आना, नगद खाते में, खर्च–खर्च भाग में दाखिला है । इससे लागत खाते में जमाभाग में दाखिला करें ।

2. बैंक को रूपए 50,000 जमा कराए गए। इसके दो खाते 1) बैंक खाता व्यक्ति वाचक खाताबैंक पाता है : बैंक खाते में खर्च भाग में दाखिल किया जाएगा। नगद खाता– सम्पत्ति खाता– नगद जमा है– इससे नगद खाते में जमा भाग में दाखिल करें।

खाता

खाता व्यापार संस्थाओ में हिसाब किताब संबंधी होता है । (वैयक्तिक खाता, जायदाद संबंधी खाता और नाम वाचक खाता) दैनिक प्रस्तक में दाखिल करने के बाद प्रति दिन के दाखिले को तत्संबंधी खाते में स्थानांतरित किया जाता है। खाते के दो भाग होते है । बाँये भाग में खर्च संबंधी लेखा जोखा तथा दॉये भाग में जमा संबंधी लेखा जोखा दाखिल किया जाता है ।

©KTBS Not to be republished

खाते का नमूना इस प्रकार है –

खाच				खात			
दिनांक	**विवरण**	**दैनिक पृष्ठ**	**धन रुपयो में**	**दिनांक**	**दैनिक विवरण**	**दैनिक पृष्ठ**	**धन रुपयो में**
इस भाग में व्यवहार की तारीख लिखी जाएगी	जिस खाते में जमा किया गया है । उस खाते का नाम लिखा जाएगा	दैनिक पुस्तक के पृष्ठ में लिखा जाएगा।	व्यवहार संबंधी धन का दाखिला किया जाएग	इस भाग में व्यवहार की तारीख लिखी जाएगी	जिस खाते से खर्च किया गया है, उस खाते का नाम लिखा जाएगा	दैनिकी में पृष्ठ से लिखी जाएगी	व्यवहार संबंधी धनका दाखिला करें ।

दैनिक पुस्तक का दाखिला खाते में स्थानां तरित करना–

(विवरण भाग में खार्च वाले हिस्से में जिस खाते में जमा किया गया है, उसे दाखिल करते है, और जमा वाले हिस्से में किस खाते से खर्च किया गया है, उसे दाखिल करते हैं।)

उदा : नगद खाता खर्च–यहाँ नगद में खाते में खर्च भाग में निवेश खाते के लिए निवेश खाते में जमा लिख जाए। निवेश खाते में जमा भाग में नगद खाते से लिख जाएग।

खातों का शेषांश पता लगानाः

किसी भी व्यापार संस्था में एक अवधि के बाद या आवश्यक लगे तो, अपने धन की स्थिति या उपने धन का परिणम (लाभ–हानि) जानना जरूरी है। संस्थाएँ अपने सभी क्रिया कलापों का दाखिला खातों में रखती हैं। इन दाखिलों के शेषांशों को पता लगाना, धन कि स्थिति जानना अति आवश्यक है। खातों का शेषांश पता लगाने का क्रम–इस प्रकार होता है– प्रत्येक खाते के अत्यधिक कुल धन की एक ही लाइन में दोनों और धन की लिखते है। इन दोनों के अंतर को पता लगाते हैं । इस अंतर को शेषांश कहते हैं। इस शेषांश कुल धन के साथ बीच में दाखिल करते हैं। खर्च की ओर कितना कुल धन अधिक है उसे उस खाते का खर्च–शेषाश कहकर जमा भाग में कितना अतिरिक्त कुल धन है उसे उस खाते का जमा शेषांश कहा जाता है। इन शेषांशो को अगल अंतिम शेषांश कहा जाता है। अगली अवधि में इन शेषाशों से आगे बढाया गया प्रारंभिक शेषांश लिखकर खाता प्रारंभ करते हैं। निवेश तथा जमा शेषांश के कुल धन का पतालगाकर सम्पत्ति भाग का कर्जदार कह कर तथा जमा शेषांश के मूलधन का पक्काचिट्ठा भाग में दिखाते हैं। अलग अलग दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

सूचना हेतुः

माल खाते को अलग अलग, माल बेचने के खाते तथा माल खरीदने के खाते के रुप में दिखाएँ इसी प्रकार माल वापसी तथा माल वापस होकर आने के बारे में अलग–अलग दिखाएँ ! इस खातों की कुल राशि परीक्षण सूची में दिखाई जाती है। शेषांश बताने की आवश्यकता नहीं होती।

©KTBS Not to be republished

पहले दिखाए गए माल बेचने का कुल धन, माल खरीदने का धन, माल वापस करने पर प्राप्त धन, तथा माल वापसी के कुल धन मात्र को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी खातों के शेषांश की सूची बनायी जाती है। इस सूची को परीक्षण सूची कहते हैं। परीक्षण सूची दोनों भागो में समान हो तब हिसाब का दाखिला सही प्रकार से गणनीय होता है।

ज्ञात रहे:

- प्रत्येक खाते या लेखा के लिए एक पृष्ठ या अधिक पृष्ठ व्यवहार के अनुरूप रख जाता है।
- दैनिक पृष्ठ अंकन में दैनिक पुस्तक के किस पृष्ठ में इस खाते का दैनिक दाखिला किया गया है उस पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है।

ध्यान दें: सत्याापन (जॉच) सूची खर्च शेषांश कुल की राशि, जमा शेषांश की कुल राशि दोनों एक ही होने के कारण दैनिक दाखिले तथा खातों में उनका स्थानातरण सही है, इसकी जाँच की जा सकती है।

अंतिम लेखा (हिसाब)

अंतिम हिसाब सामान्यतः दो तालिकाओं से युक्त होता है।

1. व्यापार और लाभ हानि खाता 2. सम्पत्ति तथा कर्तव्य तालिका

व्यापार और लाभ हानि का खाता कई बार दो भागों में व्यापार खाता और लाभ-हानि खाता के रूप में प्रयार किया जाता है । सामान्यत इन दोनों को एक साथ मिलाकर व्यापार और लाभ हानि खाते के रूप में एक ही तैयार करने का प्रचलन है।

व्यापार खाता व्यापार से साम्बन्धित माल का प्रारंभ शेषांश, माल की खरीददारी, माल का बेचना, माल वापस करना तथा वापस प्राप्त करना, व्यापार संबंधी खर्च, उदा - यातायात खर्च, आयात कर, निर्माण खर्च आदि युक्त है। व्यापार खाते का अंतिम परिणाम, व्यापार द्वारा मजदूरी या वस्तु निर्माण द्वारा हुए लाभ या हानि को - स्थूल रूप में लाभ या स्थूल हानि कहा जाता है। इसे लाभ हानि के खाते में स्थानंतरित किया जाता है। लाभ-हानि के खाते में व्यापार द्वारा स्थूल लाभ या स्थूल हानि का गणना करके संस्था द्वारा सभी आय, लाभ, खर्च, हानि को दिखाया जाता है। अंतिम परिणम के कुल लाभ, या नष्ट को लागत खाते में स्थान्तरित किया जाता है। स्थिर सम्पत्ति प्रति वर्ष अपने प्रत्यक्ष मूल्य/ मूलधन का कुछ भाग गँवाया करती हैं इसे घिसना (घटना) कहते है। इस घिसने या कम होने को स्थिर सम्पत्ति में घटाया जाना चाहिए तथा घटत को लाभ हानि खाते में खर्च की तरफ दिखाया जाना चाहिए। इसे तालिका द्वारा संस्था सम्बधी सभी सम्पत्ति तथा जिम्मेदारियों प्रदर्शित किया जाता है।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

1. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति सही अंशों से कीजिए

1. व्यवसाय की दैनिक बही पद्धति की लिखित पुस्तक _____ पुस्तक कहलाती है।
2. वेतन देने की कार्यवाही _____ खाते के अन्तर्गत की जाती है।
3. नवीन तथा शास्त्रीय दस्तावेजों को रखने की पद्धति _____ पद्धति कहलाती है।
4. एक खाते के जमा और खर्च के अंतर को _____ कहते हैं।
5. नगद सहित व्यापार प्रारंभ किए जानेवाले दो खाते _____ और _____ होते हैं।
6. अंतिम हिसाब (लेखा) में व्यवसाय द्वारा लाभ को _____ खाते में स्थानान्तरित किया जाता है।
7. स्थिर सम्पत्ति के द्वारा प्रति वर्ष अपने प्रत्यक्ष (अंकित) मूल्य से गॅवाए हुए कुछ भाग को _____ कहते हैं।
8. एक व्यापारी की सम्पत्ति तथा कर्तव्य सम्बन्धी अंतर उस व्यापारी का _____ होता है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. लेख के अन्तर्गत मूल दाखिला सम्बधी पुस्तक कौन सा है? उसे क्यों मूल दाखिला पुस्तक कहते है?
2. खातों के प्रकार कौन कौन से हैं? उदाहरण दीजिए।
3. व्यवसाय में लेखा की आवश्कता क्या है?
4. दोहरी अंकन (पंजीयन) पद्धति के लेखा से क्या तात्पर्य है?
5. अंतिम लेखा कौन कौन सो है? लाभ-हानि के खाते का परिणाम क्या है ?
6. माल बेचने तथा माल खरीदने के खातों का शेषांश पता लगाने की आवश्यकता नहीं होती क्यों?
7. स्थिर सम्पत्ति के नष्ट होने का परिणाम क्या होता है?

★★★★★

©KTBS Not to be republished